योदश माला, खंड 22, अंक 4

शुक्रवार, 1 मार्च, 2002

10 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 1 मार्च, 2002/10 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-4
प्रश्नों के लिखित उत्तर . .	4-383
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	4-30
अतारांकित प्रश्न संख्या 159 से 388	30-383

लोक सभा

शुक्रवार, 1 मार्च 2002/10 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

(इस समय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज निधन संबंधी उल्लेख किया जाना है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : ये दंगाई देश को जला रहे हैं। ....*(व्यवधान)* कोई औबीचुअरी नहीं, देश को बचाइए।. ..*(व्यवधान)*

पूर्वाहन 11.01½ बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे बड़े दुःख के साथ अपने तीन पूर्व सहयोगियों–श्रीमती कैलाश पति, श्री एस.बी. पाटिल और श्री इन्द्रनाथ भगत के निधन की सूचना देनी है।

.....(व्यवधान)

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, कल श्री जाफरी की हत्या की गई है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, पूर्व सदस्य श्री एहसान जाफरी को कल जिन्दा जलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कैलाश पति, 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा की सदस्य थीं तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती कैलाश पति 1985 से 1994 तक राज्य सभा की सदस्य भी रहीं। इससे पहले वह 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य भी रहीं।

एक कुशल सांसद, श्रीमती कैलाश पति विभिन्न संसदीय परामर्शदात्री समितियों की सदस्य रहीं। एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्रीमती कैलाश पति ने महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कार्य किया। वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े विभिन्न संगठनों से सम्बद्ध रहीं।

श्रीमती कैलाश पति ने अनेक देशों की यात्रा की और वह जिनेवा, स्विट्जरलैण्ड गये भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सदस्य भी थीं।

श्रीमती कैलाश पति का निधन 58 वर्ष की आयु में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 9 नवम्बर, 2001 को हुआ।

श्री एस.बी. पाटिल 1962 से 1979 तक तीसरी से छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने तत्कालीन मैसूर राज्य बीजापुर दक्षिण और कर्नाटक के बागलकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पाटिल एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में "भारत छोड़ो आन्दोलन" में भाग लेने के लिए उन्हें जेल भेजा गया।

एक कुशल सांसद, श्री पाटिल अनेक संसदीय परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

श्री पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने अपने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और समग्र विकास के लिए अथक कार्य किए।

श्री पाटिल पेशे से कृषक थे तथा उन्होंने कृषक मंच का गठन किया और अनेक कृषि सहकारी समितियां बनाई। उनकी कृषि सुधारों में विशेष रुचि थी और उन्होंने किसानों के कल्याण में गहरी दिलचस्पी ली।

उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दलितों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये कार्य किया।

श्री पाटिल ने अनेक देशों की यात्रा की और वे 1979 में रोमानिया और बुल्गारिया गये भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे।

साहित्य में अभिरुचि रखने वाले श्री पाटिल के अनेक लेख कन्नड़ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये थे।

श्री एस. बी. पाटिल का निधन 76 वर्ष की आयु में बागलकोट, कर्नाटक में 20 दिसम्बर, 2001 को हुआ।

श्री इन्द्रनाथ भगत, 1998–99 के दौरान बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने तत्कालीन बिहार राज्य (अब झारखंड) के लोहारदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री भगत एक सक्रिय सांसद थे। वह 1998–99 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के तथा कोयला मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री भगत 1977 से 1994 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने बिहार सरकार में 1985–86 और 1989–90 के दौरान कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़ी कुशलता से कार्य किया।

श्री भगत पेशे से कृषक थे तथा वह एक जाने–माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री इन्द्रनाथ भगत का निधन कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् 55 वर्ष की आयु में लोहारदगा, झारखण्ड में 29 दिसम्बर, 2001 को हुआ।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें श्री एहसान जाफरी का नाम और जोड़ दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल होगा।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 21।

.....(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मध्यम अवधि की निर्यात नीति

***21. श्री के.पी. सिंह देव :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी कुछ वर्षों में निर्यात को दोगुना करने के लिए मध्यम अवधि की निर्यात नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे भारतीय निर्यात को कितना प्रोत्साहन मिलेगा;

(घ) क्या इस नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए कई नई मदों की पहचान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह नीति विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अनुरूप होगी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या आयात के लिए और अधिक पत्तनों को प्रवेश

द्वारा बनाने के लिए सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2002–2007 की अवधि के लिए मध्यम अवधि की निर्यात योजना (एमटीईएस) की घोषणा की गयी है। प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की आयात मदों और भारत की निर्यात मदों की जांच करके प्रमुख उत्पादों को अभिज्ञात किया गया है। एमटीईएस में वृहत नीतियां तथा क्षेत्र–वार नीतियां देते हुए निर्यात क्षेत्र के लिए दिशा–निर्देश दिए गए हैं जिससे कि पण्य वस्तुओं के निर्यात में 2006–07 तक भारतीय हिस्से को विश्व निर्यात का 1 प्रतिशत तक किया जा सके।

(घ) और (ङ) 4 अंकीय स्तर पर कुल मिलाकर 220 मदों को अभिज्ञात किया गया है जिनकी भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए संभावना है। इनमें वे मदें शामिल हैं जो प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की आयात मदों में और भारत की निर्यात–मदों में संभाव्यता वाली मदें हैं। इन 220 मदों के ब्यौरे मध्य अवधि निर्यात योजना 2002–2007 के दस्तावेज में दिए गए हैं, जिनकी प्रतियां संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई गई है।

(च) जी, हाँ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) सामान्य रूप में भारत में आयात सभी सीमाशुल्क पत्तनों से करने की अनुमति है, जब तक कि गुणवत्ता, मानक इत्यादि के आधार पर अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

मूल्य वर्धित कर

***22. श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या यह सच है कि देश भर में 1 अप्रैल, 2002 से एक समान मूल्य वर्धित कर लागू करने हेतु पहले लिए गए निर्णय को स्थगित कर दिया गया है;**

(ख) क्या यह स्थगन कर–प्रयोजनों के लिए राज्यों को सेवाओं के हस्तांतरण के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच मतभेद होने के कारण किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मतभेदों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस स्थगन से उद्योग जगत और सरकार के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हाँ। 23 जनवरी, 2002 को हुई एक बैठक में, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों ने राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 2002 के स्थान पर 1 अप्रैल, 2003 से मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली को कार्यान्वित किए जाने संबंधी कार्य आरम्भ करने का निर्णय लिया था। ऐसा इस लिए किया गया है ताकि आवश्यक विधायी उपायों के साथ–साथ कम्प्यूटरीकरण, कर्मचारी प्रशिक्षण, जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्रवाई पूरी की जा सके एवं व्यापार तथा उद्योग आदि के कतिपय क्षेत्रों में मूल्य वर्धित कर प्रणाली के बारे में शंकाएं दूर की जा सकें। यह नोट भी किया गया था कि इससे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें विशेष श्रेणी के राज्य/नए बनाए गए राज्यों को एक साथ मूल्य वर्धित कर को लागू करने में सहायता मिलेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जो मूल्य वर्धित कर के साथ–साथ निर्णयों को कार्यान्वित करने संबंधी कार्यों पर निगरानी रखेगी तथा इसने राज्यों के राजस्व में वृद्धि करने संबंधी कुछेक उपायों की भारत सरकार द्वारा विचार करने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने तदनुसार शासकीय–स्तर की दो समितियों का गठन किया जिसमें विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हैं जो कुछेक महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे जिनमें से एक मुद्दा सेवाओं पर कर लगाने के लिए राज्यों को शक्तियां दिये जाने से संबंधित है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समिति ने राज्यों की ऐसी शंकाओं को दूर करने के सुझाव दिए हैं कि मूल्य वर्धित कर को लागू करने से राज्यों को आरम्भिक स्तरों पर राजस्व हानि होगी।

(घ) आस्थगन के कारण कोई राजस्व हानि नहीं होगी क्योंकि बिक्री कर का मौजूदा प्रतिमान सभी राज्यों में जारी है। तथापि, यह मान लिया गया है कि मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालित बिक्री कर की विद्यमान प्रणाली से अधिक फलोत्पादक एवं तरणशील है।

विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर के उपरान्त भारतीय कृषि की स्थिति

*23. **श्री बिक्रम केशरी देव :**

श्री वी.एम. सुधीरन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से विकासशील देशों के सामने कृषि क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की कृषि संबंधी समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) बैठकों में किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर के कारण भारतीय किसानों को किन–किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) सरकार भारतीय किसानों, विशेषतः कुक्कुट पालन और डेयरी फार्मिंग, वाणिज्यिक, बागवानी और खाद्यान्न फसलें उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित किसानों को कितनी वास्तविक राहत प्रदान की गई है या प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) कृषि को एक विषय के रूप में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के तहत सर्वप्रथम उरूग्वे दौर के करारों (1994) के एक भाग के रूप में लिया गया था। कृषि संबंधी करार में यह अधिदेश है कि आगे वार्ताएं अनुच्छेद–20 के अनुसार होंगी। तदनुसार, वार्ताएं 1.1.2000 को शुरू हुई थी और आज की तारीख तक कृषि संबंधी समिति के 12 विशेष सत्र की बैठकें हो चुकी हैं। वार्ताओं के पहले चरण के दौरान 121 सदस्य देशों ने 47 प्रस्ताव दायर किए हैं। इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। भारत ने अपने वार्ताकारी प्रस्ताव में देश की खाद्य एवं आजीविका की सुरक्षा के संरक्षण में लोचशीलता की उपेक्षा की है और यह मांग की है कि विकसित देशों द्वारा प्रदत्त उच्च घरेलू सहायता और निर्यात इमदाद में पर्याप्त कमी की जाये ताकि विकासशील देश अपनी कृषि उपज के लिये पर्याप्त बाजार पहुँच प्राप्त कर सकें।

(ग) कृषि संबंधी करार के अंतर्गत भारत की कृषि क्षेत्र को न तो न्यूनतम बाजार पहुँच प्रदान करने और न ही घरेलू सहायता में कटौती करने की कोई वचनबद्धता है। यद्यपि इस करार के अंतर्गत नई निर्यात इमदाद शुरू करना निषिद्ध है तथापि भारत जैसे विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक भाड़ा तथा परिवहन लागत पर इमदाद प्रदान करने की अनुमति है। हमारी सभी विकास योजनाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का प्रचालन निर्बाध रूप से जारी रह सकता है।

आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने से आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2000–01 में कृषि उत्पादों के आयात के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि आयात केवल 1.8 बिलियन अमरीकी डालर के हुए थे जो कृषि निर्यात से काफी कम है और बागवानी उत्पादों और खाद्यान्न फसलों के अप्रैल–दिसम्बर, 2001 की अवधि के आयात आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में ऋणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। कुक्कुट उत्पादों के मामले में भी आयात नगण्य रहे हैं।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय कृषकों को कोई कठिनाई न हो, सरकार ने संवेदनशील मदों के आयातों पर निगरानी रखने हेतु एक समुचित तंत्र की स्थापना की है और वह डब्ल्यू टी ओ के अनुरूप विभिन्न उपायों का सहारा लेकर घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें शामिल हैं – निर्धारित टैरिफों के भीतर लागू टैरिफों में समुचित शोधन करना, पाटनरोधी, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना और कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में सुरक्षोपाय की कार्यवाही करना। आगे की वार्ताओं के अनुसरण में डेयरी उत्पादों और प्रमुख अनाजों पर न्यून टैरिफों में वृद्धि की गयी है। इसके अलावा, कुछेक मदों पर लागू टैरिफों में भी वृद्धि की गई है।

राज्यों में वित्तीय संकट

*24. **श्री अशोक मा. मोहोल :**

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को इस वित्तीय संकट से उबारने के लिए राज्यों से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने दिवालियेपन के कगार पर पहुंचने वाली राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) कुछ राज्य आय और प्रतिबद्ध व्यय के बीच अंतराल के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें समय–समय पर भारत सरकार से अपने वित्तीय संकट को दूर करने के लिए अनुरोध करती हैं। जहाँ व्यवहार्थ हो, भारत सरकार राज्यों को नकदी की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा उनकी मासिक हकदारी अग्रिम रूप से जारी कर रही है।

(ङ) और (च) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा 10607.72 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन निधि से राजकोषीय सुधार सुविधा का सृजन किया गया है। अब तक इस सुविधा के तहत बारह राज्यों के मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) अनुमोदित कर दिए गए हैं तथा इन राज्यों को इस निधि से 1284.89 करोड़ रूपये निर्मुक्त कर दिये गए हैं। यह सभी राज्यों पर है कि वे अपनी वित्तीय समस्याओं के निराकरण के रूप में वहनीय राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करें।

[हिन्दी]

बेसहारा बच्चों का कल्याण

*25. **श्री राजो सिंह** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं या किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम :- यह मंत्रालय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को निराश्रित होने से बचाने और सड़कों पर जीवन से उनकी वापसी को सुसाध्य बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का लक्षित समूह वे बच्चे हैं जिनका कोई घर एवं परिवार नहीं है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बेसहारा बच्चों के आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोरंजन सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और उन्हें शोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठन को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त वित्तीय सहायता (रुपये लाख में)					
		1998–99		1999–2000		2000–01	
		संगठनों की सं.	राशि	गैर सरकारी संगठनों की सं.	राशि	गैर सरकारी संगठनों की सं.	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	50.81	18	103.75	7	29.62
2.	असम	1	5.58	2	5.71	2	15.87
3.	बिहार	2	1.99	1	1.83	2	3.89
4.	गुजरात	10	55.74	14	91.41	11	76.06
5.	गोवा	0	00	0	00	1	3.30
6.	जम्मू और कश्मीर	1	2.16	1	7.75	1	5.37
7.	कर्नाटक	1	7.19	4	12.37	3	27.85
8.	केरल	2	6.56	2	14.00	4	8.29
9.	मध्य प्रदेश	2	6.70	3	7.77	2	4.13
10.	महाराष्ट्र	10	47.36	20	53.17	16	106.62
11.	मणिपुर	1	3.53	1	8.06	1	11.60
12.	मिजोरम	0	00	1	1.79	1	1.06
13.	उड़ीसा	2	5.10	1	7.93	5	14.30
14.	पंजाब	1	7.05	2	8.55	1	6.38
15.	राजस्थान	2	14.78	6	25.67	6	17.68
16.	तमिलनाडु	9	66.55	12	83.46	11	66.80
17.	त्रिपुरा	0	00	1	0.50	0	00
18.	उत्तर प्रदेश	8	35.62	9	74.28	10	74.40
19.	पश्चिम बंगाल	24	147.95	26	195.62	24	167.52
20.	चंडीगढ़	1	1.85	1	8.59	1	9.00
21.	दिल्ली	9	48.66	9	71.66	8	76.26
	कुल	96	515.18	134	783.87	117	726.00

[अनुवाद]

भारतीय बच्चों को गोद लिया जाना

*26. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में ऐसी कई घटनाएं आई हैं जिनमें भारतीय बच्चों को गोद लेने वाले विदेशी नागरिकों का पूर्ववृत्त संदेहास्पद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गोद लिए जाने वाले बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार होने तक विदेशी नागरिकों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने पर रोक लगाने संबंधी अनेक अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) सरकार ने भारतीय बच्चों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) भारतीय बच्चों का दत्तकग्रहण करने वाले विदेशी नागरिकों की अनुपयुक्तता से संबंधित कुछ आरोप मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस मंत्रालय को भारतीय बच्चों के विदेशी नागरिकों द्वारा दत्तकग्रहण को रोकने के लिए किसी राज्य सरकार अथवा संगठन से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। सभी अनुरोधों पर मामला दर मामला आधार पर ध्यान दिया जाता है।

(ङ) देश के बाहर दत्तकग्रहण भारतीय बाल दत्तकग्रहण संबंधी संशोधित दिशानिर्देश, 1995 द्वारा शासित होते हैं। गोद लिए गए बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए किसी भारतीय बच्चे का दत्तकग्रहण किसी विदेशी नागरिक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाने की अनुमति नहीं है।

ग्रामीण सड़क सम्पर्क कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक सहायता

*27. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण सड़क सम्पर्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से कुल कितनी राशि मांगी गई है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में भारत सरकार की चल रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) नामक ग्रामीण सड़क सम्पर्क की योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए एक संकल्पना–टिप्पणी भेजी है।

(ख) और (ग) उक्त प्रस्ताव विश्व बैंक के साथ विचार–विमर्श के आरंभिक दौर में है। इसलिए, उक्त प्रस्ताव के वित्तपोषण के संबंध में विश्व बैंक की ओर से इस समय कोई वचनबद्धता नहीं की गई है।

विदेशों द्वारा भारतीय इस्पात के आयात पर रोक

*28. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई देशों द्वारा भारतीय इस्पात के आयात पर अनुचित रोक लगाए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या विकसित देश भारतीय इस्पात के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए नए–नए तरीके अपना रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विकसित देशों द्वारा अपनाए जाने वाले ऐसे तरीकों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इससे इस्पात के निर्यात में कितनी कमी आने की आशंका है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) डब्ल्यू टी ओ करार के तहत किसी भी सदस्य देश द्वारा किसी उत्पाद के आयात पर कोई अनुचित रोक नहीं लगाई जा सकती। तथापि, स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में सदस्यों द्वारा व्यापार सुरक्षा उपाय जैसे पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना तथा सुरक्षात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि

भारत से इस्पात उत्पादों के आयात के विरुद्ध कुछेक विकसित देशों ने पाटनरोधी तथा प्रतिसंतुलनकारी तथा सुरक्षात्मक जांच शुरु की है जिससे कुछ सीमा तक इसके निर्यात प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार भारतीय निर्यातकों के हितों का समर्थन करती रही है और जहां आवश्यक समझा गया उन मामलों में या द्विपक्षीय रूप से अथवा डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय के जरिए मुद्दों को उठाया है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को निजी क्षेत्र को सौंपा जाना

*29. **योगी आदित्यनाथ** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा गोदामों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम हैं और उनकी भंडारण क्षमताएं कितनी–कितनी हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के राज्यवार गोदामों की संख्या और उनकी भंडारण क्षमताएं

क्रम संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	गोदामों की संख्या	क्षमता (लाख टन में)
1	2	3	4
	पूर्व जोन		
1.	बिहार	43	5.28
2.	झारखंड	14	1.09
3.	उड़ीसा	57	5.51
4.	पश्चिम बंगाल	51	10.63
5.	सिक्किम	2	
	पूर्व जोन का जोड़	167	22.51
	उत्तर–पूर्व जोन		
6.	असम	42	3.16
7.	अरुणाचल प्रदेश	4	
8.	मेघालय	5	0.19
9.	मणिपुर	4	0.19
10.	मिजोरम	4	0.17

1	2	3	4
11.	नागालैंड	6	0.31
12.	त्रिपुरा	7	0.32
	उत्तर–पूर्व जोन का जोड़	72	4.34
	उत्तर जोन		
13.	दिल्ली	12	3.76
14.	हरियाणा	196	25.05
15.	हिमाचल प्रदेश	15	0.23
16.	जम्मू और कश्मीर	20	1.18
17.	पंजाब/चंडीगढ़	653	135.45
18.	राजस्थान	102	18.80
19.	उत्तर प्रदेश	243	40.10
20.	उत्तरांचल	36	2.29
	उत्तर जोन का जोड़	1277	226.86
	दक्षिण जोन		
21.	आंध्र प्रदेश	211	28.50
22.	केरल	31	5.83
23.	कर्नाटक	80	8.24
24.	तमिलनाडु	44	11.63
25.	पांडिचेरी	6	
	दक्षिण जोन का जोड़	372	54.20
	पश्चिम जोन		
26.	गुजरात	52	10.10
27.	महाराष्ट्र	86	20.37
28.	गोवा	1	
29.	मध्य प्रदेश	84	10.11
30.	छत्तीसगढ़	63	8.08
	पश्चिम जोन का जोड़	286	48.66
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	2174	356.57

[अनुवाद]

टकसालों का निगमीकरण

*30. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की सिफ़ारिशों के अनुसार सिक्कों की मांग को पूरा करने के लिए कोलकाता, नोएडा, मुम्बई और हैदराबाद स्थित चारों टकसालों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टकसाल कर्मचारी संघ ने इस पर अपनी चिन्ता जताई है और इस कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां। व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की चार टकसालों का उन्हें संचालन की और अधिक स्वतंत्रता देने, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने तथा उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से निगमीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ कर्मचारी यूनियनों/संघों ने भारत सरकार टकसालों का निगमीकरण करने के सरकार के निर्णय का विरोध किया है। तथापि, सरकार यह महसूस करती है कि टकसालों के निगमीकरण का जिसका उद्देश्य कार्यक्षमता में सुधार लाना है, कर्मचारियों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। निगमीकरण (कार्पोरेट) संरचना करते समय कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार

*31. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से होने वाला व्यापार हाल ही में दोनों देशों में हुई गड़बड़ियों के कारण प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कार्य किए गए हैं; और

(ग) सीमा से होने वाले व्यापार को विनियमित करने के लिए क्या बुनियादी ढांचा उपलब्ध किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच दोनों देशों के बीच सीमा से होने वाले व्यापार को विनियमित करने के लिए सीमा से होने वाले व्यापार संबंधी किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नई खाद्यान्न नीति संबंधी समिति

*32. **श्री ताराचन्द भगोरा** :

श्री रामेश्वर डूडी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई खाद्यान्न नीति तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को सितम्बर, 2001 के अन्त तक केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की सम्भावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि समिति को खाद्यान्न नीति तैयार करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकारों के विचार जानने हेतु उन से परामर्श करना था इसलिए समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दे सकी। आशा है कि समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट मार्च, 2002 में प्रस्तुत कर देगी।

जमा राशि में कमी

*33. **डा. अशोक पटेल :**

श्री एस. अजय कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और डाक घरों में जमाराशियों में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जमा राशि में गिरावट हाल में ब्याज दरों में की गई कटौती संबंधी निर्णय का प्रत्यक्ष प्रभाव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पेंशभोगियों और निम्न मध्यम वर्ग के जमाकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों और डाक घरों में अधिक जमा राशि आकर्षित करने के लिए ब्याज ढांचे पर पुनर्विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, नहीं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए लघु बचत योजनाओं तथा जमा योजनाओं की जमाराशियों में भी कोई कमी दर्ज नहीं हुई है। इसके विपरीत इन जमाराशियों की पिछले वर्षों के दौरान की बकाया स्थिति में नीचे दिए अनुसार वृद्धि हुई है :

वर्ष	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां	सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए लघु बचत योजनाओं तथा जमा योजनाओं में कुल जमाराशियां
1998–99	7,14,025	62,157
1999–2000	8,13,344	75,542
2000–2001	9,62,618	88,739
2001–2002 (8 फरवरी, 2002 तक)	10,78,971	

(घ) और (ङ) बचत बैंक जमाराशियों को छोड़कर अन्य बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरों को काफी सीमा तक विनियमित किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अब 7 दिन तथा इससे अधिक की परिपक्वता की घरेलू मीयादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज दर संरचना निर्धारित करने और ब्याज की परिवर्ती एवं नियत दर दोनों को देने के लिए स्वतंत्र हैं। बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। 1 अप्रैल, 2002 से अनुसुचित वाणिज्यिक बैंकों की बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर को 0.5 प्रतिशत बिन्दु घटाकर 4.5 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत कर दिया गया था। सरकार द्वारा समय–समय पर लघु बचत योजनाओं की समीक्षा की जाती है तथा लघु बचत योजनाओं के माध्यम से संसाधनों को सतत एवं बड़े पैमाने पर जुटाने के लिए उपाय किए जाते हैं। स्फीति की कम दर तथा इसके साथ कुछ योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कर लाभों को ध्यान में रखते हुए वास्तव में ब्याज दर निवेशकों के लिए आकर्षण बनी रहती है।

[अनुवाद]

वस्त्र मिलों का बन्द होना

*34. **श्री ए. नरेन्द्र :**

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बंद हुई हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र की वस्त्र मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 1.1.1999 से 31.12.2001 के दौरान बंद सूती/मानव–निर्मित वस्त्र मिलों (गैर–एस एस आई) के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.1.99 से 31.12.99	1.1.2000 से 31.12.2000	1.1.2001 से 31.12.2001
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4	4	4
बिहार	2	1	1
गुजरात	8	5	2
हरियाणा	1	3	0

1	2	3	4
कर्नाटक	6	1	1
केरल	1	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	0
महाराष्ट्र	6	7	1
उड़ीसा	3	3	0
पंजाब	2	2	3
राजस्थान	1	1	0
तमिलनाडु	15	5	10
उत्तर प्रदेश	3	8	2
प. बंगाल	3	0	1
कुल	55	42	25

उपरोक्त 122 बंद सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिल (गैर–एस एस आई) में से, 2 कताई तथा 1 मिश्रित मिलें औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (ओ) के अंतर्गत बंद थीं तथा 2 कताई तथा 1 मिश्रित मिलें सरकारी परिसमापक के अधीन थीं।

संगठित मिल क्षेत्र में कोई हथकरघा एकक नहीं है। विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा और हथकरघा एककों की जटिल, विविधतापूर्ण और व्यापक रूप से फैली हुई प्रकृति के कारण, बंद विद्युतकरघा एककों की संख्या के बारे में कोई निश्चित ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) वस्त्र मिलों तथा विद्युतकरघों के बंद होने का कारण, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, इनपुट्स की लागत में वृद्धि, समय पर तथा उपयुक्त ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां, कुप्रबंध, श्रमिक हड़ताल, मंदी संबंधी स्थितियां आदि सहित, कई कारकों को माना जा सकता है।

(ग) भारत सरकार ने रुग्ण तथा संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने तथा प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारात्मक उपायों, जिन्हें ऐसी कंपनियों के मामले में उठाये जाने की आवश्यकता है, के त्वरित निर्धारण हेतु रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 बनाया तथा बी.आई.एफ.आर. को स्थापित किया है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुर्नवासन योजना में पूंजी का पुर्नगठन, प्रवर्तकों द्वारा नई नीतियों को लगाना, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंधन में परिवर्तन, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी तथा आवधिक ऋणों के प्रावधान जैसे उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना

*35. **डा. जसवंतसिंह यादव :***

श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सहकारी बैंक ने प्रत्येक राज्य में दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें कोई बैंक ऋण अन्तर्ग्रस्त नहीं है। यह योजना प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है, जिसमें मजदूरी रोजगार के सृजन पर बल दिया गया है। जेआरवाई का पुर्नगठन किया गया था और इसका पुनर्नामकरण करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) कहा गया, जिसमें मजदूरी रोजगार के सृजन पर बल दिया गया है, ताकि ग्रामीण स्तर पर आवश्यकता पर आधारित बुनियादी संरचना का सृजन हो सके। बुनियादी संरचना का सृजन करते हुए इस कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिए भी मजदूरी रोजगार का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत केन्द्र और राज्य के बीच क्रमशः 75:25 के अनुपात में व्यय की भागीदारी की जाती है। जेजीएसवाई 1 अप्रैल, 1999 से लागू हुई थी।

[अनुवाद]

हवाला के माध्यम से रकम का लेन-देन

*36. **श्री पवन कुमार बंसल :*** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से आतंकवादी संगठनों को हवाला माध्यमों से वित्तपोषण करने वाले स्त्रोतों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या 'फेरा' के स्थान पर 'फेमा' अधिनियम के आ जाने के बाद से हवाला लेन–देनों के आपराधिक कार्रवाई की परिधि से बच निकलने की आशंका है;

(ग) यदि हां, तो इसे दण्डनीय अपराध के रूप में लिए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या अमरीका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन और ब्रिटेन के सीरियस फ्राड आफिस ने भारत सरकार को हवाला कारोबार और उसके प्रभावों की जांच करने के लिए लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) कुछ हाल ही के हवाला संव्यवहारों के मामलों में जांच ने आतंकवादी सम्पर्कों को इंगित किया है।

(ख) और (ग) विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 रद्द कर दिया गया है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, जून, 2000 से लागू हुआ है और इसमें विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन के लिए सिविल दायित्व का प्रावधान है। सरकार स्थिति से निपटने के लिए समय–समय पर विभिन्न वैधानिक और प्रशासनिक उपाय करती है।

(घ) से (च) प्रर्वतन निदेशालय को ऐसा कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति

***37. श्री आर.एस. पाटिल :**

श्री सुबोध मोहिते :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक–उपरान्त छात्रवृत्ति देने संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना लागू है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छात्रवृत्ति की राशि अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि किए जाने और राज्यों को स्वीकृत बकाया राशि जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) भत्तों में पिछली बार किए गए संशोधनों के समय में बढ़ी हुई लागतों को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण भत्ते में उर्ध्वगामी संशोधन करने सेंबधी कुछ राज्य सरकारों के अनुरोध पर योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संशोधित करते समय विधिवत् विचार किया जायेगा।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृति की केन्द्र प्रायोजित योजना की मुख्य विशेषताएं

1. उद्देश्य :

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है जो देश के भीतर, पत्राचार पाठ्यक्रमों सहित, मान्यता प्राप्त संस्थाओं में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं।

2. छात्रवृत्ति के तत्व :

(i) अनुरक्षण भत्ता :

समूह	अनुरक्षण भत्ते की दरें (रु. प्रतिमाह)	
	छात्रावासीय	दिवा छात्र
1	2	3
क	425	190
ख	290	190
ग	290	190

1	2	3
घ	230	120
ङ	150	90

(ii) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान :

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता प्रतिमाह 150 से 100 रु. तक अलग–अलग होता है।

(ख) दिवा छात्रों के लिए प्रतिमाह 100 रु. परिवहन भत्ता।

(ग) प्रतिमाह 100/–रु. एस्कोर्ट भत्ता (अति विकलांग दिवा छात्रों के लिए)

(घ) किसी छात्रावास में रहने वाले गंभीर रूप से अस्थि विकलांग छात्र की सहायता के लिए छात्रावास के लिए किसी कर्मचारी के लिए प्रतिमाह 100/– रु. विशेष वेतन।

(ङ) मानसिक रूप से मंद तथा मानसिक रूप से रुग्ण छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए प्रतिमाह 100/– रु. का भत्ता।

(iii) शुल्क : छात्रों को नामांकन/पंजीकरण, शिक्षण, खेल, संघ, पुस्तकालय, चिकित्सा जांच के लिए तथा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड को छात्र द्वारा भुगतान किए जाने वाले अन्य अनिवार्य शुल्कों के लिए भुगतान किया जाता है।

(iv) अध्ययन दौरे : अध्ययन दौरा शुल्क अधिकतम 500 रु. प्रतिवर्ष।

(v) शोध प्रबन्ध टंकण/मुद्रण शुल्क : शोध प्रबन्ध टंकण/मुद्रण शुल्क अधिनियम 600 रु. तक।

(vi) दूरवर्ती तथा सतत् शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रम : आवश्यक निर्धारित पुस्तकों के लिए प्रतिवर्ष 500 रु.।

3. **वित्तपोषण पद्धति :** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों की प्रतिबद्ध देयता समाप्त कर दी गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1996–97 में किए गए व्यय को प्रतिबद्ध देयता के रूप में माना गया है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरा करना है।

राज्यों को घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति

*38. **डा. जयन्त रंगपी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों और उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इन शिकायतों के संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यद्यपि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त शिकायतें चमकहीन गेहूं की आपूर्ति करने के बारे में थी, तथापि, गोवा और केरल की राज्य सरकारों से प्राप्त शिकायतें चावल के स्टाक की गुणवत्ता से संबंधित थी।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के लिए यह अपेक्षित होता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने के लिए राज्यों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के अनुरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति करे। राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से स्टाक का उठान करने से पूर्व स्टाक का निरीक्षण करने और उनकी गुणवत्ता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बारे में स्वतंत्र हैं। राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे स्टाफ की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षक या उससे ऊपर स्तर का अधिकारी नियुक्त करें।

चमकहीन गेहूं, पोषणिक वैल्यू के रूप में उतना ही अच्छा होता है जितना की ठोस गेहूं। जहां तक चावल के स्टाक के बारे में गोवा और केरल की राज्य सरकारों से प्राप्त शिकायतों का संबंध है, इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वह अच्छी गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

खाद्यान्नों की खरीद

*39. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब और हरियाणा राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शत–प्रतिशत खरीद सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या ये सुविधाएं अन्य राज्यों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) पंजाब और हरियाणा में अधिकतर वसूली राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा की जाती है। इन दो राज्यों में विपणन मौसम 2001–2002 के दौरान की गई वसूली का विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य	जिंस	जिनके द्वारा वसूल की गई		जोड़
		भारतीय खाद्य निगम	राज्य सरकार एजेंसियां	
पंजाब	गेहूं	32.03	67.97	100
	धान	25.27	74.73	100
हरियाणा	गेहूं	12.98	87.02	100
	धान	12.30	87.70	100

कई अन्य राज्यों में भी वसूली की जा रही है। राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर उचित किस्म की विनिर्दिष्टयों के अनुरूप खाद्यान्नों की वसूली करता है। निर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए पेश किए गए विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सभी खाद्यान्नों की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम चावल मिल मालिकों/व्यापारियों पर सांविधिक लेवी लगाकर भी चावल एकत्र करता है। राज्य में की जाने वाली वसूली भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार तथा इसकी एजेंसियों की क्षमता और उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है।

अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों तक पहुंचे, सरकार ने 1997–98 में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना लागू की थी। यह योजना अब तीन राज्यों नामतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चल रही हैं। इस योजना को अपनाने हेतु अन्य राज्यों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बैंक ऋण की वसूली

***40. श्री वाई.वी. राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह बात महसूस की गई कि अशोध्य ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए बैंकों और ऋण वसूली अधिकरणें के बीच सक्रिय और बेहतर सहयोग की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो बैठक में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) ऋणों की तेजी से वसूली के लिए मंत्रालय में दिनांक 2 जुलाई, 2001 को हुई बैठक में बैंकों द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों में अच्छे अनुवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई थी। बैठक में दिए गए सुझावों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) प्रत्येक बैंक/वित्तीय संस्था को प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण के लिए एक प्रधान अधिकारी (नोडल आफिसर) नामित किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अपेक्षित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ii) प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण के लिए बैंक के प्रमुख अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी दी जाये कि बारम्बार स्थगन नहीं मांगे जाएं तथा बैंक के वकील (वकीलों) को समय पर अनुदेश दिए जाएं।

(iii) अलग–अलग ऋण वसूली अधिकरणों के प्रधान बैंक द्वारा क्षेत्र में मुख्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समन्वय समिति का गठन किया जाए और उन्हें ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी से ऋण वसूली अधिकरणों के सामने आई किस आधारिक तथा प्रशासनिक समस्या का हल निकालने के लिए नियमित अन्तराल पर मिलना चाहिए। अलग–अलग ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों के प्रधान बैंकों द्वारा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के साथ नियमित अन्तराल पर किसी आधारिक तथा प्रशासनिक समस्या को दूर करने के लिए बातचीत करने के लिए यथोचित उच्च स्तर पर इसी प्रकार की एक समन्वय समिति का गठन करना चाहिए।

निर्यातोन्मुखी चीनी मिलों की स्थापना करना

159. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने देश में पहली बार सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुखी चीनी मिलों की अनुमति देने की एक नई परम्परा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई बनाने का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकों की उच्च आय सुनिश्चित करना और चीनी के अतिरिक्त उत्पादन की निकासी के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करना है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार निर्यातोन्मुखी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए राज्य में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को अनुमति देने के वास्ते अपने प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव को कब तक अपनी मंजूरी दे देगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार ने चीनी उद्योग को निर्यातोन्मुखी इकाई (ई.ओ.यू.) का दर्जा देने की संभावना के संबंध में दिसम्बर, 2001 में एक प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा जनवरी, 2002 में यह सूचित किया गया है कि किसी भी उद्योग को ई.ओ.यू. का दर्जा नहीं दिया गया है। निर्यातोन्मुखी इकाई योजना के मानदण्डों को पूरा करने वाले अलग-अलग प्रस्तावों के लिए योजना के अधीन इकाइयों की स्थापना हेतु अनुमोदन दिया जाता है। ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए चीनी उद्योग को निर्यातोन्मुखी इकाई का दर्जा प्रदान करने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण

160. श्री हरिभाई चौधरी :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा राज्य-वार कितना ऋण वितरित किया गया है;

(ख) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ने किसानों को बैंकों से लाभ उठाने से वंचित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक पार्कों के लिए सहायता

161. श्री टी. गोविन्दन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा इस समय निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्कों (ईपीआईपी) की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

योजना का ब्यौरा

बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु केन्द्रीय सहायता कुल लागत के 75% तक उपलब्ध है। यह अनुदान सामान्यतः प्रति पार्क 10 करोड़ रु. तक सीमित होता है। उद्यमियों के लिए ईपीआईपी को आकर्षक बनाने के प्रयोजनार्थ ई पी आई पी में प्लाट/शेड के आबंटन हेतु बिक्री कीमत/किराए की गणना करते समय केन्द्रीय अनुदान को अलग रखा जा सकता है।

राज्य सरकारों को औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए भूमि की व्यवस्था करनी होती है। प्रत्येक औद्योगिक पार्क का आकार 100 एकड़ से कम नहीं होगा। केन्द्रीय सहायता भूमि की लागत को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

इस योजना के तहत स्थापित औद्योगिक पार्कों में बिजली, पानी, सड़क (संपर्क मार्ग सहित), जल एवं मलव्ययन, दूरसंचार और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी सुविधाएं उच्च स्तर की होंगी ताकि पार्क में स्थापित एककों द्वारा अपना कार्य कुशलतापूर्वक निष्पादित करना सुनिश्चित किया जा सके।

केवल ऐसे एककों को उक्त पार्क में स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी जो राज्य सरकारों को मूल्य के रूप में अपने कुल उत्पादन के 33% से अधिक का निर्यात करने का कानूनी वचन देंगे।

औद्योगिक पार्क का स्थान इस तरह का होगा जो पत्तन, हवाई अड्डा, रेल इत्यादि की पहुंच, कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सामान्य स्तर के संबंध में निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के लिए अनुकूल हो।

पार्क के स्वामित्व, प्रबंधन और रखरखाव संबंधी कार्य या

तो सीधे राज्य सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार के उपक्रम/स्वायत्तशासी निगम के जरिए किया जायेगा। प्लॉट/फैक्ट्री भवन इत्यादि के आबंटन से प्राप्त राजस्व राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम के लिए होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा पार्क के रखरखाव के प्रयोजनार्थ उस वित्त वर्ष, जिसमें ईपीआईपी शुरू किया गया है, से शुरू हुई 5 वर्ष की अवधि के लिए पार्कों से किए गए कुल निर्यातों के 33% पर 2% का अनुदान दिया जाएगा।

इस योजना के तहत सहायता हेतु केवल वे ही प्रस्ताव पात्र होंगे जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

किसी राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसी दूसरे पार्क की तब तक मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि पहले पार्क की स्थापना नहीं हो जाती है और उसे सफलतापूर्वक प्रचालनरत नहीं पाया जाता है।

स्कीम को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा चलाया जाएगा और इस योजना के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान मंत्रालय के योजना परिव्यय में से उपलब्ध किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस प्रायोजनार्थ गठित अंतरमंत्रालयी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी पार्क की प्रस्तावित स्थापना हेतु वित्तपोषण के तरीके और भारत में तथा विदेशों के निजी निवेशकों की भागीदारी पर उचित अधिमान प्रदान किया जाएगा। पार्क की आर्थिक व्यवहार्यता, परिकल्पित निर्यातों की मात्रा और कार्यान्वयन कार्यक्रम जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण-II

2000–2001 तक अनुमोदित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, उनके स्थान तथा जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ई पी आई पी का स्थान	अनुमोदन की तारीख	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999 2000	2000–01	कुल–
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	केरल	कक्कानाड, जिला एर्णाकुलम	28.09.94	5.89	–	–	2.60	–	1.51	–	10.00
2.	महाराष्ट्र	अंबरनाथ, जिला थाणे	28.09.94	3.75	0.90	2.10	3.25	–	–	–	10.00
3.	हिमाचल प्रदेश	बाड्डी, जिला सोलन	28.09.94	3.00	–	–	–	–	4.00	2.70	9.70
4.	राजस्थान	सीतापुर, जिला जयपुर	28.09.94	4.00	2.00	4.00	–	–	–	–	10.00
5.	हरियाणा	कुंडली, जिला	28.09.94	2.00	2.00	–	1.00	2.50	–	2.50	10.00
6.	कर्नाटक	हुडी, जिला बंगलौर	28.09.94	5.00	–	5.00	–	–	–	–	10.00
7.	उत्तर प्रदेश	सूरजपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर	20.12.94	5.00	0.91	4.09	–	–	–	–	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	तमिलनाडु	गुम्मिडिपुन्डी, चेंगलपट्टू	20.12.94	2.37	–	–	1.00	4.75	0.74	1.14	10.00
9.	पंजाब	धनंदरी कलाँ, जिला लुधियाना	28.09.94	5.00	-0.90	–	–	–	–	1.76	7.66
10.	आंध्र प्रदेश	पशामीलारम, जिला मेडक	20.12.94	2.25	–	–	4.80	1.95	–	–	9.00
11.	गुजरात	सावली, जिला बड़ौदा	14.03.95	–	5.20	–	2.00	–	–	1.00	8.20
12.	बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली	28.04.95	–	3.00	–	–	–	2.00	–	5.00
13.	मेघालय	बिर्नीहाट	28.04.95	–	2.34	2.16	–	3.00	2.50	–	10.00
14.	मध्य प्रदेश	पीतमपुर, जिला धार	24.07.95	–	4.50	–	–	–	4.50	–	9.00
15.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर, जिला वर्द्धवान	20.09.95	–	3.75	0.40	1.60	1.50	–	1.10	8.35
16.	उड़ीसा	भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	20.09.95	–	4.50	–	–	3.05	–	2.45	10.00
17.	असम	अमीन गांव, गुवाहाटी	08.02.96	–	5.00	–	1.75	3.25	–	–	10.00
18.	जम्मू एवं कश्मीर	साम्बा, जिला जम्मू	12.02.96	–	–	2.25	2.00	–	2.75	3.00	10.00
19.	नागालैंड	गणेशनगर जिला दियामपुर	19.05.99	–	–	–	–	–	1.00	0.61.28	1.61
20.	मणिपुर	खूनूटा चिंगजिंन, जिला टौबाल	22.09.98	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	उत्तर प्रदेश	आगरा	18.01.00	–	–	–	–	–	–	2.70	2.70
22.	त्रिपुरा	बोधजुंगनगर	11.04.01	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	कर्नाटक	मंगलौर	22.06.01	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	राजस्थान	बोरानादा, जिला जोधपुर	02.08.01	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	मिजोरम	लेनगेट आइजोल	02.08.01	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल			38.26	35.00	20.00	20.00	20.00	19.00	20.00	171.22.28

सांख्यिकी स्कंध का पुनर्गठन करना

162. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक का उत्पादन कवरेज और प्राथमिक आंकड़े संग्रहण हेतु प्रशासनिक और संस्थागत ढांचा वांछित मानकों से बहुत नीचे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सांख्यिकीय स्कंध का पुनर्गठन करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) के कार्य क्षेत्र के अधीन निम्न : खनन, विनिर्माण, विद्युत और निर्माण कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। चालू आई.आई.पी. (आधार वर्ष 1993–94) में विनिर्माण कार्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं जिसका वर्ष 2000–01 के दौरान जी.डी.पी. में (चालू कीमतों पर) 6.1 प्रतिशत योगदान है। यह अनुमान लगाया गया है कि आई.आई.पी. में निर्माण कार्य क्षेत्र को शामिल न किए जाने से आई.आई.पी. का क्षेत्र लगभग 22 प्रतिशत कम हो गया है।

आई.आई.पी. के आधार वर्ष के प्रस्तावित संशोधन के समय आई.आई.पी. में निर्माण कार्य क्षेत्र को शामिल करने का मुद्दा सी.एस.ओ. के विचाराधीन है।

आई.आई.पी. के लिए मूल आंकड़ों को संग्रह करने के वास्ते संस्थागत रूपरेखा और प्रशासनिक ढांचा क्रमशः केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) तथा विभिन्न स्रोत एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये एजेंसियां आई.आई.पी. के प्रयोजन के लिए मूल आंकड़े एकत्र करने के मानकों में सुधार लाये जाने संबंधी कार्य में निरंतर रूप में कार्यरत हैं।

(ग) एककों तथा राज्य सरकारों और उद्योग संघों जैसी अन्य एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाकर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों की गुणवत्ता और प्रतिक्रिया दर में सुधार प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप उत्पादन आंकड़ों की दृष्टि से प्रतिक्रिया दर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

खाद्यान्नों का अतिरिक्त भण्डार

163. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों का कुल कितना भण्डार था;

(ख) क्या केन्द्रीय पूल में इन अनाजों की उपलब्धता वित्त वर्ष 2002–2003 की घरेलू मांग की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या आकस्मिक योजना यदि कोई है, तैयार की गई है; और

(घ) यदि बफर स्टाक अधिशेष है तो अनाजों के समुचित उपयोग हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाये गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में उपलब्ध चावल, गेहूँ और मोटे अनाजों का स्टाक नीचे दिया गया है :–

(लाख टन में)

चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
256.17	324.15	0.80	581.12

(ख) केन्द्रीय पूल में उपलब्ध चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का स्टाक वित्तीय वर्ष 2002–2003 की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खाद्यान्नों के स्टाक का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

खाद्यान्नों के स्टाक का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :–

1) गरीबी रेखा से नीचे के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 1.12.2000 से फिर बढ़ाया गया है जिसके लिए 1.3.2000 को महा पंजीयक के आबादी अनुमानों को आधार बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 5.96 करोड़ से बढ़कर 6.52 करोड़ परिवार हो गई है।

2) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की पात्रता को 1 अप्रैल, 2000 से 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया है और इसे जुलाई, 2001 से और बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया है।

3) 12.7.2000 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को निम्नानुसार कम कर दिया गया था जो कि 31.3.2002 तक वैध होंगे :–

(रुपये प्रति क्विंटल)

	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूं	415	610
चावल	565	830

4) 25.12.2000 को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतक परिवारों के अंत्योदय अन्न योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम पर चावल के हिसाब से 25 किलाग्राम खाद्यान्न दिए जाते हैं।

5) राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित अनाथालयों, भिक्षु गृहों, नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वालों अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आबंटन हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जाते हैं।

6) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की योजनाओं सहित सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जा रहे हैं।

7) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुशंसित गैर–सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जा रहे हैं।

8) सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाने के लिए जनवरी, 2001 से 12.2.2002 तक 38.33 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है। इसके अलावा सरकार ने जनवरी, 2001 में गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए भी एक लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है।

9) भारत सरकार ने 3 माह की अवधि के लिए 20 किलाग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से सूखा प्रभावित राज्यों को सभी सूखा प्रभावित परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर) में वितरण करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर सूखा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों को अतिरिक्त आबंटन देने का भी निर्णय लिया है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों का खाद्यान्नों को पहले ही अतिरिक्त आबंटन किया जा चुका है। बिहार सरकार को बाढ़ राहत के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर 1.80 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन दिया गया है।

10) नवम्बर, 2000 में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए। अब तक 42.96 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया है। वर्तमान वित्तीय

वर्ष अर्थात 2001–2002 से भारतीय खाद्य निगम निर्यात के प्रयोजनार्थ चावल भी उपलब्ध करवा रहा है। अब तक 14.03 लाख टन मात्रा का उठान हुआ है।

11) प्रधान मंत्री द्वारा अगस्त, 2001 को की गई घोषणा के आधार पर 25 सितम्बर, 2001 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक वर्ष 50 लाख टन खाद्यानों का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। 13.2.2002 तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन 26.41 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

12) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान खुली बाजार बिक्री योजना जारी रखी गई थी। अप्रैल, 2001 से 15.2.2002 तक 37.87 लाख टन मात्रा बेची गई थी।

वस्त्र अनुसंधान प्रयोगशालाएं

164. श्री मोहन रावले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य–वार कितनी वस्त्र अनुसंधान प्रयोगशालाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रयोगशालाओं में कराए गए परीक्षणों का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो उनका प्रयोगशाला–वार क्या परिणाम रहा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसी और प्रयोगशालाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसी प्रयोगशालाएं खोले जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तीन प्रयोगशालाएं खोली गई थीं। राज्य–वार खोली गई प्रयोगशालाएं, उनके कार्य प्रारंभ करने की तारीख तथा किए गए परीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है :–

प्रयोगशाला का नाम	राज्य	कार्य प्रारंभ करने की तारीख	विभिन्न मानदण्डों पर किए गए परीक्षणों की संख्या
वस्त्र समिति, जोधपुर	राजस्थान	1.4.2000	1717
त्रिपुरा स्पैक्स वीवर्स को–ऑपरेटिव सोसाईटी, हथकरघा, हस्तशिल्प व रेशम उत्पादन विभाग, अगरतला	त्रिपुरा	24.10.2000	150
भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ शांतिपुर	प. बंगाल	3.11.2000	56

किए गए परीक्षणों तथा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित अधिकारिता समिति द्वारा आकलित सृजित–राजस्व के अनुसार इन प्रयोगशालाओं का निष्पादन।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान में नई प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जूट पैकेजिंग मैटिरियल एक्ट, 1987

165. श्री महबूब जहेदी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जूट पैकेजिंग मैटिरियल्स एक्ट, 1987 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके जूट उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगें;

(ग) क्या हमारे देश में 73 जूट मिलों में से 59 पश्चिम बंगाल में हैं;

(घ) क्या जूट से संबंधित कार्य समूह के अनुसार 2001–2002 के दौरान 105 लाख गांवों के कुल जूट उत्पादन में से पश्चिम बंगाल कच्चे जूट की 88–92 लाख गांठों का उत्पादन करेगा जिससे 16.5 लाख टन जूट बनेगा;

(ङ) क्या सरकार अपनी संरक्षण नीति से बाहर आने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो जूट उत्पादकों पर संरक्षण नीति के हटाने से पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में 76 में से 59 पटसन मिलें पश्चिम बंगाल में हैं।

(घ) पटसन सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2001–2002 में 180 किग्रा. प्रत्येक की 105 लाख गांठों के कच्चे पटसन के उत्पादन का अनुमान किया है जिससे 73.20 लाख गांठ (13.17 लाख टन) का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किये जाने की आशा है।

(ङ) और (च) सरकार ने सभी संबद्ध मसलों पर विचार करने तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अनिवार्य पैकेजिंग मानदण्डों को प्रगामी रूप से कम करने के लिए मार्गदर्शी चित्र बनाने के लिए वस्त्र मंत्री, कृषि मंत्री और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री वाली एक अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की है। अंतर–मंत्रालयी समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है।

स्रोत पर अग्रिम कर

166. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान आज तक आयकर प्राधिकारियों द्वारा स्रोत पर कितने अग्रिम कर की कटौती की गई है;

(ख) संग्रहण किए गए आयकर में से कितनी राशि कर्नाटक सरकार के लिए निर्धारित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्यों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 (जनवरी, 2002 तक) के दौरान आयकर प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक में वसूल की गई स्रोत पर अग्रिम कर कटौती की धनराशि क्रमशः 1857.19 करोड़ रुपये और 1183.25 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 (जनवरी, 2002 तक) के दौरान वसूल की गई आयकर की धनराशि में से कर्नाटक सरकार के लिए क्रमशः 419.44 करोड़ रुपये और 498.74 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

(ग) करदाताओं में जागरूकता लाने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित उपबंधों का व्यापक प्रचार किया गया है। कम्पनियों में कराधान के मामलों का निपटान करने वालों के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किये जा रहे हैं। स्रोत पर कर की कटौती में चूकों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं।

केरल को एशियाई विकास बैंक से ऋण

167. श्री ए.सी. जोस : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के संबंध में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या प्रस्ताव में यथा उल्लिखित विधियों में परिवर्तन उन सभी राज्यों पर लागू होगा जो एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता का लाभ उठाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :

(क) से (ग) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है। एडीबी ने सूचित किया है कि केरल लोक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के लिए एक ऋण कलेण्डर वर्ष 2002 के लिए विचाराधीन है। लेकिन तौर–तरीकों सहित ऋण के संघटक तथा अन्य ब्यौरे एडीबी के निदेशक मण्डल द्वारा ऋण के मूल्यांकन तथा वार्ताओं एवं अनुमोदन के बाद ही ज्ञात हो सकेंगे।

[हिन्दी]

राज्यों को विशेष अनुदान

168. श्री शिवाजी माने :

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं अथवा किसी अन्य विषय के लिए अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2001–2002 में राज्य–वार कितनी निधियां उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उक्त निधियों से किए गए व्यय के सभी खाते समय पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दोषी राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; अथवा की जा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों को सहायता

169. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सहायता हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु राज्य सरकारों को भी दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य–वार कितनी निधियाँ आबंटित की गई हैं; और

(ग) 2001–2002 में हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए राज्य–वार कितनी निधियाँ जारी की गई हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) निधियां राज्यवार आबंटित नहीं की जाती हैं। राज्य सरकारों को दिशा–निर्देशों की अनुरूपता के अनुसार राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर स्कीमों के अंतर्गत समय बजटीय प्रावधान में से सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए जारी की गई राज्यवार निधियाँ नीचे दी गई हैं :–

राज्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में) (26.2.2002 के अनुसार)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	877.55
अरुणाचल प्रदेश	342.40
असम	55.96
बिहार	6.50
छत्तीसगढ़	42.78
दिल्ली	19.29
गोवा	–
गुजरात	151.31
हरियाणा	30.06
हिमाचल प्रदेश	61.66
जम्मू और कश्मीर	66.11

1	2
झारखण्ड	–
कर्नाटक	332.72
केरल	166.87
मध्य प्रदेश	60.66
महाराष्ट्र	94.26
मणिपुर	22.04
मेघालय	12.74
मिजोरम	3.00
नागालैण्ड	24.71
उड़ीसा	45.34
पांडिचेरी	1.23
पंजाब	28.86
राजस्थान	64.23
सिक्किम	3.99
तमिलनाडु	1399.63
त्रिपुरा	16.39
उत्तर प्रदेश	605.46
उत्तरांचल	–
पश्चिम बंगाल	41.49

मर्चेंट बैंकों का पंजीकरण शुल्क

170. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्चेंट बैंकरों को केवल एक वर्ष के भुगतान के मुकाबले केवल एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मर्चेंट बैंकों को पहले वर्ष के पंजीकरण शुल्क के भुगतान के मुकाबले तीन वर्षों के लिए पंजीकृत करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निवेशकों के हित

171. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार के विनियमन के विकास को प्रोत्साहित करके प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा करना था;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और सेबी अपने उद्देश्य प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा है;

(ग) प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने के लिए इन्हीं दो वर्षों के दौरान सेबी द्वारा कौन से विशिष्ट नीतिगत सुधार और कार्यक्रम चलाये गये हैं; और

(घ) ये कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की संरक्षा करने तथा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने तथा उसे विनियमित करने तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए की गई थी।

(ख) से (घ) अपनी स्थापना के समय से सेबी ने प्रवेश तथा प्रकटन मानदण्डों के सुदृढ़ीकरण; स्क्रीन आधारित राष्ट्रव्यापी कारोबार; प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण तथा इलैक्ट्रानिक अंतरण; चल निपटान; जोखिम प्रबंधन उपाय; व्युत्पाद करोबार इत्यादि सहित उन उद्देश्यों, जिनके लिए इसका गठन किया गया था, के प्रायोजनार्थ अनेक उपाय किए हैं।

सेबी ने निवेशक संरक्षण को बढ़ाने तथा बाजार प्रचालनों

में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अनेक विनियामक उपाय किए हैं। सेबी तथा स्टॉक एक्सचेंजों ने निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं तथा एक्सचेंज निवेशक दावों को पूरा करने के लिए निवेशक संरक्षण निधियों का अनुरक्षण करते हैं। सेबी ने सभी दलालों द्वारा प्रयुक्त किए जाने हेतु सभी ग्राहकों के लिए एक समान ग्राहक संहिताएं निर्धारित की हैं। 2 जुलाई, 2001 से सभी आस्थगित उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रकटन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नए लेखाकरण मानक का अनुपालन करें। म्यूचुअल फंडों के लिए प्रकटन मानदण्डों को भी सुदृढ़ किया गया है। आस्ति प्रबंधन कंपनियों के कर्मचारी तथा म्यूचुअल फंड न्यासी द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश/व्यापार के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

विगत वर्षों में प्रपत्रों के अधिक विकल्प होने के कारण बाजार व्यापक तथा नकदी तथा निवेशक संख्या के अनुसार गहन हो गया है। निपटान प्रक्रियाओं में पर्याप्त सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए सुधारों ने पूंजी बाजारों की अखंडता, पारदर्शिता तथा प्रचालन कुशलता में वृद्धि की है।

विमान यात्रियों पर अग्रिम विकास उपकर

172. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने मांग की है कि राज्य सरकार को हैदराबाद से बाहर जाने वाले सभी यात्रियों से 200 रुपये अग्रिम विकास उपकर वसूलने की अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या एकत्रित राशि को आयकर से छूट मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के अनुसार किसी राज्य की सम्पत्ति एवं आय को संघीय कराधान से तब तक छूट प्राप्त होगी जब तक कि संसद के कानून द्वारा कोई प्रावधान न किया गया हो और कोई सीमा निर्धारित न की गई हो।

अफगानिस्तान को चाय का निर्यात

173. श्री एम.के. सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन से उस देश के लिए भारतीय चाय निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में उस देश को कितनी चाय का निर्यात किये जाने का अनुमान है और पूर्ण निर्यात संभावनाओं को दोहन करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और उठाये जा रहे हैं तथा उस देश के निर्यात में असम चाय को उसका अपना उचित स्थान देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उस देश को असम और अन्य भारतीय चाय का वर्ष–वार कितना निर्यात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, अफगानिस्तान को होने वाले निर्यातों में संभावित वृद्धि का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। काबुल में भारतीय मिशन के खुलने और उचित व्यापार वित्त की उपलब्धता से उक्त देश को असम चाय सहित भारतीय चाय के निर्यातों के संवर्धन हेतु चाय व्यापार संबंधों को पुनः स्थापित करने का अवसर उपलब्ध होगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अफगानिस्तान को असम चाय सहित चाय का निर्यात नीचे दिया गया है :–

(मात्रा हजार किग्रा. में)

(मूल्य हजार रु. में)

2000–2001		1999–2000		1998–1999	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
268	26406	210	23245	263	31203

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में रिक्त महत्वपूर्ण पद

174. श्री बी.के. पार्थसारथी :

श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में चेयरमैन और सी0एम0डी0 जैसे महत्वपूर्ण पद, फरवरी 2001 से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में शीघ्र इन प्रमुख पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद 4.9.2001 से भरा गया है। उप महाप्रबंधक का पद दिनांक 18.2.2002 को भरा गया है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का निर्यात

175. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने फलों तथा सब्जियों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था;

(ख) फल और सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं और फलों तथा सब्जियों के कुल निर्यात में उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या बिहार जैसे कुछ प्रमुख फल तथा सब्जी उत्पादक राज्यों की निर्यात उपलब्धियां संतोषजनक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा फल और सब्जियों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु इन राज्यों के लिए क्या विशिष्ट योजनाएं तैयार की जा रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित प्रमुख फलों और सब्जियों में शामिल हैं :– ताजा प्याज, अन्य सब्जियां, ताजे आम, ताजे अंगूर और अन्य ताजे फल। इन मदों के निर्यात का मूल्य तथा मात्रा निम्नानुसार है :

मात्रा : एम टी एस में
मूल्य : करोड़ रु. में

मद	1998–99		1999–00		2000–01	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजा प्याज	215693.61	176.05	260475.27	202.70	343253.69	276.22
अन्य ताजी सब्जियां	64654.63	102.33	11562.37	144.15	13992.02	190.85
सूखी गिरीदार फल (अखरोट)	5327.90	68.92	4992.83	60.56	7742.44	109.94
ताजे आम	45407.59	79.14	34631.18	71.55	37109.7	68.61
ताजे अंगूर	11525.41	37.89	14802.58	55.54	20647.58	82.98
अन्य ताजे फल	44820.43	71.72	72969.80	112.72	81243.00	115.50
फल और सब्जियों का योग	387429.57	536.05	502778.03	647.22	623988.40	844.09

*स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

(ख) से (घ) फल तथा सब्जियों के निर्यात से संबंधित आंकड़े केवल अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते हैं।

(ङ) सरकार फल एवं सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष रुप से तैयार की गई विभिन्न योजनाओं जैसे कि अवस्थापना विकास, पैकेजिंग सुधार, गुणवत्ता उन्नयन इत्यादि हेतु योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियों के जरिए प्रदान करती है।

[अनुवाद]

मॉडवेट पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

176. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001 की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ग्यारह के (अप्रत्यक्ष कर–केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर) के पैरा 4.5 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा है कि छूट वाले अंतिम उत्पादों में उपयोग किए गए निवेश पर मॉडवेट साख आरक्षित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर ने बताया था कि नियम 57 डी इसमें लागू था जिसके तहत मॉडवेट क्रेडिट को अनियमित रूप से लेने के लिए शुल्क क्रेडिट से इंकार नहीं किया गया था और इस तरह अधिकारियों की जिम्मेदारियों को निर्धारित नहीं किया जा सकता;

(ग) यदि हां, तो नियम 57 डी किस प्रकार नियम 57 सी में बाधक बनता है;

(घ) क्या उन सभी विद्यमान नियमों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है जो अन्य नियमों में बाधक बनते हैं और राज्य के वित्तीय हितों को हानि पहुंचाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह राज्य के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मदारी है; और

(च) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा किसी न किसी मामले में राज्य के वित्तीय हितों की सुरक्षा न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। वित्त मंत्रालय ने नि. एवं म.ले.प. को की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी प्रस्तुत कर दी है जिसमें मांग के उठाए जाने की पुष्टि की गई है और ब्याज एवं जुर्माने के साथ इसे न्याय निर्णित कर दिया गया है। नि. एवं म.ले.प. ने अब इस पैरे को निपटा लिया गया मान लिया है।

(ख) मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर ने सूचित किया है कि 12 नवम्बर, 2001 को लो.ले.स. के जयपुर दौरे में चर्चा के दौरान (जिसका कार्यवृत्त लोक सभा सचिवालय से प्राप्त नहीं हुआ है), मुख्य आयुक्त ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 घ (जैसा यह संगत समय में था) के प्रावधान के संबंध में कानूनी स्थिति बताई थी कि मॉडवेट क्रेडिट को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था कि निविष्टि का कुछ अंश अंतिम उत्पाद के निर्माण के दौरान उत्पन्न किसी कबाड़ कूड़ा–करकट अथवा गौण–उत्पाद में अन्तर्विष्ट था।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का नियम 57 घ नियम 57 ग का बाधक नहीं था।

(घ) से (च) आवश्यकतानुसार समय–समय पर नियमों की पुनरीक्षा की जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो अन्य नियम (मों) का बाधक हो और जिससे राज्य के वित्तीय हित की हानि होती हो।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण

177. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाबार्ड द्वारा राजस्थान को राज्य में विभिन्न परियोजनाएं लागू करने हेतु 1 अप्रैल, 1998 से परियोजना–वार कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ख) इन परियोजनाओं के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के भाग। से VI के अंतर्गत (31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार) दी गई उद्देश्यवार मंजूरियों का ब्यौरा दिया है, जो निम्नलिखित है :–

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	उद्देश्य	संस्वीकृत राशि
1	2	3
1.	सिंचाई	601.08
2.	ग्रामीण सड़क	369.37

1	2	3
3.	पुल	27.86
4.	प्राथमिक विद्यालय	36.09
5.	अन्य	145.83
	कुल	1180.23

(ख) आरआईडीएफ से ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। पात्र क्रियाकलाप जिनके लिए ऋणों को स्वीकृति दी जाती है, वे हैं :– बड़े, मझौले एवं लघु सिंचाई, ग्रामीण सड़क, पुल, जल–विभाजक प्रबंधन, फर्श संरक्षण, ग्रामीण बाजार अहाता, कमान क्षेत्र विकास, जल निकासी, शीत गृह, मत्स्यबंधन जेटी, वन विकास, अन्तर्देशीय जल परिवहन, प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रबर बागान, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, मृदा संरक्षण, नागरिक सूचना केन्द्र, कृषि वनप्रांत प्रणाली, विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं लघु जल विद्युत परियोजना इत्यादि।

[अनुवाद]

निगमों को बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण

178. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिए हैं कि उन निगमों को वित्त प्रदान किया जाये जो सरकारी क्षेत्र की इकाइयां खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और ऐसी नीति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिग्रहण के लिए लंबित आसान क्रेडिट से निगमों में सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं मिलेगा;

(घ) यदि हां, तो इस नई नीति में अंतर्निहित सुरक्षोपाय कौन–कौन से हैं; और

(ङ) इस नीतिगत परिवर्तन पर बैंकों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

स्टॉक और शेयर में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा निवेश

179. श्री अरूण कुमार : क्या **वित्त** मंत्री स्टॉक और शेयर में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा निवेश के बारे में 10 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3134 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। अतारांकित प्रश्न संख्या 3134 के भाग (ङ) के संबंध में दिए गए आश्वासन को पहले ही पूरा किया जा चुका है। ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भारतीय जीवन बीमा निगम

दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम के इक्विटी पोर्टफोलियो में 14024.28 करोड़ रुपये के बही मूल्य और 16809.16 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य सहित कम्पनियों में होल्डिंग शामिल हैं। निगम के पोर्टफोलियो में स्क्रिपों की संख्या बहुत अधिक है। तथापि प्रमुख इक्विटी होल्डिंग 300 कम्पनियों के संबंध में ही है। दि. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर शीर्ष 25 कम्पनियों में होल्डिंग की सूची तथा पिछले पांच वर्षों में गौण इक्विटी बाजार प्रचालनों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	बही मूल्य (लाख रू. में)	होल्डिंग का प्रतिशत	बाजार मूल्य (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आईटीसी लि.	28791.33	9.45	190828.10
2.	आईसी आईसी आई लि.	45080.98	12.27	89572.91

1	2	3	4	5
3.	लारसन एण्ड टूब्रो लि.	29367.33	13.75	79527.37
4.	रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि.	17735.59	0.48	74534.22
5.	महानगर टेलिफोन निगम लि.	74477.61	7.42	67266.96
6.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	61502.50	11.43	64382.94
7.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	52678.96	5.00	57294.46
8.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि.	22317.02	11.57	55657.96
9.	रेनबेक्सी लेबोरट्रीस लि.	43578.67	7.67	52920.78
10.	रिलायन्स पेट्रोलियम लि.	41898.51	1.99	38897.66
11.	बीएसईएस लि.	12942.61	13.88	37115.47
12.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन	14305.06	5.18	30334.57
13.	ग्लेक्सो इंडिया लि.	21634.70	9.62	24735.75
14.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.	14908.27	9.25	23065.41
15.	एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनीस	9499.70	9.38	22948.53
16.	हिन्डलको इंडिया लि.	16599.74	3.84	22434.33
17.	गुजरात अम्बूजा सीमेंट लि.	18735.35	8.47	20667.60
18.	डा. रेड्डीस लेबोरेट्रीस लि.	9559.42	5.99	20486.09
19.	इन्फोसिस टेक्नोलॉजीस लि.	30402.95	0.69	20100.76
20.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.	14499.10	13.99	19326.33
21.	ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लि.	1401.34	9.40	18705.90
22.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	27004.12	1.46	18620.73
23.	टाटा टी लि.	21657.19	13.65	18553.50
24.	टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमाटिव	14950.37	9.32	16714.68
25.	कारपोरेशन बैंक	13069.75	12.17	16505.46

गौण इक्विटी बाजार प्रचालन

वर्ष	खरीद	बिक्री	लाभ
2000–2001	4186.09	1632.64	836.79
1999–2000	3459.98	1440.78	843.85
1998–1999	1794.60	359.55	289.12
1997–1998	1090.30	121.12	92.88
1996–1997	488.80	148.25	113.58

विवरण-II

भारतीय साधारण बीमा निगम

दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमा निगम के इक्विटी पोर्टफोलियो (अनन्तिम) में 1363 करोड़ रुपये के बही मूल्य तथा 2934 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य सहित 661 कंपनियों में होल्डिंग शामिल हैं। तथापि निगम की प्रमुख इक्विटी होल्डिंग 1067 करोड़ रुपये के बही मूल्य तथा 2552 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 100 कम्पनियों के संबंध तक ही सीमित हैं। दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर शीर्ष 25 कंपनियों में होल्डिंग की सूची–तथा पिछले पांच वर्षों में गौण इक्विटी बाजार प्रचालनों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :–

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	बही मूल्य (लाख रू. में)	होल्डिंग का प्रतिशत	बाजार मूल्य (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	हिन्दुस्तान लीवर लि.	1609.88	1.17	44345.04
2.	आई टी सी लि.	431.17	0.31	42023.66
3.	आई सी आई सी आई लि.	7649.62	5.58	18391.75
4.	रिलायन्स इंडस्ट्रीस लि.	3135.50	2.29	15503.07
5.	रेनबैक्सी लेबोरट्रीस लि.	2663.91	1.94	11749.33
6.	लारसन एण्ड टुब्रो लि.	4054.54	2.96	11326.98
7.	एच डी एफ सी लि.	769.50	0.56	9335.35
8.	टाटा पावर कंपनी लि.	2909.06	2.12	7231.82
9.	स्मिथलाइन बीचम कन्जूमर हेल्थ केयर लि.	712.47	0.52	5746.79
10.	विदेश संचार निगम लि.	635.92	0.46	4882.85

1	2	3	4	5
11.	बी एस ई एस लि.	1479.46	1.08	4129.71
12.	मोटर इंडस्ट्रीस कंपनी लि.	145.37	0.11	4111.72
13.	ई.आई.एच. लि.	841.76	0.61	3459.10
14.	इंडियन होटल्स कं. लि.	2040.13	1.49	2672.18
15.	मोरपेन लेबोरेट्रीस लि.	2622.48	1.91	2662.51
16.	ग्रासिम इंडस्ट्रीस लि.	853.15	0.62	2657.57
17.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	2060.65	1.50	2607.68
18.	पंजाब ट्रेक्टर्स लि.	1533.24	1.12	2447.32
19.	ब्रिटेनिया इंडिया लि.	199.19	0.15	2415.79
20.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	871.08	0.63	2132.16
21.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	1836.44	1.34	2116.71
22.	केडबरी इंडिया लि.	592.73	0.43	1989.95
23.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	2347.62	1.71	1773.51
24.	बजाज आटो लि.	2118.78	1.54	1747.57
25.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1518.46	1.11	1703.50

गौण इक्विटी बाजार प्रचालन

वर्ष	खरीद	जारी की गई	बिक्री पर लाभ
2000–2001	481.34	262.46	147.06
1999–2000	193.88	134.23	101.26
1998–1999	108.32	62.93	54.29
1997–1998	45.01	30.39	26.62
1996–1997	22.52	16.73	14.99

मंत्रियों द्वारा विदेशों का दौरा

180. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरों के बारे में 10 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3163 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 जनवरी, 2002 तक उनके दौरों पर कितनी राशि व्यय हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ राज्यों से सूचना प्रतीक्षित है।

जी.आई.सी. के कर्मचारियों का आई.आर.डी.ए. में समामेलन

181. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **वित्त** मंत्री जी.आई.सी. के कर्मचारियों का आई.आर.डी.ए. में समामेलन के बारे में 23 नवम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 975 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सूचना एकत्रित करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना को सभापटल पर कब तक रख दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 975 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति–स्वरूप उसमें अपेक्षित जवाब दिनांक 22.02.2002 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया है।

विवरण

जिप्सा ने सूचना दी है कि साधारण बीमा कर्मचारियों की पेंशन योजना, 1995 के पैरा 14 के साथ पठित पैरा 30(1) और इस योजना के परन्तुक में व्यवस्था है कि जब कर्मचारी स्वायत्तशासी निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हो तो इसमें स्थायी रूप से उसे समाहित किए जाने के लिए सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएंगे।

पैरा 14 और 30 को इस प्रकार पढ़ा जाए :–

इस योजना में बताई गई शर्तों के अधीन कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति की तारीख को निगम अथवा कंपनी में कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो, पेंशन लेने का पात्र होगा। अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कम से कम 90 दिन का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

परन्तु यह उप–पैरा उस कर्मचारी पर, जो प्रतिनियुक्ति पर हो तब तक लागू नहीं होगा जब तक स्थानान्तरित होने अथवा भारत वापस आने के बाद उसने पद का भार संभाल न लिया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा पूर्ण न कर ली हो।

साथ ही यह भी कि यह उप–पैरा उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जिसने स्वायत्तशासी निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिसमें वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय प्रतिनियुक्ति पर है, में स्थायी रूप से समाहित किए जाने के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया हो।

साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कर्मचारियों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में समाहित करने हेतु पिछले दो वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की है :–

सर्वश्री

1. प्रबोध चन्द्र, प्रबंधक	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. मुकेश शर्मा, एएओ	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. राकेश बजाज, एओ	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. सुरेश माथुर, एएम	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. आर.एस. जगपाल, एएम	नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

निम्नलिखित अधिकारियों ने त्यागपत्र दिया और आईआरडीए में सेवा ग्रहण की :

सर्वश्री

1. अरूप चटर्जी, एओ	ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. बी.राघवन, आशुलिपिक	ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. के.के. चौधरी, एओ	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और बीमा कंपनियों को आईआरडीए में साधारण बीमा कंपनी के पूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति में साधारण बीमा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के कथित उल्लंघन के संबंध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय साधारण बीमा से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त (ग) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, जिसमें से अधिकतम कर्मचारियों ने आईआरडीए में सेवा ग्रहण की, के संबंध में आईआरडीए ने संघ को सूचित किया है कि विद्यमान नियमों के अनुसार सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पात्र कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार किया गया है और सेवा संबंधी नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। सेवा नियमों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पात्र अन्य कर्मचारियों ने सेवा से त्यागपत्र दिया है और आईआरडीए में सेवा ग्रहण की है।

मंत्रालय में रिक्त पद

182. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय/विभागों तथा उनके मंत्रालय के अधीन कार्यालयों में श्रेणी–वार कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) इन पदों के रिक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सभी रिक्त पदों को सेवा आयोगों/रोजगार केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से अथवा सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसरण में विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना अपेक्षित है।

विवरण

31 दिसम्बर, 2001 की अवस्थिति–अनुसार वस्त्र मंत्रालय के रिक्त पदों की श्रेणी–वार/तिथि–वार संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	समूह	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति का वर्ष
1.	समूह 'क'	30	1991(1 पद), 1996(5 पद), 1997(2 पद), 1999(3 पद), 2000(8 पद), 2001(11 पद)
2.	समूह 'ख'	31	1994(1 पद), 1995(2 पद), 1996(1 पद), 1997(1 पद), 1998(3 पद), 1999(4 पद), 2000(9 पद), 2001(10 पद)
3.	समूह 'ग'	328	1988 (68 पद), 1994(10 पद), 1995(15 पद), 1996(7 पद), 1997(22 पद), 1998(31 पद), 1999(70 पद), 2000(33 पद), 2001(72 पद)
4.	समूह 'घ'	105	1992(1 पद), 1993(8 पद), 1994(5 पद), 1995(9 पद), 1997(3 पद), 1998(11 पद), 1999(25 पद), 2000(18 पद), 2001(25 पद)

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बिक्री केन्द्र

183. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कितने बिक्री केन्द्र हैं और ये देश में राज्य–वार तथा विशेषकर मध्य प्रदेश में कौन–कौन से स्थानों पर हैं;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के और बिक्री केन्द्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) 31.12.2001 तक की स्थिति के अनुसार एनटीसी के अंतर्गत 285 बिक्री केन्द्र चल रहे हैं जिनमें से 6 मध्य प्रदेश में हैं। इनकी राज्यवार सूची अवस्थिति के साथ संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवस्थिति	राज्य में शोरूम की संख्या
1	2	3
मध्य प्रदेश	इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, भुरनपुर, रतलाम	6
झारखण्ड	राँची, जमशेदपुर, चास, रामगढ़	4
बिहार	पटना, पटना शहर, दानापुर, मुज्जफरपुर, पुर्नीया, छपरा, दरभंगा, बेगुसराय, नवादा, मुगरी, बिहार शरीफ, सशाराम, सीतामणी, मधुवणी, जोहनाबाद, गया	16
उड़ीसा	अंगुल, भुवनेश्वर, बालसोर, कटक, धकनाल, जोईपुर, बेहरमपुर	7
असम	गुवाहाटी, शिलांग, देवरूगढ़, पांडु	4
पश्चिम बंगाल	असनोले, आरामबाग, बेलुगरया, बुडेग–बुडेग, बेलया, घाट, बिरदावन, भोलेपुर, भोनगन, बारासात, भिलाई, बेनकुरूवा, चन्दन नगर, कॉलेज सैंट, पार्क सैंट, दुर्गापुर, डाईमंड हरबार, दनाईखाली, गरीयाहाट, गेरे सैंट, हाबरा, ईच्छापुर, को नगर, कोलयानी, कालना, खगड़ा, कृष्णा नगर, कंकुरूगॉची, काडामोटला, लेक टाउन, मदीनापुर, महेश, नगर बाजार, पाल्टा, रंगाहाट, ऋषिबाड़ी, रीसारा, रानीगंज, शीलीगुडी, श्यामबाजार, सिगुरू, सीरमपुर, श्यामनगर, टोली गंज, तुमलुक, साल्ट लेक	45
तमिलनाडु	अतुर, भिवानी, कोयम्बटूर (6), कोन्नूर, गोबिच्चीटीपलायम, नामाकाल, ओटीचामांडु, सेलम, मट्टुपलायम, चेन्नई (4), चेनगम, कोडीलौर, कलपक्कम, काँचीपुरम, त्रिरूपतपुर, त्रिचुली, कुमबाकुनो, मदुरैई, नागरचुली, पाटायुकोटल, परमकुडी, मलाईदुरेई, शिवगंगा, त्रिचुलापंडी, त्रिमंगलम, त्रिलेवली, तेनकासी, तिरीकोटीयाली, नेवली, फिन्नाली, चेन्नई	38
पांडिचेरी	पांडिचेरी	1
दिल्ली	आर्य समाज रोड, एन डी एस ई, शंकर रोड, टैगोर गार्डन, ग्रेटर कैलाश, तिलक नगर, खान मार्केट, पहाड गंज, दिल्ली कैंट, ईस्ट ऑफ कैलाश, ए टी एम, लक्ष्मी नगर, केन्द्रीय भण्डार, मोती नगर	14
हरियाणा	सोनीपत, पानीपत, हिसार, फरीदाबाद, गुडगांव, अंबाला, करनाल	7

1	2	3
पंजाब	अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, खरार	4
जम्मू और कश्मीर	जम्मु, श्रीनगर	2
चंडीगढ़	सैक्टर 17, मध्य मार्ग	2
राजस्थान	अजमेर, भिलवाडा, भरतपुर, बिवाड, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिक्कर, गंगा नगर, उदयपुर	10
महाराष्ट्र	मुम्बई (13), नागपुर (2), हिंगनाहाट योटीमल अच्चलपुर पुने, भारत पर्ल (3), चोपाती, नादेड, चिलास गांव	26
गुजरात	अहमदाबाद (2), बडौदा, गुदार, जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, सूरत	8
दमन	दमन	1
उत्तर प्रदेश	कानपुर (6), लखनऊ (2), इलाहाबाद (4), झांसी, बरेली, राय बरेली, अकबर पुर, बलिया, चोकरघाट, देवरिया, गोलीहार, गाजीपुर, ग्यानपी, लाहुरूबीर, माया बाजार, मुयुनथबंजन, शक्ति नगर, सुल्तान पुर, आगरा, गाजियाबाद, मोदी नगर, मुरादाबाद, नरोरा, रुड़की	33
उत्तरांचल	देहरादून, हल्द्वानी	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (5), अनंतपुर, गुडप्पा, ईलोन, गंटुर, हनुमकंडु, विशाखापटनम, काकिनंडा, करीम नगर, कुरूनाल, मछलीपटनम, नेलरोर, त्रिपति, विजयवाडा, विशाखापटनम	19
केरल	एलवई, क्यूलोन, कन्नूर, कोलीकट, चितुर, चंगाना चरी, एरनाकुल्लम (2), कसराडोग, कुनमकुलम, पाली, पालघाट, त्रिचुर, तेलीचरी, त्रिवेन्द्रम	15
कर्नाटक	बंगलौर (8), मैसूर, ईलुगम, चकमगुलर, देवनगरी, धरवार, हिसान, मैसूर, मान्डया, मंगलौर, तुमकुर, विडार, बुलबरगा, रायचुर	21

स्रोत पर कटौती

184. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्रोत पर कर कटौती केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कुल कर संग्रह का करीब 50 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 में दिसम्बर, 2001 तक स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से संग्रह की गई राशि और प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग स्रोत पर कर कटौती की लघु धनराशि भी वापिस नहीं करता है;

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कानून और नीति की भावना वास्तविक रूप में क्रियान्वित हो; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती की वापसी बिना किसी परेशानी और विलम्ब के हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) स्रोत पर कर कटौती वर्ष 2000–2001 के दौरान की गई सभी प्रत्यक्ष कर वसूलियों का 41.30% थी।

(ख) वर्ष 2000–2001 के संबंध में अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

लेखा शीर्ष	कुल वसूली	स्रोत पर कर कटौती की धनराशि	कुल वसूली स्रोत पर कर कटौती का %
			(करोड़ रुपये में)
निगम कर	35696.27	5982.28	16.76%
आयकर	31763.98	22230.98	69.99%
अन्यकर	845.14	0	0%
योग	68305.39	28213.26	41.30%

वर्ष 2001–2002 के आंकड़े समेकित किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) आयकर विभाग द्वारा कर कानूनों के अनुसार धनवापसियां बिना भेदभाव के तीव्रता से की जाती हैं चाहे वह धनराशि छोटी हो अथवा बड़ी। आयकर विभाग का हाल ही में पुर्नगठन हो जाने से उक्त प्रणाली के और अधिक चुस्त एवं कारगर होने की संभावना है।

महाराष्ट्र की वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार

185. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत वस्त्र मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मिलों का ब्यौरा क्या है जो बंद हो गई हैं, और इनसे कितने कामगार प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बंद मिलों को पुनः चालू करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य में वस्त्र मिल के कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में कार्यरत प्रबंधन–वार सूती/मानव–निर्मित वस्त्र मिलों (गैर एस एस आई) का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

प्रबंधन	मिलों की सं.
सार्वजनिक	40
निजी	101
सहकारी	67
कुल	208

(ख) 31.12.2001 की स्थिति अनुसार महाराष्ट्र राज्य में बंद मिलों तथा नामावली में कामगारों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

प्रबंधन	मिलों की सं.	नामावली में कामगारों की सं.
सार्वजनिक	2	256
निजी	27	38689
सहकारी	18	16081
कुल	47	55026

(ग) और (घ) भारत सरकार ने रुग्ण तथा संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने तथा प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारात्मक उपायों जिन्हें ऐसी कंपनियों के मामले में किए जाने की आवश्यकता है, के त्वरित निर्धारण के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 बनाया गया है तथा बी आई एफ आर को स्थापित किया है। बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत पुर्नवासन योजनाओं में विभिन्न उपाय जैसे पूंजी का पुर्नगठन, प्रवर्तकों द्वारा नयी निधियों को लगाना, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंधन का परिवर्तन, कार्यशील पूंजी तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण के लिए प्रावधान शामिल है।

31.10.2001 की स्थिति के अनुसार, 47 सूती/मानव–निर्मित वस्त्र मिलों (गैर एस एस आई) में से, 14 मामले बी आई एफ आर के पास पंजीकृत हैं। इन 14 मामलों की स्थिति निम्नानुसार है :–

स्थिति	सभी वस्त्र मामले
1	2
अब रुग्ण नहीं घोषित	3

1	2
पुर्नवासन योजना असफल हुई और मामले पुनः खुले	1
जिसे कायम नहीं रखा जा सकता	1
धारा 18(4) के अंतर्गत स्वीकृत योजना	1
जांच अधीन	2
बंद करने की सिफारिश की गयी	6
कुल	14

सरकार ने वस्त्र एककों को स्थायी रुप से बंद होने के फलस्वरूप बेकार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि भी स्थापित की है।

बाजार से अतिरिक्त ऋण के लिए आवेदन

186. श्री जार्ज ईडन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने बाजार से अधिक उधार लेने की अनुमति के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केरल सरकार ने विकास खर्च संबंधी आवश्यकताओं के वित्त–पोषण हेतु बाजार से 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने का अनुरोध किया था। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, किसी भी राज्य को योजना के तहत अनुमोदित ऋण के अलावा कोई अतिरिक्त ऋण मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) से सम्बद्ध होता है। राज्य सरकार से मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम से संबंधित अपेक्षित सामग्री मिलने पर इस मंत्रालय में उसकी जांच तथा उस पर विचार किया जाता है। तदनुसार भारत सरकार और केरल सरकार के बीच समझौता हो गया है। राज्य सरकार के मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के आधार पर वर्ष 2001–2002 में केरल सरकार को बाजार ऋण कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन की अनुमति दे दी गई है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्ग के लिए आवास

187. श्री रामसिंह राठवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवास क्षेत्र में लगे नैशनल हाउसिंग बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को नेशनल हाउसिंग बैंक से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकार ने अभिशासन हेतु राष्ट्रीय कार्यसूची के तहत 2 मिलियन आवास कार्यक्रम को लागू करने के लिए एनएचबी से कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेना

188. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों के दूतावास अंतर्देशीय बाल दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को तेज करने हेतु कदम उठाने के लिए निवेदन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अनाथालयों से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी संशोधित दिशानिर्देश – 1995 इन दत्तक–ग्रहणों को नियंत्रित करते हैं और इनकी आवश्यकता होने पर समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में दत्तक ग्रहण रैकेट

189. श्री राजैया मल्याला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण रैकेट के सक्रिय होने का समाचार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो अवैध रूप से बच्चों की बिक्री को रोकने के लिए दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) यद्यपि किसी अंतर्देशीय रैकेट की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तथापि सरकार द्वारा दोनों आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अनियमितताओं में संलिप्त पाई जाने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जो दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों को देखता है, ने सभी राज्य सरकारों तथा अपनी मान्यता प्राप्त एजेंसियों को अपने द्वारा अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहणों तथा दत्तक ग्रहण से जुड़े अन्य मामलों पर समय–समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी थी। इनमें सभी अनाथालयों तथा एजेंसियों का अनिवार्य लाईसेन्सीकरण तथा दत्तक ग्रहण सम्बन्धी कार्यकलापों की मॉनीटरिंग शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दत्तक ग्रहण कानूनी ढंग से किए जाएं। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करती हैं कि बच्चों की बिक्री की घटनाएं, यदि कोई हों, सम्बन्धित कानूनों को कड़ाई से लागू करके रोकी जाएं।

वस्त्र नीति

190. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र नीति में बदलाव लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) चूंकि राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा नवम्बर, 2001 में ही की गई है, इतनी जल्दी नीति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है।

(घ) सरकार राजस्थान सहित देश में वस्त्र तथा क्लोदिंग उद्योग को मजबूत करने तथा संवर्द्धन करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं :

(1) सरकार ने सिले–सिलाए परिधान उद्योग के बुने हुए क्षेत्र को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(2) परिधानों के उत्पादन और निर्यात हेतु उत्कृष्ट समूह अर्थात अपैरल पार्कों के सृजन हेतु उत्पादन और निर्यात हेतु उत्कृष्ट समूह 10 करोड़ रु. का प्रावधान बजट–अनुमान 2001–02 में निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 15 करोड़ रु. का प्रावधान भी प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों पर अध्यसंरचना सुविधाओं के सुधार हेतु बजट अनुमान 2001–02 में किया गया है।

(3) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.सी.) को इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.99 से पांच वर्षों की एक अवधि अर्थात 31.02.2004 तक क्रियाशील बनाया गया है। टी यू एफ एस के अंतर्गत सहायता से संबंधित मसलों का हल निकालने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की गई है। 31.12.2001 की स्थिति अनुसार टी यू एफ एस की प्रगति नीचे दी गई है :

	प्राप्त आवेदनों की संख्या	परियोजना की कुल लागत	स्वीकृत		वितरित	
			आवेदनों की सं.	राशि	आवेदनों की सं.	राशि
पूरा भारत (राजस्थान सहित)	1402	13464.15	1171	5012.25	892	3166.62

(4) बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान उद्योग जो टी यू एफ एस के अंतर्गत शामिल है, को 50% की दर से बढ़ी हुई ह्रास की सुविधा दी गई है।

(5) उचित कीमतों पर कपास की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए, सरकार ने 1999–2000 के दौरान पाँच वर्षों की अवधि के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन जिसमें 4 मिशन शामिल हैं, शुरू किया है।

(6) सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र के लाभ हेतु बुनाई आदि में नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण, परामर्श, डिजायन विकास सहायता, वस्त्र परीक्षण और सूचना प्रदान करने के लिए 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र (पी एस सी) स्थापित किए हैं। इन 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में से, 21 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का विद्युतकरघा बुनकरों/मालिकों को हाई टैक करघों पर बेहतर प्रशिक्षण देने हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 16 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर उनके करघे तथा अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(7) सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र को डिजायन विकास और सहायता प्रदान करने के लिए कैड केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक, 17 ऐसे केन्द्रों को विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

(8) 1995–96 से शुरू की गई प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण की योजना के अंतर्गत, कुल 41 प्रयोगशालाओं को अब तक आधुनिकीकृत/मजबूत किया गया है।

(9) परिधान मशीनरी की अधिकांश संख्या के आयात की अनुमति 5% की रियायती सीमा शुल्क के अंतर्गत दी गई है।

(10) कुछ अपवादों के साथ वस्त्र क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 100% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी गई है।

(11) कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डी इ पी बी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(12) कोटा नीति के अंतर्गत छूट की घोषणा हाल में निर्यातकों की सहायता करने के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य

191. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य में प्रति किलोग्राम कितना अंतर है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य विशेषकर खुदरा मूल्य की निगरानी के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है ताकि अपभोक्ताओं को बचाया जा सके?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 20 फरवरी, 2002 को दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चैन्नई में चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आम खपत की 12 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उच्च स्तर पर उच्चाधिकार समितियों के जरिए लगातार निगरानी की जाती है। आम खपत की 12 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा मूल्यों और साप्ताहिक थोक मूल्यों की विभाग में मूल्य निगरानी कक्ष द्वारा निगरानी की जाती है। 18 राज्यों की राजधानियों के संबंध में दैनिक खुदरा मूल्यों और संपूर्ण देश में फैले 37 केन्द्रों के साप्ताहिक थोक मूल्यों की निगरानी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नागरिक आपूर्ति विभागों के जरिए की जाती है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समय–समय पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा निश्चित उपाय किए जाते हैं।

विवरण

चार महानगरों में 20.2.2002 को चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य

मद	दिल्ली		मुम्बई		चेन्नई		कोलकाता	
	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा
चावल	9.25	12.00	10.75	11.50	9.50	10.50	9.00	10.00
गेहूं	6.35	7.50	9.25	10.25	9.50	11.00	सू.न.	6.75
चना	23.50	26.00	24.00	28.50	22.00	25.00	21.50	26.00
चीनी	14.50	15.00	15.25	16.25	14.30	14.50	14.90	16.50
तूर	21.50	26.00	23.00	25.00	22.00	25.00	21.50	25.00
मूंगफली का तेल*	67.73	74.00	41.00	42.00	40.00	42.00	46.67	53.00
सरसों का तेल	38.40	40.00	सू.न.	60.00	सू.न.	सू.न.	33.25	38.00
वनस्पति	37.00	38.00	37.33	40.00	34.35	42.00	30.00	33.00
प्याज	3.82	7.00	2.50	4.50	4.00	5.00	3.88	6.00
आलू	3.40	6.00	6.60	9.00	4.00	5.00	2.60	3.00
चाय (खुली)	100.00	115.00	सू.न.	130.00	116.00	120.00	सू.न.	80.00
नमक (पैक किया गया)	4.60	6.00	6.40	7.00	5.20	6.00	सू.न.	6.00

टिप्पणी : थोक मूल्यों की रिपोर्ट मूलतः प्रति क्विंटल में की गई थी और उसे रुपये प्रति कि.ग्रा. में परिवर्तित कर दिया गया है।

* : खुदरा मूल्य दिल्ली और कोलकाता में 1 कि.ग्रा. के प्रीमियम ब्रांड से संबंधित है और थोक मूल्य 15 कि.ग्रा. के सामान्य ब्रांड से संबंधित है। मुम्बई और चेन्नई में खुदरा और थोक मूल्य खुली किस्म से संबंधित हैं।

सू.न. : सूचना प्राप्त नहीं हुई।

स्रोत : राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग

आयकर अपवंचन

192. डा. बलिराम :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने जनवरी, 2002 में एच.सी. एल. समूह के परिसरों में मारे गए छापे के दौरान 100 करोड़ रुपये का कर अपवंचन का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एच.सी.एल. समूह के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई या फिर किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने दिनांक 24 जनवरी, 2002 को एच.सी.एल. समूह की तलाशी ली थी तथा कतिपय दस्तावेजों को जब्त किया था। कर अपवंचन के वास्तविक स्वरूप एवं राशि का निर्धारण करने के लिए जांच की जा रही है।

भारतीय सीमेंट निगम को अकलतारा संयंत्र का बंद होना

193. डा. चरणदास महंत : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला जांजगीर चंपा (छत्तीसगढ़) के अकलतारा स्थित भारतीय सीमेंट निगम की सीमेंट फैक्ट्री घाटे में चलने और बिजली बिल का भुगतान न करने के कारण बंद हो गई है;

(ख) क्या अकलतारा संयंत्र के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान इसके बंद होने के समय नियमित रूप से किया जा रहा था और संयंत्र का "परिचालन घाटा" कर्मचारियों के मासिक वेतन से ज्यादा था;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त संयंत्र के बंद होने के वास्तविक कारण क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय सीमेंट निगम के छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से जिसके पास अतिरिक्त बिजली है इस संयंत्र के पुनरुद्धार करने के क्रम में अकलतारा और मंढ़ार संयंत्र को निम्न दर पर बिजली आपूर्ति करने का निवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (ग) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अकलतारा यूनिट में आवर्ती हानि, उत्पादन की उच्च लागत तथा विद्युत बिलों के गैर–भुगतान सहित विभिन्न कारणों से 9.12.1996 से प्रचालन बंद रहा है। वर्ष 1996–97 के दौरान इकाई की प्रचालन हानि 1289.58 लाख रुपये थी जो 350.91 लाख रुपये के वेतन एवं मजदूरी बिल से बहुत अधिक थी। अगस्त, 2001 के माह तक कर्मचारियों को वेतन एवं मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) से (च) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया 8.8.1996 से बीआईएफआर, एक अर्द्धन्यायिक निकाय के संदर्भाधीन एक रुग्ण उपक्रम है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि कोई जैव्य पुनरुद्धार स्कीम सामने नहीं आई है, बीआईएफआर ने 27.03.2001 को हुई अपनी बैठक में आपरेटिंग एजेंसी आईएफसीआई को निदेश दिया कि वह सीसीआई को अकलतारा और मंढ़ार यूनिट सहित चल रही स्थिति के आधार पर इसके संयंत्रों को पृथक रूप से या सामूहिक रूप से बिक्री करने की प्रक्रिया आरम्भ करें।

[अनुवाद]

यू.टी.आई. योजनाओं को सूची से निकालना

194. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने स्टॉक एक्सचेंज से यू.एस.–64 और लोकप्रिय मास्टर शेयर स्कीम सहित सभी योजनाओं को सूची से निकाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) ने सूचित किया है कि सभी सूचीबद्ध स्कीमों को स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध नहीं किया गया है। असूचीबद्ध स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। यू.एस.–64 तथा मास्टर शेयर स्कीम को असूचीबद्ध नहीं किया गया है।

(ख) यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि सूचीकरण को पूंजी की आवश्यकता रखने वाले निवेशकों के हित के लिए एक "एक्जिट सुविधा" के रूप में प्रदान किया गया है जबकि स्कीम लॉक इन अवधि के भीतर हो या जब यू.टी.आई. द्वारा पुनर्खरीद विकल्प उपलब्ध नहीं हो। तथापि, जब निवेशकों को निवल आस्ति मूल्य सहबद्ध पुनर्खरीद सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तब सूचीकरण निवेशकों को लाभदायक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि यह देखा गया था कि सूचीबद्ध स्कीमों की यूनिटों का अधिकांशतः उनके निवल आस्ति मूल्य सहबद्ध पुनर्खरीद मूल्य पर छूट देते हुए कारोबार किया गया तथा इसके अलावा सूचीकरण में सूचीकरण शुल्कों के भुगतान की शर्तों पर स्कीमों में व्यय भी शामिल है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार ऐसी स्कीमों को असूचीबद्ध करना निवेशक के हित में किया जाता है।

(ग) यू.टी.आई. में सूचित किया है कि असूचीकरण से

निवेशक किसी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है। इसके विपरीत (ख) में यथा उल्लिखित निवेशक पुनर्खरीद रूट के माध्यम से निवल आस्ति मूल्य के पूर्ण मूल्य को वसूलने में सक्षम रहे हैं।

विवरण

सूची से हटाई गई स्कीमें

क्रम संख्या	स्कीम	सूची से हटाए जाने की तिथि	यू.टी.आई. में पुनर्खरीद सुविधा जब से उपलब्ध है
1	2	3	4
1.	ग्रैंडमास्टर 93	26.04.2000	01.08.1996
2.	इंडैक्स सैलेक्ट इक्विटी फंड	20.11.2000	01.08.2000
3.	मास्टर ग्रोथ यूनिट स्कीम 1993	21.03.2000	01.12.1999
4.	मास्टरगेन 1992	26.04.2000	01.08.1995
5.	मास्टर शेयर प्लस यूनिट स्कीम 1991 (मास्टरप्लस)	26.04.2000	01.10.1998
6.	यूनिट स्कीम 92 (यू.एस.–92)	26.06.2000	01.02.1996
7.	यूनिट स्कीम 95 (यू.एस.–95)	01.08.2000	02.04.1995
8.	मास्टर इक्विटी प्लान 1993	26.06.2000	01.04.1996
9.	मास्टर इक्विटी प्लान 1995	26.06.2000	01.04.1998
10.	मास्टर इक्विटी प्लान 1996	26.06.2000	01.04.1999

[हिन्दी]

अधिकारियों का विदेशों का दौरा

195. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 2001 से 31 जनवरी, 2002 के बीच मंत्रालय के कितने अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया;

(ख) उन्होंने किन–किन देशों का दौरा किया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दौरों पर कितनी राशि व्यय हुई;

(घ) क्या ये दौरे करना आवश्यक था; और

(ङ) यदि नहीं, तो ये दौरे करने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 11 (ग्यारह)।

(ख)

क्रम सं.	देश, जिनका दौरा किया गया	कारण
1	2	3
1	नीदरलैण्ड 2–7 अप्रैल, 2001	कीटनाशक अपशिष्ट पर कोडेक्स समिति का 33वां सत्र।
2	नेपाल 10–11 अप्रैल, 2001	सार्क के खाद्य सुरक्षा रिजर्व बोर्ड की 8वीं बैठक।
3	यूनाईटेड किंगडम (लंदन) 8 मई, 2001	अर्न्तराष्ट्रीय खाद्यान्न काउंसिल की एक्जीक्यूटिव समिति की बैठक।
4	ईराक 17–25 मई, 2001	भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में ईराक के खाद्यान्न बोर्ड के साथ विचार विमर्श।

1	2	3
5	यूनाईटेड किंगडम (लंदन) 11–14 जून, 2001	अर्न्तराष्ट्रीय अनाज काउंसिल का वार्षिक सम्मेलन तथा 13वां सत्र।
6	थाईलैण्ड (फुकेट) 25–27 जून, 2001	दक्षिण एशियाई गेहूं क्रेताओं का सम्मेलन।
7	स्विटजरलैण्ड (जेनेवा) 2–7 जुलाई, 2001	कोडेक्स ऐलमेन्टेरियस कमीशन का 24वां सत्र।
8	यूनाईटेड किंगडम (लंदन) 9–10 जुलाई, 2001	अर्न्तराष्ट्रीय शुगर संगठन की प्रशासनिक समिति की विशेष बैठक।
9	नेपाल (काठमांडू) 3–4 नवम्बर, 2001	भारत नेपाल व्यापार संधि के पुनरीक्षण के लिए संयुक्त सचिव स्तरीय बातचीत।
10	इटली (रोम) 5–7 नवम्बर, 2001	खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) का सम्मेलन।
11	यूनाईटेड किंगडम (लंदन) 30 नवम्बर, 2001	अर्न्तराष्ट्रीय शुगर काउंसिल का सत्र।

(ग) 10,96,686.00 रुपये (आवास, परिवहन प्रभारों आदि को छोड़कर) जिनके लिए डेबिट दावे अभी मंत्रालय से प्राप्त होने हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

196. श्री राम टहल चौधरी :

श्री रामसिंह राठवा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत नई जातियों को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य–वार कितने आवेदन प्राप्त किए गए;

(ख) अब तक राज्य–वार कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया;

(ग) आयोग के पास कितने आवेदन अभी भी लम्बित हैं; और

(घ) शेष आवेदनों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) ने प्रारम्भ से अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के लिए 1137 जातियों/उप–जातियों/पर्यायों/समुदायों के संबंध में अनुरोध प्राप्त किए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) अधिनियम, 1993 की धारा 9(1) के अंतर्गत किए गए प्रावधान को देखते हुए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज की तारीख तक 1102 जातियों/उप–जातियों/पर्यायों/समुदायों के संबंध में सरकार को परामर्श दिया है। इन 1102 में से, 669 अनुरोध सूचियों में शामिल करने के लिए किए गए हैं और 433 अनुरोध शामिल करने संबंधी अनुरोध को अस्वीकर कर देने के लिए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 35 जातियों/उप–जातियों/पर्यायों/समुदायों के संबंध में शामिल किए जाने के अनुरोध अभी भी आयोग के पास लम्बित हैं। इन 35 अनुरोधों में से, 30 जातियों/समुदायों के संबंध में जाँच पड़ताल/जन सुनवाई पहले ही पूरी हो गई है, 5 जातियों/समुदायों के संबंध में हाल ही में प्राप्त अनुरोधों की जाँच–पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। यह जाँच पड़ताल पूरी होते ही आयोग लम्बित मामलों पर परामर्श देगा।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जातियों/उप–जातियों/पर्यायों/समुदायों की सं		सरकार को दी गई सलाह	
		प्राप्त हुए अनुरोध	शामिल के लिए	रद्द करने के लिए	कुल
1	2	3	4	5	6 (कालम 4+5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	66	42	13	55
2.	असम	1	–	1	1
3.	बिहार	37	10	22	32
4.	दिल्ली	26	13	12	25
5.	गोवा	18	12	6	18
6.	गुजरात	48	26	16	42
7.	हरियाणा	35	27	8	35
8.	हिमाचल प्रदेश	3	2	1	3
9.	कर्नाटक	133	106	27	133
10.	केरल	59	35	24	59
11.	मध्य प्रदेश	61	42	19	61
12.	महाराष्ट्र	34	18	15	33
13.	उड़ीसा	91	46	41	87
14.	पंजाब	11	8	2	10
15.	राजस्थान	63	32	30	62
16.	सिक्किम	6	3	3	6
17.	तमिलनाडु	116	81	35	116
18.	त्रिपुरा	23	15	8	23
19.	उत्तर प्रदेश	149	93	52	145
20.	पश्चिम बंगाल	60	44	16	60
21.	चंडीगढ़	7	6	1	7
22.	पाण्डिचेरी	89	8	81	89
23.	दा. व नगर हवेली	1	–	–	–
	कुल	1137	669	433	1102

[अनुवाद]

कृषि वस्तुओं का आयात

197. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओपन जनरल लाईसेंस के अंतर्गत कृषि वस्तुओं के आयात को अनुमति प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2001 तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कृषि वस्तुओं का आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार ने कृषि वस्तुओं के घरेलू मूल्य पर ऐसे आयात के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; और

(च) कृषि वस्तुओं के आयात के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) कृषि उत्पादों सहित अन्य मदों पर लगे आयात प्रतिबंधों को सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में और हमारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार हटाया जा रहा है। इस समय, उन सभी मदों का आयात मुक्त है, जिन पर भुगतान संतुलन के कारण आयात प्रतिबंध लगाए गए थे।

अप्रैल–अक्टूबर, 2000 की तुलना में अप्रैल–अक्तूबर, 2001 के दौरान जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रमुख कृषि वस्तुओं के आयात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जैसाकि आयात संबंधी आंकड़ों से देखा जा सकता है, आयातों के इस स्तर से कृषि वस्तुओं की घरेलू कीमतों पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है।

प्रतिबंधों की समाप्ति से देश के आयातों की समग्र वृद्धि–दर में बदलाव नहीं आया है। आयातों की वृद्धि दर (रुपये के रूप में) 1993–94 में 15.3%, 1994–95 में 23.1%, 1995-96 में 36.4%, 1996–97 में 13.2%, 1997–98 में 11%, 1998–99 में 14.2% और 1999–2000 में 13.6% रही थी। वर्ष 2000–2001 में आयात वृद्धि दर रुपये के रूप में केवल 5.59% और अमरीकी डालर के रूप में 0.27% रही थी। इस वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान आयात वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डालर के रूप में केवल 0.31% और रुपये के रूप में 4.55% रही थी। जिन 714 मदों पर से 31.3.2000 को मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए थे, वर्ष 2000–2001 के लिए उन मदों के आयात संबंधी आंकड़े इन मदों के आयातों में 6% से कम की वृद्धि दर्शाते हैं। इसी तरह उन 300 संवेदनशील मदों, जिन पर सचिवों का एक स्थाई दल निगरानी रख रहा है, के आयातों में भी इस वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में कोई असामान्य वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है।

तथापि, आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ और अन्य तंत्रों के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि आयातों से घरेलू कृषकों को कोई गंभीर हानि या क्षति नहीं पहुंचे। इस दिशा में ऐसी अनेक मदों पर आयात शुल्क पहले ही बढ़ा दिए गए हैं जिनके आयातों में वृद्धि देखी गई थी। वर्ष 2000–2001 के बजट में अनेक कृषि मदों (निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण (1997-2002 के अध्याय 1 से 24) पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है ताकि घरेलू कृषकों को और अधिक संरक्षण प्रदान किया जा सके अर्थात चावल पर शुल्क 0% से बढ़ाकर 80%, बाजरा पर 0% से 50%, सेब पर 35% से बढ़ाकर 50%, गेहूं पर बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसी तरह वर्ष 2001–2002 के बजट में नारियल, कोपरा, चाय और कॉफी पर सीमा शुल्क 35% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। सोयाबीन तेल को छोड़कर विभिन्न परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 85% तक वृद्धि की गई है। इसी तरह अपरिष्कृत पामोलिन तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 65% कर दिया गया है और सोयाबीन तेल को छोड़कर अन्य अपरिष्कृत खाद्य तेलों पर शुल्क में 75% तक की वृद्धि की गई है।

विवरण

अप्रैल–अक्तूबर, 2000 और अप्रैल–अक्तूबर, 2001 के दौरान प्रमुख कृषि वस्तुओं का आयात

मात्रा टनों में

मूल्य करोड़ रू. में

क्र.सं.	मदें	अप्रैल–अक्तूबर '00		अप्रैल–अक्तूबर '01	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	गेहूं	3353	2.26	1351	0.84
2.	चावल	5890	7.83	62	0.06
3.	अन्य अनाज	29991	14.96	3849	2.00

1	2	3	4	5	6
4.	दालें	146663	234.21	1165044	1685.37
5.	चाय	6068	11.63	6218	35.98
6.	काजू गिरी	18867	75.12	78.77	18.88
7.	फल एवं गिरी, काजू गिरि को छोड़कर	उप.नहीं	420.63	उप.नहीं	353.40
8.	मसाले	23345	140.48	36899	232.27
9.	चीनी	22313	20.96	26529	32.43
10.	तिलहन	उप.नहीं	4.25	उप.नहीं	0.98
11.	प्राकृतिक रबड़	6722	23.40	25104	76.97
12.	अपरिष्कृत जूट	34031	38.74	33558	38.90
13.	अपरिष्कृत रेशम	2722	262.45	5177	317.23
14.	कपास/धुनी हुई/बिना धुना हुआ/अपशिष्ट	177147	964.45	236721	1329.49

उप.नहीं : उपलब्ध नहीं

चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का निर्यात

198. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले भारत से कुल कितना चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का आयात किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा भारत में चमड़ा व्यापार के विकास हेतु किन नीतियों की घोषणा की गई;

(ग) क्या पर्यावरणीय संकट के कारण चमड़ा उद्योग में उत्तरोत्तर गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में भारत से चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुओं का कुल निर्यात निम्नानुसार रहा है :–

	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	
वर्ष	लक्ष्य	निर्यात
1998–99	1777	1654.89
1999–2000	1724	1576.12
2000–2001	1760	1970.99

(ख) सरकार ने चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं :– निर्यात संवर्धन योजना जैसे कि शुल्क छूट पास बुक योजना और शुल्क वापसी योजना लागू करना; चर्म शोधन आधुनिकीकरण योजना; चर्म शोधन एवं फुटवियर क्षेत्र को लघु उद्योग से अनारक्षित करना, देश के बाहर निर्यात उत्पादों का विपणन करने हेतु विपणन विकास सहायता तथा बाजार पहुंच के उपायों से संबंधित योजनाओं के जरिए निर्यातकों को वित्तीय

सहायता प्रदान करना; और फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान तथा केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान के जरिए डिजाइन और उत्पाद विकास में सहायता प्रदान करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में आयकर कार्यालय

199. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में, विशेषकर, केरल में नए आयकर कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, देश में नए आयकर कार्यालय खोलने के लिए कई प्रस्ताव हैं। तथापि, केरल राज्य के संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विभिन्न स्थानों पर नए आयकर कार्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

उत्तरांचल में	खटीमा तथा हरिद्वार
उत्तर प्रदेश में	खतौली, बड़ौत तथा देवबंद
गोवा में	वास्को
कर्नाटक में	कामराजनगर, चन्नापटना, हावेरी, हन्नावर, तिपतूर तथा भद्रावती।

आयकर विभाग में अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली लंबित नियुक्तियां

200. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में अनुकंपा के आधार पर कुल कितनी नियुक्तियां लंबित हैं;

(ख) तत्संबंधी श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दो वर्ष, पांच वर्ष और 10 वर्षों आदि से अधिक समय से लंबित आवेदनों की अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवेदनों के लंबित होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) बोर्ड के स्तर पर 6 मामले बकाया पड़े हुए हैं। पूरे विभाग से संबंधित सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

जाली नोट

201. श्री कमलनाथ :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जनवरी, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रियल डाइलेमा नो अथॉरिटी टु आथेन्टीकेट फेक करेन्सी नोट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बैंक नोट प्रेस देवास का मुद्रा की प्रमाणिकता से संबंधित प्रमाणन विधि के न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में जाली नोट से संबंधित बहुत से लंबित मुकद्मों को निपटाने के उद्देश्य से जाली नोटों की प्रमाणिकता के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु क्या नए कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 292 के तहत टकसाल अथवा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (स्टाम्प और लेखन–सामग्री नियंत्रक के कार्यालय सहित) के केवल राजपत्रित अधिकारियों को न्यायालय में करेंसी नोटों को प्रमाणित करने के प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया जाता है। नोट छपाई मुद्रणालय अथवा प्रतिभूति छपाई मुद्रणालयों अथवा न्यायालयीय विज्ञान

प्रयोगशालाओं के राजपत्रित अधिकारियों अथवा संदिग्ध प्रलेखों के सरकारी जांचकर्ताओं अथवा संदिग्ध प्रलेखों के राज्य स्तरीय जांचकर्ताओं को न्यायालय में जांच के दौरान नकली करेंसी नोटों को प्रमाणित करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 292 (1) और 292 (3) में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) में भ्रष्टाचार

202. **श्री वाई.वी. राव :**

श्री बी. वेंकटेस्वरलु :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 2002 के "दि इकॉनॉमिक टाइम्स" में "स्वीन्डलर्स फोर्स एफ.सी.आई. टु हाल्ट ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी फॉर राइस एक्सपोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धोखाधड़ी में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में अन्य बातों के साथ–साथ निर्यात के प्रयोजनार्थ चावल का घरेलू बाजार में विपथन और भाड़े का जाली दावा करने का उल्लेख किया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय पूल से चावल के निर्यात में कदाचार के बारे में आरोप प्राप्त होने पर परिवहन राजसहायता की प्रतिपूर्ति रोक दी गई थी। इस मामले की जांच की गई थी और उसके बाद अतिरिक्त एंतिहाती उपायों के साथ परिवहन राजसहायता बहाल की गई थी। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के संलिप्त होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

म्युचुअल फंड का निजीकरण

203. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सबसे बड़े म्युचुअल फंड, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निजीकरण को स्पष्टः स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है जिनसे सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों के हाथों में ही स्वामित्व रहेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) बोर्ड ने मालेगाम समिति की सिफारिशों को पहले ही अस्वीकृत कर दिया है, जिसने प्रायोजक कंपनी में 60 प्रतिशत इक्विटी के साथ महत्वपूर्ण साझेदार के साथ निजीकरण का समर्थन किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिसम्बर, 2001 में उसे सौंपी गयी भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सरकार यू.टी.आई. को सेबी के म्युचुअल फंड विनियमों की पूर्णतः पूर्ति और यू.टी.आई. का प्रतिस्पर्धा स्तर बढ़ाने के योग्य बनाने की दृष्टि से यू.टी.आई. की पुर्नसंरचना के विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।

यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि यू.टी.आई. के बोर्ड ने मालेगाम समिति की सिफारिशों को अस्वीकृत नहीं किया है। बोर्ड ने रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया है।

लाभांशों का भुगतान

204. **श्री जी.जे. जावीया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले

उपक्रम लाभांश का भुगतान करने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में सरकार द्वारा नाम–निर्देशित व्यक्तियों की भूमिका क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि को-ओपरेटिव अर्बन बैंक, हैदराबाद

205. **डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :**

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

श्री के. येरननायडू :

श्री बी. वेंकटेस्वरलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कोआपरेटिव अर्बन बैंक, हैदराबाद के कुछ जमाकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आवश्यकता से अधिक क्षतिपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सहकारी बैंक के नये घोटाले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) कृषि सहकारी शहरी बैंक लि., सिकन्दराबाद के परिसमाक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार छः जमाकर्ताओं को अधिक क्षतिपूर्ति की गई थी जिसकी कुल राशि 43,717 रु. थी। भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली से संबंधित नोटिस जमाकर्ताओं को भेजे जा चुके हैं। इस संबंध में कर्मचारियों के विरुद्ध किसी कार्रवाई की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं दी गई है।

विदेशों में स्थित कॉरपोरेट निकायों द्वारा निवेश

206. **श्री जी.एस. बसवराज :**

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में स्थित कॉरपोरेट निकायों द्वारा भारत में निवेश से संबंधित नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है ताकि केवल वास्तविक निवेशकों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नमूना अध्ययन के बाद सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं जिसमें विदेश स्थित कॉरपोरेट निकायों के निर्धारित बैंकों द्वारा तैयार लेखाओं के अनुसार 230 मिलियन डॉलर का शुद्ध बहिर्गमन दिखाया गया है;

(ग) यदि हां, तो विदेश में स्थित कॉरपोरेट निकायों (ओ.सी.बी.) से संबंधित नीति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन–कौन से मुख्य बिन्दु सुझाये हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) जी, हां। कतिपय कॉरपोरेट निकायों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना के संभावित दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर वित्तीय तथा पूंजी बाजार संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया था तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में यह निर्णय लिया गया है कि 29.11.2001 से, विदेशी कॉरपोरेट निकायों को भारत में पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हिस्सेदारी

207. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दशक के दौरान इस शर्त पर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपना कारोबार शुरु करने की अनुमति प्रदान की गई है कि कुछ समय के पश्चात वे अपने शेयरों के कतिपय प्रतिशत को जनता को उपलब्ध करायेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ये शर्तें पूरी नहीं की हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) इस संबंध में सेबी की प्राथमिक बाजार परामर्शदात्री समिति द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई का सुझाव दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) एक विनिर्दिष्ट समयावधि में भारतीय जनता के पक्ष में इक्विटी की कुछ प्रतिशतता के अनिवार्य निर्निहितीकरण की शर्त के अध्यधीन कतिपय क्षेत्रों में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। जिन क्षेत्रों पर यह शर्त लागू होती है, उनमें गेटवे के बिना आईएसपी (इंटरनेट सेवा प्रदायक), डार्क फाईबर प्रदान करने वाले अवसंरचना प्रदायक (आईपी श्रेणी–I), ई–मेल, वायस मेल तथा बी2बी (बिज़नेस टू बिज़नेस) ई–कामर्स शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति ने दिनांक 21.1.2002 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि सेबी को प्राधिकारियों के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक पेशकश की शर्त का पालन सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार सेबी ने सरकार से इस संबंध में समुचित उपायों पर विचार करने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता के पक्ष में अनिवार्य निर्निहितीकरण की शर्त पर प्रदान किए गए अनुमोदनों के अनुपालन का अनुवीक्षण करने के लिए समर्थ बनाने हेतु सेबी को समय–समय पर सूचना दी जानी चाहिए।

अतिरिक्त खाद्यान्न स्टॉक

208. श्रीमती मिनाती सेन :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खाद्यान्न भंडार के अप्रैल, 2002 के अंत तक वर्तमान छः करोड़ टन से बढ़कर 6.6 करोड़ टन होने की संभावना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस भंडार के प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं। पहली फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 5.63 करोड़ टन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का स्टाक था। वसूली और उठान की प्रवृत्ति के अनुसार अप्रैल, 2002 के अंत तक स्टाक के बढ़ने की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि अधिशेष स्टाक का निपटान किया जा सके। किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए और अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

1) गरीबी रेखा से नीचे के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 1.12.2000 से फिर बढ़ाया गया है जिसके लिए 1.3.2000 को महा पंजीयक के आबादी अनुमानों को आधार बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 5.96 करोड़ से बढ़कर 6.52 करोड़ परिवार हो गई है।

2) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की पात्रता को 1 अप्रैल, 2000 से 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है और इसे जुलाई, 2001 से और बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

3) 12.7.2000 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को निम्नानुसार कम कर दिया गया था जो कि 31.3.2002 तक वैध होंगे :–

(रुपये प्रति क्विंटल)

	गरीबी रेखा से नीचे	गरीब रेखा से ऊपर
गेहूं	415	610
चावल	565	830

4) 25.12.2000 को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों के अंत्योदय अन्न योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम पर चावल के हिसाब से 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाते हैं।

5) राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रयोजित अनाथालयों, भिक्षु गृहों, नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वाले अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आबंटन हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जाते हैं।

6) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की योजनाओं सहित सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जा रहे हैं।

7) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुशंसित गैर–सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जा रहे हैं।

8) सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाने के लिए जनवरी, 2001 से 12.2.2002 तक 38.33 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है। इसके अलावा सरकार ने जनवरी, 2001 में गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए भी एक लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है।

9) भारत सरकार ने 3 माह की अवधि के लिए 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से सूखा प्रभावित राज्यों को सभी सूखा प्रभावित परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर) में वितरण करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन देने का निर्णय लिया है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों को खाद्यान्नों को पहले ही अतिरिक्त आबंटन किया जा चुका है। बिहार सरकार को बाढ़ राहत के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर 1.80 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन दिया गया है।

10) नवम्बर, 2000 में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए। अब तक 42.96 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2001–2002 से भारतीय खाद्य निगम निर्यात के प्रयोजनार्थ चावल भी उपलब्ध करवा रहा है। अब तक 14.03 लाख टन मात्रा का उठान हुआ है।

11) प्रधान मंत्री द्वारा अगस्त, 2001 को की गई घोषणा के आधार पर 25 सितम्बर, 2001 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अधीन

प्रत्येक वर्ष 50 लाख टन खाद्यानों का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। 13.2.2002 तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन 26.41 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

12) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान खुली बिक्री बाजार योजना जारी की गई थी। अप्रैल, 2001 से 15.2.2002 तक 37.87 लाख टन मात्रा बेची गई थी।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के लिए पिछड़े वर्गों को सहायता

209. श्री शिवराजसिंह चौहान :

श्री सवशीभाई मकवाना :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से पिछड़ा वर्गों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की वार्षिक संख्या क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(घ) इस सहायता के लिए लोगों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में वर्ष 1999–2000 के दौरान कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) के माध्यम से "शैक्षिक ऋण योजना" का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र छात्र अपने संबद्ध राज्य की राज्य माध्यम एजेन्सी (एस सी ए) को ऋण आवेदन प्रस्तुत करते हैं और एस सी ए द्वारा एन बी सी एफ डी सी से निधियां प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से दोगुना नीचे रहने वाले पिछड़े वर्गों के छात्रों को सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने अथवा स्नातक तथा/अथवा उच्च स्तर पर प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और पुस्तकों, लेखन सामग्री और अन्य अपेक्षित उपकरणों और भोजन और आवास आदि पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं :

1) छात्र को केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित पिछड़े वर्गों से संबद्ध होना चाहिए।

2) आवेदक की परिवारिक आय 42,412/– रु. (गरीबी रेखा के दोगुना) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3) आवेदक को पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र के दौरान प्रवेश लिया होना चाहिए और संस्थान ए आइ सी टी ई, भारतीय चिकित्सा परिषद आदि, जैसा भी स्थिति हो, द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(ङ) वर्ष 1999–2000 के दौरान एन बी सी एफ डी सी को केवल बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य माध्यम ऐजेन्सियों (एन सी ए) से ही क्रमशः 1,2 और 8 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निधियों के संवितरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

विवरण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99		1999–2000		2000–2001	
		राशि	लाभग्राही	राशि	लाभग्राही	राशि	लाभग्राही
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	शून्य	शून्य	0.55	1	0.31	1
2.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.75	1
3.	मध्य प्रदेश	0.59	2	0.33	2	0.15	2

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	पांडिचेरी	0.11	1	शून्य	शून्य	4.81	20
5.	तमिलनाडु	2.45	8	0.72	8	0.48	8
	कुल	3.15	11	1.60	11	6.50	32

[अनुवाद]

स्टाम्प पेपरों की कमी

210. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिणी राज्यों में ,विशेषकर कर्नाटक में पांच रुपये मूल्यवर्ग के स्टाम्पों और अन्य स्टाम्प पेपरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्नाटक में स्टाम्प पेपरों की कमी से उबरने के लिए ऐसे स्टाम्पों के मुद्रण हेतु मैसूर में सेन्ट्रल सिक्यूरिटी प्रेस की एक इकाई खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में कौन–कौन से अन्य वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सरकार को कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों के राजकोषों से स्टाम्प पेपरों की कमी के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, दक्षिण के कुछ राज्यों में 5 रुपये तक के मूल्यवर्गों के अडहेसिव स्टाम्पों की कुछ कमी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आधुनिक उपकरणों से सज्जित दो प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना करके हाल ही में भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आई एस पी) नासिक की अडहेसिव स्टाम्प मुद्रण क्षमता को उन्नत बनाया गया है। ये नई मशीनें देश में स्टाम्पों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए संस्थापित की गई हैं।

एल्यूमिनियम का मूल्य

211. श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **वित्त** मंत्री एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क के बारे में 23.11.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशों में एल्यूमिनियम के प्रति टन एल्यूमिनियम का उत्पादन लागत क्या है; और

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम का प्रति टन औसत मूल्य क्या है और उस पर कितना आयात शुल्क लगाया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) एल्यूमिनियम के धातुपिण्डों के उत्पादन की औसत लागत एक विनिर्माता से दूसरे विनिर्माता के मामले में अलग–अलग होती है, और वित्तीय वर्ष 2000–2001 में यह अलग–अलग मामलों में 47983 रुपये प्रति टन से 72029 रुपये प्रति टन (अनन्तिम) थी।

(ख) वर्ष 2000–2001 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम का प्रति टन औसत मूल्य (लंदन धातु विनिमय मूल्य) 1444.05 अमेरिकी डालर था। 1 मार्च, 2002 से एल्यूमिनियम पर मूल सीमा शुल्क की दर 15% निश्चित की गई है।

बैंकिग सेवा भर्ती बोर्ड

212. श्री के. येरननायडू :

श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

श्री ए. कृष्णास्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को बंद किया जा रहा है और सरकारी क्षेत्र के अलग–अलग बैंकों को सीधी भर्ती करने के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भर्ती प्रक्रिया का विकेन्द्रीयकरण करने के क्या कारण हैं; और

(ग) विगत समय में बैंकिंग सेवा बोर्डों को स्थापित करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :

(क) से (ग) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (बी.एस.आर.बी.) की स्थापना लिपिकीय/अधिकारी संवर्ग में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न पदों की भर्ती करने के उद्देश्य से वर्ष 1978 में की गई थी। उस समय तक लिपिकीय/अधिकारी संवर्ग में बैंकों में भर्ती की आवश्यकता काफी अधिक थी। कम्प्यूटरीकरण एवं यांत्रिकरण पर अधिक बल देने तथा तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण, श्रमशक्ति के संदर्भ में बैंकों की आवश्यकता कम हुई है तथा बदलाव भी आया है। अब बैंकों को पूर्व की अपेक्षा अधिक संख्या में विशेषज्ञ अधिकारियों की आवश्यकता है। बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, बी एस आर बी को समाप्त कर दिया गया तथा बैंकों को भविष्य में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी स्वयं की भर्ती नीति तैयार करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि भर्ती नीति पारदर्शी हो, चयन नीति उचित, न्यायसंगत, वस्तुनिष्ठ एवं पूर्वाग्रहरहित हो तथा सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाए।

"नाबार्ड" ऋण

213. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा स्वीकृत और संवितरित ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से नाबार्ड के विरुद्ध किसी विशेष राज्य को ऋण स्वीकृत न करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह राज्य सरकार को ऋण देने के अलावा बैंकों को अल्पावधि (एस टी), मध्यावधि (एम टी) और दीर्घावधि (एल टी) ऋणों हेतु पुनर्वित्त सुविधाएं देता है। अल्पावधि ऋण राज्य सहकारी बैंकों (एम सी बी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) को मौसमी कृषि कार्यों (एस ए ओ) और एस ए ओ के अलावा बुनकरों, आदि सहित अन्य के लिए दिया जाता है। वह विशेष रूप से बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त भी देता है। मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (निवेश ऋण) राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी कृषि विकास बैंकों को दिये जाते हैं। नाबार्ड (I) सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी अंशदान और (II) ग्रामीण आधारित परियोजना के विकास के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण भी देता है। वर्ष 1998–99 से 2000-01 के दौरान सभी एजेन्सियों के लिए उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा दी गई राज्य–वार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान नाबार्ड की सहायता

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1998–99 अधिकतम		1999–2000 अधिकतम		2000–2001 अधिकतम	
		सीमा सं. स्वीकृत @	अन्य/ आहरण #	सीमा स्वीकृत @	अन्य/ आहरण #	सीमा स्वीकृत @	अन्य/ आहरण #
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.03	0.03	0.10	0.10	65.55	65.55
2.	हरियाणा	1125.84	999.49	1183.69	1182.90	1493.28	1407.28
3.	पंजाब	943.87	921.84	1012.44	986.50	1068.39	997.37

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	दिल्ली	1.05	1.05	1.00	1.00	6.09	6.89
5.	हिमाचल प्रदेश	109.78	107.97	136.02	135.71	200.35	198.63
6.	जम्मू एवं कश्मीर	34.49	34.78	88.89	87.49	107.39	108.22
7.	राजस्थान	909.58	804.26	984.13	913.21	1139.63	1069.33
8.	अरुणाचल प्रदेश	4.60	4.60	10.64	11.17	35.02	35.02
9.	असम	140.98	141.13	145.46	145.68	129.76	130.49
10.	मणिपुर	3.25	9.39	2.03	8.17	1.87	1.37
11.	मेघालय	13.13	11.68	21.33	20.74	26.15	28.55
12.	मिजोरम	3.51	3.51	13.86	13.86	18.14	18.14
13.	नागालैण्ड	3.19	3.19	10.32	10.32	13.42	12.94
14.	त्रिपुरा	20.13	22.99	23.10	29.46	35.61	35.67
15.	सिक्किम	1.67	1.67	15.00	14.00	9.77	10.77
16.	बिहार*	284.93	280.65	282.25	287.67	271.51	264.36
17.	उड़ीसा	567.21	538.77	854.92	776.24	807.54	798.31
18.	पश्चिम बंगाल	453.49	395.19	552.82	480.65	675.54	654.32
19.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.69	2.65	2.87	2.76	3.29	3.24
20.	मध्य प्रदेश*	1100.93	832.85	1209.58	965.19	1248.83	1107.15
21.	उत्तर प्रदेश*	1633.74	1421.28	1804.82	1648.77	1918.79	1843.73
22.	दादरा एवं नगर हवेली	0.03	0.03	0.24	0.24	0.07	0.67
23.	गुजरात	759.17	498.35	800.33	630.84	1062.73	791.29
24.	गोवा	14.02	14.02	19.10	19.10	20.05	20.05
25.	महाराष्ट्र	789.33	812.79	1096.81	868.38	1391.97	1258.85
26.	आन्ध्र प्रदेश	2479.62	2305.46	2315.38	2151.12	2637.41	2357.68

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	कर्नाटक	1211.06	1177.34	1255.94	1239.13	1440.63	1354.41
28.	केरल	552.42	428.87	647.51	520.52	719.60	518.70
29.	लक्षद्वीप	0.20	0.20	0.21	0.21	0.09	0.09
30.	पांडिचेरी	2.47	2.47	8.44	8.09	9.12	8.78
31.	तमिलनाडु	1293.94	1049.69	1451.49	1206.59	1608.30	1355.26
	कुल	14460.35	12607.97	15954.72	14345.81	18166.89	16461.41

* अब झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्य शामिल

टिप्पणी

@ मंजूर सीमा में शामिल है :– मौसमी कृषि कार्यों, बुनकरों, अन्यों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त, परिवर्तन, अन्यों के लिए मध्यावधि पुनर्वित्त शेयर पूंजी अंशदान के लिए राज्य सरकार को ऋण, अल्पावधि (मौसमी कृषि कार्य) और अल्पावधि (मौसमी कृषि कार्यों के अलावा अन्य के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि (एम टी)/परिवर्तन, मध्यावधि/दीर्घावधि, आर आई डी एफ

मौसमी कृषि कार्य, बुनकरों, अन्यों के लिए अल्पावधि–पुनर्वित्त के तहत अन्यों सहित अधिकतम बकाया/आहरण परिवर्तन, अन्यों के लिए मध्यावधि पुनर्वित्त, शेयर पूंजी अंशदान के लिए राज्य सरकार का ऋण, मध्यावधि/दीर्घावधि, आरआई डी एफ) के तहत संवितरण।

[हिन्दी]

बैंक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा

214. डा. संजय पासवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी कंपनी "गार्टनर" से बैंकों के कार्यक्रम को सुधारने हेतु सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कंपनी की सिफारिशों के कार्यान्वयन से हजारों बैंक कर्मचारी बेरोजगार हो जाएगें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन बैंक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम का खाद्य सुरक्षा संबंधी लक्ष्य

215. श्री रामदास आठवले :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम की विफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (च) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) के अधीन की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था है कि भारतीय

खाद्य निगम का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भण्डारण, संचलन, ढुलाई, वितरण और बिक्री करेगा। पर्याप्त स्टाक का रखरखाव करके भारतीय खाद्य निगम खाद्य सुरक्षा की मूल शर्तों में से एक को पूरा कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण, संचलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं विशेष रूप से गरीब और साधनहीन उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्नों का वितरण करता है। भारतीय खाद्य निगम के ये सभी कार्य देश में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

216. श्री अनन्त नायक :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का प्रावधान है। इस नियमावली की शर्तों के अनुसार 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने पर कोई भी सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। इन नियमों में उन कर्मचारियों के लिए भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रावधान है, जिन्होंने 15 साल की सेवा पूरी कर ली हो और उन्हें अधिशेष घोषित कर दिया गया हो। इन नियमों में आगे भी यह प्रावधान है कि यथावांछित सेवानिवृत्ति की तारीख अधिकतम 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाएगी बशर्ते सरकारी सेवक द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा 33 वर्षों से अधिक न होती हो।

जबकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की पुनरीक्षा करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों के लिए एक आकर्षण वी.आर.एस. पैकेज प्रस्तावित है जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2001 के बजट अभिभाषण में कहा गया था। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

मत्स्य उत्पादों का निर्यात

217. श्री दिनशा पटेल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से, विशेषकर दक्षिण गुजरात से निर्यात किए जाने वाले विभिन्न मत्स्य उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान आज की तिथि तक राज्यवार कितनी मात्रा में मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया गया है;

(ग) निर्यात पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मत्स्य उत्पादों के निर्यात से कुल कितनी आय प्राप्त की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) दक्षिणी गुजरात सहित भारत से निर्यातित मछली की प्रमुख मदें हैं :– प्रशीतित श्रिम्प, प्रशीतित मछली, प्रशीतित कटलफिश, प्रशीतित स्किवड, सूखी मदें, जीवित मदें और शीतित मदें।

(ख) से (घ) राज्य वार निर्यात आंकडे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, अप्रैल–दिसम्बर, 2001 के दौरान देश के विभिन्न पत्तनों से निर्यातित मत्स्य उत्पादों की मात्रा नीचे दी गई है :–

पत्तन	मात्रा (मी.टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3
कांडला	23720	139.45
पोरबंदर	17479	68.12
मुम्बई	4203	68.61

1	2	3
जे एन पी	55653	440.36
गोवा	6507	23.23
मंगलौर आई सी डी	4434	34.35
करवार	2007	7.96
कोची	52333	643.97
त्रिवेन्द्रम	491	12.88
तूतीकोरिन	12579	344.28
चेन्नई	31901	1230.58
विजाग	17466	614.49
कलकत्ता	14510	435.28
पिपावाव	52407	244.77
काकीनाडा	4477	184.72
कुल	300167	4489.05

स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

चूंकि समुद्री उत्पादों का निर्यात निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है, इसलिए की गयी लागत और वसूल की जाने वाली निवल आय की सरकार को जानकारी नहीं है।

रेशम निर्यात

218. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2002, 2000–2001 और 2001–2002 से लेकर जनवरी, 2002 तक देशवार कितने रेशम का निर्यात किया गया;

(ख) इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्षवार और देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान रेशम के कितने निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार रेशम उत्पादकों और निर्यातकों को प्रोत्साहन देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) देश–वार निर्यात मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा अप्रैल से अक्तूबर 2001–2002 के दौरान रेशम मदों के निर्यात के माध्यम से वर्ष–वार व देश–वार अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :–

(अनंतिम आंकड़े : मूल्य : करोड़ रुपये)

देश	1999–2000	2000–2001	2001–2002 (अप्रैल–अक्तूबर)
यू.एस.ए.	591.16	869.07	352.04
जर्मनी	164.82	218.63	90.37
यू.के.	176.26	185.65	92.48
हाँगकाँग	105.53	149.51	133.15
इटली	127.78	176.70	60.05
यू.ए.ई.	60.18	88.77	58.91
सिंगापुर	36.47	65.68	37.43
फ्रांस	81.46	94.66	39.70
स्पेन	45.32	78.05	30.81
सऊदी अरब	19.18	25.98	60.70
कनाडा	32.09	44.18	20.45
जापान	29.97	54.31	15.45
अन्य	285.33	370.13	213.02
कुल योग	1755.55	2421.32	1204.56

स्रोत : भारतीय व्यापार सांख्यिकी (प्रमुख वस्तुएं व देश), डी.जी.सी.आई. एंड एस. कोलकाता

(ग) वर्ष 2001–2002 के लिए रेशम निर्यात से हुई आय का निर्धारित लक्ष्य 430 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

(घ) से (छ) सरकार द्वारा रेशम उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं :–

(1) सरकार द्वारा भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई को विभिन्न निर्यात संवर्द्धन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, टैक्स–स्टाईल इंडिया जैसे घरेलू मेलों में जातिगत संवर्द्धन स्टॉल लगाना, विदेशी व्यापार पत्रिका के माध्यम से प्रचार, घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए 'सिल्क इंडिया' पत्रिका तथा रंग संबंधी भविष्यवाणियों का प्रकाशन निर्यातको के बीच विदेशी व्यापार की सूचनाओं का प्रचार– प्रसार, आदि चलाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(2) सरकार द्वारा निर्यातकों के आयात–निर्यात नीति में दिए गए मूल्य–वर्द्धन/अंतनिर्विष्ट–उत्पादन संबंधी युक्तिसंगत मानदण्ड, अग्रिम लाईसैंसिंग योजना के तहत कच्चे माल के शुल्क–मुक्त आयात की सुविधा, निर्यात उत्पादों के लिए रियायती दर के शुल्क पर पूंजीगत सामान के आयात उपलब्ध कराए गए हैं।

(3) रेशम क्षेत्र को अन्य बातों के साथ–साथ वस्त्र क्षेत्र की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत, प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी ऋण, लागू दरों से 5% कम अंक तक उपलब्ध है।

(4) भारतीय रेशम की गुणवत्ता तथा इसकी उत्पादकता एवं लागत–स्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सरकार द्वारा द्विफसलीय रेशम के उच्च गुणवत्ता संबंधी उत्पादन कार्यक्रम की पहल की गई है।

(5) खुले सामान्य लाईसेंस के तहत लाने से कच्चे रेशम के आयात में उदारता आई है, जिससे उत्कृष्ट कोटि के रेशम की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी हुई है।

तम्बाकू भंडार

219. **श्री बी. वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरन इकट्ठा हुए तम्बाकू भंडार का निपटान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए तम्बाकू बोर्ड की क्या भूमिका रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) तम्बाकू विनिर्माताओं, निर्यातकों तथा डीलरों के पास कुल मिलाकर 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार 119.88 मिलियन किग्रा. का पुराना स्टॉक है। बाजार में अधिक आपूर्ति की स्थिति को रोकने के लिए ही वर्ष 2000–2001 मौसम में आन्ध्र प्रदेश में किसी भी उपजकर्त्ता का पंजीयन न करने अथवा उस मौसम के दौरान उस राज्य में कोई फसल आकार निश्चित नहीं करने का निर्णय लिया गया था।

(ग) असामयिक वर्षा के बाद, जिससे कि आन्ध्र प्रदेश के दो जिलों में एफसीवी तम्बाकू की खड़ी फसल को नुकसान हुआ, तम्बाकू बोर्ड ने उपजकर्त्ताओं को हुए नुकसान का एक आरंभिक मूल्यांकन किया है। बोर्ड द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस क्षति के परिणामस्वरूप होने वाली क्योंरिंग क्षति को कम करने के उपायों के बारे में उपजकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी संगठन द्वारा धन का दुरुपयोग

220. **श्री प्रबोध पण्डा** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(25.02.2002 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिला का नाम	संगठन का नाम और पता	परियोजना का नाम	निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
योजना का नाम :		**नशाखोरी तथा वस्तु (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना**		
1.	बीरभूम	इलमहस्ट समुदाय अध्ययन संस्थान, बीरभूम	नशा मुक्ति केन्द्र	5.75
2.	कोलकाता	विकास भारती कल्याण सोसाइटी, कलकत्ता	परामर्श केन्द्र	1.05
3.	"	मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	परामर्श केन्द्र	2.59
4.	"	सर सैयद स्कूल समूह, कलकत्ता	नशा मुक्ति केन्द्र	6.59
5.	"	कलकत्ता समरिटन्स, कलकत्ता	नशा मुक्ति तथा परामर्श केन्द्र	9.55
6.	"	विवेकानन्द शिक्षा सोसायटी, कलकत्ता	यथोपरि	4.81
7.	"	पश्चिम बंगाल स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, कलकत्ता	नशा मुक्ति केन्द्र	6.80
8.	"	महिला समन्वयक परिषद, कलकत्ता	नशा मुक्ति केन्द्र	7.34
9.	"	मानव विकास तथा अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	नशा मुक्ति केन्द्र	3.59
10.	दार्जिलिंग	युवा तथा जन प्रोत्साहन सोसायटी, दार्जिलिंग	नशा मुक्ति केन्द्र	3.38
11.	हावड़ा	ग्रामीण तथा दलित उन्नति परिषद, हावड़ा	नशा मुक्ति केन्द्र	6.80
12.	हावड़ा	भारतीय समेकित औषधि अनुसंधान संस्थान, हावड़ा	नशा मुक्ति केन्द्र	5.83
13.	"	चिरनाबीन, हावड़ा	नशा मुक्ति केन्द्र	9.33
14.	मीदनापुर	प्रबुद्ध भारती शिशु तीर्थ, मीदनापुर	परामर्श केन्द्र	1.19
15.	24 परगना	प.बं. अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्प कल्याण संघ, 24 परगना	नशा मुक्ति तथा परामर्श केन्द्र	9.35
योजना का नाम :		**अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कार्यरत संगठनों को सहायता की योजना**		
16.	बर्दवान	केन्द्रीय अ.जा. तथा आदिवासी. कल्याण संघ, बर्दवान	टंकण, आशुलिपि	2.57
17.	24 परगना	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, पश्चिम बंगाल	टंकण, आशुलिपि 40	0.80

1	2	3	4	5
18.	नाडिया	बदकुला लुना सिल्क खादी सोसायटी, नाडिया, प. बंगाल	शिल्प–50	1.46
19.	24 परगना (उत्तर)	बशीर हाट महिला विकास सोसायटी, 24 परगना (उत्तर), प. बंगाल	टंकण, आशुलिपि 40	1.09
20.	बर्दवान	केन्द्रीय अ.जा. तथा आदिवासी. कल्याण संघ, बर्दवान, प. बंगाल	स्कूटर, मोटरसाइकिल, आटो रिक्शा मरम्मत केन्द्र 50	0.76
योजना का नाम : बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम				
21.	कलकत्ता जिला	समाज विकास केन्द्र, 24 परगना	बेसहारा बच्चे	3.84
22.	कलकत्ता जिला	मानवता संघ, शशिभूषण डे. स्ट्रीट, कलकत्ता	बेसहारा बच्चे	4.03
23.	कलकत्ता जिला	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, रिवर साईड रोड बैरकपुर, 24 परगना (उत्तर)	बेसहारा बच्चे	5.83
24.	तदैव	आई.पी.ई.आर. 27, सरकस एवेन्यू, कलकत्ता	बेसहारा बच्चे	6.38
25.	तदैव	लिबरल एसोसिएशन फार मुवमेंट आफ पिपुल, कलकत्ता	तदैव	6.28
26.	तदैव	बंगाल जन शिक्षा सोसाइटी, कलकत्ता	तदैव	4.73
27.	तदैव	फोकस, 6 तीलजारा रोड, कलकत्ता	तदैव	5.25
28.	तदैव	विकास भारती कल्याण संघ, लाल बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता	तदैव	3.96
29.	तदैव	तीलजला रोड, राइफल रोड, कलकत्ता	तदैव	1.74
30.	तदैव	विवेकानन्द शिक्षा सोसाइटी, कालीचरण दत्ता रोड, कलकत्ता	तदैव	3.96
31.	तदैव	पश्चिम बंगाल बाल कल्याण परिषद, रमेश मित्रा रोड, कलकत्ता	तदैव	6.75
32.	तदैव	साउल गोप लेन, कलकत्ता	तदैव	6.66
33.	तदैव	जनशिक्षा प्रचार केन्द्र, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता	तदैव	16.75
34.	तदैव	संयुक्त बस्ती विकास संघ, कलकत्ता	तदैव	9.85
35.	हावड़ा जिला	शिक्षा तथा पर्यावरण विकास सोसाइटी	तदैव	3.70
36.	तदैव	पिपुल यूनियन फार डेवलपमेंट एंड रिकन्शट्रक्शन, हावड़ा	तदैव	4.73
37.	हावड़ा जिला	हरिजन सेवक संघ, हावड़ा	बेसहारा बच्चे	1.06
38.	कलकत्ता जिला	प्रान्तिक जन विकास समिति, कलकत्ता	बेसहारा बच्चे	8.21

1	2	3	4	5
39.	कलकत्ता जिला	कलकत्ता सामाजिक परियोजना, कलकत्ता	बेसहारा बच्चे	2.56
40.	तदैव	उस्थी प्रतिष्ठान इंडिया, 24 परगना	बेसहारा बच्चे	3.57
41.	तदैव	बस्ती स्थानीय समिति तथा समाज कल्याण केन्द्र, कलकत्ता	चाइल्ड लाईन परियोजना	0.38
42.	तदैव	सीनी आशा, किदवई रोड़, कलकत्ता	तदैव	4.3
43.	तदैव	शहर स्तर कार्यक्रम कार्य तथा कार्यरत बच्चे, कलकत्ता	तदैव	1.24
44.	तदैव	डोन बोस्को एसालियम, बिलियस रोड़, हावड़ा	तदैव	1.57
45.	तदैव	मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षण अनुसंधान संस्था, कलकत्ता	तदैव	0.78
46.	तदैव	लोरेटो डे स्कूल, सियालदाह, कलकत्ता	तदैव	0.36
47.	तदैव	शैक्षिक तथा पर्यावर्णिक विकास सोसाइटी, हावड़ा	तदैव	0.39
योजना का नाम		**विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक प्रोत्साहन की योजना**		
48.	कलकत्ता	अलकेंदु बोध निकेतन, पश्चिम बंगाल	सोनादा यूनिट	10.24
49.	तदैव	अलकेन्दु बोध निकेतन, कलकत्ता	जेमों यूनिट (मुर्शिदाबाद)	14.53
50.	तदैव	तदैव	अनुराधा यूनिट	10.89
51.	तदैव	तदैव	मुख्य यूनिट, कलकत्ता	18.42
52.	हावड़ा	आनन्द भवन, पश्चिम बंगाल	श्रवण विकलांग अनुभाग	8.06
53.	तदैव	तदैव	अस्थि विकलांग अनुभाग	7.03
54.	तदैव	तदैव	वी.एच. का पुर्नवास	4.43
55.	आसनसोल	आसनसोल आनन्दम, प. बंगाल	विशेष बाल विकास केन्द्र	4.15
56.	कलकत्ता	बशीरहाट रीलाइफ विकलांग कल्याण सोसाइटी, कलकत्ता	वि.ब. के लिए विशेष स्कूल	5.55
57.	तदैव	भारत स्काउट्स तथा गाइड, कलकत्ता	विकलांग बच्चों के लिए दीवा देखभाल केन्द्र	1.21
58.	तदैव	विकास भारती कल्याण सोसाइटी, कलकत्ता	पी.एच. के लिए उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र, झारग्राम	7.20
59.	तदैव	तदैव	तदैव	1.77

1	2	3	4	5
60.	तदैव	विकासश्यान, कलकत्ता	एम. आर. के लिए दीवा देखभाल केन्द्र	10.28
61.	24 परगना (उत्तर)	चितरंजन स्मृति प्रतिबंधी सेवा केन्द्र, 24 परगना (उत्तर)	एम.आर. बच्चों के लिए विशेष स्कूल	0.73
62.	बर्दवान	डा. सैलेन्द्र नाथ मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय, बर्दवान	कोटुलपुर में यूनिट	1.52
63.	बर्दवान	तदैव	मूक बधिर के लिए शैक्षिक संस्था	29.01
64.	हुगली	दुलाल स्मृति संसद, हुगली	मानसिक रुग्ण व्यक्तियों के लिए पुर्नवास केन्द्र	1.92
65.	कलकत्त	ग्रीनहाउस, कलकत्ता	एम.आर. बच्चों के लिए स्कूल	2.69
66.	नाडिया	हेलन केलर स्मृति विद्यामंदिर, नाडिया	वी.एच. बच्चों के लिए वि. स्कूल	3.40
67.	दुर्गापुर	होप, दुर्गापुर	बहु. विकलांगों के लिए शिक्षा केन्द्र	8.63
68.	कलकत्ता	भारतीय प्रमस्तिष्क अंगघात संस्थान, कलकत्ता	वी.टी.सी. फार सी.पी.एम.आर.	1.70
69.	तदैव	तदैव	प्रमस्तिष्क अंगघात के लिए संस्था	2.78
70.	तदैव	तदैव	सी.पी.एम.आर./जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए होस्टल सुविधाए	1.11
71.	तदैव	तदैव	विशेष शिक्षा केन्द्र	12.57
72.	जलपाईगुडी	जलपाईगुडी कल्याण संगठन, जलपाईगुडी	स्पास्टिकों के लिए वि. शिक्षा केन्द्र	3.88
73.	नाडिया	करीमपुर समाज कल्याण सोसाईटी, नाडिया	वी.एच. के लिए स्कूल व प्रशिक्षण केन्द्र	1.94
74.	कलकत्ता	कोरक प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र, कलकत्ता	एम.एच. के लिए विशेष स्कूल	3.19
75.	मालदा	कोतवाली सलेहा स्मारक श्रवण, मानसिक विकलांग स्कूल	एम.एच. बच्चों के लिए वि. स्कूल	21.21

1	2	3	4	5
76.	हुगली	ममूदपुर उन्नयन परिषद, हुगली	विकलांगों के लिए सी.बी. आर. कार्यक्रम	0.35
77.	कलकत्ता	मनोविकास केन्द्र	एम.आर. के लिए स्कूल	22.92
78.	तदैव	मेटियाड़, कलकत्ता	एम.आर. के लिए विशेष स्कूल	1.57
79.	मिदनापुर	मिदनापुर बाल पुर्नवास केन्द्र, मिदनापुर	विकलांगों के लिए वि. स्कूल	4.73
80.	24 परगना (उत्तर)	24 परगना विकलांग व्यक्ति संघ, 24 परगना (उत्तर)	मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल	2.38
81.	दार्जिलिंग	प.बं. विकलांग पुर्नवास संघ, सिल्लीगुढ़ी	मूकबधिरों तथा एम.आर. लड़के तथा लड़कियों के लिए शिक्षण संस्था	3.47
82.	कलकत्ता	उत्तर कलकत्ता प्रतिबंधी सेवा केन्द्र, कलकत्ता	ओ.एच. के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण	1.14
83.	24 परगना (उत्तर)	पनिहाटी डा. बी.एस. राय विकलांग विद्यानिकेतन	वि. बच्चों के लिए विशेष स्कूल	10.90
84.	कलकत्ता	बधिर बच्चों के लिए मातापिता आश्रित क्लीनिक, कलकत्ता	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	4.61
85.	तदैव	मिर्गी तथा प्र.म. के लिए प्रर्वतक संस्था, कलकत्ता	मिर्गी तथा प्र.मस्तिष्क के लिए अंगघात संस्था	3.55
86.	हुगली	प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र, हुगली	मूक बधिर तथा एम.आर. के लिए शिक्षा उपचार वी.टी.सी.	5.07
87.	पुरूलिया	पुरूलिया मनोविकास केन्द्र, पुरूलिया, प.बं.	एम.आर. बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2.01
88.	24 परगना (साउथ)	आर.के. मिशन बलाईन्ड ब्वायज अकादमी, पो. नरेन्द्रपुर, दुर्गापुर–713209, प.बंगाल	कृषि तथा तकनीकी प्रशिक्षण	4.53
89.	"	आर.के. मिशन बलाईन्ड ब्वायज अकादमी, पो. नरेन्द्रपुर, प.बंगाल	ब्रेल प्रेस अनुरक्षण	6.26
90.	"	आर.के. मिशन बलाईन्ड ब्वायज अकादमी, पो. नरेन्द्रपुर, प.बंगाल	स्थापना सेवा	0.61
91.	"	आर.के. मिशन बलाईन्ड ब्वायज अकादमी, पो. नरेन्द्रपुर, प.बंगाल	स्वीमिंग पूल परियोजना	0.74
92.	"	आर.के. मिशन सेवा प्रतिष्ठान, शरत बोस रोड, कलकत्ता प.बंगाल	वाणी तथा श्रवण उपचार क्लीनिक	2.25

1	2	3	4	5
93.	कलकत्ता	रीच, 18/2ए/3, उदय शंकर सरानी, कलकत्ता, प. बंगाल	विशेष बाल विकास केन्द्र	15.96
94.	"	रीच, 35ए, उदय शंकर सरानी, कलकत्ता, प. बंगाल	व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्थापन	2.46
95.	"	रिहेबीलिटेशन इंडिया, पी–91 हेलेन केलर सरानी, कलकत्ता, प. बंगाल	विकलांगों के लिए बहुश्रेणी कार्यशाला	6.74
96.	"	सेवक, विवेकानन्द सरानी, ठाकुरपारा, कलकत्ता, प. बंगाल	मानसिक मन्दों के लिए पुर्नवास केन्द्र	1.77
97.	मिदनापुर	सेवायतन कल्याण केन्द्र, पो. सेवायतन, झार ग्राम, मिदनापुर, प. बंगाल	डेफ, डम्ब तथा एम.आर. विशेष स्कूल	1.59
98.	हुगली	शेल्टर, 3 कलबाती लेन, भद्रेश्वर, हुगली, प. बंगाल	मानसिक मन्दों के लिए विशेष स्कूल	9.08
99.	कलकत्ता	शिर्फ, फ्लैट न.406, मांडेविला गार्डेन	वाणी तथा श्रवण सेवा फॉर एच.एच.	14.07
100.	बर्दवान	सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर, पो.ग्रा. खजुराधी, वाया कटवा जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	शिशु बोध निकेतन मानसिक विकलांग बच्चों हेतु	9.29
101.	दुर्गापुर	सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हेन्डिकेप पर्सन्स, 32 स्कूल रोड़, दुर्गापुर, प. बंगाल	एल.सी.पी. के लिए पुर्नवास केन्द्र	2.72
102.	कूच बिहार	स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ कूच बिहार, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल	सी.पी.एम.आर. के लिए विशेष शिक्षा केन्द्र	1.60
103.	बीरभूम	श्री श्री रामकृष्ण सत्यानन्द एजुकेशन सोसाइटी, बीरभूम	वी.टी.सी. तथा होस्टल	4.84
104.	हुगली	सिरमापुर चाइल्ड गाइडेन्स केन्द्र, पश्चिम बंगाल	एम.आर. तथा एच.एच. के लिए विशेष स्कूल	3.30
105.	मूर्शिदाबाद	सुपर्वा पंचशील महिला उद्योग, मुर्शिदाबाद, पं. बंगाल	मानसिक मन्द बच्चों के लिए विशेष स्कूल, मुर्शिदाबाद, प. बंगाल	0.53
106.	कलकत्ता	द सोसाइटी फॉर कम्प्रीहेन्सिव रिहैबीलिटेशन सर्विस, कलकत्ता, प. बंगाल	विकलांगों का पुनर्वास	2.98
107.		वेस्ट बंगाल काउन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, पश्चिम बंगाल	मेन्टली III के लिए पुर्नवास केन्द्र	9.85

1	2	3	4	5
108.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक कल्याण एसोसियेशन, मिदनापुर, प. बंगाल	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (कलकत्ता)	7.14
109.	हावड़ा	युवा उन्नयन सेवा समिति, ग्रा.पो. पी.एस. उलुबेरिया, जि. हावड़ा, प. बंगाल	सी.पी.एम.आर. बच्चों के लिए विशेष शिक्षा एवं पुर्नवास केन्द्र	0.61
योजना का नाम :		**अनु. जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान**		
110.	साउथ 24 परगना	अभय चरण निराश्रित होम विलेज, पश्चिम बंगाल,	गैर आवासीय स्कूल	15.70
111.	हुगली	भरत सेवाश्रम संघ, बिहारी एवेन्यू, पश्चिम बंगाल	होस्टल तथा सचल चिकित्सा एकक	12.81
112.	बर्दवान	डा. बी.आर अम्बेडकर अबासिक शिक्षा निकेतन, करजुना, छट्टी, जि. बर्दवान, प. बंगाल	गैर आवासीय स्कूल	5.94
113.	बर्दवान	केन्द्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण संघ, डाकघर श्रीपल्ली, जिला बर्दवान–713103, प. बंगाल	गैर आवासीय स्कूल और दस्तकारी केन्द्र एवं छात्रावास	15.51
114.	कलकत्ता	चंद्रनाथ बसु संघ, कमराहाटी (मुक्ति सिनेमा बंगला), कलकत्ता	गैर आवासीय स्कूल एंड ट्रेड सेन्टर	16.14
115.	दार्जिलिंग	डा. बी.आर. अम्बेडकर अकादमी, डाकघर बतासी जिला दार्जिलिंग, प. बंगाल	गैर आवासीय स्कूल	6.02
116.	सिलिगुडी	डा. बी.आर. अम्बेडकर शिशु मंगल गुरुंग बस्ती, सिलिगुडी, प. बंगाल	आवासीय स्कूल	9.48
117.	हुगली	दलाल स्मृति संसद ग्रा. व डा. घ., खजूरदाहा, पी.एस. धनियाखाली, पश्चिम बंगाल	टंकण एवं शार्टहैंड केन्द्र ट्रेनिंग सेन्टर	1.03
118.	जलपाईगुडी	हरिजन सेवक संघ, किंग्जवे कैंप, दिल्ली	गैर आवासीय स्कूल	10.68
119.	मिदनापुर	कन्दरपापुर सुखदा स्मिृति, पाथाघर, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	गैर आवासीय स्कूल	9.21
120.	बर्दवान	नूतनहट डवलपमेंट सोसायटी, डाक घर एवं विलेज जिलु, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	टंकण एवं शार्टहैंड ट्रेनिंग सेन्टर	0.94
121.	दक्षिण दिनाजपुर	रघुनाथपुर डा. बी.आर अम्बेडकर, अ.जा एवं अ.ज.जा. कल्याण एवं विकास सोसाइटी	गैर आवासीय स्कूल	5.73
122.	बर्दवान	रामकृष्ण मिशन आश्रम डाकघर नरेन्द्रपुर 743508, 24 परगना साउथ, बर्दवान, प.बंगाल	दस्तकारी व्यावसायिक कला एवं पेंटिंग, वेल्डिंग एवं फिटर, डाई	9.18

1	2	3	4	5
123.	मुर्शिदाबाद	रामकृष्ण मिशन आश्रम डाकघर सरगाची आश्रम, जिला मुर्शिदाबाद, प.बंगाल	चलता फिरता औषधालय	1.29
124.	24 परगना	रामकृष्ण मिशन आश्रम डाकघर नरेन्द्रपुर, 24 परगना साउथ, बर्दवान, प.बंगाल	2 छात्रावास, औषधालय क्राफ्ट, वैल्डिंग एवं फिटर एवं आर्ट	7.48
125.	24 परगना	सोसाइटी फॉर रूरल एवं शहरी विकास, डाकघर काकद्वीप पं. बंगाल	गैर आवासीय स्कूल	9.81
126.	कोलकाता	श्री हरिचन्द मतुआ सेवाश्रम, पूर्वांचल, प. बंगाल	गैर आवासीय प्राथमिक स्कूल	3.67
127.	24 परगना (साउथ)	विवेकानन्द चाइल्ड कल्याण होम, 24 परगना (साउथ), प. बंगाल	आवासीय स्कूल	9.64
128.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल अनु. जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण संघ, सुरेन सरकार रोड़, किलकाता, प. बंगाल	4 कम्प्यूटर, 5 ईटी सेन्टर एवं 1 गैर आवासीय स्कूल, टाईप एवं शार्टहैन्ड, डीजल, टी.वी./वी.सी.आर. मरम्मत केन्द्र	61.96
योजना का नाम :		खरीद/सहायक (विकलांग व्यक्ति) यंत्रों की फिटिंग/उपकरणों को सहायता		
129.	कोलकाता	दि सोसाइटी फॉर कम्प्रीहेन्सिव रिहैबिलिटेशन सर्विसिस, सर्कुलर रोड़, कलकत्ता	एडीआईपी योजना	5.00
130.	मिदनापुर	विक्रम नगर उद्यान संघ विक्रमनगर, डाकघर–हरिया ब्लाक खेजूरी, जिला मिदनापुर	एडीआईपी योजना	10.00
131.	कोलकाता	विकास भारती कल्याण सोसाइटी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता	एडीआईपी योजना	14.00
132	दार्जिलिंग	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, सिलीगुडी, जिला दार्जिलिंग	एडीआईपी योजना	5.00
133.	मिदनापुर	जिला पुर्नवास केन्द्र, मिदनापुर, डाकघर एवं जिला–मिदनापुर	एडीआईपी योजना	3.00
134.	नाडिया	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, नाडिया, डी.एल.राय रोड़, डाकघर कृष्णानगर, जिला नाडिया	एडीआईपी स्कीम	18.15
135.	दक्षिण दीनापुर	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, जिला ब्राच, दक्षिण	एडीआईपी योजना	5.00
136.	कोलकाता	नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर आर्थोपेडिकली हेन्डीकेप्ड, कोलकाता–700090	एडीआईपी योजना	300.00
137.	कोलकाता	बच्चों के लिए पुर्नवास केन्द्र, मोतीलाल गुप्ता रोड, बरिशा, कोलकाता	एडीआईपी योजना	2.50
138.	मिदनापुर	भारतीय रेडक्रास सोसाइटी जिला शाखा मिदनापुर, पी. ओ. और जिला–मिदनापुर	एडीआईपी योजना	12.00

1	2	3	4	5
योजना का नाम :		**वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम**		
139.	बर्दवान	केन्द्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण संघ संकरीपुरकुर, श्रीपल्ली, बर्दवान	1 वृद्धाश्रम	2.51
140.	कलकत्ता	अखिल बंगाल महिला संघ, कलकत्ता, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम	1.98
141.	कलकत्ता	कलकत्ता मेट्रोपोलिटन इन्स्टीट्यूट ऑफ गेरान्टोलाजी सोपन कुटीर, डा. एस. सी. बनर्जी रोड़,, कलकत्ता	2 दिवा देखभाल केन्द्र, 1 सचल चिकित्सा केन्द्र	2.61
142.	कलकत्ता	चन्द्रनाथ बसु सेवा संघ, बी.टी. रोड़, कुमारहाटी (मुक्ति सिनेमा बंगला) कलकत्ता, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम	2.24
143.	कलकत्ता	जनशिक्षा प्रचार केन्द्र, 57 बी, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम	2.49
144.	कलकत्ता	जय प्रकाश इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल चेन्ज, कलकत्ता, प. बंगाल	2 दिवा देखभाल केन्द्र,	3.48
145.	कलकत्ता	नवदिगंत, 29 बनर्जी पारा रोड, सर्सुना कोलकाता, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम 1 दिवा देखभाल केन्द्र	3.95
146.	कलकत्ता	श्री कृष्ण प्रतिष्ठान, 102/एफ, कंकुलिया रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.94
147.	कलकत्ता	सुभाष नगर पथीकृत, 412 सुभाष नगर बाइलेन, दम दम छावनी, कोलकाता–65	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.5
148.	हावड़ा	ग्राम कल्याण समिति, एफ–3, गीतांजली पार्क, एरिदाहा, कलकत्ता, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम	2.76
149.	हुगली	कल्याण भारती, ग्राम व डाकखाना कमरकुन्कू, हुगली जिला, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम दिवा देखभाल केन्द्र	3.52
150.	मालदा	विपलोबी रूरल डेवलेपमेंट सोसाइटी, ग्राम व डाकखाना, विरोस्थली पी.एस. चंचल, जिला मालदा, प. बंगाल	दिवा देखभाल केन्द्र	3.86
151.	मिदनापुर	अमर सेवा संघ, ग्राम व डाकखाना, रैने जिला–मिदनापुर, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम, 1 दिवा देखभाल केन्द्र, 1 सचल चिकित्सा इकाई	2.99
152.	मिदनापुर	बाराबरी नेताजी सेवा संघ, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	1 सचल चिकित्सा इकाई	1.53
153.	मिदनापुर	विक्रमनगर उदयन संघ, ग्राम विक्रमनगर, पो. हरिया, मिदनापुर, प. बंगाल	2 वृद्धाश्रम	5.52
154.	मिदनापुर	बाल और समाज कल्याण सोसाइटी, मार्कण्डचिक, मिदनापुर, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम, 1 दिवा देखभाल केन्द्र	2.76

1	2	3	4	5
155.	मिदनापुर	गंगाधरचक और दिवानचक विवेकानन्द क्लब, मिदनापुर, प. बंगाल	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.97
156.	मिदनापुर	नेताजी पथचक्र, ग्रा. पूर्वाचक्र, ब्लाक तिकशी, मिदनापुर, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम	2.69
157.	मिदनापुर	निम्बार्क मठ सेवा समिति न्यास, बैकुण्ठपुर, शंकर पुर, मिदनापुर, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम	1.09
158.	मिदनापुर	प्रबुद्ध भारती शिशुतीर्थ, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	1 दिवा देखभाल केन्द्र	1.95
159.	मिदनापुर	सैनपुकार मैत्री सबिका समिति, मिदनापुर, प. बंगाल	2 वृद्धाश्रम	2.49
160.	मिदनापुर	शिवरामपुर मिलन तीर्थ, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	1 वृद्धाश्रम	1.38
161.	मिदनापुर	समाज कल्याण तथा ग्रामीण विकास सोसाइटी, मिदनापुर, प. बंगाल	1 वृद्धाश्रम, 1 दिवा देखभाल केन्द्र,	4.72
162.	मिदनापुर	विवेकानन्द लोक शिक्षा निकेतन, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	1 वृद्धाश्रम, 1 दिवा देखभाल केन्द्र,	2.34
163.	मिदनापुर	पं. बं. अ.जा. और अ.ज.जा तथा अल्प कल्याण संघ, मिदनापुर	2 वृद्धावस्था गृह, 7 दिवा देखभाल केन्द्र	18.56
164.	तदैव	सतबुद्दी महिला मंडल, मिदनापुर, प.बंगाल	2 दिवा देखभाल केन्द्र	1.64
165.	तदैव	सिउलीपुर उद्यान क्लब, मिदनापुर, प. बंगाल	1 वृद्धावस्थागृह, 2 दिवा देखभाल केन्द्र, 1 स.चि.यू.	7
166.	तदैव	नेपुरा ग्रामीण विकास सोसाइटी, नेपुरा, मिदनापुर	एक वृद्धावरूथा गृह	1.59
167.	तदैव	बांसगरिया प्रतीवा क्लब, मिदनापुर, प. बंगाल	2 दिवा देखभाल केन्द्र	1.64
168.	नाडिया	करीमपुर समाज कल्याण सोसाइटी, नाडिया प. बंगाल	एक वृद्धावस्था गृह	2.2
169.	उत्तर 24 परगना	जीरकपुर सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन, 24 परगना (उत्तर)	1 वृद्धावस्था गृह 1 दिवा देखभाल केन्द्र	6.02
170.	दक्षिण 24 परगना	गणेशनगर लक्ष्मीनारायण क्लब तथा पथागार, द., 24 परगना	1 दिवा देखभाल केन्द्र 1 वृद्धावस्था गृह	4.14
171.	दक्षिण 24 परगना	विवेकानन्द बाल कल्याण गृह, 24 परगना द.	1 वृद्धावस्था गृह	1.36
172.	दक्षिण 24 परगना	पिपुल सर्विस संस्था, बेनियापुकूर रोड, कलकत्ता	1 वृद्धावस्था गृह	1.08

[हिन्दी]

राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के मामले

221. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**

श्री अरूण कुमार :

श्री मानसिंह पटेल :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क एवं आयकर विभाग के अधिकारियों के घरों/कार्यालयों पर कितने छापे मारे गए;

(ख) प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी से अलग–अलग कितने मूल्य की सम्पत्ति बरामद हुई;

(ग) इनमें से प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) सरकार ने इन विभागों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में मौजूद आयकर (सतर्कता) निदेशालय को आयकर (सतर्कता) महानिदेशालय में स्तरोन्नत करके सतर्कता तन्त्र को सुदृढ़ किया गया है और चार क्षेत्रीय आयकर (सतर्कता) निदेशालय सृजित किये गए हैं। पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा और अधिक गहन निगरानी भी की जायेगी। इसी प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें सतर्कता तन्त्र को और अधिक कड़ा बनाने के लिए सूचना तकनीकी का प्रयोग, सतर्कता संगठनों में निष्ठावान और कार्यकुशल अधिकारियों को तैनात करना, सन्देहास्पद निष्ठावाले अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात न करना, और अधिकारियों के जीवनयापन के तौर–तरीकों पर निगरानी रखना शामिल हैं।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. और केन्द्रीय भण्डार के मूल्यों में अन्तर

222. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले सामान/एक ही तरह के मदों के मूल्य एन.सी.सी.एफ. और केन्द्रीय भण्डार में अलग–अलग होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) क्या इन एजेंसियों ने खरीद के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया है और इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केन्द्रीय भण्डार दो स्वायत्तशासी सहकारी संगठन हैं तथा बिक्री और खरीद के संबंध में नीतियों का निर्णय लेने के लिए उनका अपना निदेशक मंडल है। वस्तुओं के अंतिम मूल्य आपूर्ति की अलग–अलग शर्तों के आधार पर अलग–अलग होते हैं, हालांकि दोनों संगठन प्रतिस्पर्धी दरों पर अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर आपूर्ति की सर्वोत्तम शर्तों की पेशकश करने की कोशिश करते हैं। इन दो संगठनों द्वारा हैण्डल की जाने वाली वस्तुओं के अंतिम मूल्यों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने ब्रांड वाली विनिर्मित वस्तुओं के संबंध में अपनी खरीद स्रोत नीति को 1.7.2001 से संशोधित कर दिया है। आशोधित प्रणाली के तहत, इन मदों की खरीद विनिर्माताओं और उनके द्वारा नामित वितरकों से की जाती है। कम मूल्य और बिना ब्रांड वाली मदों के संदर्भ में इनकी अधिप्राप्ति राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा अपने अनुमोदित व्यापारियों से की जाती है। ऐसे मामलों में भी, मूल्यों की प्रतिस्पर्धा बनाए रखी जाती है। जहां तक केन्द्रीय भंडार का संबंध है इसके लिए उनकी अपनी निर्धारित प्रक्रिया है। केन्द्रीय भंडार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अपने सतर्कता स्कंध हैं जो अपने कर्मचारियों से जुड़ी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और अधिक मूल्यों की वसूली आदि से संबंधित विभिन्न शिकायतों की जांच करते हैं।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियां

223. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

मोहम्मद शहाबुद्दीन :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) इन निजी कंपनियों के साथ सरकार द्वारा किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निजी कंपनियां समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के हितार्थ ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगी ताकि भारतीय जीवन बीमा निगम का बोझ कम हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.आर.डी.ए. द्वारा इन कंपनियों के लिए इस संबंध में कोई मानदण्ड/दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) निजी बीमा कंपनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ये निजी कंपनियां बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा जारी किए गए विनियमों से शासित की जाती हैं। सरकार निजी कंपनियों के साथ कोई समझौता–ज्ञापन निष्पादित नहीं करती।

(ग) से (च) इन निजी कंपनियों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामाजिक और ग्रामीण दायित्व), विनियम, 2000 के अंतर्गत उपबन्धों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में कारोबार की विनिर्दिष्ट मात्रा की हामीदारी करनी होती है। इस विनियम में, अन्य बातों के अलावा, असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, आर्थिक दृष्टि से कमजोर अथवा पिछड़े वर्गों, खेतिहर मजदूर, बीड़ी कामगार, ईंट की भट्टी में काम करने वाले कामगार, बढ़ई, मोची, निर्माण कार्य में लगे मज़दूर, मछुआरे, हमाल, हस्तशिल्पी, हथकरघा और खादी कामगार और गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्ति तथा अपंग व्यक्ति इत्यादि जैसे स्व–रोजगार युक्त, कामगारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन बीमाकर्ता और साधारण बीमाकर्ता पर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार क्षेत्र में कारोबार करने का दायित्व है।

विवरण

उन बीमा कंपनियों की सूची, जिन्हें आईआरडीए द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है।

क्रम सं.	भारतीय बीमा कंपनी का नाम	
1	2	
1	एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इन्श्योरेंस कं., मुम्बई	(जीवन)
2	रायल सुन्दरम अलायंस इन्श्योरेंस लि., चेन्नई	(साधारण)
3	रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कं.लि., मुम्बई	(साधारण)
4	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इन्श्योरेंस कं., गुड़गांव	(जीवन)
5	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि., मुम्बई	(जीवन)
6	इफ्फको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं., गुड़गांव	(साधारण)
7	ओमकोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं.प्रा.लि., बंगलौर	(जीवन)
8	टाटा–एआईजी जनरल इन्श्योरेंस कं., मुम्बई	(साधारण)
9	बिरला सन लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., मुम्बई	(जीवन)
10	टाटा–एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मुम्बई	(जीवन)
11	एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., मुम्बई	(जीवन)

1	2	
12	बजाज आलियांज जनरल इन्श्योरेंस कंपनी, पुणे	(साधारण)
13	आईएनजी वैश्य लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी, बंगलौर	(जीवन)
14	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कं., मुम्बई	(साधारण)
15	आलियांज बजाज लाइफ इन्श्योरेंस कं., मुम्बई	(जीवन)
16	मेटलाइफ इण्डिया इन्श्योरेंस कं.प्रा.लि., बंगलौर	(जीवन)
17	डाबर सीजीयू लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., गुड़गांव	(जीवन)
	(सिद्धान्त रूप से अनुमोदन)	
18	एएमपी सनमार एश्योरेंस कं.लि., चेन्नई	(जीवन)
19	रिलायंस लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., मुम्बई	(जीवन)

तम्बाकू का निर्यात

224. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू विशेषकर "फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया" तम्बाकू का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इससे तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू के निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तम्बाकू का निर्यात किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में तम्बाकू के निर्यात, विशेष रूप से फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ सी वी) तंबाकू के निर्यात में उतार–चढ़ाव रहा है। सामान्यतः तंबाकू की अंतर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट रही है क्योंकि इस समय इसका विशाल भंडार अधिकांश आयातक देशों के पास है। पिछले तीन वर्षों में निर्यात किए गए तम्बाकू की मात्रा के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	तम्बाकू		तम्बाकू उत्पाद		कुल	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1998–99	82366	634.48	18957	171.71	101323	806.19
1999–00	122590	864.47	13631	185.45	136221	1050.22
2000–01	100537	677.04	15393	226.34	115930	903.38
2001–02*	66537	455.22	13252	228.51	79789	683.73

*अप्रैल, 01 से जनवरी, 02

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड

(ग) सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, तम्बाकू के व्यापारियों एवं निर्यातकों के शिष्टमंडलों को विभिन्न देशों में भेजे जाने का आयोजन तथा उच्च स्तरीय द्विपक्षीय सरकारी बैठकों में गहन विचार–विमर्श शामिल है। तम्बाकू बोर्ड द्वारा भारतीय तम्बाकू का संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक गहन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

विकलांग लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

225. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान विकलांग लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं को लागू करने हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन योजनाओं से कितने विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) मेरूदण्ड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए संयुक्त पुर्नवास केन्दों (सी आर सी) तथा क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों (आर आर सी) की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 201.81 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी तथा अब तक 49437 विकलांग व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए हैं।

रुपये के मूल्य में गिरावट आने से आयात में आर्थिक क्षति

226. श्री रामजीलाल सुमन :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये में लगातार गिरावट आने से देश के आयात में आर्थिक क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान आयात के कारण उद्योगों को कितनी क्षति हुई;

(ग) वर्ष 2001–2002 के पहले नौ महीनों के दौरान अनुमानतः कितना घाटा हुआ; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान किस वस्तु पर सर्वाधिक घाटा होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) विनिमय की दर में ह्रास से सामान्यतः निर्यातों में वृद्धि होती है तथा आयात अधिक महंगे हो जाते हैं। इस प्रकार इससे देश को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता है।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार डालर के रूप में आयातों का मूल्य एवं वृद्धि दर निम्नानुसार हैं :–

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	आयात	%वृद्धि
1998–99	42389	2.2
1999–2000	49671	17.2
2000–2001	50537	1.7
2001–02 (अ) (अप्रैल–दिसम्बर)	38362	0.31

(घ) अप्रैल–सितम्बर 2001–02 के दौरान जिन प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है वे निम्नानुसार हैं:–

(मिलियन अमरीकी डालर)

मदें	आयात	%वृद्धि
खाद्य तेल	748.17	3.77
अलौह धातुएं	324.95	17.59
धातुमय अयस्क एवं धातु स्क्रैप	586.85	60.90
सोना एवं चांदी	2619.45	22.20
मशीनरी	2041.90	8.33

[अनुवाद]

यू.टी.आई. संबंधी तारापोर समिति

227. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वित्त** मंत्रा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कार्यों की जांच करने हेतु गठित एस.एस. तारापोर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है,

विशेषकर यू.एस. – 64 के आम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने, अन्य बातों के साथ–साथ यह अवलोकन किया है कि कुल मिलाकर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू.टी. आई.) ने अच्छा कार्य किया है और इसके कार्यकरण को सुधारने की दृष्टि से इसकी कमियों पर रचनात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए। समिति ने यह पाया है कि यू.टी.आई. ने किसी व्यापक निवेश नीति का प्रलेखन नहीं किया है, वित्तीय शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती हैं, यू.टी.आई. के निवेश/विनिवेश निर्णय किसी लेखापरीक्षा के अधीन नहीं होते, परिसंपत्ति प्रबंधन समितियों की निवेश प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती, तंत्र में दोष था, इक्विटी पोर्टफोलियो में वृद्धि ने यू.एस.–64 आदि को अस्थिरता प्रदान करने में योगदान दिया। समिति ने, अन्य बातों के साथ–साथ, इसके द्वारा अभिज्ञात निवेशों की चयनित सूची की विस्तृत लेखापरीक्षा करने, व्यापक और पारदर्शी निवेश नीति बनाने, कतिपय, सीमाओं से परे सभी प्रकार के निवेशों के लिए एक "समिति दृष्टिकोण" रखने, निवेश/विनिवेश निर्णयों की लेखापरीक्षा करने, निवेश निर्णय लेने के लिए ए एम सी का अधिकारिता अन्त :– स्कीम अंतरणों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश देने, जिसका सेबी को अनुवर्ती होना चाहिए, यू.एस.–64 को निवल परिसंपत्ति मूल्य आधारित बनाए जाने, स्कीम इक्विटी पोर्टफोलियों में कमी करने और यू.टी.आई. में संरचनात्मक सुधार करने की सिफारिश की है।

(ग) यू.एस.–64 स्कीम को 1 जनवरी, 2002 से नई बिक्री और निवल परिसंपत्ति मूल्य आधारित कीमतों पर पुर्नखरीद करने के लिए खोला गया है। सरकार ने स्कीम के लिए 28.12. 2001 को एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत (I) 15 जुलाई, 2001 को घोषित 3000 यूनिटों तक सीमित पुर्नखरीद सुविधा, जिसे प्रति यूनिटधारक 5000 यूनिटों तक बढ़ा दिया गया है और (II) यू.एस.–64 में शेष धारिताओं, यदि कोई हो, के लिए, निवल परिसंपत्ति मूल्य और प्रयोज्य पुर्नखरीद कीमतों के बीच, किसी घाटे की यू.टी.आई. को सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। यू.टी.आई. ने प्रति यूनिट 10 रूपये को पुर्नखरीद कीमत अथवा निवल परिसंपत्ति मूल्य (एन.ए.वी.), 31 मई, 2003 को, जो भी अधिक हो, का आश्वासन दिया है। 1 जनवरी, 2002 से 30 मई, 2003 की मध्यवर्ती अवधि में, 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार, प्रति मौजूदा निवेशक 5000 यूनिटों से अधिक मोचन निवल परिसंपत्ति मूल्य पर होगा। वित्तीय पैकेज के एक भाग के रूप में, यू.टी.आई. को विशेषज्ञ/समितियों की सिफारिशों पर आधारित समयबद्ध सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

बैंकों में बगैर दावे वाली धनराशि

228. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न खातों में काफी धनराशि लम्बे समय से बगैर दावे के पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ऐसे बैंकों के नाम क्या है तथा प्रत्येक बैंक में ऐसी कितनी धनराशि पड़ी हुई है;

(ग) क्या खाता धारकों का पता लगाने और उनके उत्तराधिकारियों को धन वापस करने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रयासों में कितनी सफलता मिली है;

(ङ) क्या जन उपयोगी सेवाओं के लिए इन बैंकों के पास बगैर दावे वाली पड़ी धनराशियों के उपयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 31 दिसम्बर, 2000 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार 415.92 करोड़ रू. की अदावी जमाराशि है। जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में समिति (गोइपोरिया समिति) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 28.1. 1992 को बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि मीयादी जमा आवेदन–फार्म में परिपक्वता पर जमाराशियों के निपटारे के लिए निदेश अन्तर्विष्ट हों। इसके अलावा, इन मार्गनिर्देशों को 16.1.2001 को दोहराया गया था और बैंकों से कहा गया था कि वे नियमानुसार अपने जमाकर्ताओं को अग्रिम रूप से सही जमाराशि की सन्निवट देय तिथि की सूचना भेजना सुनिश्चित करें जिससे कि बेहतर ग्राहक सेवा दी जा सके। इस संबंध में बैंक सामान्यतया भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को अनुसरण कर रहे हैं।

(ङ) और (च) अदावी खातों में पड़ी राशि के स्थानांतरण के लिए व्यवस्था करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक जमाकर्ता संरक्षण ट्रस्ट फण्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास (10 वर्ष से अधिक पुरानी) अदावी जमाराशि

क्र. सं.	बैंक का नाम	चालू खाता		बचत बैंक खाता		मियादी खाता		अन्य जमा राशियां		ब्याज सहित	प्रासंगिक प्रभार रहित	खातों की संख्या	कुल राशि
		खातों की सं.	राशि (रु.)	खातों की सं.	राशि (रु.)	खातों की सं.	राशि (रु.)	खातों की सं.	राशि (रु.)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राष्ट्रीयकृत बैंक													
1	आन्ध्रा बैंक	34642	16848391.00	383356	85195989.50	20349	23743078.43	75049	11350440.81	0.00	0.00	513396	137137899.74
2	इलाहाबाद बैंक	2453	6278070.20	64085	30468859.19	4176	17149580.92	2006	684276.90	147500.41	1305138.60	72720	53423149.02
3	बैंक ऑफ बडौदा	18037	18485121.84	278682	98930742.75	34309	92481517.83	0	0.00	2637037.38	2586795.24	331028	209947624.56
4	बैंक ऑफ इंडिया	31904	24430835.76	346190	110899999.63	9513	55422775.58	13950	22305685.60	1326816.30	3619467.43	401557	210766645.44
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6907	8157900.83	173048	77282035.48	4794	30552223.01	2948	4199593.70	2350660.90	884487.39	187697	121657926.53
6	केनरा बैंक	46681	27935189.98	1044874	511179073.91	16140	25621171.70	180074	59987361.77	0.00	0.00	1287769	624722797.36
7	कारपोरेशन बैंक	11378	3095202.82	332711	25133367.54	28392	3718895.38	7293	1220951.62	0.00	0.00	379774	33168417.36
8	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	49772	14753154.00	1455009	154705070.00	50646	91960377.00	21302	13657595.00	2785091.00	3007448.00	1576729	274853838.00
9	देना बैंक	3761	3278983.75	81108	55082619.94	8130	20353329.20	0	0.00	1540536.00	1226386.41	92999	79029102.48
10	इंडियन बैंक	9833	4542335.00	491367	99748360.00	3539	4832848.00	21706	10425785.00	1141797.00	1396906.00	526445	119294219.00

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	34923	16129997.00	204751	66238924.00	44913	48507784.00	0	0.00	0.00	0.00	284587	130876705.00
12	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉ.	8140	27605381.84	95954	68105591.43	8935	38079626.01	7	19961.00	2220691.78	968342.44	113036	133062909.62
13	पंजाब नेशनल बैंक	10671	32006556.00	735250	723679819.00	9947	18803551.00	8008	13293150.00	30193000.00	9818000.00	763876	808158076.00
14	पंजाब एंड सिंघ बैंक	2335	28010733.00	34686	44830666.00	1849	43931719.00	1488	25529621.00	29000.00	0.00	40358	142331739.00
15	सिंडिकेट बैंक	24567	12811023.00	64802	37367396.00	47591	28261352.00	437590	112525666.00	682223.00	2750763.00	574550	189203397.00
16	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	39892	41723521.28	422773	234575114.05	44129	147888268.13	3559	5587538.58	6932190.35	1471128.80	510353	435235500.59
17	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	16910	10408151.00	132678	117598232.001	6465	4471363.00	0	0.00	4454120.00	4155529.00	156053	132776337.00
18	यूको बैंक	16575	13203845.17	309680	144247671.55	6023	31850381.80	4552	2373845.27	3738859.00	2494039.00	336830	192920563.79
19	विजया बैंक	21086	18399583.00	130668	72345436.00	75658	40615650.00	0	0.00	1816001.00	2545443.00	227412	130681327.00
	राष्ट्रीयकृत बैंक–कुल	390467	328104076.47	6781672	2755814967.97	425498	768301988.99	779532	283161472.25	62295524.12	38229855.31	6377169	4159248174.49

नाथ्था पर उत्पाद शुल्क में छूट

229. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सात विद्युत संयंत्रों द्वारा "फीड स्टॉक" के रूप में प्रयोग की जाने वाली "नाथ्था" पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों के नाम क्या हैं और इन विद्युत संयंत्रों द्वारा अपने शुल्क में कितनी कमी करने की संभावना है;

(ग) क्या उत्पाद शुल्क की यह छूट केरल में एन.टी. पी.सी. की कायाकुलम विद्युत परियोजना को नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सात विद्युत संयंत्रों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. 120 मेगावाट कम्बाइन्ड साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट, बेसिन ब्रिज, चेन्नई, तमिलनाडु बिजली बोर्ड;

2. मैसर्स नागार्जुन इलैक्ट्रिक जेनेरेटिंग कंपनी का 20 मेगावाट पावर प्लांट, पाटनवेरू मेडक जिला, आन्ध्र प्रदेश;

3. मैसर्स एस्सार पावर लिमिटेड का 515 मेगावाट कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट, हाजीरा, गुजरात;

4. मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रीज़ पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का 167 मेगावाट कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्लांट, वडोदरा;

5. मैसर्स रिलायंस सालगांवकर कम्पनी लिमिटेड का 48 मेगावाट कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्लांट, सांकोल गांव, मोर्मगांव जिला, गोवा;

6. मैसर्स तनीर बावी पावर कम्पनी प्रा.लि., बंगलौर का 220 मेगावाट बार्ज माउंटिड पावर प्लांट, मंगलौर;

7. मैसर्स बी.एस.ई.एस. केरल पावर लिमिटेड का 165 मेगावाट कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्लांट, इलूर, जिला एर्नाकुलम, केरल।

आशा की जाती है कि इसके कारण बिजली उत्पादन की लागत में 10-16 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) किए गए निर्णय के केवल ऊपर भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संयंत्र ही शामिल हैं।

न्यासों द्वारा आयकर विवरणिका दाखिल किया जाना

230. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में न्यासों और संस्थानों ने आयकर विवरणिका दााखिल नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को वर्ष 1998–99 में चार महानगरों में 28 मामलों में 743 लाख रुपये तक के आयकर लेवी में कमी के परिणाम के रूप में अनियमित छूट देने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। बड़ी संख्या में न्यास और संस्थाएं अपनी आय की विवरणियां दायर नहीं कर रही हैं क्योंकि उनकी आय अधिकतम धनराशि से कम होती है जो कर प्रभार्य नहीं होती हैं। अतः इन न्यासों अथवा संस्थाओं को अपनी आयकर विवरणियां दायर करना सांविधिक रूप से जरूरी नहीं है।

(ख) आयकर विवरणियां क्षेत्रीय कार्यालयों में दायर की जाती हैं। इस विभाग में अपनी विवरणियां दायर न करने वाले न्यासों और संस्थाओं के संबंध में केन्द्रीयकृत रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है। आयकर विभाग कानून के अंतर्गत यथा उपबंधित कार्रवाई करता है, जब कभी न्यासों अथवा संस्थाओं सहित ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विवरणी दायर न करने क। कोई मामला जानकारी में आता है जिसे सांविधिक रूप से अपनी आय की विवरणी दायर करना जरूरी होता है।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मार्च, 2000 को समाप्त होने वाली 2001 की अपनी रिपोर्ट सं. 12क में चार महानगरों के न्यासों और संस्थाओं के 28 मामलों में लेखा परीक्षा टिप्पणियों का उल्लेख किया है, जहां उनके अनुसार 742.93 लाख रु. का कम कर लगाया गया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच की जा रही है ताकि अन्य दृष्टि से भी उपर्युक्त लेखा परीक्षा टिप्पणियों की यथार्थता का निर्धारण करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पैरावार उत्तर दिया जा सके। कर की वसूली से संबंधित न्यासों और संस्थाओं के मामलों की अन्तिम संख्या अथवा ऐसे मामलों में अन्तर्ग्रस्त कर प्रभाव की धनराशि का निर्धारण केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ऐसी जांचों के बाद और नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही किया जा सकता है।

(घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार कानून को लागू करने में त्रुटियों, गलत छूटों तथा आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कटौतियों और छूटों के कारण कर की कम वसूली के ऐसे मामले हुए हैं।

(ङ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर निर्धारण में उचित सावधानी बरतने और त्रृटियों से बचने के लिए कर निर्धारण अधिकारियों/क्षेत्रीय कार्यालयों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 1.2.1985 के अनुदेश सं. 1598 के अनुसार सभी मामलों में सदैव निवारक कार्रवाईयां की जाती हैं। मानिटरिंग प्रणाली की भी व्यवस्था है जहां लेजर कार्ड जारी किए जाते हैं और उनके स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं जहां उनके द्वारा ऐसी त्रुटियां की गईं पायी जाती हैं। आयकर निदेशक (लेखा–परीक्षा) ने कर निर्धारण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश और चैक–लिस्ट भी जारी की है।

पर्यटन उद्योग से संग्रहीत सेवा कर

231. श्री पी. मोहन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पर्यटन उद्योग से कुल कितना सेवा–कर संग्रहीत किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : इस समय, यात्रा संचालकों पर सेवा कर लगाया जाता है। गत तीन वर्षों में इस सेवा से प्राप्त सेवा कर का ब्यौरा इस प्रकार है :–

1999–2000	:	0.22 करोड़ रुपये
2000–2001	:	5.42 करोड़ रुपये
2001–2002 (दिसम्बर, 2001 तक)		3.83 करोड़ रुपये

खाद्यान्न आबंटन में संशोधन हेतु गुजरात सरकार का अनुरोध

232. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन कोटे में संशोधन, ऑक्टेन जांच सुविधा के प्रावधान, लेवी चीनी इत्यादि के वाहन हेतु वास्तविक सड़क वहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति, एवं राज्य में रॉलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार की मांगों पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) गुजरात सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के मानदंड से कम मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण करने की अनुमति मांगी है क्योंकि राज्य सरकार ने 34 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की है, जबकि अनुमानित संख्या 21.20 लाख है। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दी जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा कम नहीं की जानी चाहिए अन्यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन को बढ़ाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया असंगत हो जाएगी।

गुजरात सरकार से ऑक्टेन परीक्षण सुविधा के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों से लेवी चीनी के उठान के लिए वास्तविक न्यूनतम सड़क ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति हेतु कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ढुलाई प्रभारों के दिशा–निर्देशों को 1.4.1996 से संशोधित किया गया है, जिनमें प्रत्येक राज्य के लिए ढुलाई प्रभार एक समान दर पर देय होते हैं जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित पिछले वर्षों में हुए खर्च के लेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित होते हैं।

गुजरात सरकार ने गेहूं के आटे के निर्यात के प्रति पूर्व निर्धारित निर्यात मूल्य पर रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं का कोटा आबंटित करने का अनुरोध किया है।

यह निर्णय लिया गया है कि रोलर फ्लोर मिलों और अन्य निर्यातकों को इस शर्त पर गेहूं उपलब्ध कराया जाए कि उनके द्वारा निर्यात किए गए गेहूं के उत्पाद केन्द्रीय पूल से उनके द्वारा उठान किए गए गेहूं की मात्रा के 65% से कम नहीं होंगे। गेहूं उत्पादों के निर्यात के प्रयोजनार्थ खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) मूल्यों पर गेहूं की पेशकश की जा रही है जबकि सुपुर्दगी उपरांत खर्चों और जोनवार देश के अंदर ढुलाई खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

औषधि और भेषज कम्पनियों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

233. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री एन.टी. षणमुगम :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधि और भेषज कम्पनियों के लिए स्वतंत्र निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश कुल औषधि निर्यात में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में भेषज निर्यात परिषद की स्थापना करने के लिए निवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हैदराबाद में इस परिषद की स्थापना कब तक कर लिए जाने की सभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) सरकार की भेषज एसोसिएशनों से औषधि एवं भेषज पदार्थों के लिए एक स्वतंत्र निर्यात संवर्द्धन परिषद के गठन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है और उन्हें नई निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना हेतु पूरी की जाने वाली अपेक्षित शर्तों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

(ग) सरकार बल्क औषधियों के राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश की सरकार को सूचित किया गया है कि वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कोई नई निर्यात संवर्द्धन परिषद के गठन के लिए पहली जरूरत यह है कि संबंधित उद्योग द्वारा 3 करोड़ रुपये की निधि का सृजन किया जाए और नई परिषद के मुख्यालय के स्थान के बारे में भी भेषज उद्योग का निर्णय लेना होगा।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ

234. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अभी तक शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल विशेषकर देहरादून और मध्य प्रदेश में किसी शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्यों में कब तक शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव

प्रताप रूडी) : (क) निर्यातोन्मुखी एकक देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान ईओयू की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश और उत्तरांचल राज्य के उद्यमियों से क्रमशः दस और एक आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी प्राप्त आवेदनों को अनुमोदित कर दिया गया है। गत दो वर्षों के दौरान देहरादून में ईओयू की स्थापना के लिए कोई आवेदन नहीं मिला था।

(घ) किसी ईओयू को भेजा गया अनुमोदन पत्र (एल ओपी) इसके जारी होने की तारीख से 3 वर्षों के लिए वैद्य होता है। इस अवधि के भीतर एकक को परियोजना का कार्यान्वयन करते हुए उत्पादन शुरू कर देना चाहिए।

विवरण

संचालनरत ईओयू के राज्यवार ब्यौरे

(31.7.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचालनरत ईओयू
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	166
2.	बिहार	1
3.	छत्तीसगढ़	4
4.	गुजरात	182
5.	हरियाणा	59
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1
8.	झारखण्ड	5
9.	कर्नाटक	257
10.	केरल	34
11.	मध्य प्रदेश	28
12.	महाराष्ट्र	197
13.	उड़ीसा	7
14.	पंजाब	42
15.	राजस्थान	76
16.	सिक्किम	1
17.	तमिलनाडु	286
18.	उत्तर प्रदेश	81
19.	उत्तरांचल	1
20.	प. बंगाल	52
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
22.	दमन, दीव, दादरा एवं नगर हवेली	15
23.	दिल्ली	32
24.	पांडिचेरी	5
25.	गोवा	18

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी

235. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, सरकारी क्षेत्र और स्वायत्त शासी संगठन/निगम एम एच ए के कार्यलय ज्ञापन संख्या 16/17/67–स्थापना (सी) दिनांक 10.04.1968 और (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 25.5.1976) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मामले में सरकारी अनुदेशों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे

कुल कितने संगठन/कार्यालय हैं, जो स्थापना और कर्मचारी संबंधी मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार ऊपरलिखित उद्देश्य हेतु संपर्क अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (घ) भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी प्रचालनरत उपक्रमों में संपर्क अधिकारी हैं।

शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

236. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों को केवल रोजगार के अवसरों में ही आरक्षण दिया जाता है और उन्हें केन्द्र सरकार द्वार चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़े वर्गों को व्यवसायिक कालेजों और विश्वविद्यालयों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम 27% आरक्षण देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

जाली नोट

237. श्री पी.आर. खूंटे :

श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली करेंसी नोट के प्रचालन पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार का विचार विशेष प्रकार के कागज का प्रयोग करने का है जिसकी नकल करना संभव न हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) इस समय भारतीय बैंक नोटों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा कागज एक विशेष कागज है जिस पर अंतर्निहित सुरक्षा गुणों वाला नम्बर होता है। अब तक पकड़े गए जाली नोटों से मौलिक भारतीय बैंक नोट कागज का प्रयोग निर्दिष्ट नहीं हुआ है। इसलिए किसी अन्य किस्म के विशेष कागज का प्रयोग करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए आवास-ऋण

238. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास संबंधी ऋण योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो दिये गये ऋण का ब्यौरा क्या है और उक्त लोगों से आम लोगों की तुलना मे किस दर से ऋण पर ब्याज लिया जाता है; और

(ग) गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें, इन बैंकों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान ऋण वितरित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, नहीं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को आवास ऋण देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के पास ऋण की वापसी अदायगी के लिए पर्याप्त आय नहीं होती। तथापि, भारत सरकार वर्ष 1985–86 और 1 अप्रैल, 1999 से ग्रामीण आवास हेतु क्रमशः इन्दिरा आवास योजना और ऋण–सह–आर्थिक सहायता योजना कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, मुक्त बंधुआ मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से

नीचे रहने वाले गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आवासीय इकाइयां बनाने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई), ऋण–सह–आर्थिक सहायक योजना (सीसीएसएस) के तहत आबंटित केन्द्रीय निधियों और साथ ही पिछले दो वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जी जे आर एच एफ एस) के तहत संवितरित राशि निम्नलिखित है :

	योजनाओं के नाम	केन्द्रीय निधि आबंटन (लाख रू. में)	
		2000–01	2001–02
1.	आई ए वाई	3243.00	3389.62
2.	सी सी एस एस	309.94	78.49
3.	*जी जे आर एच एफ एस **	*12354.00*	*5407.00*

** आवास वित्त संस्थाओं, बैंकों आदि द्वारा संवितरित राशि*

यदि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऋण दिया जाना है तो आवास वित्त पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के लागू निदेशों के अनुसार होगी। इस समय लागू दरें उस बैंक की मूल उधार दर से अधिक नहीं हैं, जिससे वित्त प्राप्त किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरियों में आरक्षण

239. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऑटो लाइसेंस प्रणाली पर विश्व व्यापार संगठन का निर्णय

240. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "डब्ल्यूटीओ पैनल रूल्स अगेंस्ट इंडिया ऑन ऑटो लाइसेंसिंग रिजीम" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विश्व व्यापार संगठन के पैनल ने यूरोपीय संघ और अमरीका के कथन का लगभग प्रत्येक मुद्दे पर पूरी तरह समर्थन किया है और यदि भारत कोई अपील करता है तो उसके लिए सफलता के बहुत कम अवसर छोड़े है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) सरकार को "भारत–आटोमोटिव क्षेत्र को प्रभावित करने वाले उपाय" विवाद में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल के निर्णय की जानकारी है। पैनल ने अन्य बातों के साथ–साथ विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम–1992 के अंतर्गत जारी सार्वजनिक सूचना 60, ऑटो संघटक लाइसेंसिंग नीति की जांच की थी। पैनल का मानना था कि स्वदेशीकरण की अपेक्षा और व्यापार संतुलन संबंधी अपेक्षा से संबंधित प्रावधानों समेत सार्वजनिक सूचना 6C और अनुवर्ती समझौता ज्ञापन डब्ल्यूटीओ (गैर–1994) के अनुच्छेद–III और अनुच्छेद–xi) के संगत प्रावधानों के अनुरूप हैं। पैनल ने 1 अप्रैल, 2001 के पश्चात भारतीय नीति में हुए परिवर्तनों की अलग से जांच, स्वदेशीकरण और व्यापार संतुलनकारी दायित्वों पर इनके प्रभाव के बारे में की थी और यह पाया था कि इन उपायों से उक्त असंगतता में कोई सुधार नहीं हुआ है और उसने भारत से अनुरोध किया है कि वह अपने उपायों को डब्ल्यूटीओ करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप बनाएं।

पैनल की रिपोर्ट को अभी तक डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) द्वारा पारित नहीं किया गया है क्योंकि भारत ने पैनल की रिपोर्ट में शामिल विधि के कतिपय मुद्दों के बारे में निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर की है।

[हिन्दी]

प्याज का निर्यात

241. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्याज के निर्यात से कितनी देशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी प्याज के र्यात को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान निर्यातित प्याज की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये)	मात्रा (मि. टन)
1998–99	176.05	2,15,694
1999–2000	202.70	2,60,475
2000–2001	276.22	3,43,254

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता

(ग) से (ङ) कृष्णापुरम और बंगलौर रोज प्याज़ को छोड़कर प्याज की सभी किस्मों का निर्यात मात्रात्मक सीमा के अधीन होता है और इसे विनिर्दिष्ट एजेंसियों के जरिए सराकृत किया जाता है। तथापि, कृष्णापुरम और बंगलौर रोज प्याज के निर्यात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। अंतर–मंत्रालयी समिति द्वारा निर्यात हेतु जारी की जाने वाली प्याज की वास्तविक मात्रा स्टॉक की स्थिति, बाजार आवक, फसल संबंधी स्थिति, घरेलू अपेक्षाओं और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर तय की जाती है।

[अनुवाद]

चीनी उत्पादों की तस्करी

242. श्री रामजीवन सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीन, बांगलादेश और नेपाल निर्मित उत्पादों की लगातार तस्करी होने से इन उत्पादों के घरेलू विनिर्माताओं के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति की गंभीरता और घरेलू उत्पादों पर कुल मिलाकर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस तस्करी को रोकने हेतु क्या उपाय किये गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अब तक पता लगाए गए तस्करी के मामलों से घरेलू उत्पादों के लिए गंभीर खतरा पैदा होने का संकेत नहीं मिलता है।

(घ) राजस्व आधिसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय चीनी, नेपाली और बांगलादेशी मूल के माल की देश में तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्क हैं। देश में ऐसे माल की तस्करी के प्रयासों को विफल करने के लिए सभी सुगम्य स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

बैंक की शाखाओं का बंद किया जाना

243. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों की शाखाओं को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों की कितनी

शाखाएं बंद हुई हैं और उन बैंकों के बैंकवार कितने कर्मचारियों को दूसरी जगह समायोजित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिर्जव बैंक वाणिज्यिक बैंकों की एक शाखा वाले ग्रामीण केन्द्रों पर बैंकों को अपनी हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करने की अनुमति नहीं देता है। तथापि बैंक वाणिज्यिक बैंकों की दो शाखाओं से युक्त केन्द्रों पर अपनी हानि उठाने वाली ग्रामीण शाखाओं को बंद कर सकते हैं और किसी एक शाखा को बन्द करने के लिए निर्णय संबंधित बैंक द्वारा आपसी विचार–विमर्श के बाद लिया जा सकता है। बैंक अर्द्ध–शहरी, शहरी तथा महानगरीय केन्द्रों पर अपनी शाखाएं भारतीय रिर्जव बैंक (आर बी आई) के पूर्व अनुमोदन के बिना बन्द कर सकते हैं। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इलाका/वार्ड बन्द करने के कारण बैंक रहित तो नहीं हो जाता। कमजोर बैंक के रूप में पहचाने गये तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी वार्षिक पुनर्निमाण योजना के अधीन अपने शाखा नेटवर्क को युक्ति युक्त बनाने की सलाह दी गई है। सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों ने अपनी विद्यमान शाखाओं को बन्द करके/विलय करके युक्ति युक्त बना दिया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 2001 के दौरान बन्द/विलयित/परिवर्तित शाखाओं की बैंक–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 2001 के दौरान बंद/विलयित/परिवर्तित शाखाओं की बैंक–वार सं.

बैंक का नाम	वर्ष के दौरान बंद/विलयित/परिवर्तित शाखाओं की संख्या			
	1999	2000	2001	कुल
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	1	–	–	1
आन्ध्रा बैंक	1	–	–	1
बैंक ऑफ इंडिया	–	3	3	6
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	–	1	–	1
केनरा बैंक	1	3	1	5
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	–	–	5	5
देना बैंक	1	–	13	14
इंडियन बैंक	3	32	37	72
इंडियन ओवरसीज बैंक	–	–	5	5
पंजाब नैशनल बैंक	2	–	32	34
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1	1	1	3
भारतीय स्टेट बैंक	9	–	6	15
सिंडीकेट बैंक	–	1	2	3
यूको बैंक	17	18	9	44
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3	3	57	63
यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया	2	12	10	24
विजया बैंक	–	1	9	10
सरकारी क्षेत्र के बैंक	41	75	190	306

यूरोपीय संघ के साथ व्यापार संबंध

244. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यूरोपीय संघ के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार संबंधों को किन–किन क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा; और

(ग) भारत यूरोपीय संघ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। 22–23 नवम्बर, 2001 को आयोजित भारत–ईयू व्यापर शिखर सम्मेलन में व्यापार एवं निवेश को बढ़ाने के लिए भारत और यूरोपीय यूनियन के व्यापार

एवं उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त अध्ययन करने के लिए वित्तीय सेवाओं, वस्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं विद्युत की संभाव्यता वाले क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया था।

(ग) भारत सरकार भारत–ईयू द्विपक्षीय व्यापार के विभिन्न मुद्दों का निराकरण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर यूरोपीय संघ के साथ सतत विचार विनिमय कर रही है। कृषि/समुद्री उत्पाद, वस्त्र, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे निर्यात संभाव्यता वाले क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट द्विपक्षीय कार्यदल गठित किए गए हैं। भारत–ईयू द्विपक्षीय व्यापार संबंधी मुद्दों को भी द्विपक्षीय संयुक्त आयोग विचार विनिमय तंत्र के जरिए ईयू के सदस्य देशों के साथ उठाया जाता है। ये उपाय सरकार द्वारा समर्थित अन्य सामान्य निर्यात संवर्धन कार्यकलापों जैसे व्यापार मेलों में भाग लेने, गुणवत्ता उन्नयन, बाजार अध्ययन इत्यादि के लिए निविष्टियों की सुविधाओं के अतिरिक्त हैं।

[हिन्दी]

एच सी एल द्वारा की गई धोखाधड़ी

245. श्री सुबोध राय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों के साथ मिलीभगत कर एच सी एल ने शेयरों की खरीद–बिक्री में जो धोखाधड़ी की है, उसका सरकार को पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धोखाधड़ी में लिप्त पाई गई अन्य कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग से नियंत्रण हटाया जाना

246. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी उद्योग से पूरी तरह नियंत्रण समाप्त करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा महाजन समिति की सिफारिशों पर गौर किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान चीनी में फ्यूचर/वायदा व्यापार के चालू होने के पश्चात् चीनी को पूर्ण रूप से नियंत्रण मुक्त करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने महाजन समिति की सभी सिफारिशों की जांच की है। समिति ने कुल 167 सिफारिशें (उप–सिफारिशों सहित) की थीं। इनमें से 75 सिफारिशों को पूर्ण या आंशिक तौर पर या सुधारों के साथ मंजूर कर लिया गया है। चीनी के विनियंत्रण से संबंधित समिति की सिफारिशें, सिफारिश संख्या 3 से 6 में निहित हैं। इन सिफारिशों के विवरण और उस पर सरकार के निर्णयों के सारांश को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

सिफारिश संख्या 3 से 6

सिफारिश संख्या-3 : समिति चीनी के पूर्ण विनियंत्रण की सिफारिश करती है। तथापि, विनियंत्रण को चरणबद्ध रूप में दो वर्ष की अवधि में किया जाए। नीति की घोषणा की तिथि के बाद प्रारम्भ होने वाले चीनी मौसम में लेवी चीनी के प्रतिशत को घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया जाए जिसे कि अगले चीनी मौसम के दौरान उसी दर पर जारी रखा जाए और तत्पश्चात आने वाले चीनी मौसम के प्रारम्भ होने पर लेवी को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए।

सिफारिश संख्या-5 : जब चीनी का पूर्ण विनियंत्रण हो जाए तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चीनी की सप्लाई को समाप्त कर दिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दी जाने वाली चीनी पर प्रदत्त राजसहायता को इस समय खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता को बढ़ाकर लाभभोगियों के बीच आबंटित किया जा सकता है।

सिफारिश संख्या-6 : यदि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी को जारी रखना चाहती है तो आवश्यक मात्रा उद्योग/व्यापार से निविदा मंगाकर अथवा मिलों से नियत दामों पर खरीदी जाए। अतिरिक्त राजसहायता को मुक्त बिक्री में परिवर्तित लेवी कोटा पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाकर पूरा किया जाए। यदि इसके बाद भी कमी रहती हो, तो उसे उत्पाद शुल्क में आवश्यक स्तर तक वृद्धि कर पूरा कर लिया जाए।

सिफारिश संख्या-3,5 और 6 पर लिए गए निर्णयों का सार :

"सरकार ने पहले ही लेवी चीनी की प्रतिशतता, 1.1.2000 से 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दी है। सरकार समिति की संसतुति के अनुसार आगे और विनियंत्रण के लिए किसी समय–सीमा पर सहमत नहीं हो सकती है क्योंकि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसका चीनी एक आवश्यक अंग है की पुनर्संरचना पर निर्भर करता है। लेवी की प्रतिशतता में और कमी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी के विवरण की जरूरतों को पूरा करने की वैकल्पिक पद्धतियों सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्संरचना से जुड़े हैं।"

सिफारिश संख्या-4 : मूल्यों पर पूरा नियंत्रण हटाने के बाद भी रिलीजों पर नियंत्रण जारी रखा जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या-4 पर लिए गए निर्णयों का सार :

"महाजन समिति ने चीनी उद्योग के विनियंत्रण और मूल्यों के विनियंत्रण में अंतर किया है, जिसमें मूल्यों के विनियंत्रण को चीनी मिलों से लेवी दायित्व की प्रणाली तक सीमित किया जा रहा है। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है कि रिलीज पर नियंत्रण बिना किसी समय–सीमा के जारी रहे। सरकार चीनी उद्योग के चरणबद्ध विनियंत्रण के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से प्रभावी की जाएगी कि चीनी उद्योग तथा मूल्यों में किसी भी प्रकार का अस्थायीत्व न आने पाए तथा दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए चीनी के वायदा/फ्यूचर बाजार स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे।

यू.टी.आई. की एम.आई.पी. योजना

247. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने यू.टी.आई. की एम.आई.पी. योजना के छोटे निवेशकों को कम भुगतान किए जाने पर आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को संसद सदस्य और निवेशक संघों की ओर से कोई शिकायतें और इनके मद्देनजर ऐहतियाती कदम उठाए जाने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यू.टी.आई. की एम.आई.पी. के निवल परिसम्पत्ति मूल्य से भी कम राशि का पुनर्भुगतान किया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) एम.आई.पी. के छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई) ने सूचित किया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने पत्र दिनांक 4 जनवरी, 2002 के द्वारा यू.टी.आई. की आश्वासित आय योजनाओं के बारे में सामान्य जांच की।

(ख) और (ग) सरकार ने इस संबंध में पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं। इन्हें यू.टी.आई. के समक्ष उठाया गया है।

(घ) यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि यू.टी.आई. की एम.आई.पीज के अंतर्गत परिपक्वता भुगतान निवल आस्ति मूल्य से कम नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यू.टी.आई. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं से अवगत है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

248. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ विदेशी बैंकों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल पर चले गए थे; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी बैंक द्वारा भारतीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (ए आई बी ई ए) ने दो मुद्दों (I) स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक (एस सी बी) के कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण और (II) आंकड़ा संसाधन के लिए एस सी बी द्वारा ठेके पर श्रमिक रखने, से संबंधित विवाद के संबंध में 4 जनवरी, 2002 को हड़ताल की थी। पहले मुद्दे के संबंध में बैंक ने बताया कि बैंक द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश स्टैन्डर्ड चार्टर्ड कर्मचारी परिसंघ (ए आई बी ई ए से संबद्ध) के साथ 6 नवम्बर, 2001 को किए गए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुरूप हैं। स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक कर्मचारी यूनियन द्वारा कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देते हुए दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। यूनियन द्वारा इस संबंध में दायर अपील भी खारिज कर दी गई थी। जहां तक एस सी ओ पी ई द्वारा आंकड़ा संसाधन का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक को एस सी ओ पी ई, जो एस सी बी पी एल सी–यू के का भारतीय अनुषंगी है, के जरिए आंकड़े अलग–अलग करने, आंकड़े एकीकृत करने, भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ों तक पहुंच से संबंधित अपेक्षित विनियामक सुरक्षा उपायों सहित बैंक आफिस द्वारा संसाधन की अनुमति दे दी थी।

[अनुवाद]

कनाडा के साथ आर्थिक संबंध

249. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कनाडा से आर्थिक संबंध बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारत–कनाडा के बीच किन–किन क्षेत्रों में आर्थिक संबंध स्थापित हुए थे; और

(ग) भारत–कनाडा आर्थिक संबंध का अब किन–किन क्षेत्रों में विस्तार किया जाना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) कनाडा के साथ आर्थिक संबंधों को बढाने में सरकार की हमेश ही दिलचस्पी रही है जो एक संसाधन–सम्पन्न और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से एक उन्नत राष्ट्र है।

(ख) द्विपक्षीय आर्थिक संबंध विद्युत और ऊर्जा; उपस्कर और सेवाओं; दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी; तेल और गैस; पर्यावरण उत्पाद; और बीमा सहित वित्तीय सेवाओं में पहले ही स्थापित हो चुके हैं।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में सहयोग के स्तर को और गहराने तथा इसे औषधीय, कृषि और कृषि खाद्य, धातु और खनिज, नागर विमानन और ऐयरोस्पेस, चिकित्सा उपस्कर, लुगदी और कागज़ तथा ऑटो सहायक उपकरणों इत्यादि के क्षेत्र में बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

सुपर बाजार की स्थिति में सुधार हेतु उठाए गए कदम

250. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुपर बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) दिल्ली में इस समय सुपर बाजार की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं और इनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार सुपर बाजार को अपने कारोबार की स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है। सुपर बाजार की संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए उनको सितम्बर, 2000 से अब तक 26.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

(ग) और (घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि स्टोर

का कारोबार जारी है। इस समय इसकी 139 शाखाएं हैं जिनमें से 4 नौएडा में हैं और इन शाखाओं में 505 कर्मचारी कार्यरत हैं। तथापि, कर्मचारियों की कुल संख्या 1984 है।

भारत और कनाडा के बीच व्यापार

251. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा, दोनों देशों के बीच व्यापार दायरा बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय–सीमा तय की गई है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कटे-फटे नोटों की जांच

252. श्री रूपचन्द पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोटों की नवीन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत कटे–फटे और पुराने नोटों की जांच करने के लिए बनाए गए नोट इग्जैमिनेशन (एन ई) सेक्शन समुचित ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और 100 में से केवल 10 से 12 सेक्शनों को ही नोटों की पुनरीक्षण प्रक्रिया के अर्न्तगत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नोट इग्जैमिनेशन के 100 सेक्शनों में से 40% से अधिक सेक्शन कर्मचारियों की भारी कमी के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बैंक नोटों की जांच की संशोधित प्रक्रिया 1996 के दौरान शुरू की गई थी और उस समय विद्यमान 100 नोट जांच अनुभागों (एन ई एस) में से 14 भागों को संशोधित प्रक्रिया अनुभागों (आर पी एस) में परिवर्तित किया गया था। ये सभी 14 संशोधित प्रक्रिया अनुभाग भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) 100 एन ई एस तथा आर पी एस में से 53 अनुभाग अर्थात 39 एन ई एस तथा 14 आर पी एस बिना किसी कठिनाई के कार्य कर रहे हैं। शेष 47 एन ई एस सिक्का नोट जांचकर्ताओं की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहे है। इस समय सिक्का नोट जांचकर्ताओं के 1891 पद रिक्त हैं।

(ङ) जनशक्ति की कमी की समस्या से निपटने के लिए और प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियां (सी वी पी एस) संस्थापित करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

अनुप्रयोज्य आस्तियों को कम करने के लिए अनिवासी भारतीयों से सहयोग

253. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

श्री ए. कृष्णास्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीय बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियों को कम करने में अपना सहयोग देने के लिए आगे आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियों के संबंध में उनकी ओर से क्या सुझाव आए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मं. . (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिर पर मैला ढोने वालों के लिए राष्ट्रीय योजना

254. श्री चिंतामन वनगा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिर पर मैला ढोने वालों को मैला ढोने के काम से छुटकारा दिलाने और उनके पुर्नवास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सिर पर मैला ढोने वालों के पुर्नवास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी खर्च की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुर्नवास की राष्ट्रीय योजना हाथ से मैला और गंदगी उठाने की घृणित और अमानवीय व्यवसाय से सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा उन्हें वैकल्पिक सम्मानजनक व्यवसायों में पुर्नवास करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 15–50 वर्ष के आयु समूह में सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा पुर्नवास के लिए सहायता दी जा रही है। यह योजना 100% आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण की जाती है तथा राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति विकास निगम या राज्य सरकार, जहां ऐसा निगम नहीं है द्वारा, कार्यान्वित की जाती है। प्रशिक्षण के लिए ट्राइसेम मानदंडों के अनुसार सहायता दी जाती है जिसमें छः महीने की अवधि के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह 500/– रुपये तक वृत्तिका, प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह 300/– रु. तक प्रशिक्षण शुल्क, प्रति प्रशिक्षु 2000/– रु. तक एक मुस्क टूल किट भत्ता तथा शिल्पियों को प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह 100/–रु. तक मानदेय शामिल है। पुर्नवास के लिए 10000/– रु. की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत का 50% तक आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त परियोजना लागत के 15% का सीमान्त भत्ता ऋण का योजना के अंतर्गत वित्त पोषण किया जाता है। परियोजना लागत का शेष भाग बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में पूरा किया जाता है।

(ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि और एस सी डी सी/राज्य द्वारा व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

सफाई कर्मचारियों व उनके आश्रितों की मुक्ति और पुर्नवास की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सफाई कर्मचारियों के पुर्नवास पर राज्यवार स्वीकृत राशि और खर्च की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	1998–99		1999–2000		2000–01	
		स्वीकृति	व्यय	स्वीकृति	व्यय	स्वीकृति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	0	5.82	10.41	0.46	0	9.64
2	असम	0	0.69	0	0.39	3.72	0.04
3	बिहार	0	अनु.	0	अनु.	0	अनु.
4	गुजरात	0	0.57	11.61	0.84	0	अनु.
5	हरियाणा	0	1.64	0	1.08	0	1.06
6	हिमाचल प्रदेश	0	0.34	0	0.55	0	0.81
7	जम्मू और कश्मीर	0	अनु.	0	अनु.	0	अनु.
8	कर्नाटक	0	0.98	0	1.70	0	1.85

1	2	3	4	5	6	7	8
9	केरल	0	अनु.	0	अनु.	0	अनु.
10	मध्य प्रदेश	0	5.05	8.83	3.93	0	3.10
11	महाराष्ट्र	0	2.60	0	1.89	21.35	0.07
12	उड़ीसा	5.9	1.51	0	2.46	0	2.54
13	पंजाब	0	0.18	0	0.15	0	0.04
14	राजस्थान	0	0.66	16.62	0.36	0	0.36
15	तमिलनाडु	0	2.76	22.53	1.75	0	4.75
16	उत्तर प्रदेश	0	15.89	0	14.10	0	10.72
17	पश्चिम बंगाल	0	0.31	0	0.20	0	0.19
18	दिल्ली*	0	अनु.	0	अनु.	0	अनु.
19	पांडिचेरी*	0	अनु.	0	अनु.	0	अनु.
20	नागालैण्ड*	0	अनु.	0	अनु.	0	अनु.
21	मेघालय*	0	अनु.	0	अनु.	0	अनु.
22	छत्तीसगढ़	0	शून्य	0	शून्य	15	अनु.
23	झारखण्ड	0	शून्य	0	शून्य	10.85	अनु.
24	उत्तरांचल	0	शून्य	0	शून्य	10	अनु.
	कुल	5.9	39.00	70	29.56	60.92	35.17

* इन राज्यों द्वारा खर्च की गई राशि के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

अनु. – अनुपलब्ध

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी

255. श्री रतन लाल कटारिया :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान गैर-बैंकिंग संस्थानों में किए गए भ्रष्टाचार, धन की हेरा–फेरी और दुरुपयोग के कई मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में की गई धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से जांच कराने और दंड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी के मामले पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स तुलुनादु फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लि., बेंगलूर तथा मैसर्स टाटा फाइनेंस लि., मुम्बई ने भारतीय रिजर्व बैंक को निधियों के तथाकथित दुर्विनियोजन के मामलों की सूचना दी है।

(ख) और (ग) मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) का क्षेत्राधिकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों एवं सभी मामलों में है जहां तक केन्द्र की कार्यपालक शक्तियां लागू हैं। जब कभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को किसी धोखाधड़ी का पता चलता है,

उसकी प्राथमिक जांच की जाती है। यह निर्णय लिया जाता है कि इसकी पूर्णरूपेण विभागीय जांच की जाए या इस मामले को पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जाए। आंतरिक जांच के पश्चात् या पुलिस/सीबीआई से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर बैंक/वित्तीय संस्थाएं, जहां कहीं आवश्यक हो विभागीय कार्रवाई करते हैं और धोखाधड़ी के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों को सजा देते हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं या सीबीआई द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप की गई सिफारिशों के आधार पर आयोग संबंधित बैंक को उचित सलाह देता है।

बैंक धोखाधड़ियों को रोकने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों को क्रियान्वित कर रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना, निरंतर आधार पर धोखाधड़ी के मामले की समीक्षा करना, बैंक के 50 प्रतिशत कारोबार के लिए उत्तरदायी शाखाओं की समवर्ती लेखा परीक्षा, नकदी जमा राशियों और 10 लाख रुपये या अधिक की जमाराशि की निकासी की संवीक्षा, आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था में सुधार तथा परिचालनात्मक कार्मिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

256. **श्री रामशकल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वस्त्र और जूट उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऋण हेतु प्राप्त हुए आवेदनों, ऋण के रूप में अब तक जारी की गई धनराशि और इस परियोजनार्थ चयनप्रक्रिया का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के विस्तार के लिए मानदंड में, विशेषकर रुग्ण और बंद पड़ी वस्त्र मिलों के मामले में, ढील देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की मानीटरिंग और पुनरीक्षा करने के लिए वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी संचालन समिति (आई एम एस सी) का गठन किया गया है जो कि त्रैमासिक आधार पर बैठकें करती हैं। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार और मानीटरिंग समिति (टी ए एस सी) का गठन भी इस योजना के अंतर्गत किसी एकक अथवा मशीन की पात्रता के बारे में किसी भी नोडिया ऐजेंसी द्वारा उठाये जाने वाले किसी भी प्रकार के तकनीकी मुद्दों की विवेचना अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए किया गया है। यह समिति सामान्यतः मासिक बैठकें करती हैं।

(ग) टी यू एफ एस के अंतर्गत 1.4.1999 से 31.12.2001 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और संवितरित ऋण के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	संवितरित आवेदन पत्रों की संख्या	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	36	28	22	146.17
चंडीगढ	2	2	1	1.85
दादरा एवं नगर हवेली	19	15	14	193.44
दमन एवं दीव	5	5	5	5.03
दिल्ली	23	20	15	12.49
गुजरात	244	209	168	380.57

1	2	3	4	5
हरियाणा	98	84	53	64.81
हिमाचल प्रदेश	7	6	6	163.80
कर्नाटक	62	53	41	131.43
केरल	3	2	1	16.98
महाराष्ट्र	69	51	40	305.11
मध्य प्रदेश	11	11	9	121.09
पंजाब	184	165	119	539.97
राजस्थान	167	115	97	263.83
तमिलनाडु	422	364	169	671.47
उत्तर प्रदेश	30	24	20	131.41
पश्चिम बंगाल	20	17	12	17.13

ऐसा कोई भी वस्त्र एकक, जो संबंधित वित्तीय संस्थाओं के सामान्य ऋण देने के मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं और जो योजना के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं, इस योजना के अंतर्गत निधियों का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे एकक को संबंधित नोडिया ऐजेंसी अथवा संबंधित नोडिया एजेंसी द्वारा सहयोजित वित्तीय संस्थानों को आवेदन करना होगा।

(घ) और (ङ) सरकार ने वित्तीय मानदण्डों में ढील देने के अपने निर्णय के बारे में पहले से ही वित्तीय संस्थानों और बैंक को सूचित कर दिया है जो कि निम्नानुसार हैं :–

(1) सिडबी ने अन्य मामलों में 31.1/3 प्रतिशत की तुलना में 20 प्रतिशत प्रवर्तक का अंशदान निर्धारित किया है। आई डी बी आई ने अत्यंत सुपात्र मामलों में इसमें 17.5 प्रतिशत तक की छूट देने की सहमति दी है।

(2) आई डी बी आई ने उपयुक्त मामलों में ढील देने के साथ 1.5:1 के डी/ई अनुपात के लिए ऋण एक्विटी अनुपात प्रदान के बारे में एक उदार दृष्टिकोण अपनाने की सहमति दी है।

वित्तीय संस्थानों और बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे कमजोर लेकिन संभाव्य रूप में अर्थक्षम एककों के मामले में नकद लाभ, प्रवर्तक के लाभांश आदि से संबंधित मानकों में ढील देने पर भी विचार करें।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोन

257. **श्री एन.टी. षणमुगम :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विशेष आर्थिक जोन" बनाने **की सरकार की** योजना आरंभ हो गई है;

(ख) क्या विशेष आर्थिक जोन **बनाने के लिए राज्य** सरकार के सभी प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो **तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;

(घ) अब तक कितने विशेष आर्थिक जोन बनाए गए हैं और इनके प्रवर्तक कौन हैं;

(ङ) विशेष आर्थिक जोन बनाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी है;

(च) क्या इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन भी दिए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इसमें संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) सभी विशेष आर्थिक जोनों को पूरा करने और उनके द्वारा कार्यकरण शुरू कराने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) मार्च, 2000 में घोषित निर्यात–आयात नीति में, सरकार ने देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जैड) की स्थापना हेतु एक नीति शुरू की है। इस नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार को किसी नए एस ई जेड की स्थापना नहीं करनी है। लेकिन इस योजना में सरकारी, गैर–सरकारी, संयुक्त क्षेत्र द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा एस ई जैड की स्थापना की परिकल्पना की गयी है। इसके अतिरिक्त मौजूदा निर्यात संसाधन क्षेत्रों को भी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है।

उपर्युक्त नीति के अनुसार सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), कांडला और सूरत (गुजरात) में स्थित 4 निर्यात संसाधन क्षेत्रों का 1.11.2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र में मै. गुजरात पोजीटरा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा पोजीटरा (गुजरात) में तथा नवीं मुम्बई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धान्ततः नानगुनेरी (तमिलनाडु), कुल्पी और साल्ट लेक (पश्चिम बंगाल), पारादीप और गोपालपुर (उड़ीसा), भदोही, कानपुर तथा ग्रेटर नोएडा (यू.पी.), काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश) और हसन (कर्नाटक) में राज्य सरकारों द्वारा उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 11 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। ये जोन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। तकनीकी–आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट तथा जल विद्युत तथा कुछेक अन्य सुविधाएं प्रदान करने की वचनबद्धता द्वारा समर्थित एस ई जेड की स्थापना के लिए इन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों कों क्लीयर कर दिया गया है। इस योजना के तहत एस ई जेड की स्थापना करने हेतु कोई वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था नहीं है।

(च) और (छ) "स्टेट ऑफ दी आर्ट" इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इस समया उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये अभी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में हैं। तथापि ऐसी सुविधाओं के विकास के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है :–

(i) एस ई जेड के विकास हेतु आवश्यक वस्तुओं के लिए उत्पाद शुल्क से छूट तथा रियायती सीमाशुल्क।

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 80 आई ए के तहत हकदारी।

(ज) और (झ) एस ई जेड योजना में प्रस्तावित कुछेक संस्थानों में ये शामिल हैं :– घरेलू क्षेत्र से एस ई जेड को की गयी आपूर्तियों को वास्तविक निर्यात मानना, एस ई जेड प्रायोजकों/एस ई जेड इकाइयों द्वारा वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात तथा खरीद और एस ई जेड प्रायोजकों/एस ई जेड इकाईयों को उपलब्ध आयकर प्रोत्साहनों को बढ़ाना।

(ञ) चूंकि उपर्युक्त एस ई जेड संयुक्त क्षेत्र में/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए हाल ही में अनुमोदित किए गए हैं, इसलिए इन सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के पूरा होने तथा प्रचालन कार्य शुरू करने के लिए समयावधि बताना संभव नहीं होगा। तथापि सरकारी क्षेत्र में 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

धान का न खरीदा जाना

258. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ जैसे परम्परागत धान उत्पादक राज्यों से धान की खरीद न किए जाने और इसके बदले पंजाब तथा हरियाणा जैसे अपरंपरागत धान उत्पादक राज्यों से धान की खरीद किए जाने से उत्पन्न स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के लिए एक ऐसी नीति और दिशा–निर्देश बनाने का है जिसके अंतर्गत परंपरागत धान उत्पादक राज्यों से प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से फसलों की खरीद की व्यवस्था होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन किसानों से धान की वसूली की जा रही है। 25.2.2002 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन मौसम, 2001–2002 के दौरान 15.79 लाख टन धान की वसूली की गई है। पिछले खरीफ विपणन मौसम, 2000–2001 के दौरान राज्य में 5.24 लाख टन धान की वसूली की गई थी। राज्य का विभाजन होने से पूर्व मध्य प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की वसूली कर रही थी। विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में वही व्यवस्था जारी है और राज्य सरकार तथा इसकी एजेंसियां भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की वसूली कर रही हैं।

[अनुवाद]

मौलाना आजाद शैक्षिक परियोजना

259. **श्री ई. अहमद** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ मौलाना आजाद शैक्षिक परियोजना के अन्तर्गत कितने संस्थानों को लाभ मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिठान ने 386 गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की है (31.12.2001 तक)। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक निमुक्त स्वीकृत सहायतानुदान का राज्यवार सारांश

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत राशि (रु.)	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रु.)
1	2	3	4	5
1	अण्डमान	1000000	1	**900000**
2	आन्ध्र प्रदेश	37675000	25	**31325000**
3	असम	16000000	8	**12300000**
4	बिहार	36351800	22	**30260000**
5	दिल्ली	15055500	10	**7820500**
6	गोवा	2500000	1	**2250000**
7	गुजरात	41211800	22	**35999440**
8	हरियाणा	8500000	4	**7925000**
9	जम्मू और कश्मीर	9142000	6	**5917800**
10	झारखण्ड	5800000	4	**4900000**
11	कर्नाटक	51066800	32	**44180000**
12	केरल	36380000	18	**31990000**
13	मध्य प्रदेश	6190000	6	**6040000**
14	महाराष्ट्र	27941800	21	**21674440**
15	मणिपुर	4900000	2	**3400000**
16	उड़ीसा	1032000	4	**922000**
17	पंजाब	6167000	6	**5667000**
18	राजस्थान	9500000	6	**8000000**
19	तमिलनाडु	10600000	5	**6600000**

1	2	3	4	5
20	उत्तरांचल	2500000	1	1250000
21	उत्तर प्रदेश	191473740	160	156828916
22	पश्चिम बंगाल	32540000	22	26140000
	कुल	553527440	386	452290096

हथकरघा बुनकरों को सहायता

260. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग और कारपेट बुनाई केन्द्र के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में, विशेषकर झारखण्ड और बिहार में हथकरघा उद्योग और कारपेट बुनाई केन्द्र के राज्यवार विकास के लिए संभावनाएं तलाशने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी सहायता दी गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं तथा कारपेट बुनाई केन्द्रों के विकास के लिए सीमित संभावनाएं हैं।

(ख) सरकार झारखण्ड तथा बिहार राज्यों सहित हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है तथा राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं।

बुनाई केन्द्रों के लिए उपलब्ध सीमित संभावनाओं को देखते हुए सभी विभागीय कारपेट बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों (जम्मू व कश्मीर के अतिरिक्त) चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसरण में, झारखण्ड में 4 तथा बिहार में 30 केन्द्रों सहित देश में सभी 195 कारपेट बुनाई प्रशिक्षण बंद किए गए हैं। यद्यपि सीमित समूहों में जहां कारपेट बुनाई के विकास की अभी कुछ संभावनाएं हैं, और गैर सरकारी संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) झारखण्ड तथा बिहार सहित विभिन्न सरकारों को उक्त स्कीमों के अंतर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हथकरघा स्कीमों तथा कारपेट बुनाई के तहत राज्यों को दी गई सहायता

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)			
		1999–2000		2000–2001	
		हथकरघा स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई राशि	कारपेट बुनकरों के लिए जारी की गई राशि	हथकरघा स्कीमों के अन्तर्गत जारी की गई राशि	कारपेट बुनकरों के लिए जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1474.23	–	1070.94	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	112.98	–	237.44	–
3.	असम	773.82	–	1170.15	–
4.	बिहार	33.02	0.12	25.56	1.64
5.	छत्तीसगढ़	–	–	5.85	–
6.	दिल्ली	147.34	–	245.36	–
7.	गोवा	–	–	34.27	–
8.	गुजरात	61.49	25.56	626.86	8.83
9.	हरियाणा	133.20	–	31.96	10.97
10.	हिमाचल प्रदेश	159.32	–	121.06	9.43
11.	जम्मू और कश्मीर	80.11	–	131.05	–
12.	झारखण्ड	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
13.	कर्नाटक	200.98	–	303.85	–
14.	केरल	399.71	–	440.34	–
15.	मध्य प्रदेश	219.41	16.08	108.78	1.39
16.	महाराष्ट्र	91.77	1.06	188.97	–
17.	मणिपुर	374.77	8.66	610.37	–
18.	मेघालय	2.96	–	30.18	–
19.	मिजोरम	14.98	–	11.25	–
20.	नागालैण्ड	420.99	1.89	470.84	–
21.	उड़ीसा	614.50	10.35	188.87	–
22.	पांडिचेरी	63.70	–	28.37	–
23.	पंजाब	115.89	4.26	140.63	6.54
24.	राजस्थान	122.04	–	62.24	–
25.	सिक्किम	20.79	6.40	7.47	3.23
26.	तमिलनाडु	1689.91	–	2355.99	–
27.	त्रिपुरा	89.55	–	92.70	–
28.	उत्तर प्रदेश	828.63	26.68	648.22	43.36
29.	उत्तरांचल	–	–	7.38	13.08
30.	पश्चिम बंगाल	720.21	–	620.25	–
	कुल	8966.30	101.06	10017.20	98.47

गुजरात में वस्त्र उत्पादन

261. श्री जे.एस. बराड़ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वस्त्र मिल और हथकरघा उद्योग मालिकों द्वारा किए जा रहे आंदोलन से वहां की कई उद्योग इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान घरेलू उपयोग और निर्यात हेतु किए जाने वाले उत्पादन में कितनी कमी आई है और इससे कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) गुजरात में वस्त्र के अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (घ) गुजरात के विद्युतकरघा बुनकर 3.1.2002 से 28.01.2002 तक हड़ताल पर थे। उनकी मांगे निम्नानुसार हैं :–

1. गुजरात सरकार को अपने उस बिजली के बिल के 30 प्रतिशत का आस्थगन जारी रखना चाहिए जिसे राज्य सरकार द्वारा, गुजरात विद्युत विनियमन आयोग द्वारा विद्युत शुल्क घोषित करने तक अंतरिम राहत के रूप में एकत्रित नहीं किया गया था।

2. गुजरात सरकार को वैसे ही विद्युत–प्रभार वसूल करने चाहिए, जैसे कि विद्युत प्रभार महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने विद्युतकरघा एककों से वसूले जाते हैं।

3. गुजरात सरकार अथवा गुजरात विद्युत बोर्ड को आस्थगन किए गए उन 30 प्रतिशत बिलों की वसूली नहीं करनी चाहिए जो उन्हें 1.8.2000 के पश्चात् से प्रदान की गई थी।

उक्त हड़ताल के कारण, ट्विस्टिंग/टैक्सचरिंग/प्रसंस्करण एककों के क्रियाकलाप प्रभावित हुए। उत्पादन में कुल हानि का विस्तृत आकलन इस क्षेत्र में स्थित विद्युतकरघा एककों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है और उनका दैनिक अनुमानित उत्पादन 40 लाख मीटर परिकलन किया गया है। निर्यात को हुई हानि का आकलन नहीं किया जा सकता है।

गुजरात सरकार ने मामले के अध्ययन तथा उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उद्योग मंत्री, विद्युत मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री को शामिल करते हुए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की है।

चर्मशोधन शाला आधुनिकीकरण कोष योजना

262. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 2000 में शुरू की गई चर्मशोधन आधुनिकीकरण कोष योजना के विस्तार की संभावना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चर्मशोधन शाला आधुनिकीकरण कोष योजना के अंतर्गत अब तक चर्मशोधन शालाओं से कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और वास्तविक रूप से कुल कितने चर्मशोधन शालाओं का आधुनिकीकरण किया जा चुका है और अब तक इन्हें कितनी धनराशि दी जा चुकी है;

(घ) सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं,

(ङ) क्या सरकार को चर्मशोधन शाला आधुनिकीकरण कोष की अनुदान राशि बढ़ाने हेतु चमड़ा उद्योग से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(छ) इस क्षेत्र को त्वरित विकास के लिए आवश्यक सभी प्रोत्साहन और आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या नए कदम उठाए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) जनवरी, 2002 में आरम्भ की गयी चर्मशोधन-शाला आधुनिकीकरण योजना के प्रति चमड़ा उद्योग से प्राप्त हुई प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। इस योजना का दायरा बढ़ाया जाना, दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त निधियों के आबंटन पर निर्भर करता है।

(ग) से (च) इस संबंध में अभी तक 144 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 86 चर्मशोधनशालाओं को शामिल करते हुए 93 प्रस्तावों के लिए 9.44 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है। 53 चर्मशोधनशालाओं को शामिल करते हुए 60 प्रस्तावों के संबंध में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है और उन्हें 6.81 करोड़ रुपये की तत्संबंधी सहायता वितरित की जा चुकी है। हाल ही में 37 चर्मशोधनशालाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। योजना के मानदण्डों के बारे में कुछ पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(छ) चमड़ा उद्योग के एकीकृत विकास हेतु बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सामरिक अंतराल को पूरा किए जाने हेतु, भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.) तथा यू.एन.डी.पी. के अधीन सहायता प्राप्त चमड़ा क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास और रोजगार कार्यक्रम (एस.आई.डी.ई-एन.एल.डी.पी.) के तहत अपेक्षित कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

चीनी के आयात के लिए लाइसेंस

263. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी तरह की चीनी के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कौन सी चीनी का खुले रूप से आयात किया जा सकता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) आई.टी. सी. (एच.एस.) के अध्याय 14 के तहत किए गए वर्गीकरण के अनुसार चीनी का आयात मुक्त है। तथापि, चीनी के आयात ठेके कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाने चाहिए। इसके अलावा आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत चीनी का मुक्त रूप से आयात अन्य सभी लागू घरेलू नियमों के अनुपालन के अधीन है।

[अनुवाद]

पेंशन में संशोधन

264. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1997 से इन संस्थाओं में वेतन संशोधन के फलस्वरूप आर.बी.आई., आई.डी.बी.आई. सरकारी क्षेत्र के बैंक और अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण/संशोधन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए गठित पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 1996 से स्वीकार करने के बाद इन सभी केन्द्रीय सरकारी पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन का उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बिना संशोधन पुनः निर्धारण किया जा चुका है;

(ग) आर.बी.आई., आई.डी.बी.आई., पी.एस.बी. जैसी प्रमुख संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को अब तक संशोधित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क), (ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में वेतन एवं भत्तों (सेवानिवृत्ति लाभों सहित) का निर्धारण कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच निपटारों/समझौतों के रूप में किया जाता है। कर्मचारी यूनियनों/अधिकारी संघों द्वारा भारतीय बैंक संघ (जो बैंक प्रबंधनों का प्रतिनिधित्व करता है) के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में (भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर) अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ) के बदले पेंशन योजना शुरू की गई थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए पेंशन विनियमों में सेवारत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किए जाने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी मूल पेंशन को अद्यतन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, ऐसे सभी पेंशनभोगी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी बढ़ी हुई मंहगाई राहत के लिए पात्र हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों/पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे, वेतन पुनरीक्षण की आवधिकता तथा मंहगाई राहत के परिकलन का फार्मूला सरकारी कर्मचारियों पर लागू फार्मूले से भिन्न है। अतः सरकारी कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों को देय पेंशन संबंधी लाभों के बीच कोई समानता नहीं है।

(ख) पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, 1996 से पुर्व सेवानिवृत्त हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.1.1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

गुजरात में गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी

265. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में बागान/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी करने के मामलों संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक अपराध रोधी प्रकोष्ठ को अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) लघु निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चूककर्ता कंपनियाँ

266. श्री अनंत गुदे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मियादी जमाओं तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स के माध्यम से अनेक पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अत्याधिक धनराशि एकत्रित की गई और मूल तथा ब्याज के भुगतान में इन्होंने चूक की है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या–क्या हैं और कंपनी–वार कितनी धनराशि अदा नहीं की गई है;

(ग) लाखों लघु निवेशकों की मदद करने और उनकी देय राशि की वसूली कराने हेतु इन कंपनियों विशेषकर मैसर्स लोयड फाइनेंस, संचयनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ऊषा इस्पात, पाम फार्मा के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जो लघु निवेशकों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रही हैं उनके कार्यकरण पर

निगरानी रखने के लिए वर्तमान में उपलब्ध नियामक तंत्र क्या है; और

(ड) ऐसी कंपनियों के प्रवर्तकों से निबटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन

267. डा. बी.बी रमैया : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, द्वारा कौन-कौन से अनुसंधान और विकास प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या संस्थान फैबरिक डिजाइन, फैबरिक स्ट्रक्चरिंग, डाई एसीमिलेशन इत्यादि के क्षेत्र में अपने किसी अनुसंधान और विकास प्रयासों का पेटेंट कराने में सफल रहा है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सिले-सिलाए वस्त्रों के डिजाइन में खादी इत्यादि जैसे फैबरिक के प्रयोग का कोई प्रयास किया गया है, और

(ड) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय सिले-सिलाए वस्त्रों के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) राष्ट्रीय फैशन डिजाईन संस्थान (निफ्ड) एक निजी संस्था है। इस प्रकार, सरकार का इसकी गतिविधियों/क्रियाकलापों पर कोई नियत्रण नही है।

(ख) से (ड) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल व्यापार

268. श्री भीम दाहाल :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नेपाल में गड़बड़ी के कारण भारत और नेपाल के बीच सीमा व्यापार प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कतिपय मदों के निर्यात के संबंध में भारत को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस सीमा व्यापार के नियमन के लिए कौन-कौन सी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) भारत और नेपाल के बीच सीमा व्यापार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भारत और नेपाल के बीच औपचारिक व्यापार भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत किया जाता है जिसमें सामान्य सीमाशुल्क व अन्य विनियमों को पूरा करने पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित परस्पर सहमत 22 भू-सीमाशुल्क जांच केन्द्रों के जरिए वस्तुओं के आवागमन का प्रावधान है। हाल ही में नेपाल में गड़बड़ी के कारण भारत और नेपाल के बीच व्यापार के प्रवाह पर किसी प्रकार के प्रभाव, अगर कोई है, के बारे में रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

वृद्धाश्रम योजना

269. श्री अकबर अली खांदोकर :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के वित्त पोषण के पेटर्न सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित वृद्धाश्रम योजना की मुख्य विशोषताएं क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार खोले गए वृद्धाश्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों के कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ड) इन लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीव दिए जाने का संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) ऐसी दो योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से 90% सहायता अनुदान दिया जाता है। ये योजनाएं हैं :–

(i) वृद्ध व्यक्तियों के लिए सचल कार्यक्रम – इस योजना स्कीम के अन्तर्गत वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा यूनिटों और गैर–संस्थागत सेवा केन्द्रों की स्थापना और रखरखाव के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहुसेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व–सहायता समूहों को सहायता की योजना – इस गैर–योजना स्कीम के अन्तर्गत वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों और बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पात्र गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ख) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के लिए वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए और वृद्धाश्रमों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान प्रदान किए गए गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–I में देखी जा सकती है।

(ग) से (ङ) लम्बित नए प्रस्तावों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

नई परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। आवेदन–पत्रों का निपटान का समय निधियों की उपलब्धता की प्राप्ति और उपयुक्त प्राधिकारियों की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

विवरण-I

वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के लिए वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए और वृद्धाश्रमों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान प्रदान किये गये गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योजना–I		योजना–II	
		वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम		वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व–सहायता समूहों को सहायता की योजना	
		1999–2000	2000–01	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	89	81	5	1
2	असम	2	2	2	4
3	छत्तीसगढ़	1	0	0	0
4	गुजरात	1	3	0	0
5	हरियाणा	3	3	3	0
6	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0
7	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6
8	कर्नाटक	19	19	0	1
9	केरल	2	2	0	3
10	मध्य प्रदेश	4	5	0	0
11	महाराष्ट्र	5	2	0	0
12	मणिपुर	19	13	1	0
13	नागालैण्ड	0	1	0	0
14	उड़ीसा	34	22	0	0
15	पंजाब	4	4	4	0
16	राजस्थान	0	0	1	1
17	तमिलनाडु	32	23	1	0
18	त्रिपुरा	2	2	0	0
19	उत्तर प्रदेश	28	18	2	0
20	उत्तरांचल	1	1	0	0
21	पश्चिम बंगाल	25	26	1	0
22	पांडिचेरी	3	3	0	0
23	चंडीगढ़	0	0	1	1
24	दिल्ली	0	0	1	0
	कुल	274	231	23	11

विवरण-II

*(क) **वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम** (ख) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज **संस्थाओं/स्वैच्छिक** संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता की योजना के अंतर्गत लम्बित नये प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या*

26.2.2002 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	योजना-I	योजना-II
		वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता की योजना
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	41	1
2	असम	12	0
3	बिहार	1	0
4	छत्तीसगढ़	2	0

1	2	3	4
5	गोवा	1	0
6	गुजरात	4	0
7	हरियाणा	8	1
8	हिमाचल प्रदेश	4	0
9	जम्मू और कश्मीर	1	0
10	झारखण्ड	1	1
11	कर्नाटक	21	0
12	केरल	5	0
13	मध्य प्रदेश	6	0
14	महाराष्ट्र	23	0
15	मणिपुर	7	1
16	नागालैण्ड	1	1
17	उड़ीसा	16	1
18	पंजाब	7	0
19	राजस्थान	4	2
20	तमिलनाडु	11	1
21	त्रिपुरा	2	0
22	उत्तर प्रदेश	3	2
23	पश्चिम बंगाल	28	3
	कुल	209	14

हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव

270. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य निगमों, राज्य सहकारी समितियों, शीर्ष निकायों से 826 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 585 प्रस्तावों के लिए, देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, वित्तीय सहायता रिलीज करने की मंजूरी दे दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण शिल्प–समूहों की पहचान एवं एकीकृत सहायता पैकेज के जरिए उनके सतत् विकास के लिए हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना प्रारम्भ की है।

[हिन्दी]

बिहार को एशियाई विकास बैंक से ऋण

271. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार को राज्य के सभी जिलों के गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एशियाई विकास बैंक से कोई ऋण अथवा अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी गोदामों को किराए पर लेना

272. श्री टी. गोविन्दन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उन स्थानों जहां पर इसके गोदाम हैं वहां भंडारण प्रयोजनार्थ निजी गोदामों को किराए पर लेने के लिए अत्यधिक धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार ऐसा कितना व्यय किया गया; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) किसी विशेष स्थान/क्षेत्र में भण्डारण स्थान की कुल आवश्यकता और भारतीय खाद्य निगम की अपनी भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर प्राइवेट गोदाम किराये पर लिए जाते हैं। भण्डारण की आवश्यकता वसूली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के प्रयोजनार्थ स्टाक का भण्डारण करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान निजी गोदामों को किराये पर लेने के लिए अदा किया गया राज्यवार किराया संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के लिए किराये को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) जिन गोदामों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें खाली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।

विवरण

वर्ष 1998–99 के दौरान निजी गोदाम किराये पर लेने के लिए अदा किया गया क्षेत्रवार किराया

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	अदा की गई कुल राशि लाख रुपये में
1	2	3
1.	हरियाणा	115.17
2.	हिमाचल प्रदेश	0.22
3.	जम्मू व कश्मीर	2.08

1	2	3
4.	पंजाब	813.69
5.	राजस्थान	79.08
6.	उत्तर प्रदेश	48.79
7.	आन्ध्र प्रदेश	27.86
8.	केरल	2.64
9.	कर्नाटक	13.26
10.	गुजरात	189.88
11.	महाराष्ट्र	32.62
12.	मध्य प्रदेश	99.48
13.	बिहार	111.38
14.	उड़ीसा	37.71
15.	पश्चिम बंगाल	43.27
16.	पी.ओ. कोलकाता	30.29
17.	असम	51.19
18.	उत्तर पूर्व सीमांत	7.96
	जोड़	1706.57

आयकर की वसूली

273. श्री पवन कुमार बंसल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चंडीगढ़ और लुधियाना मंडलों से कितने आयकर की वसूली की गई; और

(ख) उक्त दोनों मंडलों के क्षेत्राधिकार में कौन–कौन से क्षेत्र आते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वर्षों 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान चण्डीगढ़ क्षेत्र से वसूल किया गया आयकर राजस्व क्रमशः 137.19 करोड़ रुपये, 243.97 करोड़ रुपये और 267.91 करोड़ रुपये है।

लुधियाना क्षेत्र से गत तीन वर्षों 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान क्रमशः 201.96 करोड़ रु., 209.27 करोड़ रुपये और 245.19 करोड़ रुपये के आयकर राजस्व की वसूली की गई है।

(ख) चालू वित्त वर्ष में आयकर विभाग के पुर्नगठन से पहले मुख्य आयकर आयुक्त के प्रभार के क्षेत्राधिकार में चण्डीगढ़ संघ शासित प्रदेश और पंजाब में रोपड़ का राजस्व जिला शामिल था और आयकर आयुक्त, लुधियाना के क्षेत्राधिकार में पंजाब राज्य के लुधियाना एवं मोगा राजस्व जिले शामिल थे।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक ऋण

274. श्री वाई.एस विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश पर ऋण बोझ 43,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जबकि राज्य की परिसम्पत्तियां केवल 22,000 करोड़ रुपये की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 1993–94 की तुलना में यह ऋण चार गुना हो गया है लेकिन परिसम्पत्तियां अभी भी दोगुनी नहीं हुई हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) ऐसी कौन–कौन सी मुख्य परियोजनाएं हैं जिनमें सरकार द्वारा लिए गए ऋण का निवेश किया गया है;

(च) क्या पुर्नभुगतान के संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने राज्य द्वारा ऋण लिए जाने संबंधी कोई सीमा निर्धारित की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) 1993–94 से 2000–2001 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य की कुल ऋण देयताएं 3.14 गुना हो गई हैं।

31.3.2001 की यथा–विद्यमान स्थिति के अनुसार राज्य की बकाया ऋण देयताएं 40602 करोड़ रुपये थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कार्यान्वयनाधीन विश्व बैंक परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए जा रहे हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) और (झ) जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत प्रावधान है, राज्यों द्वारा ऋण लिए जाने संबंधी सीमा का निर्धारण और ऐसी सीमाओं के अंतर्गत प्रत्याभूतियां दिया जाना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन विश्व बैंक परियोजनाओं के नाम :

क. अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई.डी.ए.)

1. 2663–आई.एन. आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना, दिनांक 22.12.1994
2. 2950–आई.एन. आंध्र प्रदेश जोखिम शमन और ई.सी. आर. परियोजना, दिनांक 3.6.1997
3. 2952–आई.एन. तृतीय आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना, दिनांक 3.6.1997
4. 3103–आई.एन. आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना, दिनांक 4.2.1999
5. 3332–आई.एन. आंध्र प्रदेश जिला गरीबी शुरूआती परियोजना, दिनांक 12.5.2000

ख. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.)

6. 4156–आई.एन. आंध्र प्रदेश जोखिम शमन, दिनांक 3.6.1997
7. 4166–आई.एन. आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना, दिनांक 3.6.1997
8. 4192–आई.एन. आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग परियोजना, दिनांक 3.7.1997
9. 4360–आई.एन. आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना, दिनांक 4.2.1999
10. 4441–आई.एन. आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्गठन परियोजना, दिनांक 5.3.1999

कताई मिलों का आधुनिकीकरण

275. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कताई मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विशेषकर पश्चिमी भारत में स्थित कताई मिलों के आधुनिकीकरण का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) दिनांक 31.1.2002 की अवस्थिति अनुसार देशभर में 1577 सूती/मानव–निर्मित फाईबर कताई मिलें हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

राज्य/संघ प्रदेश	कताई मिलें
1	2
आन्ध्र प्रदेश	96
असम	6
बिहार	7
छत्तीसगढ़	1
गोवा	1
गुजरात	61
हरियाणा	78
हिमाचल प्रदेश	14

1	2
जम्मू और कश्मीर	2
झारखण्ड	1
कर्नाटक	49
केरल	34
मध्य प्रदेश	40
महाराष्ट्र	129
मणिपुर	1
उड़ीसा	16
पंजाब	73
राजस्थान	44
तमिलनाडु	826
उत्तर प्रदेश	56
उत्तरांचल	5
पश्चिम बंगाल	24
दमन व दीव	1
दादरा नगर हवेली	3
पांडिचेरी	9
कुल	1577

(ख) से (घ) वस्त्र व पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) आरम्भ की गई, जो दिनांक 1.4.1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए परिचालन में है। देश की कताई मिलें, जिनमें पश्चिमी भारत स्थित मिलें भी शामिल हैं, को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए वित्त–पोषण, इस योजना की अनुकरण करती हुई प्रौद्योगिकी उन्नयन की कई योजना पर किसी वित्त संस्थान/बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के 5% की प्रतिपूर्ति तक सीमित है।

कर्नाटक में ज्वैलरी पार्कों की स्थापना

276. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में **ज्वैलरी पार्कों** की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक में जिला उत्तर कन्नड़, कारवाड़ में रत्न तथा **आभूषण** पार्क स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर **सरकार** ने विचार किया था और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ का बाउंड रेट

277. **श्री ए.सी. जोस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल का बागान क्षेत्र संकट से गुजर रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का प्राकृतिक **रबड़ के** प्रसंस्कृत शुष्क रूपों हेतु बाउंड रेट को निर्धारित **25 प्रतिशत** की दर को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर 1994 में की गई गलती को सुधारने के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति **क्या है**; और

(ग) केरल में बागान क्षेत्र के किसानों के लिए अन्य कौन–कौन सी राहत देने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) केरल सरकार ने **रबड़** पर **शुल्क**

की निर्धारित दर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। कृषि पर चल रही वार्ताओं में, भारत ने यह प्रस्ताव किया है कि कृषि करार के उत्पाद कवरेज को रबड़ जैसी प्राथमिक कृषि वस्तुओं को शामिल कर युक्तिसंगत बनाना उपेक्षित है। भारत द्वारा यह भी प्रस्ताव किया गया है कि विकासशील देशों को कम टैरिफ सीमाओं को उरूग्वे दौर के दौरान उत्पादों की समान श्रेणी के लिए वचनबद्ध उच्चतम सीमाओं तक बढ़ाकर उन्हें युक्तिसंगत बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ग) रबड़ उत्पादकों को उनके उत्पाद हेतु लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने रबड़ अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन प्राकृतिक रबड़ के व्यापार हेतु न्यूनतम कीमत निर्धारित कर उसे अधिसूचित किया है। इसके अलावा अग्रिम लाईसेंस पर प्राकृतिक रबड़ के आयात पर रोक लगा दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति में कमी

278. श्री एम.के. सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग और वाणिज्य परिसंघ ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशिष्ट औद्योगिक नीति में कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो नीति में कौन–कौन सी कमियाँ बताई गई हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग और वाणिज्य परिसंघ (एफ. आई.एन.ई.आर.) ने स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबंध, परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत लौह और इस्पात सामग्री के यातायात के लिए किराया राजसहायता, और मैट (न्यूनतम वैकल्पिक कर) हटाने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) वित्त मंत्रालय ने स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबंध हटाने से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति नहीं व्यक्त की है। असम में स्थित एकलों को लौह और इस्पात सामग्री का परिवहन करने के लिए परिवहन सहायता की स्वीकार्यता संबंधी मुद्दे की जांच की जा रही है। सभी पूर्वोत्तर राज्य आयकर अधिनियम, 1961 की viiiवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। धारा 10–सी के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्र और आई.आई.डी.सी. जैसे अभिज्ञात स्थापना स्थलों के उद्योग 10 वर्ष की अवधि के लिए आयकर से मुक्त हैं। धारा 80–आई.बी. के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिसूचित उद्योगों को viiiवीं अनुसूची में पहले से ही उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त, 10 वर्ष के लिए करावकाश भी दिया गया है। मैट का अभिप्राय इस बात का सुनिश्चिय करना है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनेक लाभ उठाने वाली कंपनियों द्वारा कर की न्यूनतम राशि की भी अदायगी की जानी अपेक्षित है।

कॅयर और कॅयर उत्पादों का न्यूनतम निर्यात मूल्य

279. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कॅयर और कॅयर उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य को 1997 के स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) सरकार को कॅयर तथा कॅयर उत्पादों पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) को बनाये रखने के पक्ष तथा विपक्ष में समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रस्तावों की जांच कॅयर बोर्ड के परामर्श से उनके गुण–दोष के आधार पर की जाती है तथा एम ई पी को बनाये रखने और समाप्त करने के लिए उपयुक्त निर्णय लिये जाते हैं।

कपास का आयात

280. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कपास आयात किया गया;

(ख) क्या देश में उत्पादित कपास का मूल्य आयातित कपास के मूल्य से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कपास उत्पादकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) वर्ष 2000–2001 के दौरान 1183 करोड़ रुपये (अनंतिम) मूल्य का 2,12,069 टन कपास का आयात (अपशिष्ट कपास सहित) किया गया।

(ख) और (ग) कपास का मूल्य विविध किस्मों के अनुसार होता है। घरेलू कपास की भारित औसत कीमत से आयातित कपास की भू–कीमत (भारित औसत)* से अधिक होता है। तथापि, कपास का आयात अन्य बातों के साथ–साथ मांग–पूर्ति और गुणवत्ता मानदण्डों पर निर्भर करता है।

(घ) कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जब–जब कपास की बाजार कीमत एम एस पी तक पहुंच जाती है सरकार ने न्यूनतम समर्थन कीमत (एम एस पी) निर्धारित की है तथा भारतीय कपास निगम लि. (सी सी आई) ने समर्थन कीमत अभियान चलाया है। दिनांक 24.02.2002 तक भारतीय कपास निगम ने समर्थन कीमत अभियान के तहत 36,43,721 क्विंटल कपास की खरीद (6,83,028 लिंट कपास के बराबर प्रत्येक 170 किग्रा. गांठ) की।

सरकार ने स्वदेशी कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है।

---

*"कॉटलुक ए और बी" सूचकांक पर आधारित

[हिन्दी]

वृद्धों के लिए राजस्थान को निधियां

281. श्री कैलाश मेघवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1998 से गत चार वर्षों के दौरान योजना–वार वृद्धों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कितने कल्याण कार्यक्रम उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष–वार और योजना–वार इन कल्याण योजनाओं द्वारा कितनी वृद्धा महिलाएं लाभान्वित हुईं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" संबंधी योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों की वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों तथा गैर–संस्थागत सेवा केन्द्रों की स्थापना और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायतानुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व–सहायता समूहों को सहायता की योजना के अंतर्गत वृद्धाश्रमों और बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है।

पिछले चार वर्षों 1997–98 से 2000–01 के दौरान राजस्थान राज्य के गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का योजनावार तथा गैर सरकारी संगठन–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत, 1998–99 एवं 1999–2000 में क्रमशः लगभग 450 पुरुष और 250 महिलाएं लाभान्वित हुईं।

दूसरी योजना अर्थात् "वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता की योजना" के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल भवन के निर्माण के लिए दी जाती है।

विवरण-I

पिछले चार वर्षों अर्थात 1997–98, 1998–99 1999–2000 तथा 2000–01 के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए राजस्थान राज्य के गैर–सरकारी संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे

योजना का नाम - वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

संक्षेप

वृद्धावस्था गृह

दिवा देखभाल केन्द्र

सचल चिकित्सा एकक

गैर सांस्थानिक सेवाएं

(रु. लाख में)

		ओएएच	डीसीसी	एमएमयू	एनआईएस	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
	राजस्थान								
	जयपुर जिला								
1	वरिष्ठ नागरिक परिषद	0	1	1	0	0	0.6	0	0
2	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (जैसलमेर, अल्वर, नागौर, टोंक और चुरू जिले के लिए)	0	5	0	0	0	0	1.35	0

विवरण-II

पिछले चार वर्षों अर्थात 1997–98, 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए राजस्थान राज्य के गैर–सरकारी संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे

योजना का नाम - वृद्ध व्यक्तियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं/वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए स्वयंसेवी संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1.	भारतीय समाज कल्याण परिषद, जयपुर, राजस्थान	वृद्धावस्था गृहों का निर्माण	0.00	2.50	0.00	2.5
2.	विवेक आश्रम मानव कल्याण समिति, श्रीगंगानगर, राजस्थान	वृद्धावस्था गृहों का निर्माण	0.00	5.00	0.00	0
3.	अफीम नशा मुक्ति केन्द्र : मानेकलाओं	वृद्धावस्था गृहों का निर्माण	0.00	0.00	10.00	0

[अनुवाद]

एकल सीमा शुल्क

282. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी उत्पादों पर एकल सीमा शुल्क हेतु उच्च शक्ति प्राप्त चैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) यह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

निजी बिक्री सौदे

283. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री निजी बिक्री सौदे के बारे में 17 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3867 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। अपेक्षित सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 26 फरवरी, 2002 को भेज दी गई है।

दिनांक 26, जुलाई, 2001 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार ने कतिपय कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं, म्यूचुअल निधियों, विदेशी निवेशकों और समुद्रपारीय कारपोरेट निकायों, जिन्होंने अप्रैल–दिसम्बर 2000 के बीच निजी स्थापन के माध्यम से पूंजी जुटाई है, द्वारा किए गए निवेश के मूल्य में कमी के संबंध में "सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई.) की रिपोर्ट का उल्लेख किया है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि उन्होंने केवल एक कंपनी अर्थात एच.एफ.सी.एल. में 1050 रुपये प्रति शेयर की दर से 10.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कंपनी के शेयरों की कीमत 30 अप्रैल 2001 को 156 रुपये 40 पैसे थी जबकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का टिप्स उद्योगों में कोई उदभासन नहीं है, "मुक्ता आर्टस" में निवेश द्वितीयक बाजार लेन–देनों के माध्यम से किया गया।

जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट में उदघृत शेयरों के किसी निजी नियोजन में अभिदान नहीं किया गया है। तथापि, इसने 2 मार्च, 2000 को 1050 रुपये प्रति शेयर की दर से, एच.एफ.सी.एल. द्वारा बुक बिल्डिंग के माध्यम से इक्विटी के एक पूर्ववर्ती निजी नियोजन में कुल 5.25 करोड़ रुपये का अभिदान किया था। संपूर्ण धारिता को निगम द्वारा द्वितीयक बाजार में 1.50 करोड़ रुपये के लाभ पर बेच दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपने निदेशक बोर्ड, जिन्हें निवेश प्रस्तावों का प्रक्रियान्वयन करते समय विशिष्ट जोखिम प्रबंधन पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, के अनुमोदन से निवेश नीति बनाने की सलाह दी है। बैंकों को भी दिनांक 7 जून, 2001 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र द्वारा (आर.बी.आई.–वेबसाइट rbi.org-in पर प्रति उपलब्ध) यह सलाह दी गई है कि वे इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कि निजी रूप से नियोजित दर न निर्धारित किए गए विलेखों में निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अंतर्गत न निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हैं, उपयुक्त प्रणालियां स्थापित करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष रूप से ग्रामीण विकास के लिए स्थापित बैंक

284. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केवल ग्रामीण विकास और पंचायतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई विशेष बैंक स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पंचायतों को उनके क्षेत्र में पूंजी उपलब्ध कराने हेतु ऋण देने के लिए एक विशेष बैंक की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा इसकी जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार के विचार पर ध्यान दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ए.टी.एम. लगवाया जाना

285. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ए.टी.एम. लगवा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक बैंक द्वारा तैयार की गई कार्य योजना निम्नलिखित है :–

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रस्तावित एटीएम की संख्या	जिस तारीख तक संस्थापित किए जाने हैं
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	540	31.12.02
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	23	31.03.02
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	20	30.06.02
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	12	31.03.02
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	15	30.06.02
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	28	31.03.03
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	21	31.03.02
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	51	30.09.02
9.	इलाहाबाद बैंक	50	31.03.03
10.	आन्ध्रा बैंक	220	31.03.03
11.	बैंक आफ बड़ौदा	50	31.03.02
12.	बैंक आफ इंडिया	76	31.03.02
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	105	31.03.02

1	2	3	4
14.	केनरा बैंक	46	31.03.02
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	अंतिम रूप दिया जा रहा है	31.03.03
16.	कार्पोरेशन बैंक	151	31.03.03
17.	देना बैंक	25	31.03.02
18.	इंडियन बैंक	अंतिम रूप दिया जा रहा है	31.03.03
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	67	31.03.02
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	40	31.05.02
21.	पंजाब नैशनल बैंक	84	31.03.02
22.	पंजाब एंड सिन्ध बैंक	1	31.03.02
23.	सिंडिकेट बैंक	200	31.03.04
24.	यूको बैंक	5	31.03.02
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	20	31.03.02
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	50	31.03.03
27.	विजया बैंक	8	31.03.02

अनाथालय तथा धर्मार्थ गृह अधिनियम, 1960 में संशोधन

286. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री आर.एस. पाटिल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से अनाथालय तथा धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 में राज्य सरकारों की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संशोधन करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों को कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अनाथालय तथा धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 में कुछ संशोधन करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा उस केन्द्रीय अधिनियम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से कार्रवाई की जाती है, अतः इन संशोधनों के संबंध में समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

287. श्री शिवाजी माने :

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

श्री लक्ष्मण सेठ :

श्री जे.एस. बराड़ :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को रुग्ण घोषित किया गया है, बी.आई.एफ.आर. को सौंपा गया है और बन्द किया गया है;

(ख) कितने कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित किया गया है और उनमें से कितनों को सरकारी क्षेत्र के उद्यम–वार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दी गई है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके गठन विचारार्थ विषयों और गठन तिथि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 66 रुग्ण उपक्रम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड में पंजीकृत किए गए हैं। भारत गोल्ड माईन्स लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टेफ्फको), माण्डया नैशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (एम.एन.पी.एम.), भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजिनियरिंग लिमिटेड (बी.पी.एम.ई.एल.), बेवर्ड (इंडिया) लि. (डब्ल्यू. आई.एल.) उद्योग पुर्नस्थापन निगम (आर.आई.सी.), नैशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.बी.सी.आई.एल.), माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ए.एम.सी.) तथा साईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई.एल.) के प्रतिष्ठान बन्द कर दिए गए हैं। टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (टी.आई.एल.) का टांगड़ा एकक, एच.एम.टी. के 4 एकक तथा बर्न स्टैण्र्ड कम्पनी (बी.एम.सी.एल.) लिमिटेड के 7 घाटा उठाने वाले रिफ्रैक्ट्रीज एकक/फैब्रिकेशन यार्ड बन्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने भारतीय सड़क निर्माण निगम (आई.आर.सी.सी.) तथा ई.टी. एण्ड टी. को बन्द करने के लिए अनुमोदन कर दिया है। चाय व्यापार निगम (टी.टी.सी. आई.) ने परिसमापन के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया है।

(ख) कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 1998–1999, 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 29628, 43760 तथा 45625 थी।

(ग) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के 9 रुग्ण उपक्रमों माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ए.एम.सी.), टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टेफको), बेवर्ड (इंडिया) लि. (डब्ल्यू.आई.एल.), भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजिनियर्स लिमिटेड (बी.पी.एम.ई.एल.), नैशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.बी.सी.आई.एल.), उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि. (आर.आई.सी.), टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (टी.सी.आई.एल.) के टांगड़ा एकक, भारत आथ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड (बी.ओ.जी.एल.), तथा नैशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड (एन.आई.एल.) के पुनर्स्थापन की सम्भावना का पता लगाने के लिए अप्रैल, 1999 में बी.वाई.एन.एल. के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एच.सी. गान्धी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रथम 7 उपक्रमों के मामले में विशेषज्ञ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पुनर्स्थापन की कोई उपयुक्त सम्भावना नहीं है और इन सरकारी उपक्रमों को बन्द कर दिया गया है। जहां तक शेष 2 उपक्रमों का सम्बंध है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने एन.आई.एल. की पुनर्स्थापन योजना स्वीकृत कर दी है, जो कि कार्यान्वयनाधीन है। बी.ओ.

जी.एल. के मामले में औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नीमाण बोर्ड, एक अर्धन्यायिक निकाय, की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संधियां

288. श्री के.पी. सिंह देव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ौसी देशों के साथ व्यापार संधियों की समीक्षा की है या उसका समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन संधियों की समीक्षा से पूर्व इन देशों के साथ कई दौर की वार्ताएं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो विद्यमान संधियों में विशेषकर भारत–नेपाल व्यापार संधि के मामले में भारत सरकार द्वारा क्या विशेष परिवर्तन किए गए हैं;

(ङ) इन देशों की प्रतिक्रिया क्या है;

(च) क्या संधियों की समीक्षा करने से पूर्व भारत में इन देशों के सामानों के पाटन और तस्करी पर भी चर्चा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो हमारी सरकार द्वारा पड़ौसी देशों के साथ हस्ताक्षरित नई संधियों में भारतीय उद्योगों को प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए क्या विशेष शर्तें जोड़ी गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (छ) पड़ौसी देशों में भारत के (पाकिस्तान को छोड़कर) सभी देशों अर्थात् चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बंगलादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार/संधियां हैं।

भारत और नेपाल के बीच की ही व्यापार संधि की समीक्षा की जा रही है। भारत नेपाल व्यापार संधि की वैधता अवधि को बढ़ाये जाने से पूर्व दिसम्बर 1996 में यथा संशोधित उक्त संधि के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हुए कुछेक मुद्दों का समाधान करने के लिए भारत और नेपाल के संबंधित प्राधिकारियों के बीच विचार–विमर्श चल रहे हैं। संधि की अवधि को 5 दिसम्बर, 2001 से तीन माह की सीमित अवधि तक बढ़ाने पर सहमति हुई है ताकि संधि पर वार्ताएं संपन्न की जा सकें।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन

289. डा. बलिराम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत उन औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है जहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है;

(ख) उन कर्मचारियों का भर्ती वर्ष क्या है जिन पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जा रही है और उन्हें किस तरीके से सेवानिवृत्ति लाभों की अदायगी की जा रही है;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन सुविधा दी जा रही, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) तत्कालीन राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अधीन स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को केवल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बढ़ाया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां कार्यरत नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

290. योगी आदित्यनाथ :

श्री बृजलाल खाबरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गई हस्तशिल्प वस्तुओं का मूल्य कितना था;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आती रही;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित; हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प वस्तुओं का मूल्य निम्न प्रकार है :–

वर्ष	निर्यात
1998–1999	7072.34 करोड़ रुपये
1999–2000	8059.63 करोड़ रुपये
2000–2001	9270.50 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) जी, हां। विश्व बाजार में व्याप्त मंदी की प्रवृत्ति, क्रेताओं की क्रय प्रवृत्ति में तेजी से होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाजार का अननुमेय होना, यू.एस.ए. एवं यूरोपीय अर्थव्यवस्था में गिरावट तथा अन्य प्रतियोगी देशों की तुलना में निर्यात ऋणों पर ब्याज की उच्च दर, इस गिरावट के प्रमुख उत्तरदायी कारण हैं।

(घ) हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में, क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन; समुद्रपार प्रचार; डिजाइन विकास; निर्यात विपणन एवं पैकेजिंग आदि पर कार्यशालाओं का आयोजन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी; विदेशों में बिक्री–सह–अध्ययन दल प्रायोजित करना; हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद तथा कालीन निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में क्रमशः भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों (ऑटम एवं स्प्रिंग) तथा भारतीय कालीन एक्सपो का आयोजन तथा ग्रेटर नोएडा में भारतीय एक्सपोजिशन मार्ट की स्थापना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

कृषि उपकरणों का विनिर्माण

291. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उपकरणों के विनिर्माण में लगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और इन उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि उपकरणों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) दिनांक 27.2.2001 को लोक सभा में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1999–2000 नामक एक प्रकाशित प्रलेख के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का ऐसा कोई उपक्रम नहीं है, जो एक मात्र कृषि सम्बंधी उपस्करों का विनिर्माण करता हो। बहरहाल, एच.एम.टी. लिमिटेड, राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेण्ट्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड आदि जैसे कुछेक सरकारी उपक्रम ट्रैक्टरों, खाद्य प्रसंस्करण मशीनों, दुगधशाला उपस्करों, कृषि सम्बंधी इलैक्ट्रानिक उपस्करों, मत्स्यन नौकाओं, मत्स्यन ट्रॉलरों आदि के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अनेक मदों के विनिर्माण के लगे हुए हैं।

(ख) से (घ) कृषि संबंधी उपस्करों के मामले में सरकारी क्षेत्र के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की पहचान

292. श्री ताराचन्द भगोरा :

श्री राम प्रसाद सिंह :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्रीमती कान्ति सिंह :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डारों की उपलब्धता के बावजूद छह राज्यों में भुखमरी के कारण हुई मौतों के मामलों के मद्देनजर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सोलह राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पहचान करने और इस आशय की रिपोर्ट दो सप्ताह में प्रस्तुत करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन किन–किन राज्यों ने कर लिया है;

(ग) केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर दिल्ली में लक्षित गरीबों में सबसे गरीबों तक पहुंचने में अन्तोदय योजना के लाभ असफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में दिनांक 3.9.2001 के अपने अंतरिम आदेश में नोट किया है कि 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी ने अभी तक अंत्योदय अन्न योजना के अधीन परिवारों की पहचान नहीं की है। उच्चतम न्यायालय ने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया था कि 2 सप्ताह के अंदर केन्द्र सरकार के निदेशों का अनुपालन करें। बाद के दिनांक 28.11.2001 के अंतरिम आदेश में राज्यों को निदेश दिया गया था कि वे 31.12.2001 तक गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की पहचाल पूरी कर लें। सभी राज्यों ने गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की पहचान करने की सूचना दी है।

(घ) से (छ) जी, नहीं। चूंकि अंत्योदय लाभभोगियों की पहचान करना इस योजना की सफलता का महत्वपूर्ण घटक है इसलिए इस योजना के अधीन लाभभोगियों की उचित पहचान करने के लिए व्यापक व्यवस्था करने में दिल्ली सहित कुछ राज्यों द्वारा काफी समय लिया गया है। दिल्ली राज्य सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 32,000 परिवारों की पहचान की है और जनवरी, 2002 से खाद्यान्नों का आबंटन शुरू हो गया है।

भारत फ्रांस व्यापार समझौता

293. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

डा. अशोक पटेल :

श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की संभावनाओं की खोज के संबंध के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौता किस तिथि से लागू होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) भारत–फ्रांस समिति का 11वां सत्र नई दिल्ली में 5 दिसम्बर, 2001 को आयोजित हुआ था। बैठक की समाप्ति पर जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों पक्षों ने खनिज पूर्वेक्षण एवं विकास, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रौद्यागिक, दूर–संचार, शहरी विकास, जैव–प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहयोग इत्यादि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तौर–तरीकों पर विचार–विमर्श किया गया था।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

294. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योगों के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यवार कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को ऋण देने के लिए शर्तों को उदार बनाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान से संबंधित वस्त्र परियोजनाएं

295. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान में वस्त्र क्षेत्र की किन–किन परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है या कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) वर्तमान में केन्द्र सरकार के पास राजस्थान से संबंधित कौन–कौन सी वस्त्र परियोजनाएं लम्बित हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में वस्त्र क्षेत्र की परियोजनाएं और योजनाएं, हथकरघा, हस्तशिल्प, ऊन, कपास और विद्युतकरघा आदि के विकास से संबंधित हैं। इन परियोजना को चलाने के लिए वस्त्र मंत्रालय के अधीन संबंधित कार्यालयों द्वारा राजस्थान राज्य सरकार, गैर–सरकारी संगठनों/बोर्ड आदि द्वारा अनुदान जारी किया जाता है। योजनाओं/परियोजनाओं और पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गये अनुदान के ब्यौरों के साथ–साथ विचाराधीन अनुरोधों के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, III और IV में दिये गए हैं।

विवरण-I

हथकरघा क्षेत्र

राजस्थान राज्य को जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

योजना का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में)		
	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4
वर्कशेड–सह–आवास योजना	–	92.24	–
परियोजना पैकेज योजना	34.05	92.99	–
स्वास्थ्य पैकेज योजना	–	5.00	–
बचत निधि योजना	–	1.00	–
नयी बीमा योजना	1.68	1.36	2.56
विपणन विकास सहायता योजना	8.02	11.99	37.63
जनता कपड़ा योजना	2.27	6.93	0.05
प्रचार प्रदर्शनियां	21.75	2.77	22.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त निर्यात योग्य उत्पादों के विकास और उनकी विपणन संबंधी योजना के अंतर्गत व्यापक निर्यात उत्पादन और विपणन करने के लिए राजस्थान में कैथून में हथकरघा केन्द्र स्थापित करने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद को वर्ष 1999–2000 के दौरान 34.00 लाख रुपये में से 13.00 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

विवरण-II

हस्तशिल्प क्षेत्र

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में शिल्प समूह के एकीकृत विकास के लिए अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना में निम्नलिखित परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है :

क्र.सं.	जिनको परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं उनके नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	मै. श्योर, बाड़मेर	1,31,800.00 रु.	65,900.00 रु.
2.	मै. सेवा मंदिर, उदयपुर	1,50,000.00 रु.	75,000.00 रु.
3.	मै. भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर	1,00,000.00 रु.	50,000.00 रु.
4.	मै. राजस्थान लघु उद्योग सहकारिता जयपुर	6,73,000.00 रु.	3,36,500.00 रु.
5.	सामाजिक कार्य अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	65,000.00 रु.	32,500.00 रु.

इनके अतिरिक्त राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की भी स्वीकृति दी गई है :

(1) यूएनडीपी की सहायता से जोधपुर में क्रमशः 21.15 लाख और 25.48 लाख की लागत की ऊन अनुसंधान योजना (डब्यूएसपी) और सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना।

(2) अजमेर और अलवर में क्रमशः 6.43 लाख रुपये की लागत के वर्कशेड–सह–आवास की 59 ईकाईयों और 61 वर्कशेड का निर्माण।

(3) उदयपुर, कोटा, माकासारा, टिलोनिया, बाडमेर, बैजू और जयपुर में 7.01 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जयपुर और जोधपुर में शहरी हाटों की स्थापना करने के लिए राजस्थान सरकार को सिद्धांतः स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान के उन्नयन के लिए एक परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन करने की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण-III

ऊन क्षेत्र

राजस्थान राज्य में क्रियान्वित केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की चल रहीं योजनाएं/परियोजनाएं

(लाख रु. में)

योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना क्षेत्र/केन्द्र/ मशीन की संख्या	जारी किया गया कुल अनुदान (लाख रु. में)	निधियों के उपयोग का %	अनुदान जिसके लिये यू.सी. लंबित है	जारी किये गये अनुदान का प्रारंभिक वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
मशीन कटाई–सह–प्रशिक्षण परियोजना	वहीं	13 मशीनें	4.68	शून्य	04.68	1999–00
औद्योगिक सेवा केन्द्र	शिल्प व डिजाइन संस्थान जयपुर	जयपुर	46.82	96%	46.82	1998–99
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	डिडवाना (नागौर)	20.00	96%	0.82	1997–98
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	पचपादरा (बाडमेर)	20.77	68%	06.61	1997–98
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	वलोत्तरा (बाडमेर)	22.80	70%	06.76	1997–98
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	पीपड़ (जोधपुर)	41.74	71%	12.08	1997–98
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	रानीवाडा (जलोड)	20.62	65%	07.10	1996–97
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	सिरोही (सिरोही)	40.77	69%	12.61	1996–97
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	लूनी (जोधपुर)	42.72	72%	12.09	1997–98
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	मेरतासिटी (नागौर)	19.05	87%	02.45	1998–99
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	पिंडवाड़ा (सिरोही)	19.24	67%	06.21	1998–99
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	पाली (पाली)	18.80	54%	08.52	1998–99
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	देवीकोट (जैसलमेर)	18.95	67%	06.16	1998–99
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	जैसलमेर (जैसलमेर)	18.71	68%	05.97	1998–99
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	सुमेरपुर	21.21	77%	04.79	1997–98
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	बालेशर (जोधपुर)	19.09	73%	05.06	1998–99
एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	सीवाना (बाडमेर)	19.39	73%	05.17	1998–99
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	पुगल (बीकानेर)	10.80	84%	01.75	1999–00

1	2	3	4	5	6	7
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	लुणकरसर (बीकानेर)	10.80	60%	04.27	1999–00
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	महाजन (बीकानेर)	10.80	70%	03.25	1999–00
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	बीकानेर	10.80	83%	01.80	1999–00
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	सतसार (बीकानेर)	10.80	84%	01.75	1999–00
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	वज्जू व गजनेर	10.80	81%	02.07	1999–00
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	जसासर (बीकानेर)	10.80	74%	02.79	1999–00
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	नापासार (बीकानेर)	19.27	82%	03.55	1999–00
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	नौखा (बीकानेर)	18.64	84%	03.05	1999–00
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	मडोर, जोधपुर	05.00	55%	02.25	2000–01
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	रायपुर (पाली)	05.00	38%	03.10	2000–01
एकीकृत भेड व ऊन विकास कार्यक्रम	पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	रानी (पाली)	05.00	37%	03.16	2000–01
	आईएसडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत निधियों का कुल आबंटन		492.37	73%	135.14	
		कुल योग	543.87	66%	186.69	

हाल ही में निम्नलिखित दो नई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं:–

1) राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में बाजार से संबद्ध भेड़ पालन कार्य।

परियोजना लागत – 720 लाख रुपए

2) राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में प्रजाति सुधार परियोजना।

परियोजना लागत – 360.61 लाख रुपये।

विवरण-IV

कपास क्षेत्र

उचित कीमतों पर कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने पांच वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। राजस्थान में सुधार/सक्रिय बनाने के लिए सात मार्केट यार्ड शुरू किए हैं।

विद्युतकरघा क्षेत्र

राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकास योजनाएं चल रही हैं :–

(1) बुनाई आदि में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, परामर्श, डिजाइन विकास सहायता, वस्त्र परीक्षण और सूचना प्रदान करने के लिए सरकार ने देश में विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की स्थापना की है जिनमें से तीन विद्युतकरघा सेवा केन्द्र राजस्थान राज्य में हैं।

(2) सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र को डिजाइन विकास और सहायता प्रदान करने के लिए सीएडी केन्द्र स्थापित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसा ही एक केन्द्र राजस्थान राज्य में पहले से स्थापित किया गया है।

(3) वर्ष 1995–1996 से शुरू की गई प्रयोगशालाओं को स्थापित/उन्नयन/आधुनिकीकरण/सुदृढ़ बनाने की योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में दो विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की परीक्षण प्रयोगशालाओं को पहले से ही उन्नत बनाया गया है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.3.2004 तक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू की गई। 31.12.2000 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) की प्रगति नीचे दी गई है :

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कुल परियोजना लागत	स्वीकृत		संवितरित	
		आवेदन पत्रों की संख्या	राशि	आवेदन पत्रों की संख्या	राशि
167	1246.97	115	373.53	97	263.83

सूखाग्रस्त राज्यों को बाहरी सहायता

296. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान राजस्थान और अन्य सूखाग्रस्त राज्यों को विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या उक्त राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राजस्थान और अन्य राज्यों को, जिन्होंने वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 में सूखे की–सी स्थिति सूचित की थी, विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी सहायता–प्राप्त परियोजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) विदेशी सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर प्राप्त की जाती है। परियोजना कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को पहले व्यय करना होता है और उसके बाद प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया जाता है। उपयोग में लाई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(करोड़ रु.)

2000–2001

सूखा प्रभावित राज्य का नाम	वित्तीय सहायता निम्नलिखित संस्था से प्राप्त हुई							
	विश्व बैंक							
	एडीबी	आईएफएडी	आईबीआरडी	आईडीए	ओपेक	यूएनडीपी	यूएनएफपीए	जोड़
राजस्थान	1.368		82.496	47.968				**131.83**
गुजरात	250.059		153.402					**403.46**
हिमाचल प्रदेश					11.875			**11.88**
मध्य प्रदेश				16.303	17.426			**33.73**
महाराष्ट्र		25.272	79.44					**104.71**
उड़ीसा			228.516	146.729	3.884	379.13		**379.13**

टिप्पणी : इसके अलावा बहु–राज्यीय परियोजनाएं हैं जिनमें छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल सहित सूखा प्रभावित राज्य भी भाग ले रहे हैं।

2001–2002 (दि. 31-12-2001 की स्थिति के अनुसार)

सूखा प्रभावित राज्य का नाम	वित्तीय सहायता निम्नलिखित संस्था से प्राप्त हुई							
	विश्व बैंक							
	एडीबी	आईएफएडी	आईबीआरडी	आईडीए	ओपेक	यूएनडीपी	यूएनएफपीए	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	**9**
राजस्थान	4.259		0.14	18.22				**22.62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश		15.156	434.566	195.674		0.675		646.33
कर्नाटक	38.826		432827	371.93	3.41	-	-	846.73
मध्य प्रदेश				1.365	7.908			9.27
महाराष्ट्र		19.543	55.067				3.864	78.47

टिप्पणी : उपर्युक्त के अलावा बहुराज्यीय परियोजनाएं हैं, जिनमें बिहार सहित सूखा–प्रभावित राज्य भी भाग ले रहे हैं।
[अनुवाद]

कारवार पत्तन से खाद्य तेल का आयात

297. श्री आर.एस.पाटिल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के दिनांक 2.5.2001 और 8.5.2001 के हाल के नोटिस के अनुसार कुछ ही पत्तनों को खाद्य तेल सहित कतिपय मदों के लिए अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इस सूची में कर्नाटक सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी लघु पत्तन को शामिल नहीं किया गया है जबकि राज्य में कारवार, मंगलौर आदि जैसे कई पत्तन हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कारवार सर्वकालीन पत्तन को पत्तनों की सूची में जोड़ने और खाद्य तेल आयात की अनुमति देने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का निर्णय क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) खाद्य तेल सहित 300 संवेदनशील मदों के बारे में पत्तन संबंधी प्रतिबंध दिनांक 2.5.2001 की अधिसूचना सं. 11 (आर ई–2001)/ 97–2002 के तहत और दिनांक 8.5.2001 की अधिसूचना सं. 12 (आर ई–2001)/97–2002 के तहत लगाए गए थे। ये प्रतिबंध आयात प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद आयात संबंधी आंकड़ों को शीघ्र एकत्र करने के प्रयोजनार्थ लगाए गए थे। तथापि, इस वजह से हुई असुविधा को ध्यान में रखने के बाद, ये प्रतिबंध दिनांक 21.5.2001 की अधिसूचना सं. 13 (आर ई–2001)/97–2002 के तहत वापस ले लिए गए थे।

नि:शक्त लोगों के कल्याण के लिए कोष

298. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वीकृत की गयी सम्पूर्ण धनराशि का समुचित ढंग से उपयोग नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनप्रयुक्त धनराशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का समुचित उपयोग किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) 2000–2001 के दौरान, मंत्रालय ने विकलांगता क्षेत्र के बजट अनुमानों के अंतर्गत आबंटन का 94% और संशोधित अनुमानों का 95% उपयोग किया। वर्तमान वर्ष में, 26 फरवरी, 2002 तक बजट अनुमान आबंटन का 88% उपयोग किया गया है और शेष निधियों का पूरे तौर पर उपयोग किये जाने की आशा है।

2000–01 में निधियों के उपयोग में कमी कुछ नयी योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन में धीमी गति के कारण थी। जब कभी भी जरूरत होती है तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में बचतों का पुनर्वियोजन किया जाता है। आबंटन का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय विभिन्न योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से मानीटरिंग भी कर रहा है।

धान की खरीद में कमी

299. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री निखिल कुमार चौधरी :

श्री राजो सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार राज्य सरकारों ने विगत खरीफ और रबी मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल/धान की खरीद में कमी के संबंध में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आज की तिथि तक उक्त दोनों राज्यों में कितनी मात्रा में धान/चावल की खरीद की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) बिहार सरकार अपने दिनांक 27.11.2000 और 9.12.2000 के पत्रों द्वारा अनुरोध किया था कि धान की वसूली के लिए क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी जाए, विर्निदिष्टियों में ढील दे दी जाए क्योंकि खरीफ विपणन मौसम, 2000–01 के दौरान अधिक वर्षा और बाढ़ से धान की फसल प्रभावित हुई है। केन्द्र सरकार ने क्रय केन्द्रों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी है और क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित तथा घुने हुए अनाज के संबंध में धान की विनिर्दिष्टियों में ढील देकर इन्हें 6% कर दिया गया है जबकि एक समान विनिर्दिष्टियों में 3% का प्रावधान है। ढील दिए गए मानकों की धान की कस्टम मिलिंग से चावल की प्राप्ति के अनुपात को रॉ चावल के लिए 64% और सेला चावल के 65% कर दिया गया है जबकि ये मानक रॉ चावल के लिए 67% और सेला चावल के लिए 68% हैं।

उड़ीसा सरकार ने अपने दिनांक 25.4.2001 और 9.5.2001 के पत्रों द्वारा उल्लेख किया है कि धान की मजबूरन बिक्री के मामले सामने आये हैं और भारतीय खाद्य निगम भण्डारण स्थान की कमी के आधार पर आगे स्टाक की वसूली करने में अपनी असमर्थता जता रहा है। राज्य सरकार ने रबी वसूली को हैण्डल करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई तैयारी और व्यवस्थाओं का स्थल पर आकलन करने के लिए प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम को तैनात करने का अनुरोध भी किया है।

विशेष अभियान के रूप में भारतीय खाद्य निगम ने स्थानीय वसूली के प्रयोजनार्थ विशेष रूप से उड़ीसा में राज्य भण्डारण निगम और प्राइवेट पार्टियों से 80000 टन की भण्डारण क्षमता किराये पर ली थी और भण्डारण स्थान की कमी की समस्या को हल कर लिया गया था। अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम ने 12 से 14 जून, 2001 तक भुवनेश्वर का दौरा किया था और मुख्य मंत्री, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री, मुख्य सचिव तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ धान की वसूली की स्थिति पर चर्चा की थी। 26.2.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में 4.66 लाख टन चावल की वसूली की है जबकि पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान 3.81 लाख टन की वसूली की गई थी। बिहार में 26.2.2002 की स्थिति के अनुसार 8994 टन धान की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान 6352 टन की वसूली की गई थी।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम

300. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने न्यूयार्क में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम के ग्लोबल इकोनोमिक आउटलुक सेशन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) चर्चा और भारतीय शिष्टमंडल द्वारा चर्चा में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा ने 2 फरवरी, 2002 को न्यूयार्क में आयोजित विश्व आर्थिक मंच पर

भूमण्डलीय आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित एक पूर्णाधिवेशन में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री पेनल में विकासशील देशों के एकमात्र प्रतिनिधि थे। पेनल में शामिल अन्य व्यक्ति थे : कीनथ डब्ल्यु डैम (उप–सचिव, अमरीकी कोष) लारेन्ट फेबियस (फ्रांस के वित्त मंत्री) हार्स्ट कोहलंर (प्रबंध निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष), हिजो तंकेका (जापान में आर्थिक एवं राजकोषीय नीति मंत्री) और पॉल क्रगमैन (येले विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर)।

(ग) और (घ) विचार–विमर्श के दौरान, वित्त मंत्री ने भूमण्डलीय आर्थिक मंदी के दो पहलुओं और उनके प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया। सर्वप्रथम, उन्होंने विश्व के अधिकांश देशों के बीच जी डी पी वृद्धि में हो रही गिरावटों के सह संबंधों को देखते हुए समन्वित भुमण्डलीय प्रतिक्रियाओं की जरूरत पर जोर दिया। दूसरे, उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों में आमदनी और मानव–कल्याण पर भूमण्डलीय मंदी के विषम प्रभाव पर टिप्पणी की और विकसित देशों से आग्रह किया कि वे विकासशील देशों के निर्यातों के लिए बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाएं। उन्होंने भारतीय इस्पात निर्यातकों को संरक्षणवादी उपायों के कारण हो रही समस्याओं तथा भारतीय कृषि निर्यातों को उन्नत देशों में कृषि संबंधी सब्सिडियों के कारण हो रही समस्याओं का हवाला दिया। वित्त मंत्री के विचारों का हार्स्ट कोहंलर (प्रबंध निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने पूर्ण समर्थन दिया।

प्रमुख क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि

301. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रमुख क्षेत्र के छह उद्योगों के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का माहवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में विकास दर में गिरावट के क्या कारण हैं और विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें किस सीमा तक गिरावट आई है;

(घ) क्या प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों की वर्तमान स्थिति के परिणामस्वरूप देश की लक्षित वार्षिक विकास दर प्रभावित होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों की विकास दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) जनवरी, 2002 के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, छह प्रमुख क्षेत्रों नामतः, विद्युत, कोयला, परिष्कृत इस्पात, कच्चा पैट्रोलियम, पैट्रोलियम शोधनशाला उत्पादों और सीमेंट की समग्र विकास दर जनवरी, 2001 के दौरान प्राप्त की गई 1.6 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में 5.9 प्रतिशत रही है। अप्रैल–जनवरी, 2001–2002 के दौरान इन छह क्षेत्रों द्वारा प्राप्त की गई समग्र संचयी विकास दर, विगत वर्ष की इसी अवधि की 6.3 प्रतिशत दर्ज की गई समग्र संचयी विकास दर की तुलना में 2.5 प्रतिशत रही है। इन छह क्षेत्रों के उत्पादन के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का उल्लेख नीचे किया गया है :

कोर क्षेत्र	यूनिट	लक्ष्य (जनवरी 02)	वास्तविक (जनवरी, 02)	लक्ष्य (अप्रैल–जनवरी, 2001–2002)	वास्तविक (अप्रैल–जनवरी, 2001–2002)
1	2	3	4	5	6
विद्युत	बी.यू.	47.58	44.4	448.64	427.69
कोयला	एम.टी.	32.17	32.10	260.23	258.5
परिष्कृत इस्पात	एम.टी.	2.99	2.73	29.70	25.47
कच्चा पैट्रोलियम	एम.टी.	2.75	2.78	27.41	26.79

1	2	3	4	5	6
पैट्रोलियम शोधनशाला उत्पाद	एम.टी.	9.82**	8.73*	95.39**	83.33*
सीमेंट	एम.टी.	9.80	9.26	85.40	88.17

**कुल उत्पादन *शोधनशाला उत्पादन

(ग) नई क्षमताओं का सृजन करने में कमी के कारण समग्र आर्थिक गिरावट अवसंरचनात्मक क्षेत्र में कम निवेश, विद्युत की कमी तथा विशेषरूप से इस्पात की मांग में कमी इन छह उद्योगों में उत्पादन की गिरावट के कुछ मुख्य कारण हैं। इन क्षेत्रों की विकास दरों और विगत वर्ष की इसी अवधि की विकास दरों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गई है :–

क्षेत्र	अप्रैल–जनवरी, 2000–2001	अप्रैल–जनवरी, 2001–2002
विद्युत	4.6	2.9
कच्चा पैट्रोलियम	1.4	–1.8
पैट्रोलियम शोधनशाला उत्पाद	23.7	4.9
सीमेंट	0.4	7.5
परिष्कृत इस्पात	8.2	1.1
कोयला	4.9	3.7

(घ) अर्थव्यवस्था की समग्र जी.डी.पी. विकास दर सभी प्रमुख क्षेत्रों नामतः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की विकास दरों से प्रभावित होती है। चूंकि औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक में इन छह क्षेत्रों की भारिता कम है, इसलिए इन क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट का समग्र जी.डी.पी. की विकास दर पर तदनुरूप कम ही प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) सरकार ने इन क्षेत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं :

- प्रधानमंत्री की वृहत सड़क परियोजनाओं का शुभारम्भ, जिससे सीमेंट और इस्पात उद्योगों की मांग में वृद्धि होगी।
- सरकार ने एकीकृत नगर–क्षेत्रों और क्षेत्रीय शहरी अवसंरचनात्मक विकास के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति हेतु दिशा–निर्देशों की घोषणा की है। इससे आवासीय/स्थावर संपदा क्षेत्र में वृद्धि और सीमेंट तथा इस्पात क्षेत्रों के उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है
- इस्पात निर्यात के लिए शुल्क पात्रता पास बुक (डी.ई.पी.बी.) दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके।
- सरकार, सीमेंट उद्योग को सीमेंट का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान कर रही है। सीमेंट की, सीमेंट के अभाव वाले क्षेत्रों में आपूर्ति करने के लिए, सीमेंट संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर रेल वैगन उपलब्ध कराये जाते हैं।
- अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए करावकाश और आवास क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।
- सरकार ने एस.ई.बी. में सुधार करने के लिए, राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और निम्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें 100 प्रतिशत मीटरिंग की स्थापना करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाना, सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा–परीक्षा करना, विद्युत चोरी में कमी और अन्त्य इसकी समाप्ति किए जाने जैसे विशिष्ट कार्यक्रम शामिल हैं।
- सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत ब्लॉक प्रदान करके कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कदम उठाए हैं।
- पैट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासित मूल्य प्रणाली (ए.पी.एम.) को मार्च, 2002 तक चरणबद्ध रूप में समाप्त कर दिया जाएगा।

अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति

302. **डा. एन. वेंकटस्वामी :**

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा अफगानिस्तान को अब तक कितने गेहूं की आपूर्ति की गई है और इस आपूर्ति की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या आपूर्ति किया गया गेहूं खराब था;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार इस मामले को विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन तक पहुंचाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) सरकार आन्तरिक रूप से और बाह्य रूप से विस्थापित अफगानियों तथा अन्य जरूरतमंदों के लिए 10 लाख टन गेहूं का प्रावधान करने सहित मानवीय सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। सरकार उपर्युक्त सहायता भेजने के लिए तरीकों को तय करने हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम सहित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सम्पर्क में है।

(ख) से (च) अब तक कोई गेहूं नहीं भेजा गया है।

गुजरात को ऋण

303. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 के दौरान गुजरात को 'नाबार्ड' और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में यह सहायता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

304. **श्री रमेश चेन्नितला :**

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार कौन–कौन से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों का कार्यनिष्पादन क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार और ऐसे बैंकों को खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) सरकार के पास ऐसे बैंकों को खोलने संबंधी राज्यवार कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(च) लम्बित आवेदनों पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी बैंकों में जमाराशियों की सुरक्षा

305. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों में आम जमाकर्ताओं की जमाराशियों की सुरक्षा के संबंध में कुछ कानून हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आम जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :

(क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सहकारी बैंकों की जमाराशियों को बीमा जमा बीमा एवं ऋण गारन्टी निगम लिमिटेड (डीआईसीजीसी) द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत, किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्निमाण अथवा समामेलन होने पर उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारन्टी निगम अधिनियम के अनुसार अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन अपनी जमाराशि की चुकौती का हकदार होता है। सरकार योजना को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही उचित विधायी परिवर्तन करने का इरादा भी रखती है।

चीनी का निर्यात

306. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

श्री मानसिंह पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह माह के दौरान चीनी के निर्यात में गिरावट आने के कारण चीनी के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रमुख कारण उत्पादन लागत के 13,500 रुपये प्रति टन से ज्यादा और निर्यात मूल्य का कम होना है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान में देश में चीनी का विशाल भण्डार मौजूद है और इसके निर्यात के लिए कोई बाजार नहीं है;

(घ) यदि हां, तो अब तक की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) व्यापार जगत के अनुसार गत छह महीनों अर्थात् अगस्त, 2001 से जनवरी, 2002 तक के दौरान लगभग 6,53,969.50 मी. टन (अनंतिम) चीनी का निर्यात किया गया है। जबकि इससे पहले के छह महीनों अर्थात फरवरी, 2001 से जुलाई, 2001 तक के दौरान 6,44,518.5 मी. टन (अनंतिम) चीनी का निर्यात किया गया था। अतः गत छह महीनों में चीनी के निर्यात में कमी नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चीनी मौसम 2001–2002 के आरम्भ में चीनी के आगे लाए गए लगभग 103.11 लाख टन (अनंतिम) के स्टॉक तथा 175 लाख टन (अनंतिम) के उत्पादन के साथ 2001–2002 मौसम के दौरान चीनी की कुल उपलब्धता 278.11 लाख टन (अनंतिम) होगी जबकि 2001–2002 के दौरान 170.00 लाख टन (अनंतिम) चीनी की खपत तथा लगभग 15.00 लाख टन चीनी का निर्यात होने की प्रत्याशा है। इस प्रकार, 2001–2002 मौसम के अंत में लगभग 93.11 लाख टन (अनंतिम) इतिशेष स्टॉक होगा। अतः 2001–2002 मौसम के अंत में चीनी का स्टॉक पिछले मौसम के अंत के स्टॉक से कम होने की आशा है।

(ङ) भारत से चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) चीनी के निर्यात पर पूर्व में लागू मात्रात्मक सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

(ii) सरकार ने चीनी के निर्यात के लिए अपेडा के पास पंजीकृत कराने की अपेक्षा समाप्त कर दी है।

(iii) निर्यात के लिए निर्धारित चीनी को लेवी देयता से मुक्त कर दिया गया है।

(iv) निर्यात के लिए निर्मुक्त की गई चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री की चीनी के स्टॉक में समायोजन 18 माह की अवधि के बाद किया जाएगा।

(v) वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्धारित चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट का लाभ, यदि चीनी फैक्ट्रियां उस चीनी मौसम विशेष के उत्पादन में से, जिसके लिए चीनी रिलीज की गई है, अपनी लेवी देयता को पूरा कर देने के कारण नहीं ले पाती हैं तो संबंधित चीनी फैक्ट्रियां अगले चीनी मौसम के अपने उत्पादन से इसका लाभ उठा सकती हैं।

(vi) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 5% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है

(vii) अभी तक केवल मिल व्हाइट शुगर का निर्यात किया जा रहा था। यह स्पष्ट किया गया है कि मिल व्हाइट शुगर के अतिरिक्त चीनी मिलें/निर्यातक वर्तमान निर्यात–आयात नीति के अधीन कच्ची चीनी का भी निर्यात कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के लिए विधान बनाने का निर्णय किया है ताकि यह अन्य बातों के साथ–साथ चीनी विकास निधि का उपयोग चीनी के निर्यात के लिए शिपमेंट पर चीनी फैक्ट्रियों को आन्तरिक ढुलाई तथा माल–भाड़े के खर्च की अदायगी के लिए कर सके।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

307. **श्री वाई.वी. राव :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के सीमा क्षेत्र से गेहूं, चावल, चीनी जैसी कुछ मदों को हटाने और देश के अन्दर उनको मुक्त रूप से लाने ले जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी मिलों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सरकार को चीनी की आपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की आपूर्ति हेतु अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने गेहूं, चावल, चीनी जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सीमा से बाहर रखने का कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आदेश जारी किया जिसमें व्यापारियों को गेहूं, धान/चावल, मोटा अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल के संबंध में किसी भी मात्रा को मुक्त रूप से क्रय, विक्रय, परिवहन, वितरण आदि करने की अनुमति दी गई है। यह आदेश, इस आदेश के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी राज्य द्वारा किए गए किसी आदेश में किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी, इसके जारी होने की तारीख (15.2.2002) के 30 दिन के बाद प्रभावी होंगे, उस बात के सिवाय जिसे उसके प्रारम्भ होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

(ग) और (घ) चीनी मिलें केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु मांगी गई लेवी चीनी की आपूर्ति करती रहेंगी।

वस्त्र उद्योग का विकास

308. **श्री जी., मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग में निवेश तथा इसके विकास से संबंधित एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी, हां। वस्त्र उद्योग में निवेश और विकास पर श्री एन.के. सिंह, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक संचालन समूह का गठन किया गया है।

(ख) से (ङ) समूह ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें वस्त्र उद्योग में शामिल इसके सभी क्षेत्रों के एकीकृत

विकास के लिए एक विकासोन्मुख राजकोषीय नीति के विकास से संबंधित सभी विषय समिति के विचारार्थ शामिल हैं। संचालन समूह की सिफारिशों/सुझावों पर वर्ष 2002–2003 के बजट के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव बनाते समय विचार किया है।

वस्तुओं की तस्करी

309. श्री जी.जे. जावीया :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं का राज्यवार ब्यौरा और मूल्य क्या है;

(ख) इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा तस्करी संबंधी गतिविधियों की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दीं जाएगी।

संशोधित मूल्य वर्धित कर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी

310. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने वर्ष 2001 के 11वें प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 23 और 32 में मांगों में होने वाले विलंब, अथवा पूरी तरह मांग न करने तथा संशोधित मूल्य वर्धित कर के अनुदान एवं सैंकड़ों करोड़ों रुपये की वसूली न करने तथा अधिकारियों की जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व तय न करने पर बार–बार ध्यान दिलाया है जिसकी वजह से राज्य को काफी वित्तीय हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्रालय के उत्तर का उल्लेख नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है। सामान्यता, जब कभी भी गलत लाभ उठाए जाने संबंधी मामला ध्यान में आता है, संगत कानूनी उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है ताकि राजस्व हित की रक्षा की जा सके। इसके अलावा, कानूनी उपबंधों की समय–समय पर पुनरीक्षा की जाती है ताकि इसके दुरुपयोग अथवा अनाभीष्ट अभिलाभ को रोका जा सके।

आयकर नियंत्रण की संवीक्षा एवं सार

311. श्री जी.एस. बसवराज :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997–98 की तुलना में वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में आयकर निर्धारण की संवीक्षा एवं सार को पूरा करने के कार्य में तीव्र गिरावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन वित्तीय वर्षों में निष्पादन हेतु कुल बकाया से वर्ष 1997–98 के 81.35 प्रतिशत के कुल निर्धारण की तुलना में क्रमशः 46.41 प्रतिशत, 52.4 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत रहा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया था और वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान सभी कर निर्धारितियों को स्थायी खाता संख्या के आबंटन कार्य पर प्रमुख जोर दिया गया था और इस प्रकार उक्त अवधि के दौरान संवीक्षा तथा सारांश दोनों मामलों के निपटान में कमी आयी।

(ग) जी, हां।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित समय–सीमा के अनुसार लंबित मामलों का निपटान किया जा रहा है तथा

ऐसे कर निर्धारण के निपटान की गति में और सुधार होने की संभावना है।

घटिया किस्म के चावल की खरीद एवं आपूर्ति

312. **श्री रामशेठ ठाकुर :**

श्री अरूण कुमार :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 2002 के "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" में "16 एफ सी आई मेन सस्पेंडेड" के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाए हैं तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1998–1999 के दौरान ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए और पंजाब क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के मानसा, तलवंडीभाई, बरनाला, रामान, मुक्तसर और फरीदकोट डिपुओं से सितम्बर, 2001 माह में निविदा बिक्री के माध्यम से निपटान करने हेतु मुम्बई भेजे गए चावल के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर मंत्रालय का एक अधिकारी उक्त स्टाक का निरीक्षण करने के लिए मुम्बई भेजा गया था। अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी एक अन्य दस्ता तैनात किया गया था। इन दोनों दस्तों की रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया था कि पंजाब से मुम्बई क्षेत्र को प्रेषित किया गया ढील दी गई विनिर्दिष्टियों का चावल अस्वीकृति की सीमा से बाहर था। रिपोर्टें प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम ने श्रेणी–II और III के 16 कर्मचारियों (6 सहायक प्रबंधकों और 10 तकनीकी सहायकों) को निलंबित कर दिया था तथा उनका मुख्यालय पंजाब क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

काटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कपास का निर्यात/खरीद

313. **श्री शिवराजसिंह चौहान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान काटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों से खरीदे गए कपास की कुल मात्रा राज्यवार कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान काटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई खरीद की तुलना में निर्यात की गई कपास की कुल मात्रा कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) चालू कपास वर्ष 2001–2002 (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई) द्वारा की गई कपास की खरीद का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

राज्य	गुणवत्ता (170 कि.ग्रा. की प्रत्येक गांठ 22.02.2002 तक)
पंजाब	12,570
हरियाणा	9,963
राजस्थान	59,829
गुजरात	2,04,902
मध्य प्रदेश	80,290
आंध्र प्रदेश	3,53,587
कर्नाटक	16,640
उड़ीसा	13,855
प. बंगाल	441
तमिलनाडु	200
कुल	7,52,277

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सीसीआई द्वारा की गई कपास की खरीद और निर्यात निम्नानुसार हैं :–

वर्ष (अक्तू.–सित.)	खरीदी गई कपास	निर्यात की गई कपास
1998–1999	4,29,602	13,352
1999–2000	5,08,072	6,574
2000–2001	6,02,291	5,913

[अनुवाद]

मुद्रा विनिमय संबंधी नियम

314. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मुद्रा विनिमय संबंधी नियमों में संशोधन किया है तथा छूट दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किए गए परिवर्तनों का उद्देश्य एवं अन्य ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा परिवर्तन संबंधी निम्नलिखित नियमों में संशोधन किया है :

1. स्वयं पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)

(i) चूंकि मुद्रा परिवर्तन निधि आधारित गतिविधि है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल विश्वसनीय व्यक्ति ही इस क्षेत्र में दाखिल हों, अनेक शाखाओं वाले एफएफएमसी के लिए "नेट ओन फण्ड" (एनओएफ) बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। मौजूदा एफएफएमसी को अपने एनओएफ में वृद्धि करने के लिए दो वर्ष की अवधि दी जाएगी।

(ii) पहले, यात्री चेक जारी करने वाले किसी भी संगठन के साथ यात्री चेकों (टीसी) की भण्डारण व्यवस्था एफएफएमसी लाइसेंस जारी करने के लिए एक पूर्व–शर्त थी। इस शर्त को हटा लिया गया है ताकि देश में उपलब्ध नकदीकरण की सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

2. प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी)

पहले आरएमसी लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते थे। रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नई योजना के अंतर्गत, प्राधिकृत डीलरों और एफएफएमसी को आरएमसी कारोबार, अर्थात विदेशी मुद्रा के नोटों अथवा यात्री चेकों का रुपयों में रूपांतरण करने के प्रयोजन हेतु एजेंसी/फ्रेंचाइजिंग करार निष्पादित करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तन शुरू करने के इच्छुक निवासी निकायों को अब आरबीआई लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात

315. श्री रामजी मांझी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात 1282.82 मिलियन डालर से घटकर 97 मिलियन डालर हो गया है यानि इसमें 24.24 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्र निर्मित वस्तुओं के आयात में 28.03 प्रतिशत की चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है जबकि निर्यातों में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो वस्त्र निर्मित वस्तुओं के आयात में वृद्धि और निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कारणों से उबरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) डीजीसीआई एंड एस के पास नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–अक्तूबर, 2001 अवधि के दौरान यूएसए को किया गया वस्त्र निर्यात 2000 की इसी अवधि के दौरान 5745.0 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 4817.0 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। निर्यात में ह्रास का कारण मुख्यतः यूएस अर्थव्यवस्था में आम मंदी तथा सितंबर, 2001 की घटनाओं को माना जा सकता है।

(ग) और (घ) अप्रैल–सितंबर, 2001 अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात और आयात का मूल्य नीचे दिया गया है।

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

	अप्रैल–सितम्बर, 2000	अप्रैल–सितम्बर 2001	2000–01 की तुलना में 2001–02 की प्रतिशतता वृद्धि/कमी
वस्त्र निर्यात	6237.1	5346.5	–14.3%
वस्त्र आयात	666.7	813.6	22.0%

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

हालांकि वस्त्र निर्यात ने वृद्धि दर्शायी है, आयात की गयी कुल मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमारी घरेलू खपत का 1% से भी कम है।

उदारीकरण के वातावरण में, आयात, समय–समय पर निर्यात–आयात नीति के अध्यधीन बाजार शक्तियों द्वारा शासित होती है। उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के परिणामस्वरूप वस्त्रों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तथा इस प्रकार व्यापक निर्यात अवसर मिलेंगे तथा साथ ही घरेलू बाजार में आयात प्रवेश के लिए घरेलू उद्योग को सहायता प्रदान करेगा। उद्योग को उभरती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए अपनी क्षमता तथा उत्पादकता में सुधार लाना होगा।

(ङ) वस्त्र में बदलती हुई वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने तथा वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) परिधान और वस्त्र निर्यातकों को निरंतरता के आधार पर कोटा प्रदान करने की दृष्टि से कोटा नीतियों की पहले आओ पहले पाओ/सिलेसिलाये परिधान हकदारी प्रणालियों के अंतर्गत अधिकांश श्रेणियों के लिए व्यापक अतिरिक्त मात्राएं खोली जा रही हैं।

(2) पारगमन की लागत और निर्यातकों के समय को कम करने के लिए कुछ श्रेणियों के लिए इएमडी/बीजी की राशि को वर्ष 2001 के दौरान कम किया गया था और कोटे को प्रयुक्त करने की तारीख को बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत ऐसी सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंस की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया था। जिनके पास शेष वर्ष के लिए अधिशेष मात्राएं विद्यमान हैं।

(3) कुछ वस्त्र उत्पादकों के लिए डीइपीबी की दरों को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, विश्व में बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2001–02 के बजट में वस्त्र पैकेज की घोषणा की गई थी। वस्त्र पैकेज के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध हैं :–

1) वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क के ढांचे को सामान्यतः सुव्यवस्थित बनाया गया है ताकि विकास और अधिकतम मूल्य संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके।

2) 159 विशिष्ट वस्त्र और परिधान मशीनों पर सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शटल रहित करघों सहित मशीनों की 12 मुख्य मदों पर भी प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50 हजार शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

3) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वस्त्र उद्योग को ब्याज में से 5% की प्रतिपूर्ति की सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टीयूएफएस के अंतर्गत मशीनों के लिए मूल्यह्रास भत्ते की दर को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

4) परिधानों के निर्यात के लिए अपैरल पार्कों की स्थापना करने के प्रयोजन से वर्ष 2001–02 के बजट में 10 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की भी व्यवस्था की गई है।

एन.जे.एम.सी कोलकाता के कामगारों को वेतन

316. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल जूट मेन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन, कोलकाता में अभी भी 30,000 से ज्यादा जूट कामगार नियुक्त हैं;

(ख) क्या पिछले कई महीनों से कामगारों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी मजदूरी इत्यादि के भुगतान की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन.जे.एम.सी.) में औसतन 18045 कामगार हैं, जिनमें से 10075 स्थायी कामगार हैं।

(ख) से (घ) वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए एन.जे.एम.सी. पर्याप्त अतिरेक धन का सृजन नहीं कर पा रहा है। सरकार द्वारा एन.जे.एम.सी. के ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2001–2002 के दौरान वेतन व मजदूरी में कमी को पूरा करने के लिए अब तक, सरकार द्वारा 80.00 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। एन.जे.एम.सी. द्वारा नवम्बर, 2001 तक कामगारों के वेतन व मजदूरी की अदायगी कर दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी

317. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय उनकी कुल पूंजी कितनी थी और वर्तमान में उनकी कुल पूंजी कितनी है; और

(ख) आज तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की दावारहित कुल पूंजी के संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल पूंजी उनके राष्ट्रीयकरण के समय 38.37 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों की वर्तमान पूंजी 13,511.28 करोड़ रुपये है।

(ख) आज की तारीख के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कोई अदावी पूंजी नहीं है।

[अनुवाद]

यूनिट 64 योजना

318. **डा. संजय पासवान** :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.–64 योजना को पुनः और आकर्षक एवं विश्वसनीय बनाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यू.एस.–64 के एन.ए.वी. में गिरावट के कारण निवेशक हताश हैं; और

(ग) यदि हां, तो योजना की पुरानी साख को फिर से बहाल करने और निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकार ने 28.12.2001 को यू.एस.–64 के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जिसके अधीन (i) 15 जुलाई, 2001 को घोषित 3000 यूनिटों तक सीमित पुर्नखरीद सुविधा, जिसे प्रति यूनिटधारक 5000 यूनिटों तक बढ़ा दिया गया है और (ii) यू.एस.–64 में शेष धारिताओं यदि कोई हो, के लिए, निवल परिसंपत्ति मूल्य और प्रयोज्य पुनर्खरीद कीमतों के बीच की किसी घाटे की यू.टी.आई. को सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। यू.टी.आई. ने प्रति यूनिट 10 रु. की पुनर्खरीद कीमत अथवा निवल परिसंपत्ति मूल्य (एन.ए.वी.) 31 मई, 2003 को जो भी अधिक हो, का आश्वासन दिया है। 1 जनवरी, 2002 से 30 मई, 2003 की मध्यवर्ती अवधि में, 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रति मौजूदा निवेशक 5000 यूनिटों से अधिक मोचन निवल परिसंपत्ति मूल्य पर होगा। वित्तीय पैकेज के एक भाग के रूप में यू.टी.आई. को विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर आधारित समयबद्ध सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

यू.एस.–64 स्कीम को 1 जनवरी, 2002 से नई बिक्री और

खोला गया है। 31 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार यू. एस.–64 का निवल परिसंपत्ति मूल्य 6.00 रुपये था और 25 फरवरी, 2002 को यह 62 पैसे बढ़ा। जनवरी, 2002 से 20 फरवरी, 2002 तक यू.एस.–64 के अधीन निवल परिसंपत्ति मूल्य आधारित यूनिटों की कुल बिक्री 63.85 करोड़ रुपये की थी।

आयात में गिरावट

319. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 2001 से अगस्त, 2001 के दौरान आयात में लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वे मद कौन से हैं जिनके संबंध में गिरावट दर्ज की गई है; और

(घ) इस गिरावटी रुझान से विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है तथा घरेलू उत्पादकों को किस सीमा तक लाभ हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कलकत्ता से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–अगस्त 2001–2002 के दौरान 21.74 बिलियन अमरीकी डालर के आयात हुए, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 2.46% की वृद्धि दर्शाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–अगस्त 2001–2002 के दौरान जिन प्रमुख मद–क्षेत्रों में गिरावट देखी गई, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(मिलियन अमरीकी डालर)

प्रमुख मद–क्षेत्र	अप्रैल–अगस्त 2000–01 (1)	अप्रैल–अगस्त 2001–02 (2)	(1) की तुलना में (2) की % वृद्धि
कच्चा पेट्रोलियम एवं इसके उत्पाद	6902.87	6482.90	–6.08
अनाज एवं इसकी विनिर्मितियां	11.49	8.23	–28.41
उर्वरक	347.09	298.50	–14.00
मोती, कीमती एवं बेशकीमती पत्थर	2307.31	1866.89	–19.00

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास

320. श्री अनन्त नायक : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पिछड़े वर्गों के लाभार्थ आर्थिक विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम एवं विकास निगम द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं क्या हैं; और

(ग) निगम के गठन के बाद से उड़ीसा एवं अन्य राज्यों में क्या कदम उठाए जा गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना की है जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक तथा विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना और उपयुक्त स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना करने तथा उद्यमीय कौशलों के विकास में सहायता प्रदान कराना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा सहित सभी राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है :–

(1) आवधिक ऋण योजना

(2) सीमान्त राशि ऋण योजना

(3) लघु ऋण वित्त योजना

(4) नई स्वर्णिम योजना

(5) शैक्षणिक ऋण योजना

(6) प्रशिक्षण योजना

एन बी सी एफ डी सी द्वारा इसके गठन से लेकर अब तक संवितरित की गई राशि तथा लाभग्राहियों की संख्या को राज्यवार दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/एससीए का नाम	वितरित राशि	लाभग्राहियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	112.25	186472
2.	असम	3.92	701
3.	बिहार	28.68	7341
4.	गोवा	2.33	197
5.	गुजरात	37.99	6974
6.	हरियाणा	18.70	15424
7.	हिमाचल प्रदेश	14.93	1784
8.	जम्मू और कश्मीर	0.62	130
9.	कर्नाटक	70.01	40481
10.	केरल	94.28	26078
11.	मध्य प्रदेश	40.93	15400
12.	महाराष्ट्र	42.68	7614
13.	मणिपुर	4.83	1061
14.	मिजोरम	0.00	0
15.	उड़ीसा	10.21	3526
16.	पंजाब	9.73	2778
17.	राजस्थान	6.76	1213
18.	सिक्किम	5.16	781
19.	तमिलनाडु	33.72	20344
20.	त्रिपुरा	6.19	2388
21.	उत्तर प्रदेश	50.07	17212
22.	पश्चिम बंगाल	18.02	3535
23.	चंडीगढ़	0.55	83
24.	दिल्ली	0.00	0
25.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0
26.	पांडिचेरी	3.12	609
27.	लघु ऋण वित्तपोषण	12.19	13890
28.	आकांक्षा ऋण	0.11	33
	कुल	627.98	376052

बैंकों का ऋण जमा अनुपात

321. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात राज्यवार कितना रहा;

(ख) क्या बिहार में जनता से प्राप्त जमा धनराशि को अन्य राज्यों में ऋण के रूप में संवितरित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका बिहार के विकास में नगण्य हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिहार में स्थित बैंकों को उक्त राज्य के विकास में योगदान करने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पिछले तीन वर्षों के राज्य–वार ऋण–जमा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को छोड़कर, पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य राज्य में इन बैंकों का ऋण–जमा अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है।

(घ) से (च) बिहार में कम ऋण–जमा अनुपात को देखते हुए, राज्य में उद्योग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था और ऋण प्रवाह में वृद्धि करने की परिचालन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने तथा ऋण–जमा अनुपात में वृद्धि करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक उप–समिति का भी गठन किया गया था। अध्ययन से सामने आए कार्य बिन्दुओं के कार्यन्वयन में हुई प्रगति से पता चलता है कि बैंक राज्य में ऋण–जमा अनुपात में सुधार करने के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी किए जाने से बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी–निधि संभव हुई है और बैंक दर को कम किया गया है। तथापि, किसी राज्य में बैंक ऋण के प्रवाह में वृद्धि पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं, मुख्य क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास, उद्यम संबंधी पहलों, राज्य की ऋण पाने की क्षमता, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और बैंक की देयराशियों की वसूली की स्थिति आदि जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है।

विवरण

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण–जमा अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण–जमा अनुपात (%)		
	मार्च 2000	मार्च 2001	सितम्बर 2001
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	63.6	63.3	61.78
2. अरुणाचल प्रदेश	16.6	17.3	18.85
3. असम	31.5	32.4	31.10
4. बिहार	22.5	21.3	20.18
5. छत्तीसगढ़		39.8	36.71
6. दिल्ली	76.9	82.9	80.67
7. गोवा	24.2	22.8	23.33
8. गुजरात	49.8	49.4	44.29
9. हरियाणा	41.4	41.7	37.80
10. हिमाचल प्रदेश	22.9	22.6	21.47
11. जम्मू और कश्मीर	40.5	38.3	37.83
12. झारखण्ड		28.4	25.31
13. कर्नाटक	61.0	59.3	58.79
14. केरल	42.3	43.1	44.17
15. मध्य प्रदेश	49.2	48.3	45.15
16. महाराष्ट्र	83.8	85.4	81.87
17. मणिपुर	36.4	38.9	33.88
18. मेघालय	15.7	16.8	16.28
19. मिजोरम	24.3	25.5	29.58
20. नागालैण्ड	15.4	13.9	14.75
21. उड़ीसा	39.8	41.5	40.11
22. पंजाब	39.1	41.4	39.59
23. राजस्थान	46.7	48.2	45.62
24. सिक्किम	13.8	15.6	15.06
25. तमिलनाडु	88.0	90. 6	85.95
26. त्रिपुरा	25.8	23. 0	22.87
27. उत्तर प्रदेश	27.5	28.8	27.65
28. उत्तरांचल		23.0	19.53

1		2	3	4
29.	पश्चिम बंगाल	45.2	44.1	42.12
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.8	18.6	19.44
31.	चंडीगढ़	52.6	96.7	108.60
32.	दादरा एवं नागर हवेली	21.7	16.5	20.50
33.	दमन एवं दीव	15.8	14.1	11.34
34.	लक्षद्वीप	7.7	9.7	8.36
35.	पांडिचेरी	32.8	33.4	32.00
	अखिल भारत	57.1	58.5	56.13

[हिन्दी]

रुपये का मूल्य

322. श्री रामजीलाल सुमन :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री हरिभाई चौधरी :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार तथा फरवरी, 2002 के अंतिम सप्ताह में भारतीय रुपये का मूल्य कितना था;

(ग) सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये को अधिमूल्यन से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) वर्ष 1971 को आधार वर्ष मानते हुए आज तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रुपये की क्रय क्षमता वर्षवार कितनी है;

(ङ) भारतीय रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(च) क्या इस प्रयोजन हेतु भारत में रुपये की क्रय क्षमता भी एक आधार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) अप्रैल–फरवरी, 2001–2002 के दौरान अमरीकी डालर, यूरो और पाऊण्ड स्टर्लिंग के मुकाबले में रुपये के मूल्य में वर्ष 2000–01 की तदनुरूप अवधि की तुलना में क्रमशः 4.2 प्रतिशत, 1.7 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत की गिरावट हुई है जबकि जापानी येन के मुकाबले में इससे 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 30 मार्च, 2001 और फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार विश्व की चार प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले में रुपये की विनिमय दरें नीचे दी गई हैं :

तारीख	रुपया प्रति डालर	रुपया प्रति येन*	रुपया प्रति यूरो	रुपया प्रति स्टर्लिंग
30 मार्च, 2001	46.64	37.43	41.01	66.58
27 फरवरी, 2002	48.74	36.26	42.14	69.04

* रूपए प्रति 100 येन

(ग) रूपये की विनिमय दर अधिकांशतः बाजार द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर प्रबंध के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थितियां बनाए रखना, आपूर्ति एवं मांग के अन्तर को, जो कि अनिश्चितताओं अथवा अन्य कारणों से होता है अस्थाई रूप से पूरा करना तथा अस्थिरता और अपने स्वार्थ के लिए किए जा रहे सट्टेबाजी संबंधी कार्यकलापों को रोकना रहता है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक देश और विदेश के वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों का बारीकी से अनुवीक्षण (मानीटर) करता है और समय–समय पर जैसा यह आवश्यक समझे मौद्रिक और अन्य उपाय करता है।

(घ) 1971 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी गई भारतीय रुपये की क्रय शक्ति का वर्ष 1971 से 2001 तक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) रुपये की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग एवं आपूर्ति की स्थितियों और अल्पावधि कारकों द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर कुछ हद तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में अमरीकी डालर की मजबूती पर भी निर्भर करती है। इस प्रणाली के तहत प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर दिन–प्रतिदिन के आधार पर घटती बढती रहती है।

विवरण

आधार वर्ष 1971 वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और रुपये का मूल्य

वर्ष	उ.भू.सू. (औ.श्र.) आधार वर्ष 1971	रुपये का मूल्य (पैसों में) (सहश)
1	2	3
1971	100	100.00
1972	107	93.46
1973	125	80.00
1974	161	62.11
1975	170	58.82
1976	157	63.69
1977	170	58.82
1978	174	57.47
1979	185	54.05
1980	206	48.54
1981	233	42.92
1982	251	39.84
1983	282	35.46
1984	305	32.79
1985	322	31.06
1986	350	28.57
1987	380	26.32
1988	416	24.04
1989	446	22.42
1990	486	20.58
1991	553	18.08
1992	619	16.16
1993	658	15.20
1994	722	13.85
1995	792	12.63
1996	871	11.48
1997	933	10.72
1998	1057	9.46
1999	1106	9.04
2000	1150	8.70
2001	1191	8.38

– 1982=100 पर आधारित श्रृंखला को 1960=100 पर आधारित श्रृंखला में परिवर्तित करने के लिए 4.93 के परिवर्तन गुणक का प्रयोग किया जाता है।

– 1960=100 पर आधारित श्रृंखला को 1971=100 पर आधारित श्रृंखला में परिवर्तित करने के लिए 1.89 के परिवर्तन घटक का प्रयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

निम्नतर दरों पर खाद्यान्नों का निर्यात

323. श्री रघुनाथ झा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गेहूं और चावल को 475 रुपये एवं 615 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्यात कर रही है जबकि देश में इसे उपभोक्ताओं को 660 रुपये एवं 880 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जारी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) केन्द्रीय पूल से निर्यात हेतु गेहूं और चावल की निम्नलिखित दरों पर पेशकश की जा रही है :–

(रुपये प्रति टन)

गेहूं	चावल
4250	5650 (रॉ) और 6000 (सेला)

फिलहाल देश में उपभोक्ताओं को गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की निम्नलिखित दरों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति की जा रही है:–

(रुपये प्रति टन)

जिंस	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
1. गेहूं	4150	6100
2. चावल	5650	8300

गेहूं और चावल के लिए वर्तमान निर्यात मूल्य गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी की दरों से अधिक है।

सरकार द्वारा समय–समय पर निर्यात मूल्य निर्धारित किए जाते हैं ताकि भारतीय गेहूं और चावल की अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके।

निगमित ऋण पुनर्निर्धारण योजना

324. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निगमित ऋण पुनर्निधारण योजना (कारपोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम) आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली करने हेतु विभिन्न बैंकों में उक्त योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सभी गैर निष्पादनकारी आस्तियों को कब तक वसूल किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) देश में निगमित ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रियान्वयन के लिए दिनांक 23 अगस्त, 2001 को सीडीआर के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए थे। सीडीआर ढांचे का उद्देश्य सभी संबंधितों के लाभ के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली अधिकरण और अन्य विधिक कार्यवाहियों के क्षेत्राधिकार के आंतरिक या बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित अर्थक्षम कंपनियों की निगमित ऋण पुनर्संरचना के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है। सीडीआर केवल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक के बकाया एक्सपोजर वाले बहुविध बैंकिंग खातों/व्यवसाय संघों/संघीय खातों पर ही लागू होगा। सीडीआर शक्ति प्राप्त समूह कंपनी की अर्थक्षमता और पुनरुद्धार की संभाव्यता की जांच करेगा और पुनर्संरचना पैकेज का अनुमोदन करेगा। चूंकि देनदार कंपनी को या तो मूल ऋण प्रलेखन (भावी मामलों के लिए) के समय या सीडीआर कक्ष को संदर्भ भेजे जाने के समय देनदार–लेनदार करार को स्वीकार करना होगा, इसलिए बैंक इस प्रयोजन के लिए उचित प्रलेखन सुनिश्चित करेंगे। सीडीआर प्रक्रिया के अधीन आने वाले मानक और अवमानक खाते उधारदाताओं द्वारा उनके सामान्य नीतिगत पैरामीटरों और पात्रता मानदण्डों के अनुसार निधि संबंधी आवश्यकताओं के नए वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे।

(ग) आईडीबीआई में सीडीआर कक्ष ने कार्य करन आरम्भ कर दिया था और बैंक देनदार–लेनदार करार पर हस्ताक्ष करने की प्रक्रिया में है। सीडीआर तंत्र से प्रारंभिक अवस्था में ही उपचारात्मक उपाय शुरू करने में समर्थ बनाएगा और संभावित रूप से अर्थक्षम खातों को एनपीए में परिवर्तित होने से रोकेगा।

(घ) सीडीआर तंत्र केवल 20 करोड़ रुपये और इससे अधिक के बकाया एक्सपोजर वाले बहुविध बैंकिंग खातों पर लागू होगा और इसलिए समस्त एनपीए की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता है। सीडीआर शक्ति प्राप्त समूह द्वारा अव्यवहार्य पाए गए मामलों को देनदारों और लेनदारों के बीच समझौते के माध्यम से वसूली या निपटान के लिए ऋण वसूली अधिकरणों को संदर्भित कर दिया जाएगा।

अतिरिक्त भूमि की बिक्री

325. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने विभिन्न राज्यों में स्थित अपनी अतिरिक्त भूमि को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पहचान की गई अतिरिक्त भूमि का ब्यौरा क्या है और इन भूमियों के निष्पादन हेतु राज्यवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) अतिरिक्त भूमि की बिक्री से राज्यवार कुल कितनी धनराशि वसूले जाने की संभावना है तथा इसका किस प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। यह प्रस्ताव किया गया है कि एनटीसी की बेशीभूमि को पुनर्स्थापना योजना के वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाने के लिए बेच दिया जाए। इस प्रस्ताव को बीआईएफआर की प्रचालन एजेंसियों (आईडीबीआई/आईएफसीआई) द्वारा बनाई गई पुनर्स्थापना योजनाओं में शामिल किया गया है। बीआईएफआर द्वारा अभी इन पुनर्स्थापना योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किया जाना है। बेशीभूमि के ब्यौरे और भूमि की ऐसी बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित कुल राशि के ब्यौरे बीआईएफआर द्वारा इन योजनाओं का अनुमोदन करने के बाद ही उपलब्ध होंगे। बीआईएफआर के तत्वाधान में एक परिसम्पत्ति बिक्री समिति द्वारा बेशीभूमि को बेचा जाना है तथा ऐसी बिक्री से प्राप्त की जाने वाली राशि का उपयोग मुख्यतः कामगारों को वीआरएस और सांविधिक बकाया राशि का भुगतान तथा पुनरुद्धार योग्य मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए किया जाएगा।

नि:शक्त व्यक्तियों की गतिशीलता

326. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवनों की दुर्गमता एवं वर्तमान परिवहन प्रणाली ने नि:शक्त व्यक्तियों को बेहतर शिक्षा एवं रोजगार अवसरों से वंचित रखा है;

(ख) यदि हां, तो नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ इम्प्लायमेंट फॉर डिसेब्ल्ड ने यह मांग की है कि सरकार नए भवनों और परिवहन प्रणाली को नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से सुगम्य बनाने हेतु एक विधेयक लाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ इम्प्लायमेंट फॉर डिसेब्ल्ड् की इस तरह की कोई मांग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फरवरी, 1996 से लागू नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागेदारी) अधिनियम में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि समुचित सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर नि:शक्त व्यक्तियों को परिवहन, निर्मित परिवेश और सड़क पर बाधा मुक्त सुविधाएं प्रदान करेंगी। बाधा मुक्त सुविधाओं में भवनों में रैम्प उपलब्ध कराना, व्हीलचेयर का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए शौचालयों का अनुकूलन, लिफ्टों में ब्रेल चिन्ह और श्रवण संकेत लगाना आदि शामिल है। शहरी विकास मंत्रालय ने आदर्श भवन उपनियम तैयार किए थे, जिसमें अवरोध मुक्त निर्मित परिवेश तथ संबद्ध दिशा निर्देशों और स्थान संबंधी मानकों की विशेषताओं का ब्यौरा दिया गया था और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया

था। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य से सभी नए सरकारी भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं में अवरोध मुक्त सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने और वर्तमान भवनों में व्यवहार्य संशोधन भी करने का अनुरोध किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी समुचित प्राधिकारियों द्वारा अवरोध मुक्त परिवेश सुनिश्चित करने के लिए 17.2.2001 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना भी प्रकाशित की है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने सार्वजनिक भवनों की पहुंच संबंधी लेखा–परीक्षा शुरू की है और अवरोध–मुक्त पहुंच से संबंधित अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय निकायों, आदि के बहु–क्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है।

दाभोल विद्युत कंपनी को सीमा शुल्क में छूट

327. श्री महबूब जहेदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने भारी सीमा शुल्क वंचन का संदेह करते हुए दाभोल विद्युत कंपनी से अपने संयंत्र से कथित रूप से स्थानांतरण किए गए महत्वपूर्ण आयातित उपकरणों का ब्यौरा देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सूचना है कि दाभोल विद्युत कंपनी ने अपने 2814 मेगावाट गुहागार संयंत्र से कुछ महत्वपूर्ण उपकरण को स्थानांतरित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयातित उपकरणों को शुल्क की रियायती दर पर इस शर्त पर दिया गया कि इनका उपयोग दाभोल में परियोजना स्थापित करने के लिए किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सीमा शुल्क आयुक्त ने सामानों के मूल्य की गलत घोषणा के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 (क) के तहत 45 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दाभोल में द्रवित प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी) सुविधा के लिए मशीन और उपकरण के आयात से संबंधित एक अलग मामले में, सीमा शुल्क आयुक्त ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 112 (क) के अंतर्गत माल के मूल्य की गलत घोषणा करने के लिए दाभोल पावर कारपोरेशन पर 45 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। दिनांक 12.11.2001 के अपने आदेश में, दाभोल पावर कारपोरेशन से अतिरिक्त शुल्क के रूप में 245.59 करोड़ रुपये (लगभग) की मांग की गई है; इस आदेश के खिलाफ, दाभोल पावर कारपोरेशन ने अपील की है। सीगट ने, दिनांक 28.12.2001 के अंतरिम आदेश द्वारा वित्तीय कठिनाई के आधार पर शुल्क को पहले जमा कराने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया है। विभाग ने सीगट के आदेश के खिलाफ मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

आंध्र प्रदेश में भंडारण सुविधाओं की स्थापना

328. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश वेयरहाउसिंग का विचार विजाग और काकीनाडा के पत्तन क्षेत्रों में आयात निर्यात के लिए भण्डारण शुरू करने का है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इन पत्तनों में भण्डारण के कार्यों के लिए 10 एकड़ भूमि आबंटित की जाए;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इन पत्तनों पर खाद्यान्नों की भारी मात्रा की संभलाई के लिए आन्ध्र प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को शीर्ष एजेंसी नामित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से विशाखापत्तनम न्यास को भाण्डागार सुविधाएं सृजित करने के लिए 10 एकड़ भूमि आबंटित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ

है। इस प्रस्ताव को जांच हेतु विशाखापत्तनम न्यास के बोर्ड के विचारार्थ भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) खाद्यान्नों की हैण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार बल्क अनाज हैण्डलिंग सुविधाएं सृजित करने के लिए एजेंसी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा उपर्युक्त नीति के अधीन गेहूं की बल्क अनाज हैण्डलिंग सृजित करने के लिए विजाग और काकीनाड़ा पत्तनों की पहचान नहीं की गई है।

खाद्यान्नों को लाने-ले-जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाना

329. **श्री सुबोध मोहिते :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री भीम दाहाल :

श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और चीनी उद्योग पर पूर्व नियंत्रण समेत चीनी के लाने ले जाने और भंडारण पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह गरीबों और निर्यात को बढ़ावा देने तथा खाद्यान्नों की कीमत को स्थिर रखने में कितना सहायक होगा;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टाक को खुले बाजार में भेजने के गैर–कानूनी कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों के विशाल भंडारण का परिसमापन करने के लिए किन उपायों की शुरूआत की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टाक सीमा और संचालन निबंधन) हटाना आदेश, 2002, दिनांक 15.2.2002 जारी किया है जिसके अनुसार कोई भी व्यापारी गेहूं, धान/चावल, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल की किसी भी मात्रा को मुक्त रूप से खरीद, स्टाक, बिक्री, ढुलाई, वितरण, निपटान, अधिग्रहण, उपयोग अथवा उपभोग कर सकता है और जिसके लिए किसी प्रकार के लाइसेंस अथवा परमिट की अपेक्षा नहीं होगी। यह आदेश इसके जारी होने की तारीख के 30 दिन बाद प्रभावी होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2002–2003 के दौरान चीनी में फ्यूचर्स/वायदा कारोबार शुरू होने के बाद चीनी का पूर्ण विनियंत्रण प्रभावी करने का निर्णय लिया है। इन उपायों से आशा है कि खाद्य पदार्थों का मुक्त कारोबार और संचलन हो सकेगा, किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा, मूल्य स्थिरता हासिल हो सकेगी और कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। खाद्य पदार्थों का निर्यात अधिशेष उपलब्धता, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्य जैसे घटकों द्वारा तय किया जाएगा।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने और इसे अधिक जवाबदेह तथा प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया है। इस आदेश की शर्तों में राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है ताकि खाद्यान्नों का विपथन रोका जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि उचित दर दुकान और अन्य स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी मानीटरिंग करें तथा पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण को पारदर्शी व्यवस्था बनाएं। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे जाली राशन कार्ड समाप्त करें और चूककर्ता उचित दर दुकान मालिकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कार्रवाई करें।

(घ) गेहूं की खुला बाजार बिक्री योजना (गरेलू) क्रियान्वित की जा रही है जिसके अधीन केन्द्रीय पूल में उपलब्ध अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं बेचा जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के उठान

में सुधार करने के लिए कई उपाय भी किए गए हैं जैसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के कोटे को बढ़ाना, गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को कम करना, कल्याण और विकास योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, सूखा/बाढ़ प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों का मुफ्त वितरण करना और भारतीय खाद्य निगम को उस मूल्य पर खाद्यान्नों का निर्यात करने की अनुमति देना जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम न हों।

[हिन्दी]

"सेबी" को शक्तियां

330. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूंजी बाजार से संबद्ध आर्थिक अपराध रोकने के लिए "सेबी" की शक्तियां बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया को कब तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार निवेशक संरक्षण हेतु तथा पूंजी बाजार विनियमन तथा विकास के लिए सेबी को अधिक प्रभावी निकाय बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को और सुदृढ़ करने के लिए विधायी परिवर्तनों की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

331. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में भारत अमेरिका व्यापार संबंध की स्थापना की गई है;

(ख) वर्तमान में किन-किन मदों का अमरीका से आयात किया जा रहा है और कौन-कौन सी मदें निर्यात की जा रही हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनका कुल मूल्य कितना रहा; और

(घ) तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए) भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार और सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थल है। दो-तरफा व्यापार ढांचे में बड़ी संख्या में परम्परागत एवं विनिर्मित वस्तुएं शामिल हैं जिसमें इन वर्षों में बदलाव भी आया है। यू एस ए को भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में शामिल हैं :- हीरा एवं स्वर्णाभूषण, वस्त्र और सिले-सिलाए परिधान, मशीनरी, कालीन, फुटवियर एवं चर्म उत्पाद, रंजक, लोहा एवं इस्पात उत्पाद, रसायन एवं समुद्री उत्पाद। यू एस ए से भारत में होने वाले आयात की प्रमुख मदों में शामिल हैं :- परियोजना मदों समेत मशीनरी, उर्वरक, वायुयान एवं वैमानिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण एवं कार्बनिक रसायन।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-अमरीकी व्यापार के कुल मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिसमें अमरीका को किए गए निर्यात और वहां हुए आयात का अलग-अलग ब्यौरा भी दर्शाया गया है :-

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	1999	2000	2001
कुल मूल्य	12,790	14,349	13,502
अमरीका को भारत से हुए निर्यात	9,083	10,686	9,738
अमरीका से भारत में हुए आयात	3707	3663	3764

रेशमी वस्त्रों के निर्यात में गिरावट

332. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारतीय रेशमी वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रेशमी वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए कोई विविधिकरण योजना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। विगत दो वर्षों के दौरान रेशम के सिले–सिलाए परिधानों का निर्यात बढ़ा है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2001 के अंत तक रेशम के सिले–सिलाए परिधानों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की प्रवृत्ति के कारण मुख्यतया गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। विगत दो वर्षों के दौरान रेशम परिधानों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

रु. करोड़ में

निर्यात की मद	वर्ष		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002 (अक्तूबर, 2001 तक)
रेशम के सिले–सिलाए परिधान	538.32	852.4	342.23

(ग) और (घ) सरकार ने रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विविध कदम उठाए हैं :–

(1) सरकार विविध निर्यात संबर्द्धन क्रियाकलापों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, टैक्सटाइल इंडिया जैसे घरेलू मेलों में जेनेरिक संवर्द्धन स्टाल आयोजित करना, विदेशी व्यापार पत्रिका में प्रचार, सिल्क इंडिया पत्रिका में प्रकाशन तथा घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए कलर फोरकास्ट कार्ड, निर्यातकों इत्यादि के मध्य विदेश व्यापार सूचना का प्रसार–प्रचार कार्यों के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद को सहायता प्रदान कर रही है।

(2) सरकार ने आयात–निर्यात नीति के अंतर्गत निर्यातकों को शामिल करने के लिए मूल्य–वर्धन/विशिष्ट इनपुट–आउटपुट मानदंडों, अग्रिम लाईसेंस योजना के अंतर्गत कच्ची सामग्री के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा, निर्यात उत्पादों के लिए रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत सामानों के आयात को युक्तिसंगत किया है।

(3) वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत उद्योग ऋण के तकनीकी उन्नयन के लिए स्वीकार्य दर से 5 प्रतिशत कम बिन्दु पर अन्य बातों के साथ–साथ रेशम क्षेत्र के लिए उपलब्ध है।

(4) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए भारतीय रेशम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए द्विफसलीय रेशम की उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कार्यक्रम और इसकी उत्पादकता तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में पहल की है। सिल्क विकास की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार तथा करघों व डिजाइनों के सुधार के लिए इनपुट के साथ उत्पाद विविधीकरण के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं ताकि देश के निर्यात हिस्से को बढ़ाया जा सके।

(5) अपरिष्कृत रेशम के आयात को, खुले सामान्य लाईसेंस के अंतर्गत लाकर, उदार बनाया गया है जिससे अच्छी गुणवत्ता के रेशम की उपलब्धता बढ़ी है।

गेहूँ और धान की औने-पौने दामों में बिक्री

333. **श्री लक्ष्मण सेठ :**

श्री सुबोध मोहिते :

श्री अनन्त नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के बावजूद देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा से धान और गेहूं के औने–पौने दामों में बिक्री के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एफसीआई खरीद के लिए पूरे देश में समान नीति अपना रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने धान और गेहूं की औने–पौने दामों में बिक्री के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम और रबी विपणन मौसम 2001–2002 के दौरान उड़ीसा सहित कुछ राज्यों से गेहूं और धान की कथित मजबूरन बिक्री के बारे में रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं। तथापि, जांच करने से पता चला है कि केवल विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाये गये खाद्यान्नों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचा गया था।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्यान्नों की वसूली करता है। निर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए पेशकश किए गए विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सम्पूर्ण खाद्यान्नों की खरीददारी भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम चावल मिल मालिकों/व्यापारियों पर सांविधिक लेवी लगाकर भी चावल एकत्र करता है। राज्य में की जाने वाली वसूली भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार तथा इसकी एजेंसियों की क्षमता और उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है।

अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों तक पहुंचे, सरकार ने 1997–1998 में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना लागू की थी। यह योजना अब तीन राज्यों नामतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में चालू है। इस योजना को अपनाने हेतु अन्य राज्यों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) और (छ) किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ देने और गेहूं तथा चावल की मजबूरन बिक्री से बचने के लिए वसूली प्रचालनों की मानीटरिंग करने तथा मजबूरन बिक्री की किसी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जाते हैं। मीडिया के माध्यम से इस के बारे में प्रचार किया जाता है।

[हिन्दी]

व्यय सुधार संबंधी समिति की सिफारिशें

334. श्री लक्ष्मण गिलुवा :

श्री चिंतामन वनगा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यय सुधार संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उन सुझावों का ब्यौरा क्या है जो सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार उच्च अधिकारियों द्वारा किए जा रहे फालतू खर्च को रोकने में असफल रही है क्योंकि वे सरकार द्वारा किए गए सुझावों का अनुसरण नहीं करते हैं, और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) व्यय सुधार आयोग ने 36 मंत्रालयों/विभागों तथा चार विशेष मुद्दों नामतः खाद्य सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, स्वायत्तशासी संस्थानों तथा स्टॉफ का उपयुक्ततम उपयोग को कवर करते हुए सभी 10 रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों में निहित सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दी गई थीं तथा वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर अभी तक 12,200 पदों को विभिन्न स्तरों पर समाप्ति के लिए अभिज्ञात किया है।

(ङ) और (च) अनुपयोगी व्यय से बचने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मितव्ययिता अनुदेशों का अनुपालन सभी मंत्रालयों/अनुभागों द्वारा किए जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

335. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोमाराम चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय के निःशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित ऐसे कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद किस तारीख से रिक्त हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने निःशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अलग–अलग श्रेणी–वार रोजगार प्रदान किया गया; और

(घ) ऐसे रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

31.12.2001 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	श्रेणी	पद का नाम	निःशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्त पड़े पदों की संख्या	किस तारीख से ये पद रिक्त हैं
1.	समूह 'क'*	–	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
2.	समूह 'ख'*	–	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
1.	समूह 'ग'	उच्च श्रेणी लिपिक	02	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
2.	समूह 'ग'	आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	01	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
3.	समूह 'ग'	अवर श्रेणी लिपिक	02	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
4.	समूह 'घ'	चपरासी	02	शून्य	प्रश्न नहीं उठता

* समूह 'क' और 'ख' पदो/सेवाओ मे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है। इन पदों पर आरक्षण केवल पहचान किए गए पदों के लिए लागू है तथा मत्रालय मे समूह 'क' और 'ख' का पहचान किया गया ऐसा कोई पद नहीं है जिस पर शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त व्यक्तियों को नियोजित किया जा सके।

विवरण-II

क्रम सं.	श्रेणी	वर्ष	निःशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया
1	2	3	4
1.	समूह 'ग'	1998–1999	03
2.	समूह 'ग'	1999–2000	01

1	2	3	4
3.	समूह 'ग'	2000–2001	शून्य
4.	समूह 'घ'	1998–1999	शून्य
5.	समूह 'घ'	1999–2000	शून्य
6.	समूह 'घ'	2000–2001	शून्य

[हिन्दी]

सरकार की मारूति उद्योग लिमिटेड की हिस्सेदारी का विक्रय

336. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारूति उद्योग लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में हुई बैठक में मारूति उद्योग लिमिटेड में सरकार की इक्विटी के विक्रय हेतु जापान की सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के साथ विचार–विमर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) मारूति उद्योग लि. में सरकार की इक्विटी 49.74% है और मारूति उद्योग इम्पलाइज म्यूचुअल बेनीफिट फंड की इक्विटी 0.26% है।

(ख) और (ग) हाल ही में मारूति उद्योग लिमिटेड के प्रस्तावित राइट्स इश्यू के प्रबंधन के संबंध में जापान की सुजुकी मोटर कारपोरेशन के साथ विचार–विमर्श हुआ था।

[अनुवाद]

विश्व के वस्त्र बाजार में भारत का हिस्सा

337. श्री रामजीवन सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के वस्त्र बाजार में देश का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश के पश्चात् से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) विश्व–व्यापार संगठन के वर्ष 1998 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक वस्त्र व क्लोदिंग व्यापार में भारत की प्रतिशत भागीदारी क्रमशः 3.47 प्रतिशत तथा 2.41 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं। विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश के प्रभावों का अभी आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य

338. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू किसान, तम्बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष तम्बाकू किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा तम्बाकू की न्यूनतम समर्थन कीमत (एम एस पी) की सिफारिश की जाती है ऐसा करते समय आयोग तम्बाकू किसानों और केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान के मतों पर विचार करता है।

(ग) तम्बाकू बोर्ड कई उपायों के जरिए किसानों को लाभकारी कीमतें मिलने में सहायता देने का प्रयास करता है जिनमें अन्य बातों के साथ शामिल हैं – उत्पादन के विनियमन के जरिए मांग–आपूर्ति का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना, नीलामी मंचों के जरिए तम्बाकू की बिक्री और निर्यात बाजारों की पहचान करने में सहायता करना।

[हिन्दी]

विटामिन "ए" युक्त चीनी का उत्पादन

339. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विटामिन "ए" युक्त चीनी के उत्पादन की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का है;

(घ) क्या चीनी कम्पनियों को विटामिन "ए" शामिल करने के नाम पर चीनी का मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) मैसर्स शीरपुर शेतकारी एस.एस.के. लि. शीरपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र ने चीनी विकास निधि से भारत सरकार द्वारा और कनाडा सरकार के सार्वजनिक निगम माइक्रोन्यूट्रीएंट इनीसिएटिव, इंटरनेशनल डवलपमैंट रिसर्च सैन्टर द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से विटामिन "ए" युक्त चीनी का उत्पादन करने के लिए 1 टन प्रति घंटे का पॉयलट प्लांट स्थापित किया है;

(ग) वाणिज्यिक पैमाने पर विटामिन "ए" युक्त चीनी का उत्पादन इसकी आर्थिक व्यवहार्यता, लक्षित आबादी की प्रभावोत्पादकता आदि पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं। अतः चीनी कंपनियों को विटामिन "ए" युक्त चीनी के मूल्य बढ़ाने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण

340. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनु.जा. और अनु.जन.जा. के स्नातक बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनु.जा./अनु.जन.जा. के कितने स्नातक बेरोजगार युवकों को ऋण दिया गया, उनकी राज्य–वार और बैंक–वार संख्या क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) द्वारा संवितरित ऋणों एवं खातों की संख्या संबंधी राज्य–वार/बैंक–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1998–99, 1999–2000 एवं 2000–2001 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत एस.सी.बी. द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के बेरोजगार युवकों को संवितरित राज्य वार ऋण को दर्शाता विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुल संवितरित ऋण में से अ.जा/अ.ज.जा. को संवितरित ऋण					
		1998–99		1999–2000		2000–2001	
		खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	742	389.51	758	407.73	663	385.42
2.	हिमाचल प्रदेश	280	160.68	391	252.90	338	185.75
3.	जम्मू और कश्मीर	125	91.07	146	124.78	82	65.67
4.	पंजाब	1176	640.71	1287	746.11	1168	676.65
5.	राजस्थान	1414	637.90	1907	922.20	1690	860.62
6.	चंडीगढ़	08	6.50	05	3.57	03	2.95
7.	दिल्ली	55	28.38	89	57.05	88	50.63
8.	असम	1040	793.22	1871	1396.98	347	248.59
9.	मणिपुर	62	32.64	147	110.16	154	147.00
10.	मेघालय	100	69.45	355	240.47	177	158.45
11.	नागालैण्ड	31	24.27	69	69.74	08	6.30
12.	त्रिपुरा	13	7.06	98	50.22	10	7.10
13.	अरुणाचल प्रदेश	32	21.14	126	122.16	96	62.67
14.	मिजोरम	12	7.61	64	50.88	78	69.00
15.	सिक्किम	25	11.83	11	6.63	11	6.40
16.	बिहार	1518	1063.64	1237	910.39	1361	1098.47
17.	उड़ीसा	543	369.13	1321	910.09	205	124.27
18.	पश्चिम बंगाल	428	280.23	611	421.01	362	259.86

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	अंडमान एवं निकोबार	18	15.18	26	20.74	29	23.29
20.	मध्य प्रदेश	3370	1986.01	3370	23.63	2295	1445.96
21.	उत्तर प्रदेश	5096	2932.51	5663	3320.67	5508	3576.42
22.	गुजरात	2395	888.00	1973	829.26	1423	633.95
23.	महाराष्ट्र	4392	2152.27	3758	1941.95	2521	1470.70
24.	दमन एवं दीव	02	0.96	01	0.60	04	3.17
25.	गोवा	12	7.82	11	7.15	13	7.60
26.	दादरा एवं नागर हवेली	07	3.78	03	2.00	05	3.63
27.	आंध्र प्रदेश	2482	1278.69	2665	1418.08	1394	816.21
28.	कर्नाटक	1612	782.27	2238	1380.12	1282	736.63
29.	केरल	1114	532.77	1283	661.87	1010	551.13
30.	तमिलनाडु	1505	676.06	2010	927.21	1346	590.68
31.	लक्षद्वीप	31	25.59	33	22.89	14	11.31
32.	पांडिचेरी	47	15.72	49	15.79	26	11.54
	विशेष उल्लेख नहीं किया गया	–	–	–	–	09	4.11
	अखिल भारत	29687	15932.60	33576	19715.02	23720	14303.13

विवरण-II

वर्ष 1998–99, 1999–2000 एवं 2000–2001 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत एस.सी.बी. द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के बेरोजगार युवकों को संवितरित बैंक–वार ऋण को दर्शाता विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल संवितरित ऋणों में से अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित ऋण					
		1998–99		1999–2000		2000–2001	
		खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	सवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारतीय स्टेट बैंक	5712	3206.03	10657	6481.00	6789	4542.00
2	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	517	234.46	675	322.17	674	348.57

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1278	647.55	1149	715.42	1061	564.46
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	531	326,05	480	420.18	431	333.54
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	450	184.86	764	466,41	18	12.10
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	434	238.81	452	256.79	502	312.96
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	248	106.93	191	87.87	223	114.54
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	427	237.64	310	146.33	459	254.58
9.	इलाहाबाद बैंक	936	597.32	893	394.08	283	184.25
10.	आन्ध्रा बैंक	269	149.19	00	0.00	14	8.90
11.	बैंक आफ बड़ौदा	2405	1087.40	2074	1163.34	1766	856.12
12.	बैंक आफ इंडिया	2515	1379.33	1922	1124.84	1224.	751.72
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1069	553.66	846	488.29	451	249.53
14.	केनरा बैंक	1383	663,69	1427	716.67	1106	609.80
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2733	1609.66	2334	1518,25	1416	953.18
16.	कारपोरेशन बैंक	223	127.16	231	126.93	172	99.22
17.	देना बैंक	511	249.16	397	187.48	426	244.66
18.	इंडियन बैंक	634	303.99	692	336,73	576	251.97
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	938	479.08	988	479.81	109	57.75
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	295	159.72	375	190.35	313	184.10
21.	पंजाब नेशनल बैंक	2411	1314.66	2497	1466.42	2240	1315.88
22.	पंजाब एंड सिंघ बैंक	120	62.50	143	73.00	194	140.80
23.	सिंडिकेट बैंक	469	238.70	799	418.23	742	382.91
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1227	677.48	1273	774.50	929	589.31
25.	युनाईटेड बैंक आफ इंडिया	275	180.89	317	205.50	145	98.42
26.	यूको बैंक	570	354.65	730	434.14	685	430.84

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	विजया बैंक	471	242.43	416	255.14	317	191.97
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग	29051	15613.00	33034	19449.87	23265	14084.08
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक							
28.	बैंक आफ मदुरै लि.	21	0.19	27	21.00	01	0.50
29.	बैंक आफ राजस्थान लि.	78	29.24	101	47.19	68	31.07
30.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	01	0.70	02	0.78	04	1.37
31.	बनारस स्टेट बैंक लि.	00	0.00	00	0.00	00	0.00
32.	केथोलिक सिरियन बैंक लि.	23	10.32	00	0.00	30	15.15
33	धनलक्ष्मी बैंक लि.	05	2.27	21	11.64	14	7.37
34.	फेडरल बैंक लि.	110	71.18	88	48.83	79	44.08
35.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	00	0.00	00	0.00	00	0.00
36.	कर्नाटक बैंक लि.	23	8.38	33	12.56	15	8.97
37.	करूर वैश्य बैंक लि.	14	5.93	16	5.45	09	3.64
38.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	00	0.00	17	5.21	08	1.31
39.	नेदुनगड़ी बैंक लि.	32	18,02	32	14.66	11	5.85
40.	रत्नाकर बैंक लि.	08	5.60	00	0.00	01	0 60
41.	सांग्ली बैंक लि.	15	7.24	00	0.00	16	7.68
42.	साउथ इंडियन बैंक लि.	39	19.28	47	19.52	51	20.72
43.	तमिलनाडु म. बैंक लि.	10	2.72	08	2.98	08	2.32
44.	युनाइटेड वेस्ट बैंक लि.	141	75.81	65	33.95	63	32.57
45.	वैश्य बैंक लि.	65	30.39	80	39.88	48	20.21
46.	बरेली कारपोरेशन बैंक लि.	03	1.67	00	0.00	00	0,00
47.	नैनीताल बैंक लि.	41	26.56	00	0.00	19	9.90
48.	सिटी यूनियन बैंक लि.	00	0.00	00	0.00	00	0.00
49.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	07	4.10	05	1.50	10	5.54
गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग		636	319.60	542	265.15	455	219.05
सभी बैंकों का योग		29687	15932.60	33576	19715.02	23720	14303.13

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

341. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

प्रो. दुखा भगत :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों की बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) चीनी मिलों द्वारा बकाया राशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है और इस संबंध में कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) 15.01.2002 को स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 2000–2001 (अक्तूबर–सितम्बर) के संबंध में गन्ने के मूल्य की स्थिति निम्नवत् थी :

(करोड़ रुपये में)

(i)	गन्ने के मूल्य की देय धनराशि	**14466.83**
(ii)	गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि	**14230.99**
(iii)	गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि	**235.84**
(iv)	उपर्युक्त (i) के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता	**1.63%**

पिछले मौसम अर्थात 2000–2001 के दौरान गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की स्थिति की तुलना में वर्तमान मौसम 2001–2002 के दौरान गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है :–

(करोड रुपये में)

		2001–2002 (15.1.2002 को स्थिति के अनुसार)	2000–2001 (15.1.2001 को स्थिति के अनुसार)
(i)	गन्ने के मूल्य की देय धनराशि	3749.84	**3278.86**
(ii)	गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि	2640.54	**2454.45**
(iii)	गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि	1109.29	**824.40**
(iv)	उपर्युक्त (i) के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता	29.6%	**25.1%**

उपर्युक्त से यह विदित होता है कि पिछले चीनी मौसम की तुलना में चीनी मौसम 2001–2002 के दौरान गन्ने के मूल्य की देय धनराशि में 470.98 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि में 186.09 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि में 284.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है लेकिन प्रतिशतता के हिसाब से चीनी मौसम 2001–2002 के दौरान गन्ने के मूल्य की देय धनराशि के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता 29.6 थी जबकि इससे पिछले मौसम के दौरान यह प्रतिशतता 25.1 थी। गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि में वृद्धि मुख्य रूप से गन्ने के देय मूल्य की धनराशि में वृद्धि होने के कारण हुई है। 15.1.2002 को स्थिति के अनुसार 2001–2002 चीनी मौसम के लिए गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का संचित होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे चीनी मिलों की खराब वित्तीय स्थिति, उत्पादन की ऊंची लागत, राज्य द्वारा सुझाए गए गन्ने के मूल्य का अधिक होना, अपर्याप्त बिक्री–वसूली आदि।

गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा फील्ड ऐजेंसियां हैं। केन्द्र सरकार ने समय-समय पर गन्ने के मूल्य के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करने के अलावा राज्य सरकारों को किसानों को देय गन्ने के मूल्य की धनराशि का भुगतान शीघ्रता से करवाने के लिए लिखा है। केन्द्र-सरकार ने चीनी मिलों की सक्षमता में वृद्धि करने के लिए उनकी लेवी प्रतिशतता को 1.1.2000 से 40% से घटाकर 30% तथा बाद में 1.2.2001 से 30% से घटाकर 15% कर दिया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रियों को खुली बिक्री की अग्रिम निर्मुक्ति भी करती है तथा गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान करने के लिए सभी चीनी फैक्ट्रियों को उनकी त्रैमासिक खुली बिक्री की निर्मुक्ति की 10% मात्रा बेचने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया धनराशि वसूली की भांति करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विवरण

2001-2002 मौसम के दौरान 15.01.2002 की स्थिति के अनुसार खरीदे गए गन्ने के संबंध में गन्ने के देय मूल्य, अदा किए गए मूल्य और बकाया धनराशि की राज्यवार/जोनवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपये में)

राज्य/जोन	2001-2002 के दौरान 15.01.2002 तक खरीदे गए गन्ने का कुल देय मूल्य	15.01.2002 तक गन्ने का अदा किया गया मूल्य	15.01.2002 को स्थिति के अनुसार गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि	कुल देय धनराशि के प्रति बकाया धनराशि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
पंजाब	23,955.50	16,271.50	7,684.00	32.08
हरियाणा	10,478.40	3,820.91	6,657.49	63.54
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम उत्तर प्रदेश	26,749.91	19,755.41	6,994.50	26.15
मध्य उत्तर प्रदेश	34,827.81	17,650.71	17,177.10	49.32
पूर्वी उत्तर प्रदेश	16,015.79	10,696.14	5,319.65	33.22
जोड़ उत्तर प्रदेश	77,593.51	48,102.26	29,491.25	38.01
उत्तरांचल	10,446.63	7,301.43	3,145.20	30.11
मध्य प्रदेश	3,869.66	3,274.96	594.70	15.37
दक्षिण गुजरात	22,780.31	18,813.76	3,966.55	17.41
सौराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
जोड़ गुजरात	22,780.31	18,813.76	3,966.55	17.41
दक्षिण महाराष्ट्र	55,322.04	50,536.72	4,785.32	8.65
उत्तर महाराष्ट्र	21,833.70	17,553.73	4,279.97	19.60
मध्य महाराष्ट्र	39,332.14	33,235.05	6,097.09	15.50
जोड़ महाराष्ट्र	116,487.88	101,325.50	15,162.38	13.02
उत्तर बिहार	10,671.74	6,459.28	4,212.46	39.47
दक्षिण बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ बिहार	10,671.74	6,459.28	4,212.46	39.47
असम	12.33	5.54	6.79	55.07
आंध्र प्रदेश	26,180.58	16,419.46	9,761.12	37.28
कर्नाटक	42,285.78	24,998.69	17,287.09	40.88
तमिलनाडु	28,591.85	16,634.58	11,957.27	41.82
केरल	318.42	153.39	165.03	51.83
उड़ीसा	291.71	110.56	181.15	62.10
पश्चिम बंगाल	350.84	230.10	120.74	34.41
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	453.85	0.00	453.85	100.00
गोवा	214.70	132.38	82.32	38.34
समस्त भारत जोड़	374,983.69	264,054.30	110,929.39	29.58

[अनुवाद]

रेशम उद्योगों के विकास की रणनीति

342. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय संघ की चार दिवसीय विश्व कांग्रेस का आयोजन 3 दिसम्बर, 2001 को बंगलौर में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनमें किन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श हुआ;

(ग) क्या सरकार ने रेशम उद्योग के विकास के लिए पांच सूत्रीय रणनीति की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो उस रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) :

(क) और (ख) जी हां, दिनांक 3 से 6 दिसम्बर, 2001 को बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय रेशम संघ ने अपनी 23वीं कांग्रेस आयोजित की जिसमें इसके सदस्य प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने तकनीकी के साथ–साथ व्यापार और बाजार संबद्ध मामले पर चर्चा की। सत्र में प्रतिनिधियों द्वारा शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण और रेशम उत्पादन तथा रीलिंग अपरिष्कृत रेशम में व्यापार, सिल्क अपशिष्ट में व्यापार, थ्रोन रेशम में व्यापार, बुनाई, रेशम फैब्रिक में व्यापार, रेशम फर्निशिंग, रंजक, रेशम की प्रिंटिंग और फिनिशिंग, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान से संबंधित चर्चा शामिल है।

(ग) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा की है जिसमें रेशम की सभी किस्मों में अंतर्राष्ट्रीय मानक की प्राप्ति के उद्देश्य से उठाए गए कदमों की सूची है। उठाए गए कदमों की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. अनुसंधान एवं विकास में सुधार तथा सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली हस्तांतरण,

2. रेशम की गैर–शहतूती किस्मों के उत्पादन के लिए विचार करना,

3. द्विफसलीय रेशम उत्पादन के विस्तार के लिए संवर्धनात्मक प्रयास करना,

4. उत्पादकों और उद्योग के मध्य रीलिंग एवं बुनाई तथा सुदृढ संबंधों की गतिविधियों को प्रोत्साहन,

5. रेशम उत्पादकों के साथ–साथ निर्यात विनिर्माताओं के संतुलित हितों को देखते हुए अपरिष्कृत रेशम के लिए आयात नीति की आवधिक पुनरीक्षा।

उपरोक्त कदमों को प्रभावशाली बनाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है।

जे.पी.एम. अधिनियम, 1987 का निरसन

343. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट पैकेजिंग मेटेरियल्स (कम्पलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज) एक्ट, 1987 के संबंध में किसी अंतर–मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके संगठन और निदेश पद का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जेपीएम अधिनियम के संबंध में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करना तथा अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को प्रगामी रूप से कम करने के लिए मार्गदर्शी चित्र का सुझाव देना।

(ग) अंतर–मंत्रालयी समिति में निम्नलिखित सदस्यगण हैं :–

(1) वस्त्र मंत्री

(2) कृषि मंत्री और

(3) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

समिति पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत इसे रद्द करने को सुकर बनाने के लिए खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को प्रगामी रूप से काम करने के लिए मार्गदर्शी चित्र बनाने वाली है।

(घ) समिति चालू पटसन वर्ष के अंत अर्थात् 30 जून, 2002 के पहले अपनी रिपोर्ट संभवतः प्रस्तुत करेगी।

वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि योजना

344. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों को वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि योजना के अधीन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में, सरकार के स्वामित्व में होने के कारण, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों को सहायता दी जाती रही है।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए धनराशि

345. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक उनका मंत्रालय आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के कल्याण हेतु मंजूर धनराशि का पूर्ण रूपेण उपयोग करने में विफल हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों हेतु किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु मंजूर धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास सम्बंधी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के माध्यम से और कुछ हद तक स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से शासित करता है। इसलिए, निधियों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा योजनाओं की प्रगति तथा कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता है और अतिरिक्त निधियां राज्यों को पहले निर्मुक्त की गई निधियों के समुचित उपयोग पर निर्मुक्त की जाती है। मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है और राज्यों को निर्मुक्त निधियों के पूर्ण तथा समुचित उपयोग को मॉनीटर करता है ताकि मंत्रालय उन्हें अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अतिरिक्त निधियां निर्मुक्त करने में समर्थ हो सके।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के कार्यनिष्पादन का पुनरीक्षण

346. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी. आई.) के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किस अवधि का पुनरीक्षण किया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम की देयता क्या है; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के कार्य–कलाप में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार समय–समय पर भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरणों के विभिन्न पहलुओं की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रशासनिक और प्रचालनात्मक लागतों को कम करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

जाली नोटों की पहचान का तरीका

347. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास करेन्सी नोटों का वास्तविक आकार ज्ञात करने का कोई पक्का तरीका है जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई करेन्सी नोट जाली है या असली;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 500 रु. और 1000 रु. मूल्य वर्ग के भिन्न–भिन्न श्रेणियों के करेन्सी नोटों के आकार में अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सिर्फ बैंक नोट के आकार से ही नोटों के नकली अथवा असली होने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। अर्थात, भारतीय बैंक नोटों का प्रत्येक मूल्यवर्ग के लिए एक विशेष आकार है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मूल्यवर्ग (रुपये)	लम्बाई (मि.मि.)	चौड़ाई (मि.मि.)
1000	177	73
500	167	73
100	157	73
50	147	73
20	147	63
10	137	63
5	117	63

(ग) और (घ) 500 रुपये और 1000 रुपये मूल्यवर्गों के आकार कई श्रृंखलाओं में एक समान हैं हालांकि कुछ मामलों में नाममात्र का अन्तर हो सकता है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) का पुर्नगठन

348. श्री अनंत गुढ़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) के पुर्नगठन संबंधी परामर्शदात्री समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) लोगों के विश्वास को पुनःस्थापित करने हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) के पुनर्गठन और पुनर्संरचना को अंतिम रूप देने हेतु अल्प–कालिक और दीर्घ–कालिक कार्रवाई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) के कार्य–निष्पादन समीक्षा और शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नई योजनाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) यू.टी.आई. की यू.एस.–64 स्कीम में पूंजी वापसी निवेशकों को नकदी वापस करने और कष्ट दूर करने की दृष्टि से, सरकार ने यू.टी.आई. को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निश्चय किया है। वित्तीय सहायता पैकेज के बाद के रूप में, यू. टी.आई. की विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर आधारित समयबद्ध सुधारों का सुनिश्चयन करने को कहा गया है। सुधार उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ एक समग्र, ससंजक तथा पारदर्शी निवेश नीति तैयार करना, उद्देश्य निर्धारित करना, निवेश/विनिवेश मानदंड, एक्जिट मानदंड, जोखिम प्रबंध की रणनीतियां (हानिरोधक सीमाएं, निवेशों में अनम्यता अभिज्ञात करने के लिए एक ठोस प्रक्रिया तथा एम पी ए का फॉलोअप), आंतरिक नियंत्रण, परिसंपत्ति आबंटन मानदंड, लेखाकरण मानदंडों को सख्त बनाना, और अधिक व्यावसायिकों को समाहित करने के लिए प्रबंध लेखा परीक्षा की संस्था तथा यू.टी.आई. का पुनर्संगठन शामिल है।

यू.टी.आई. ने विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा सुझाव दिए गए सुधार संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने और प्रचालित करने में यू.टी.आई. को सुझाव और सहायता देने के लिए स्थाई सलाहकार दल गठित किया है।

(ङ) जैसा यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि एन ए वी आधारित स्कीमों के दिनांक 31 जनवरी, 2002 की यथास्थिति पिछले डेढ़ वर्षों में निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि किसी नई स्कीम का प्रारम्भ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

विवरण

31 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य में वृद्धि के अनुसार पिछले 1 वर्ष और 6 महीनों के लिए यू.टी.आई. की निवल परिसंपत्ति मूल्य संबद्ध स्कीमों का कार्यनिष्पादन

क्रम सं.	स्कीम का नाम	1 वर्ष की अवधि के लिए		6 महीनों की अवधि के लिए	
		निवल परिसंपत्ति मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन	मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में % परिवर्तन	निवल परिसंपत्ति मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन	मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6
1.	मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान, 1998	–11.79	–26.88	9.60	2.26
2.	मास्टर शेयर, 1986	–31.36	–26.88	–6.72	2.26
3.	यूनिट स्कीम, 1992	–23.87	–26.88	9.35	2.26
4.	एम ई पी, 1992	–20.33	–26.88	2.58	2.26
5.	एम ई पी, 1993	–34.51	–26.88	–4.85	2.26
6.	एम ई पी, 1994	–29.67	–26.88	4.68	2.26
7.	एम ई पी, 1995	–28.35	–26.88	4.46	2.26
8.	एम ई पी, 1996	–22.74	–26.88	7.04	2.26
9.	एम ई पी, 1997	–26.16	–26.88	8.00	2.26
10.	एम ई पी, 1998	–18.58	–26.88	11.52	2.26
11.	एम ई पी, 1999	–26.15	–26.88	11.46	2.26
12.	ग्रान्ड मास्टर, 1993	–14.41	–26.88	8.43	2.26
13.	मास्टर प्लस, 1991	–23.39	–26.88	4.36	2.26
14.	मास्टर गेन, 1992	–21.23	–26.88	4.68	2.26
15.	मास्टर ग्रोथ, 1993	–22.15	–26.88	5.89	2.26
16.	प्राइमरी इक्विटी यूनिट स्कीम	–11.31	–26.88	5.39	2.26
17.	यू.टी.आई. – यू.जी.एस. 10,000	–4.68	–26.88	6.93	2.26
18.	यू.टी.आई. इक्विटी टैक्स सेविंग प्लान	–25.14	–26.88	12.20	2.26
19.	यू.टी.आई. ब्रान्ड वैल्यू फंड	–8.96	–26.88	4.34	2.26
20.	यू.टी.आई. पैट्रो फंड	–14.25	–26.88	15.43	2.26
21.	यू.टी.आई. फार्मा एंड हैल्थ केयर फंड	–6.16	–26.88	9.32	2.26
22.	यू.टी.आई. सैलेक्ट इक्विटी फंड	–16.71	–26.88	4.90	2.26

1	2	3	4	5	6
23.	यू.टी.आई. सर्विसेज सेक्टर फंड	–39.02	–26.88	–0.06	2.26
24.	यू.टी.आई. साफ्टवेयर फंड	–42.66	–26.88	28.32	2.26
25.	यू.टी.आई. मास्टर इंडेक्स फंड	–21.68	–26.88	1.62	2.26
26.	यू.टी.आई. निफ्टी इंडेक्स फंड	–20.58	–26.88	1.72	2.26
27.	सी सी पी	–0.66	–26.88	5.91	2.26
28.	सी आर टी एस 81	–8.72	–26.88	–7.60	2.26
29.	रिटायरमैंट बेनिफिट प्लान–1994	–14.50	–26.88	–0.31	2.26
30.	यूलिप–1997	–11.69	–26.88	–4.99	2.26
31.	यू.टी.आई. बॉन्ड फंड	14.15	–26.88	6.13	2.26
32.	यू.टी.आई. जी–सेक फंड	21.04	–26.88	11.08	2.26
33.	यू.टी.आई. महिला यूनिट स्कीम	एन.ए.	–26.88	5.26	2.26
34.	यू.टी.आई. स्माल इन्वेस्टर्स फंड	4.63	–26.88	–4.66	2.26
35.	यूनिट स्कीम–1995	–2.37	–26.88	5.87	2.26
36.	यू.टी.आई. मनी मार्केट फंड	8.81	–26.88	3.78	2.26
37.	गृह लक्ष्मी यूनिट प्लान 1994	–1.68	–26.88	1.85	2.26
38.	यू.टी.आई. इक्विटी टैक्स सेविंग्स प्लान	–25.14	–26.88	12.20	2.26
39.	आई आई एस एफ यू एस – 1997	–3.96	–26.88	–1.37	2.26
40.	आई आई एस एफ यू एस – 1997 (II)	–8.43	–26.88	–5.56	2.26
41.	आई आई एस एफ यू एस – 1998	–16.24	–26.88	–8.88	2.26
42.	आई आई एस एफ यू एस – 1998 (II)	–21.94	–26.88	–3.94	2.26
43.	एम आई पी. 2000	–16.39	–26.88	0.38	2.26
44.	एम आई पी. 2000 (II)	–16.38	–26.88	–3.90	2.26
45.	एम आई पी. 2000 (III)	–5.36	–26.88	–15.62	2.26
46.	एम आई पी. 1997	–6.49	–26.88	–6.49	2.26
47.	एम आई पी. 1997 (II)	–7.07	–26.88	–7.07	2.26
48.	एम आई पी. 1997 (III)	0.45	–26.88	0.45	2.26
49.	एम आई पी. 1997 (IV)	–2.40	–26.88	–2.40	2.26
50.	एम आई पी. 1997 (V)	–2.54	–26.88	–2.54	2.26
51.	एम आई पी. 1998	–3.01	–26.88	–3.01	2.26

1	2	3	4	5	6
52.	एम आई पी, 1998 (II)	–13.74	–26.88	–13.74	2.26
53.	एम आई पी, 1998 (III)	–15.24	–26.88	2.59	2.26
54.	एम आई पी, 1998 (IV)	2.59	–26.88	–5.47	2.26
55.	एम आई पी, 1998 (V)	–5.47	–26.88	1.15	2.26
56.	एम आई पी, 99	1.15	–26.88	1.13	2.26
57.	यू.टी.आई., एन आई आई फंड	1.13	–26.88	–0.78	2.26
58.	जी सी जी आई पी 94 (संचयी)	–13.09	–26.88	–21.96	2.26

टिप्पणी :

यू.टी.आई. इक्विटी स्कीमों के कार्यनिष्पादन का सारांश (छमाही विवरणी)

स्कीमों की श्रेणी	स्कीमों की कुल संख्या	तलचिन्ह से अच्छा प्रदर्शन करने वाली स्कीमों की संख्या	तलचिन्ह से कम प्रदर्शन करने वाली स्कीमों की संख्या
विविधीकृत इक्विटी	18	16	2
क्षेत्रीय	6	5	1
सूचकांक निधियां	2	0	2

छमाही विवरणी के आधार पर, 26 स्कीमों में से 21 स्कीमों ने तलचिन्ह बी एस ई नेटेक्स से अच्छा प्रदर्शन किया है।

यू.टी.आई. इक्विटी स्कीमों के कार्यनिष्पादन का सारांश (12 माह की विवरणी)

स्कीमों की श्रेणी	स्कीमों की कुल संख्या	तलचिन्ह से अच्छा प्रदर्शन करने वाली स्कीमों की संख्या	तलचिन्ह से कम प्रदर्शन करने वाली स्कीमों की संख्या
विविधीकृत इक्विटी	18	14	4
क्षेत्रीय	6	4	2
सूचकांक निधियां	2	2	0

12 मास की आय के आधार पर, 26 स्कीमों में से 20 स्कीमों ने तलचिन्ह बी एस ई नेटेक्स से अच्छा प्रदर्शन किया है।

यू.टी.आई. ऋण स्कीमों के कार्यनिष्पादन का सारांश (12 माह की विवरणी)

12 मास की आय के आधार पर, 32 स्कीमों में से 26 स्कीमों ने पिछले 12 महीनों के दौरान तलचिन्ह से अच्छा प्रदर्शन किया है।

यू.टी.आई. ऋण स्कीमों के कार्यनिष्पादन का सारांश (6 मास की विवरणी के आधार पर)

6 मास की विवरणी के आधार पर, 32 स्कीमों में से 8 स्कीमों ने पिछले 6 मास के दौरान तलचिन्ह से अच्छा प्रदर्शन किया है।

स्रोत : क्रिडेन्स निधि नेविगेटर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षिक सहायता

349. श्री सुकदेव पासवान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में उत्तम संस्थान (इंस्टीटचूट आफ एक्सचेंज) स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों का ब्यौरा क्या है और इनमें क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई ऑटो नीति

350. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नई ऑटो नीति को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (ग) नीति तैयार की जा रही है तथा अंतिम रूप दिए जाने पर घोषित की जाएगी।

रुग्ण पटसन मिलों का पुनरुद्धार

351. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर, पश्चिम बंगाल के पटसन मिलों की खराब स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रुग्णता के मूल कारणों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन रुग्ण पटसन मिलों के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कामगारों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ङ) 1.2.2002 तक की स्थिति के अनुसार, देश में 76 पटसन मिलें हैं जिनमें से 37 पटसन मिलें रुग्ण बतलाई गई हैं। पश्चिम बंगाल में 59 पटसन मिलों में से इस समय 31 मिलें रुग्ण बतलाई गई हैं। पटसन कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार स्वतः की पटसन क्षेत्र को निम्नलिखित सहायता प्रदान कर रही है :–

1) पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत खाद्यान्न और चीनी की 100 प्रतिशत अनिवार्य पैकेजिंग।

2) पटसन के सामान पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है।

3) भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन।

4) निर्यात के लिए निर्मित पटसन के सामान के लिए बाहरी विपणन सहायता प्रदान करना।

5) राष्ट्रीय पटसन विविधिकरण केन्द्र (एनसीजेडी) द्वारा मूल्यवर्द्धित विविधिकृत पटसन उत्पादों का विकास।

6) पटसन उद्योग को तकनीकी जानकारी देने के लिए भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) को अनुसंधान व विकास संबंधी सहायता।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण पटसन मिलों का पुनरुद्धार करने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल औद्योगिक नवीकरण योजना, 2001 के अंतर्गत रुग्ण एककों को सहायता प्रदान कर रही है।

ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु विश्व बैंक द्वारा ऋण

352. श्री दिन्शा पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तपोषित की जा रही ग्रामीण जलापूर्ति योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का ऋण प्राप्त किया गया है; और

(ग) क्या इस योजना के अधीन परियोजना को गुजरात में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) इस समय विश्व बैंक द्वारा वित्त–पोषित की जा रही दो ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं हैं जो निम्नानुसार हैं :–

परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/समापन की तारीख	सहायता की राशि
केरल ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना	04.11.01/ 31.12.06	65.50 मिलियन अमरीकी डालर
उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना	22.7.96/ 31.5.03	52.40 मिलियन अमरीकी डालर

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित ऋण राशियों के लिए विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

– 1999–2000 –शून्य

– 2000–2001 –65.50 मिलियन डालर

– 2001–फरवरी, 2002 –शून्य

(ग) इस समय गुजरात सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गेहूं निर्यात नीति

353. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान गेहूं निर्यात नीति अक्तूबर, 2001 में समाप्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा दीर्घ–कालिक नई गेहूं निर्यात नीति को तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या "एसोचैम" ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) भारत सरकार गेहूं का वह निर्यात मूल्य निर्धारित करती है जिस पर निर्यातकों के केन्द्रीय पूल से इसकी पेशकश की जाती है। एसोचैम ने सरकार से अनुरोध किया था कि लंबी वैधता अवधि के साथ गेहूं के निर्यात मूल्य की घोषणा की जाए। निर्यातकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में गेहूं और चावल के निर्यात मूल्य 3 माह की अवधि के लिए घोषित किए जाएगें और निर्यात मूल्यों की घोषणा 45 दिन अग्रिम में की जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

354. श्री मोहन रावले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य मंत्रालयों के साथ एक समन्वय समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाली विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयारी के अगले चरण में है।

(ग) और (घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों

के अंतर्गत केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना 1997 में पहले ही की जा चुकी है।

औषधियों के निर्यात हेतु अनिवार्य लाइसेंस

355. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी श्रेणी की औषधियों के निर्यात हेतु लाइसेंस प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वे कौन–कौन सी औषधियां हैं जिन्हें निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है;

(घ) क्या सरकार इन औषधियों के निर्यात हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली को अनिवार्य करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 24.8.2001 की राजपत्र अधिसूचना सं. जी एस आर 604 (ङ) के द्वारा औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमों के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया है और इसके द्वारा विदेशी औषधि विनिर्माताओं के विनिर्माण परिसरों और अलग–अलग औषधियों का उनका देश में आयात करने से पहले, पंजीकरण कराने के लिए एक नए प्रावधान को लागू किया है। इस अधिसूचना में अन्य प्रावधानों को शामिल किया गया है जैसे औषधि की सभी श्रेणियों के लिए आयात लाइसेंस, वर्द्धित आयात लाइसेंस फीस, लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ाना, वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए बल्क औषधि के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता से छूट को समाप्त करना, आयातित औषधियों के लिए रखी गई शैल्फ लाइफ के लगभग 60 प्रतिशत की आवश्यकता तथा सरकारी अस्पतालों द्वारा उनके अपने स्वयं के मरीजों के उपचार के लिए नई औषधियों के थोड़ी मात्रा में आयात के लिए प्रावधान। जैसा कि उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित है, ये विनियम जनवरी, 2003 से लागू हो जाएंगे।

राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

356. श्री कैलाश मेघवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम कहां–कहां स्थित हैं और उनकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) 1.4.1998 से इन गोदामों में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का संग्रह किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उचित रख–रखाव और सुरक्षा से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्नों का नुकसान हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

महिला बैंक शाखाएं

357. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से और अधिक महिला शाखाएं खोलने का परामर्श लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर बैंकों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) बैंकों द्वारा महिला ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सिर्फ महिला उद्यमियों अथवा सर्वाधिक महिला उद्यमियों की आवश्यकताओं को एकीकृत रूप से पूरा करने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशिष्ट शाखाएं खोलने की सलाह दी है।

(ख) बैंक संभाव्य केन्द्रों एवं उनकी लाभप्रदत्ता, पहचान कर महिलाओं के लिए विशिष्ट शाखाएं खोलने की सम्भावना की छानबीन कर रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार दो बैंकों नामतः युनियन बैंक आफ इंडिया तथा इलाहाबाद बैंक ने क्रमशः मुम्बई एवं नई दिल्ली स्थित एक-एक शाखा को महिलाओं की शाखा में परिवर्तित कर दिया है। केनरा बैंक ने हाल ही में बेंगलूर में एक महिला बैंकिंग शाखा खोली है जो सिर्फ महिला ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

(ग) बैंकों से प्राप्त प्रति पुष्टि से पता चलता है कि वे महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों/दीर्घावधि योजनाओं को पुनः परिभाषित करके प्रयास कर रहे हैं। वे महिलाओं के लिए ऋण का प्रतिशत भी बढ़ा रहे हैं तथा महिलाओं के लिए निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 5 प्रतिशत मार्च, 2004 तक प्राप्त करना निश्चित कर रहे हैं। महिलाओं को ऋण मार्च 2001 की समाप्ति पर एन बी सी के 2.36 प्रतिशत से बढ़ाकर सितम्बर, 2001 की समाप्ति पर (अनंतिम) 3.38 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त बैंकों से प्राप्त रिपोर्टें भी यह दर्शाती हैं कि बैंकों में मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं में महिला प्रकोष्ठ स्थापित करने, बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों का जन्डर कन्सर्नस पर अनुस्थापन/महिलाओं की ऋण आवश्यकताओं, प्रचार अभियान शुरू करने, महिलाओं के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संचालित करने, विद्यमान योजनाओं को सुदृढ़ करने, गैर सरकारी संगठनों/स्व-सहायता समूहों को महिला उद्यमियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में शामिल करने के संबंध में प्रगति हुई है। बैंक अब विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत महिलाओं को ऋण प्रवाह पर आधारभूत आंकड़े रख रहे हैं।

खाद्यान्नों का विशाल भण्डार

358. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों के कुल भण्डार में रक्षित भण्डार की सामान्य आवश्यकता से ज्यादा वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर चावल और गेहूं के भंडार का स्तर क्या है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विशाल भंडार के क्या कारण हैं और उसका किस प्रकार निपटान किया जाएगा;

(घ) क्या गोदामों में कुछ खाद्यान्न सड़ गया है और मानव उपयोग के लिए बेकार हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सड़ गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए विहित बफर स्टॉक के मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं का स्टॉक नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े मिलियन टन में)

को स्थिति के अनुसार	खाद्यान्न		बफर मानदंड		अधिशेष स्टॉक	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1.1.2000	14.72	17.17	8.40	8.40	6.32	8.77
1.1.2001	20.70	25.04	8.40	8.40	12.30	16.64
1.1.2002	25.62	32.41	8.40	8.40	17.[illegible]	24.01

(ग) पिछले वर्षों के दौरान बम्पर फसल होने, गेहूं और चावल की रिकार्ड वसूली होने और खुले बाजार में खाद्यान्न की सुगम उपलब्धता होने के कारण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण परियोजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों का कम उठान करने की वजह से केन्द्रीय पूल में अधिशेष स्टॉक जमा हो गया है। खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के सड़ने और इसके परिणामस्वरूप मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। भारतीय खाद्य निगम स्टॉक जारी करने में "प्रथम आमद प्रथम निर्गम" के सिद्धान्त का पालन करता है ताकि पुराना स्टॉक पहले जारी किया जाए।

विवरण

खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने और अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय :–

1) गरीबी रेखा से नीचे के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 1.12.2000 से फिर बढ़ाया गया है जिसके लिए 1.3.2000 को महा पंजीयक के आबादी अनुमानों को आधार बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 5.96 करोड़ से बढ़कर 6.52 करोड़ परिवार हो गई है।

2) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की पात्रता को 1 अप्रैल, 2000 से 10 किलोग्राम से बढाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया है और इसे जुलाई, 2001 से और बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया है।

3) 12.7.2000 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को निम्नानुसार कम कर दिया गया था जो कि 31.3.2002 तक वैध होंगे :–

(रुपये प्रति क्विंटल)

	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूं	415	610
चावल	565	830

4) 25.12.2000 को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों के अंत्योदय अन्न योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम पर चावल के हिसाब से 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाते हैं।

5) राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रयोजित अनाथालयों, भिक्षु गृहों, नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वाले अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आबंटन हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जाते हैं।

6) भारत सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की योजनाओं सहित सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जा रहे हैं।

7) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुशंसित गैर–सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जा रहे हैं।

8) सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाने के लिए जनवरी, 2001 से 12.2.2002 तक 38.33 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है। इसके अलावा सरकार ने जनवरी, 2001 में गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए भी एक लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है।

9) भारत सरकार ने 3 माह की अवधि के लिए 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से सूखा प्रभावित राज्यों को सभी सूखा प्रभावित परिवारों (गरीबी

रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर) में वितरण करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन देने का भी निर्णय लिया है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों को खाद्यान्नों का पहले ही अतिरिक्त आबंटन किया जा चुका है। बिहार सरकार को बाढ़ राहत के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर 1.80 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन दिया गया है।

10) नवम्बर, 2000 में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए। अब तक 42.96 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2001–2002 से भारतीय खाद्य निगम निर्यात के प्रयोजनार्थ चावल भी उपलब्ध करवा रहा है। अब तक 14.03 लाख टन मात्रा का उठान हुआ है।

11) प्रधान मंत्री द्वारा अगस्त, 2001 को की गई घोषणा के आधार पर 25 सितम्बर, 2001 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक वर्ष 50 लाख टन खाद्यानों का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। 13.2.2002 तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन 26.41 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

12) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान खुली बिक्री बाजार योजना जारी रखी गई थी। अप्रैल, 2001 से 15.2.2002 तक 37.87 लाख टन मात्रा बेची गई थी।

[हिन्दी]

मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाद्यान्न

359. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2001 में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से प्राप्त सड़े खाद्यान्नों को प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत दिया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं और आज तक इस उद्देश्य हेतु भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदामों का निरीक्षण किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के लिए यह अपेक्षित होता है कि वह मध्याह्न भोजन योजना सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने के लिए राज्यों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के अनुरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति करे। राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से स्टाक का उठान करने से पूर्व इनका निरीक्षण करने तथा उनकी गुणवत्ता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे स्टाक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी नियुक्त करें।

2001–2002 के दौरान (जनवरी, 2002 तक) मंत्रालय के गुण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के 618 खाद्य भण्डारण डिपुओं का निरीक्षण किया गया है।

औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु नीतियां

360. श्री राजो सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या नीतियां अपनाई गई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि अबंटित की गई है और वास्तव में प्रदान की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों का संवर्धन करने के लिए नई "औद्योगिक नीति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अन्य रियायतें" संबंधी अधिसूचना 24 दिसम्बर, 1997 को जारी की गई थी।

(ख) इस संबंध में विवरण संलग्न है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्र योजना के अधीन दी गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

नाम	1998–99	1999–2000	2000–2001
अरुणाचल प्रदेश	48	50	–
असम	–	250	200
मणिपुर	–	–	100
मेघालय	–	–	–
मिजोरम	–	–	250
नागालैण्ड	500	500	195
त्रिपुरा	–	–	250
योग	548	800	995

परिवहन राजसहायता योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	असम	1250.53	1195.24	1669
2.	मणिपुर	24.41	4.01	–
3.	त्रिपुरा	51.40	26.19	69
4.	अरुणाचल प्रदेश	277.21	606.46	–
5.	मेघालय	127.45	703.96	262
6.	नागालैण्ड	1169.19	649.02	–
7.	मिजोरम	103.29	347.22	–
	योग	3003.48	3532.10	2000

मई, 2000 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित पात्र इकाइयों को राजसहायता वितरित करने के लिए एन.ई.डी.एफ.आई. को नोडल एजेंसी के रूप में नामित कर दिया गया है तथा तदनुसार एन. ई.डी.एफ.आई. के पक्ष में निधियां जारी की जाती हैं।

31.03.2001 को केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता की स्थिति

(लाख रुपये में)

राज्य	जारी की गई राशि
अरुणाचल प्रदेश	–
असम	–
मेघालय	–
मिजोरम	–
नागालैण्ड	–
त्रिपुरा	0.26
मणिपुर	–
योग	0.26

जारी की गई कुल राशि	2.00 करोड़ रुपये
वितरित की गई कुल राशि	0.26 करोड़ रुपये
शेष	1.74 करोड़ रुपये

केन्द्रीय व्यापक बीमा के लिए 2000–2001 में 10 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था।

[अनुवाद]

सहकारी बैंक

361. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कार्यरत सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य के कुछ सहकारी बैंकों ने निवेशकों के करोड़ों रुपये की अदायगी नहीं की है और उनके साथ धोखा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वे कौन–कौन से बैंक हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंकों के कार्यकरण की निगरानी कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन बैंकों को जिनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल थी, के कार्यकरण को सुचारु बनाने में असफलता के क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी चूक की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में 359 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक कार्यरत थे जिनमें से 11 बैंक अनुसूचित हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुछेक बैंकों को चलनिधि की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उन्होंने जमाकर्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में चूक की है। इन बैंकों के नाम नीचे दिए गए हैं :–

1. दि माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद
2. दि बड़ौदा पीपल्स कोआपरेटिव बैंक लि. बड़ौदा
3. दि नटपुर कोआपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद
4. दि जनता कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि. धोल्का
5. दि जेनरल कोआपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद
6. दि अहमदाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद
7. दि मजूर सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद
8. दि लक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद
9. दि अहमदाबाद महिला अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.

इस सभी बैंकों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सहकारी समितियों पर लागू है) के अन्तर्गत यथापेक्षित उपयुक्त कार्रवाई की है। इनमें जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा कृपापात्र जमाकर्ताओं को अधिमान्य भुगतान करने से बचने, जमाराशियों की निकासी तथा नए ऋणों की मंजूरी पर कतिपय प्रतिबंध लगाने, निदेशक मंडल को समाप्त करने तथा प्रशासकों की नियुक्ति करने, बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज करने, बैंकिंग कारोबार जारी रखने संबंधी लाइसेंस रद्द करने तथा जहां कहीं आवश्यक हो बैंक का परिसमापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 35क के अंतर्गत निदेश जारी करना शामिल है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। शहरी सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण वाले व्यवस्था के अधीन कार्य करते हैं। प्रशासनिक रूप से, शहरी बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में आते हैं जबकि बैंकिंग से सम्बद्ध कार्यों का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बैंकों के सुचारु कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न उपाय करता है और चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध निम्न सुधारात्मक उपाय भी करते हैं :–

- स्थलेत्तर निगरानी और स्थल पर निरीक्षण
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35क के उपबंधों के अंतर्गत बैंकों को निदेश जारी किया जाना।
- कार्यकारियों पर नई जमाराशियां स्वीकार करने, नए ऋण अग्रिम देने और अतिरिक्त देयताएं बढ़ाने पर रोक आदि जैसे प्रतिबंध लगाना।

(च) मौद्रिक एवं ऋण नीति के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अप्रैल, 2001 में कतिपय उपायों की घोषणा की। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को अपने क्लियरिंग एवं विप्रेषण अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु चालू खातों में शेष राशियां रखने के अलावा अन्य शहरी सहकारी बैंक के पास जमाराशियां रखने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, इन बैंकों से कतिपय निर्दिष्ट स्तर तक सरकार के पास तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अना एस एल आर निवेश बढ़ाने के लिए कहा गया है। कॉल/नोटिस मुद्रा बाजारों से उनके उधारों को सीमित कर दिया गया है। साथ ही, पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को 31 मार्च, 2002 से शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों से प्रचालित बाजार दर के स्तर पर जमाराशियों पर ब्याज दरों को कम करने के लिए कहा है।

परिधान पार्क (अपैरल पार्क)

362. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश से निर्यात हेतु परिधान पार्कों (अपैरल पार्कों) की स्थापना हेतु परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से राज्यवार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है;

(घ) इन पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है और इस संबंध में केन्द्र सरकार का परिधान पार्क (अपैरल पार्क)–वार कितनी धनराशि का अंशदान किये जाने की संभावना है; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ङ) केन्द्रीय बजट 2001–02 में उत्कृष्ट समूह के सृजन अर्थात निर्यात अपैरल पार्क के लिए एक योजना की घोषणा की गई थी।

योजना शुरू करने की प्रत्याशा में, कुछ राज्य सरकारों ने अपनी संबंधित राज्यों में विशाखापट्टनम तथा कुप्पम (आन्ध्र प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), सूरत तथा अहमदाबाद (गुजरात), चैन्नई तथा तिरूपुर (तमिलनाडु), कोलकाता तथा हावड़ा (प. बंगाल), बैंगलोर तथा बेल्लारी (कर्नाटक), त्रेनिका सिटी तथा कानपुर (उत्तर प्रदेश), इंदौर तथा जबलपुर (मध्य प्रदेश) गन्नौर (हरियाणा) में निर्यात अपैरल पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रेषित किए हैं

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार और जब कभी इनको अंतिम रूप दिया जाएगा, परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

अंत्योदय योजना

363. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अंत्योदय योजना शुरू किए जाने के बाद, उक्त याजना को शुरू किए जाने के पहले जारी किए राशन–कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई योजना के शुरू किए जाने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा से वंचित होने वाले परिवारों की संख्या कितनी है;

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नए कार्डधारकों की आज तक और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लाभार्थियों की पहचान हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(च) प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कितनी मात्रा और मूल्य की विभिन्न वस्तुओं को जारी किया जाता है; और

(छ) आज तक लाभान्वित होने वाले परिवारों द्वारा कुल पात्रता मात्रा की तुलना में कितने प्रतिशत आपूर्ति प्राप्त की?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) अंत्योदय अन्न योजना लागू करने के बाद किसी भी परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच से बाहर नहीं किया गया है।

(घ) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की राज्यवार अनुमानित संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए गए परिवारों की संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित आबादी के आधार पर "गरीबों का अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह" की विधि अपना कर वर्ष 1993–94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का हिसाब लगाया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशानिर्देशों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल भूमिहीन कृषि श्रमिकों, लघु किसानों, दस्तकारों, कुम्हारों, टेपर्स, बुनकरों आदि और शहरी क्षेत्रों में झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वालों और कुलियों, रिक्शा–चालकों, हथठेला खींचने वालों, फूल बेचने वालों जैसे दैनिक आधार पर जीविका कमाने वाले व्यक्तियों जैसे वास्तव में गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को ही शामिल करने पर जोर दिया जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि पात्र परिवारों की पहचान करने में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को सक्रिय रूप से शामिल करें।

(च) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य और खाद्यान्नों की जारी की जाने वाली मासिक मात्रा निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	जिंस	केन्द्रीय निर्गम मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)	जारी करने की मात्रा (किलोग्राम प्रति माह)
1.	चावल		
	अंत्योदय	300	25 किलोग्राम (गेहूं और/अथवा चावल)
	गरीबी रेखा से नीचे के परिवार	565	25 किलोग्राम (गेहूं और/अथवा चावल)
2.	गेहूं		
	अंत्योदय	200	25 किलोग्राम (गेहूं और/अथवा चावल)
	गरीबी रेखा से नीचे के परिवार	415	25 किलोग्राम (गेहूं और/अथवा चावल)
3.	चीनी	1325	500 ग्राम*

*उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूहों को छोड़कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में लेवी चीनी का न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रति माह आबंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 500 ग्राम है। उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूहों के मामले में लेवी चीनी का प्रति व्यक्ति प्रति माह आबंटन 700 ग्राम निर्धारित किया गया है।

(छ) अप्रैल, 2001 से जनवरी, 2002 तक की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन चावल का उठान आबंटन का 57.55% और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 80.57% हुआ था गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन गेहूं का उठान आबंटन का 48.23% और अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के अधीन 67.13% हुआ था।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के राज्यवार अनुमान और राज्य सरकार द्वारा वास्तव में पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या

(14.02.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	1.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)	निम्न तारीख को सूचित
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.63	113.60	नवम्बर, 2001
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	1.20	9.11.2001
3.	असम	18.36	18.85	अगस्त, 2001
4.	बिहार	65.23	84.26	नवम्बर, 1997
5.	छत्तीसगढ़	18.75	17.48	अगस्त, 2001
6.	गोवा	0.48	0.13	अगस्त, 2001
7.	गुजरात	21.20	33.93	जुलाई, 2001
8.	हरियाणा	7.89	6.64	नवम्बर, 2001
9.	हिमाचल प्रदेश	5.14	2.19	अगस्त, 2001
10.	जम्मू और कश्मीर	7.36	5.82	नवम्बर, 2001
11.	झारखण्ड	23.94	22.21	अगस्त, 2001
12.	कर्नाटक	31.29	66.50	सितम्बर, 2001
13.	केरल	15.54	20.4	सितम्बर, 2001
14.	मध्य प्रदेश	41.25	44.87	अगस्त, 2001
15.	महाराष्ट्र	65.34	56.70	मार्च, 2001
16.	मणिपुर	1.66	1.29	फरवरी, 1999
17.	मेघालय	1.83	1.72	15.1.2001
18.	मिजोरम	0.68	0.91	अगस्त, 2001
19.	नागालैण्ड	1.24	1.24	अगस्त, 2001

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	32.98	48.57	दिसम्बर, 2001
21.	पंजाब	4.68	5.02	सितम्बर, 2001
22.	राजस्थान	24.31	23.82	6.12.2000
23.	सिक्किम	0.43	0.44	जनवरी, 2002
24.	तमिलनाडु	48.63	65.51	अगस्त, 2001
25.	त्रिपुरा	2.95	2.50	अगस्त, 2001
26.	उत्तरांचल	4.98	4.30	दिसम्बर, 2001
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	95.48	अगस्त, 2001
28.	पश्चिम बंगाल	51.79	47.87	जुलाई, 2001
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.28	0.12	अक्तूबर, 2002
30.	चंडीगढ़	0.23	0.23	12.2.2001
31.	दादरा एवं नागर हवेली	0.18	0.16	अगस्त, 2001
32.	दमन एवं दीव	0.04	0.02	मई, 2002
33.	दिल्ली	4.09	4.11	25.1.2001
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.01 (1285)	24.10.2001
35.	पांडिचेरी	0.84	0.95	अक्तूबर, 2001

अनुसूचित जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास

364. श्री आर.एस. पाटिल :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु प्रायोजित योजना के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के लिए अपने हिस्से की राशि अभी तक जारी करनी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा छात्रावासों के निर्माण में और विलम्ब को दूर करने हेतु उपरोक्त धनराशि को कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु सहायता निर्मुक्त करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर दिशानिर्देशों के

अनुसार कार्रवाई की गई है और सहायता स्वीकृत की गई है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

वर्ष	केन्द्रीय अंशदान के रूप में स्वीकृत धनराशि (रुपये लाख में)	
	लड़के	लड़कियां
1999–2000	483.82	35.44
2000–2001	495.00	148.96
2001–2002	563.19	207.42
कुल	1542.01	391.82

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

365. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

डा. एन. वेंकटस्वामी :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री नवल किशोर राय :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोर मानीटरिंग इंडियन इकानामी (सी.एम.आई.ई.) ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटाकर 5 प्रतिशत दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन–कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय अर्थव्यवस्था अनुवीक्षण केन्द्र (सी.एम.आई.ई) ने "सी एम आई ई ने वर्ष 2001–02 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को घटा कर 5.7 प्रतिशत कर दिया है" शीर्षक के तहत दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि वर्ष 2001–02 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में पूर्वानुमानित 6 प्रतिशत की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2001–02 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन में 5.7 प्रतिशत तक का यह अधोगामी संशोधन औद्योगिक क्षेत्र में इसके 4.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान की तुलना में 3.5 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत कम अनुमानित वृद्धि पर आधारित है। तथापि, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान अधिकांशतः क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को 6.5 प्रतिशत तक कम करने और बैंकिंग प्रणाली के लिए नकद प्रारिक्षत निधि अनुपात में कमी तथा इसके यौक्तिकरण के साथ–साथ सरकार द्वारा उद्योग, विदेशी क्षेत्र और कराधान आदि के क्षेत्र में किए गए विभिन्न आर्थिक सुधार उपायों से संवृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

विदेशों से व्यावसायिक उधार

366. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जून, 2001 से पहले लिए गए विदेशों से व्यावसायिक उधार पर न्यूनतम राशि संबंधी छूट का लाभ सभी कंपनियों को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इससे कौन–कौन सी कंपनियां लाभान्वित हुई हैं और इसमें कितनी धनराशि सम्मिलित है;

(ग) क्या सरकार ने बिलियन डालर की ई.सी.बी. पर कर में मिलने वाली छूट को वापिस लेकर कतिपय कंपनियों को मिलने वाले कर लाभ से वंचित करने संबंधी अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो धन की शीघ्रता से वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(IV) (क) से (ज) के अधीन निर्दिष्ट अंत प्रयोग के लिए विदेशी मुद्रा उधार जुटाने वाले औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए जाने वाले

ब्याज भुगतान पर कर और संबद्ध फीस और प्रभारों को रोकने से छूट दे रही थी। वित्त अधिनियम, 2001 के माध्यम से यथा–संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 यह व्यवस्था करता है कि दिनांक 11 जून, 2001 से नए ऋण करारों के अधीन विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए उपरोक्त छूट धारा 10(15)(IV) (क) से (च) के अधीन उपलब्ध नहीं होंगी।

(ख) भारत में उन कंपनियों, जिन्होंने विदेशी वाणिज्यिक उधार लिया है और जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान छूट दी गई थी, के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) दिनांक 1 जून, 2001 को अथवा उसके बाद संविदाकृत विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए धारा 10(15)(IV) (क) से (च) के अधीन कर संबंधी छूट उपलब्ध नहीं हैं। दिनांक 1 जून, 2001 के पूर्व संविदाकृत और कर छूट स्वीकृत विदेशी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में अंत प्रयोग शर्तों और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अनुमोदन संबंधी सभी शर्तों का पालन कर रही कंपनियां/उधारकर्ता कर छूट प्राप्त करना जारी रखेंगे। एक कंपनी के मामले में स्वीकृत कर छूट प्रत्याशित रूप से वापस ले ली गई है क्योंकि विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अनुमोदन की शर्त का उल्लंघन किया गया है।

रबड़ की खरीद

367. **श्री ए.सी. जोस :**

श्री सुरेश कुरूप :

श्री के. मुरलीधरन :

श्री पी.सी. थामस :

श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) और केरल राज्य सरकार से घरेलू बाजार से रबड़ की खरीद करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) और राज्य सरकार ने रबड़ की खरीद शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो घरेलू बाजार से अब तक कितनी मात्रा में रबड़ की खरीद की गई है;

(ङ) इस प्रणाली से रबड़ की खेती करने वाले को कितनी राहत मिली है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने रबड़ की खरीद हेतु राज्य सरकार और राज्य व्यापार निगम को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) प्राकृतिक रबड़ की गिरती हुई कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने 1997 से अप्रैल 2001 तक घरेलू बाजार से एस टी सी द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खरीद करने के लिए एक बाजार हस्तक्षेप कार्रवाई की थी। इस अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ की लगभग 54000 मी.टन मात्रा खरीदी गई। इस खरीद से रबड़ उपजकर्ताओं को उनके उत्पाद के लिए समुचित कीमत प्राप्त करने में मदद मिली है। तथापि, न्यूनतम कीमत के निर्धारण व उसे अधिसूचित करने से जोकि प्राकृतिक रबड़ के कारोबार के लिए आयात तुल्य कीमत पर आधारित है, एस टी सी के द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खरीद बंद कर दी गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी

368. **डा. एन वेंकटस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2007 तक 1% के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) वर्ष 2000 के दौरान विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का हिस्सा 0.67% रहा है। हालांकि यह चीन तथा कुछ अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रतिशत हिस्से से कम है, तथापि विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा वर्ष 1992–93 के 0.41% से बढ़कर वर्ष 1998–99 में 0.6% तथा वर्ष 2000 में 0.67% हो गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2002–2007 की अवधि के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीति की घोषणा कर दी गई है जिसका उद्देश्य वर्ष 2006–07 तक विश्व निर्यात में भारत के पण्य निर्यात के हिस्से को 1% तक बढ़ाना है। इस मध्यावधि निर्यात कार्यनीति में प्रमुख वृहत तथा क्षेत्र–वार कार्यनीतियों सहित निर्यात क्षेत्र की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की आयात मदों तथा भारत की निर्यात मदों की जांच करके मुख्य उत्पादों को अभिज्ञात किया गया है।

गुजरात में अशक्त व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठन

369. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

श्री दिलीप संघाणी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजनाओं पर कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के चालू होने से लेकर इनमें लगे संगठनों को कितनी सहायता दी गई; और

(ग) इसमें अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) गुजरात में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने की योजना के प्रारम्भ से 25 गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत इन संगठनों को अनुदान के रूप में 227.95 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। गैर–सरकारी संगठनों के नाम, स्वीकृत परियोजनाएं तथा उन्हें निर्मुक्त अनुदान की राशि दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस योजना से राज्य में विकलांगों को शिक्षा सुविधाएं, प्रशिक्षण तथा पुर्नवास सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिली है। इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 60000 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

निशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई के संवर्धन सम्बन्धी योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदानों के ब्यौरे

जिला	सगठन का नाम	परियोजना का नाम	1998–99	1999–00	2000–01	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद	गुजरात केलावणी न्यास	शारीरिक वि. के लिए देखभाल तथा पुर्नवास केन्द्र	0	27180	390420	417600
	सदभावना ग्रामीण विकास न्यास	वी. एच के लिए वि. स्कूल	0	0	20700	20700
	सोपान	एम.आर. के लिए स्कूल वी.टी.सी.	0	416765	51550	468315
	अध अपंग कल्याण केन्द्र	गृह दौरा योजना	113447	150390	161424	425261
	दृष्टिहीन व्यक्ति सघ	बेकरी तथा स्किल विकास यूनिट	84746	157770	160920	403436
		बी.एम.ए. न्यूज लेटर	51754	79650	79650	211054

1	2	3	4	5	6	7
		कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	97843	156456	60750	315049
		इलै. प्र. केन्द्र	130311	169560	84780	384651
		रोजगार तथा समापन सेवाएं	92213	116010	125190	333413
		गुजरात आशुलिपि	58302	95508	92160	245970
		न्यून दृष्टि केन्द्र	0	0	658156	658156
		पी.एच. के लिए बहुश्रेणी कार्यशाला	384552	568620	568620	1521792
		राष्ट्रीय पुर्नवास इन्जिनियरिंग यूनिट	81851	403438	290160	775449
		भौतिक चिकित्सा स्कूल	67551	303660	303660	674871
		टाकिंग बुक लाइब्रेरी	88449	160200	160200	408849
	भारतीय समाज कल्याण परिषद (अहमदाबाद)	वि.सं. केन्द्र	0	27450	399600	427050
	लाइट हाउस फार ब्लाइंड गर्ल्स	छ.ल. बहुकार्य.	293088	518850	298183	1110121
	रचनात्मक अभिगम न्यास	विकलांग के लिए वृ. वि. केन्द्र	200128	410760	433980	1044868
बनासकांठा	विकलांग सर्वांगी विकास न्यास	पी.एच के लिए स्कूल तथा होस्टल	0	199440	1038420	1237860
बडोदरा	अक्षर न्यास	[illegible]. वि.वि. स्कूल	0	0	217485	217485
		शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	119250	119250
	अर्पण	नैदानिक तथा वि. केन्द्र	248400	526500	257450	1032350
	दी बनियान सिटी जंसी शिक्षा न्यास	एम.आर बी.टी.सी तथा वि. केन्द्र	0	140175	213705	353880
	चिकित्सा देखभाल केन्द्र	एम.आर. बच्चा के लिए वि. केन्द्र	306468	322985	581544	1210997
भावनगर	एम.आर. के लिए अंकुर विशेष स्कूल	एम.आर. के लिए वि. स्कूल	0	0	284643	284643
	श्री अपंग परिवार कल्याण केन्द्र	पी.एच. के लिए के.जी. स्कूल (वे)	0	9405	54600	64005
	श्रीमती प्रसन्नबेन नारनदास रामजी शाह (तलजवाला) सोसायटी फार रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन आफ द डिसएब्ल्ड	क.मो वेतन (सी.पी. केन्द्र)	0	0	139950	139950
	श्री के.एल बधिर संस्थान	ले. प्र. केन्द्र का वेतन	160070	215820	185580	56147[illegible]
		लाइब्रेरियन का वेतन	56052	66960	66960	189972
		शि.प्र. संस्था	71206	170480	197480	439126
		परियहन भत्ता	55900	179550	170100	405550

1	2	3	4	5	6	7
कच्छ	हरि आसरो न्यास	भवन निर्माण	200000			200000
जामनगर	अन्ध विविधलक्षी तालीम केन्द्र	वि.के.लि.ए. ब. कार्यशास्त्र	357587	720270	535994	1613851
		दी.बो.को.परि.भ. (उपासना)	0	0	8978	8978
	माता लक्ष्मी रोटरी धर्माथ न्यास	न्यून दृष्टि केन्द्र	0	0	428160	428160
		दीवा छा. को या.भ.	0	0	9765	9765
मेहसाना	अपग सेवा न्यास	भवन निर्माण	200000	0	200000	400000
राजकोट	दी सोसायटी फार द मेंटली रिटार्डेड	एम.आर. के लिए प्रौढ़ प्रशिक्षण कार्यशाला	302580	468453	451198	122223।
साबरकांठा	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ	न्यून दृष्टि केन्द्र	0	0	446175	446175
सूरत	भारतीय विकलांग कल्याण न्यास	ओ.एच. के लिए विशेष स्कूल	0	723285	1426950	2150235
सुरेन्द्रनगर	श्री डी.एस. पारेख तथा अगरूतबेन पारेख मूक तथा बधिर स्कूल	क्राफ्ट्समैन तथा ट्रेडमैन	45057	30240	77760	153057
			3747555	7535810	11452230	22735595

अर्थोपाय अग्रिम

370. श्री त्रिलोचन कानूनगो :

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान 31 जनवरी, 2002 तक प्रत्येक राज्य में कितने दिनों का अर्थोपाय अग्रिम लिया और ओवरड्राफ्ट लिया;

(ख) वर्ष 2000–2001 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य का अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर कितना ब्याज बना;

(ग) क्या सरकार लगातार घाटे से प्रभावित राज्यों अर्थात् उन राज्यों जो वर्ष 2000–2001 को समाप्त होने वाले पिछले 10 वर्षों से राजस्व अर्जन में लगातार घाटा उठा रहे हैं, को घाटे से उबारने हेतु योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे घाटे वाले राज्यों के पुनरुद्धार हेतु केन्द्र सरकार कौन से वैकल्पिक प्रबंध की योजना बना रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच लेन–देन के बीच करार के आधार पर किया जाता है। चूंकि राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट पर जानकारी उजागर करने से बैंकर और ग्राहकों (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच) के बीच संबंधों पर अतिक्रमण होता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा ऐसी जानकारी प्रकाशित/उजागर नहीं की जाती है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ. सी.) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 1999–2000 से 2004–2005 तक के लिए राजकोषीय सुधार सुविधा का सृजन किया है ताकि राजकोषीय सुधार कार्य करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जा सके। प्रोत्साहन निधि का गठन कर दिया गया है तथा इस निधि से राज्यों को धन उनके राजस्व घाटे/अधिशेष स्थिति में सुधारों के आधार पर दिया जाता है। तथापि, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के अस्थायी अंतराल को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पास राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, जहां आवश्यक हो, उस वर्ष के लिए राज्यों की व्यवहार्य मासिक हकदारी भी अग्रिम रूप में जारी करती है।

निर्यात वृद्धि लक्ष्य

371. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री के. येरननायडू :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात वृद्धि लक्ष्य इस वर्ष के दौरान तीन प्रतिशत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बारह प्रतिशत के पूर्व अनुमान के मुकाबले वर्ष 2000–2001 के लिए निर्यात वृद्धि लक्ष्य में तीन प्रतिशत कमी की है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2001 के पूर्वार्द्ध के दौरान विश्व निर्यातों की धीमी वृद्धि और सामान्य रूप से वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर भारत का समग्र वार्षिक निर्यात लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में मूलतः 12 प्रतिशत रखा गया था जिसे संशोधित करके 3 प्रतिशत कर दिया गया है। निर्यात लक्ष्य को संशोधित करने का कोई राजस्व दृष्टिकोण नहीं है।

(घ) निर्यात संवर्धन एक प्रमुख थ्रस्ट क्षेत्र रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से निर्यातों को बढ़ाने के अनेक उपाय किए गए हैं। निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए हाल ही के कुछ उपायों में शामिल हैं – लदान–पूर्व और लदान–पश्चात दोनों के लिए निर्यात ऋण दर में कटौती, 100 करोड़ रु. अथवा इससे अधिक की निर्यात संविदा वाले विनिर्माता निर्यातकों को एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, एक वर्ष की अवधि के लिए निर्यातों के लिए 180 दिनों की सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना और कई उत्पाद समूहों पर शुल्क वापसी दरों में उर्ध्वगामी संशोधन करना। इन सभी और अन्य कारकों ने चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध के दौरान देखी गई निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, विगत में घटित घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान वैश्विक आर्थिक वातावरण पर विचार करते हुए, वर्ष 2002–2007 की अवधि के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीति घोषित कर दी गई है।

रुग्ण उद्योगों को ऋण

372. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने रुग्ण उद्योगों को अनुमानतः कितनी धनराशि का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन रुग्ण उद्योगों पर बैंकवार और वित्तीय संस्था–वार बकाया ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रुग्ण इकाइयों से बकाया ऋण की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्ण उद्योगों को दी गई अनुमानित ऋण राशि के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी निगमित निकायों के लेन-देन का रिकार्ड

373. **श्री जी.एस. बसवराज : क्या वित्त मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक भारत के विदेशी निगमित निकायों द्वारा विदेश ले जाई गई धनराशि के बारे में आंकड़ों की निगरानी और उनका रख–रखव नहीं करता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोदामों के रख-रखाव पर खर्च

374. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदामों में खाद्यान्न भण्डारों के ठीक प्रकार के अनुरक्षण पर किए गए खर्च में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने खर्च में कमी करने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान बफर स्टाक की मात्रा सहित खाद्यान्नों के स्टाक के रखरखाव पर हुआ खर्च निम्नानुसार है :–

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)	औसत स्टाक (लाख टन में)
1998–99	5454	165.02
1999–2000 (अनंतिम)	5636	182.98
2000–2001 (अनंतिम)	6624	246.16

(ग) से (ङ) बफर की रखरखाव लागत को कम करने के लिए सरकार ने स्टाक का निपटान करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

1. गरीबी रेखा से नीचे खाद्यान्नों के आबंटन को बढ़ाकर उसे 25 किलाग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर करना।

2. 25 जुलाई, 2000 से केन्द्रीय निर्गम मूल्य में कमी करना और जुलाई, 2001 के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों को और 30 प्रतिशत कम करना।

3. खुली बिक्री के अधीन आर्थिक लागत से कम मूल्य पर गेहूं और चावल की पेशकश करना।

4. मध्यान भोजन योजना, पोषाहार कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अन्नपूर्णा और अकिंचन व्यक्तियों (अकिंचन महिलाओं और बच्चों) की योजनाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के छात्रावासों आदि जैसी विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन आर्थिक मूल्य की बजाय गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करना।

5. अंत्योदय अन्न योजना के लिए गेहूं और चावल क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर जारी किए जा रहे हैं।

6. आर्थिक लागत से कम मूल्यों पर गेहूं और चावल का निर्यात करना।

7. छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन भी गेहूं और चावल जारी किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली में चोरी

375. **श्री शिवराजसिंह चौहान :**

श्री जयभान सिंह पवैया :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

श्री रघुनाथ झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली में कुछ लाख रुपये गायब पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) नई दिल्ली स्थित रिजर्व बैंक के कार्यालय ने सूचित किया है कि उन्हें दिनांक 3 जुलाई, 1999 को ओरियंटल बैंक आफ कामर्स की जालंधर (आदर्श नगर) शाखा से विप्रेषित धन प्राप्त हुआ था। 6 जुलाई, 1999 को नोट के बक्सों को खोला गया तथा तिजोरी प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैकेट और बण्डल की प्राथमिक जांच के पश्चात् नोटों को रखा गया। दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 को की गई शेष राशि की प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान 500 रुपये के नोटों के तीन बंडलों, जिसका मूल्य 15 लाख रुपये है, की कमी का पता चला।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है तथा उन दो अधिकारियों को अभियोग पत्र जारी किया है जो नोटों को सम्भालने के लिए अभिरक्षक थे। उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरे अधिकारी के सेवानिवृत्ति लाभ पर रोक भी लगा दी है जो उस समय उस कक्ष में कार्यरत थे। पुलिस को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है।

कपास का आयात

376. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान कपास के आयात में वृद्धि हुई है जबकि सूती वस्त्रों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1999–2000 तथा 2000–01 के दौरान कपास के आयात तथा सूती वस्त्रों के उत्पादन निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	कपास का आयात* (हजार टन में)	सूती वस्त्रों का उत्पादन	
		सूती यार्न (मिलियन किग्रा. में)	सूती कपड़ा (मिलियन वर्गमीटर में)
1999–2000	237.40	2204	18989
2000–2001	212.07	2267	19627

*स्रोत : डी.जी.सी.आई.एस.

(ग) सरकार द्वारा कपास की उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया गया है।

आयकरदाताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं बंद किया जाना

377. डा. संजय पासवान : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकरदाताओं को राजसहायता प्राप्त राशन जारी न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इसके परिणामस्वरूप कितने कार्डधारियों को राजसहायता प्राप्त राशन जारी नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी विशेष योजना के तहत आयकरदाताओं को विशेष राशन कार्ड जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 1.2.2001 से उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूहों को छोड़ कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों का उत्पीड़न

378. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के साथ छुआछूत के राज्य–वार कितने अपराध दर्ज किए गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की कितनी रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) वर्ष 1997–1998 तथा 1999 के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत–दर्ज मामलों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कार्यकरण के संबंध में कैलेण्डर वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 के लिए तीन वार्षिक रिपोर्टें–1997 से 1999 के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

विवरण

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	197	199	279
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**असम**	शून्य	शून्य	शून्य
4.	**बिहार**	शून्य	1	2
5.	**गोवा**	1	1	शून्य
6.	**गुजरात**	22	19	3
7.	**हरियाणा**	5	1	1
8.	**हिमाचल प्रदेश**	12	शून्य	2
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	1	1
10.	कर्नाटक	234	137	106
11.	केरल	7	2	3
12.	मध्य प्रदेश	67	58	13
13.	महाराष्ट्र	154	108	53
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	7	4	4
19.	पंजाब	3	1	5
20.	राजस्थान	4	1	2
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	68	49	32
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	20	8	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	1	शून्य	शून्य
28.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	8	9	10
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	21	12	10
	कुल	831	611	526

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात

379. श्री अनन्त नायक :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वस्त्र परिधानों का अलग–अलग वर्ष–वार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इन वस्तुओं के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कौन से विचित्र कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिलेसिलाए परिधान सहित वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :–

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	1998–99		1999–2000		2000–2001	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
वस्त्र निर्यात	14275	12558.7	14385	13324.8	15532	14470.2
जिनमें से सिलेसिलाए परिधान	5900	5268.4	6000	5524.5	6500	6217.7

नोट 1. – वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा सूचित आंकड़ों के आधार पर।

नोट 2. – वर्ष 2000–2001 के लिए निर्यात आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त गैर–कोटा निर्यात पर डीजीसीआईएंडसी के आंकड़े।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विश्व बाजार में सामान्य मंदी, दक्षिण पूर्व एशिया को अर्थव्यवस्था में विकास के धीमा पड़ जाने तथा अपैरल की वस्तुओं के मामले में गैर–प्रतिबंधित मदों की कम इकाई मूल्य वसूली के कारण इस अवधि के दौरान निर्यात लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(ङ) विभिन्न सुविधाओं की अनुमति दी गई है जैसे कि शुल्क वापसी, ईपीसीजी योजना के अंतर्गत मशीनों के आयात के लिए शुल्क की रियायती दर, निर्यात–आयात नीति की अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्रतिबंधित मदों के आयात की अनुमति, फास्टनर्स, पॉलीवेडिंग्स, लेबल, टैग, बटन, हैंगर्स, स्टिकर्स, पॉलीबैग तथा लाइनिंग सामग्री जैसी अलंकरण व ट्रिमिंग्स की अत्यावश्यक मदों का शुल्क मुक्त आयात, आयकर की 80 एचएचसी के अंतर्गत पूर्ण/आंशिक छूट।

सरकार वस्त्र निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर अनेक कदम उठा रही है। इनमें से की गयी कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :–

(1) सरकार ने लघु उद्योग से सिलेसिलाए परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है।

(2) उत्कृष्टता समूहों अर्थात परिधानों के उत्पादन व निर्यात के लिए अपैरल पार्क के सृजन के लिए वर्ष 2001–02 के बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए वर्ष 2001–2002 के बजट प्राक्कलन में भी 15 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का भी गठन किया गया है।

(4) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गई है।

(5) निचले स्तर तक प्रतिस्पर्द्धी वस्त्र उत्पादों को विनिर्माण और निर्यात करने के लिए कपास के उत्पादन उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

(6) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(7) शुल्क की 5 प्रतिशत रिआयती दर पर अनेक परिधान मशीनों के आयात की अनुमति दे दी गई है।

(8) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(9) वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

(10) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुग्राही बनाना।

(11) सुसंगत तरीके से वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित व निरंतर विकास तथा उन्नति को नीतिगत दिशा प्रदान करने तथा वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 की घोषणा की गई है।

(12) कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डीईपीबी दरों को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

(13) वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

(14) हाल ही में कोटा-नीति के अंतर्गत निम्नलिखित रिआयतों की घोषणा की गई है :

– कोटा नीतियों की पहले आओ पहले पाओ/सिलेसिलाए परिधान हकदारी प्रणालियों के अंतर्गत अधिकांश श्रेणियों को व्यापक अतिरिक्त मात्रा के लिए खोल दिया गया है जिसका उद्देश्य निरंतर आधार पर परिधान और वस्त्र निर्यातकों को कोटे प्रदान करना है।

– निर्यातकों की पारगमन लागत और समय को कम करने के लिए कुछ श्रेणियों के लिए ईएमडी/बीजी राशि को कम कर दिया गया है और कोटे को प्रयुक्त करने की तारीख बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत लाईसेंस की शर्त को ऐसी सभी श्रेणियों के लिए भी छोड़ दिया गया है जिनमें शेष वर्ष के लिए मात्रा बची हुई है।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात से आय

380. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश वस्त्र निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-1999, 1999-2000 और

2000–2001 के दौरान उक्त निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोक्त वर्षों के दौरान अर्जित संपूर्ण विदेशी मुद्रा की तुलना में अर्जित की गई उक्त विदेशी मुद्रा का वर्ष–वार और प्रतिशतता–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के संबंध में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु पूर्वोक्त वर्षों के दौरान किन अतिरिक्त प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) वर्ष 1998–1999, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान अर्जित समग्र विदेशी मुद्रा की तुलना में अर्जित विदेशी मुद्रा और देश से वस्त्र निर्यात के मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है :–

(अमरीकी मिलियन डालर)

वर्ष	पटसन, कयर और हस्तशिल्प सहित वस्त्र	समग्र निर्यात	कुल निर्यात में वस्त्र निर्यात का %
1998–1999	9548.2	33641.5	28.4%
1999–2000	10508.5	36805.4	28.6%
2000–2001	12097.4	44103.8	27.4%

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

(घ) विभिन्न सुविधाओं की अनुमति दी गई है जैसे कि शुल्क वापसी, ईपीसीजी योजना के अंतर्गत मशीनों के आयात के लिए शुल्क की रियायती दर, निर्यात–आयात नीति की अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्रतिबंधित मदों के आयात की अनुमति, फास्टनर्स, पॉलीवेडिंग्स, लेबल, टैग, बरन, हैंगर्स, स्टिकर्स, पॉलीबैग तथा लाइनिंग सामग्री जैसी अलंकरण व ट्रिमिंग्स की अत्यावश्यक मदों का शुल्क मुक्त आयात, आयकर की 80 एचएचसी के अंतर्गत पूर्ण/आंशिक छूट।

सरकार भी वस्त्र निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर अनेक कदम उठा रही है। इनमें से की गयी कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :–

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाए परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है।

(2) उत्कृष्टता समूहों अर्थात परिधानों के उत्पादन व निर्यात के लिए अपैरल पार्क के सृजन के लिए वर्ष 2001–02 के बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए वर्ष 2001–2002 के बजट प्राक्कलन में भी 15 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का भी गठन किया गया है।

(4) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यहास की सुविधा प्रदान की गई है।

(5) निचले स्तर तक प्रतिस्पर्द्धी वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए कपास के उत्पादन उत्पादकता और गुणवत्ता को बढावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

(6) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(7) शुल्क की 5 प्रतिशत रिआयती दर पर अनेक परिधान मशीनों के आयात की अनुमति दी गई है।

(8) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(9) वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत–प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

(10) पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुग्राही बनाना।

(11) सुसंगत तरीके से वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित व निरंतर विकास तथा उन्नति को नीतिगत दिशा प्रदान करने तथा वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र नीति–2000 की घोषणा की गई है।

(12) कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डीईपीबी दरों को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

(13) वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

(14) हाल ही में कोटा–नीति के अंतर्गत निम्नलिखित रिआयतों की घोषणा की गई है :

– कोटा नीतियों की पहले आओ पहले पाओ/सिलेसिलाए परिधान हकदारी प्रणालियों के अंतर्गत अधिकांश श्रेणियों को व्यापक अतिरिक्त मात्रा के लिए खोल दिया गया है जिसका उद्देश्य निरंतर आधार पर परिधान और वस्त्र निर्यातकों को कोटे प्रदान करना है।

– निर्यातकों की पारगमन लागत और समय को कम करने के लिए कुछ श्रेणियों के लिए ईएमडी/बीजी राशि को कम कर दिया गया है और कोटे को प्रयुक्त करने की तारीख बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत लाईसेंस की शर्त को ऐसी सभी श्रेणियों के लिए भी छोड़ दिया गया है जिनमें शेष वर्ष के लिए मात्रा बची हुई है।

[अनुवाद]

विदेशी निगमित निकायों की निवेश सीमा

381. श्री रघुनाथ झा :

श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच विदेशी निगमित निकायों नामतः यूरोपियन इंवेस्टमेंट लिमिटेड, फार इस्ट इंवेस्टमेंट लिमिटेड, वेकफील्ड होल्डिंग लिमिटेड, ब्रैन्टफील्ड होल्डिंग्स लिमिटेड और केसिंगटन इंवेस्टमेंट लिमिटेड जिनका कुल पूंजी आधार 7.53 लाख रुपये है, ने मार्च 2001 को समाप्त होने वाले दो वर्षों के दौरान 2900 करोड़ रुपये स्वदेश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इतनी कम पूंजी के साथ इन विदेशी निगमित निकायों ने इतनी बड़ी मात्रा में लेन–देन किया कि उन्होंने लगभग तीन हजार करोड़ रुपये देश से बाहर भेजे हैं;

(ग) क्या इन विदेशी निगमित निकायों की कोई निवेश सीमा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या विदेशी निगमित निकायों के लिए निवेश सीमा शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) निवल बहिप्रर्वाह में ये शामिल हैं : एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी मार्ग के जरिए विदेशी मुद्रा संसाधनों से भारत के बाहर विदेशी कार्पोरेट निकायों (ओसीबी) द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण शेयरों की बिक्री/प्रत्यावर्तन, महत्वपूर्ण शेयरों की अन्य अनिवासी भारतीयों/विदेशी कार्पोरेट निकायों से खरीद तथा भारत में बिक्री तथा जिनके लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) आंकड़ों में काई सादृश अंतर्प्रवाह नहीं है।

(च) और (छ) यह निर्णय लिया गया है कि 29.11.2001

से विदेशी कार्पोरेट निकायों को भारत में पोर्टफालियो निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

तम्बाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

382. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू पत्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिए तम्बाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) तम्बाकू क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति न दिए जाने संबंधित वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम

383. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम पुनः लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के कारगार कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) अल्पसंख्यकों के पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका संशोधन विचाराधीन है। चूंकि इसके लिए अनेक संगठनों से विचार–विमर्श करना अपेक्षित है, अतः कार्य को पूरा करने के लिए सही–सही समय–सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

विदेशी निगमित निकायों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध

384. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कंपनियों और शेयर बाजार में विदेशी निगमित निकायों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय शेयर बाजार और छोटे निवेशकों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विदेशी निगमित निकायों के माध्यम से धनराशि के प्रवाह की निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(छ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं, और

(ज) सरकार द्वारा उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि हाल ही में सूचित बाजार हेराफेरियों की सेबी द्वारा आरंभिक जांच के दौरान कुछ शेयर दलालों द्वारा सर्कुलर व्यापार, धारिता संकेन्द्रीकरण, शेयरों की पार्किंग के लिए कतिपय विदेशी कार्पोरेट निकायों के प्रयोग के संकेत जानकारी में आए थे। संभावित मूल्य हेराफेरी, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियमों के उल्लंघन इत्यादि में विदेशी कार्पोरेट निकायों की भूमिका की जांच की जा रही है।

कतिपय विदेशी कार्पोरेट निकायों द्वारा पोर्टफालियो निवेश योजना के संभावित दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर वित्तीय तथा पूंजी बाजार संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया था तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में यह निर्णय लिया गया है कि 29.11.2001 से विदेशी कार्पोरेट निकायों को भारत में पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मोटे अनाजों की खरीद

385. श्री सुबोध मोहिते : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रतिवर्ष राज्य–वार कितनी मात्रा में मोटे अनाज की खरीद की गई;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से मोटे अनाजों के वितरण हेतु क्या नीति अपनाई गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में गरीब उपभोक्ताओं को मोटे अनाज का वितरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) खरीफ विपणन मौसम 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यवार वसूल की गई मोटे अनाजों की मात्रा नीचे दी गई है :–

(आंकड़े टन में)

राज्य	भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल की गई मात्रा		
	1998–99	1999–2000	2000–2001
आन्ध्र प्रदेश	15	73	20451
कर्नाटक	53	–	12325
मध्य प्रदेश	1336	–	–
महाराष्ट्र	283	89	–

(ख) भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मोटे अनाजों का सीधे वितरण नहीं करता है। तथापि, जो राज्य सरकारें मोटे अनाजों की वसूली करती हैं वे इनका वितरण अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करती हैं। अधिशेष मात्रा निपटान करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के सुपुर्द कर दी जाती है। इन स्टाकों सहित भारतीय खाद्य निगम के स्टाक की बिक्री "जहां हैं जैसा है" आधार पर खुली निविदा के मायध्म से की जाती है। जब कभी किसी राज्य विशेष को अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए मोटे अनाजों की आवश्यकता होती है तब भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध स्टाक पर निर्भर करते हुए संबंधित राज्य सरकार को ये उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) से (ङ) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात में थोड़ी सी मात्रा को छोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मोटे अनाजों की कोई मांग नहीं है। अतः फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मोटे अनाजों का वितरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

386. श्री रामसिंह राठवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें उदारीकरण की नीति के कार्यान्वयन का अनुसरण करते हुए भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई है और उन बैंकों के नाम क्या हैं जो पहले ही अपना कार्य शुरू कर चुके हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन बैंकों द्वारा कुल कितना मुनाफा अर्जित किया गया है; और

(ग) इन बैंकों द्वारा अपने देशों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा भेजी जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 24 विदेशी बैंकों को भारत में कारोबार करने की अनुमति दी गई थी तथा उन बैंकों ने 1993 अर्थात उदारीकरण प्रक्रिया की शुरूआत से ही परिचालन करना शुरू कर दिया था। उन बैंकों में से 2 बैंकों ने उसके पश्चात् अपना परिचालन बंद कर दिया है। उन बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन बैंकों द्वारा अर्जित किए गए कुल लाभ/हानि तथा उनके अपने देश मे विप्रेषित कुल धन निम्नलिखित है :–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाभ/हानि	विप्रेषित धन
1998–99	(–) 8.69	8.07
1999–2000	(–) 43.51	1.87
2000–2001	(–) 52.60	शून्य

यद्यपि इन सभी बैंकों ने हानि की ही सूचना दी है फिर भी बैंकों द्वारा धन का विप्रेषण किया गया है जिसके परिचालन से निवल लाभ हुआ है।

विवरण

उन विदेशी बैंकों के नाम, जिन्हें उदारीकरण नीति के कार्यान्वयन के बाद भारत में कारोबार करने की अनुमति दी गई है तथा जिन्होंने परिचालन (1993 से) शुरू किया है।

1. बारक्लेस बैंक
2. आईएनजी बैंक
3. चेट मेनहाटन बैंक
4. स्टेट बैंक आफ मारिशस
5. डेवलपमैंट बैंक आफ सिंगापुर
6. ड्रेस्डनर बैंक
7. बैंक आफ सिलोन
8. कामर्ज बैंक
9. सियाम कमर्शियल बैंक
10. बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया
11. चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक
12. अरब बांग्लादेश बैंक
13. चोहांग बैंक
14. फ्यूजी बैंक
15. क्रन्ग थाई बैंक पब्लिक कंपनी
16. ओवरसीज – चाइनीस बैंकिंग कारपोरेशन
17. कमर्शियल बैंक आफ कोरिया (बंद)
18. हनिल बैंक (बंद)
19. सुमितोमो बैंक
20. टोरान्टो डोमिनियन बैंक
21. मशरक बैंक
22. बैंक मस्कट इन्छेल एसएओ
23. मोरगन गारंटी ट्रस्ट कंपनी आफ न्यूयार्क
24. केबीसी बैंक

[अनुवाद]

अवसंरचनात्मक विकास कोष

387. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु कोष बनाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचनात्मक विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं को तेजी से पूरा किए जाने को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में अप्रैल, 1995 में ग्रामीण आधारित विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की थी तब से यह प्रत्येक वर्ष के आधार पर जारी है।

(ख) आरंभ से इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को इस निधि से मंजूर ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) आरंभ से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई ग्रामीण आधारित विकास निधि से ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

मंजूरियों का राज्यवार ब्यौरा –वर्षवार
(15 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार)

वर्षवार मंजूरियां (करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	227.09	334.22	290.79	305.42	383.09	573.52	509.37	2623.50
2.	अरुणाचल प्रदेश					25.10	88.50	32.80	146.40
3.	असम		63.29	16.07	64.72	196.14	49.57		389.79
4.	बिहार	22.17		57.96		9.51	43.71	85.07	218.42
5.	छत्तीसगढ़	79.12	8.98	57.07	65.32	34.10	50.86	46.79	342.24
6.	गोवा	6.85			8.93		19.09		34.87
7.	गुजरात	150.90	133.79	160.60	136.36	254.06	554.75	40.90	1431.36
8.	हरियाणा	26.70	61.06	74.98	56.25	99.07	67.43	152.79	538.28
9.	हिमाचल प्रदेश	14.23	52.96	51.12	88.58	112.80	135.03	138.75	593.47
10.	जम्मू और कश्मीर	6.14	8.06	35.95	105.87	110.88	161.52	37.80	466.22
11.	झारखण्ड			4.35	118.50	91.42			214.27
12.	कर्नाटक	172.63	195.21	170.84	173.87	173.85	303.13	315.71	1505.24
13.	केरल	95.93	87.60	89.88	64.55	127.58	186.33	72.99	724.86
14.	मध्य प्रदेश	161.32	198.62	191.63	177.52	228.87	292.79	270.77	1521.52
15.	महाराष्ट्र	186.81	231.66	254.31	301.98	350.28	439.17	421.08	2185.29
16.	मणिपुर	1.75					8.33		10.08
17.	मेघालय	3.39		7.06	9.33	35.10	30.49	13.86	99.23
18.	मिजोरम	2.38				54.17	3.76	4.54	64.85
19.	नागालैण्ड	1.38			0.72	16.52	61.49	0.95	81.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा	169.50	128.64	162.91	162.56	134.62	107.43	142.50	1008.16
21.	पंजाब	60.50	62.50	88.85	115.94	102.79	236.66	222.88	890.12
22.	राजस्थान	123.51	151.50	162.88	72.29	153.08	253.75	285.24	1202.25
23.	सिक्किम				21.29	8.72	4.55	5.48	40.04
24.	तमिलनाडु		245.79	195.11	176.56	254.01	261.84	224.67	1357.88
25.	त्रिपुरा				21.70	45.01	35.40		102.11
26.	उत्तर प्रदेश	295.72	491.65	411.30	474.97	348.94	247.72	277.31	2547.61
27.	उत्तरांचल			21.68	50.80	4.98			77.46
28.	पश्चिम बंगाल	102.52	156.94	173.55	214.32	222.29	413.23	290.22	1573.07
	कुल	1910.54	2612.47	2678.89	2988.35	3576.98	4630.05	3592.37	21989.65

विवरण-II

आईआरडीएफ के अंतर्गत राज्य वार और वर्ष वार संवितरण (15.2.2002 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	संवितरण							(करोड़ रुपये)
	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	39.20	70.25	140.71	227.22	240.15	353.05	333.76	1410.34
अरुणाचल प्रदेश					6.02	27.54	16.44	50.00
असम				38.81	79.23	53.63	8.37	178.04
बिहार					17.43		0	17.43
छत्तीसगढ़							19.39	19.39
गोवा	4.17	2.87		0.89	4.08	2.35	8.35	23.01
गुजरात	31.00	103.23	85.15	72.04	145.40	272.55	125.88	815.25
हरियाणा		15.98	53.93	18.33	37.29	85.42	40.38	231.33
हिमाचल प्रदेश	3.00	14.89	23.88	40.88	56.01	108.90	84.67	330.59
जम्मू और कश्मीर	0.82		10.17	8.48	55.18	71.64	36.51	180.58
झारखण्ड							0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	23.08	86.80	84.41	118.88	143.37	204.88	125.99	747.17
केरल	7.87	57.43	35.90	39.85	80.98	74.74	85.21	361.76
मध्य प्रदेश	36.69	118.53	74.03	94.98	123.86	188.88	176.94	814.09
महाराष्ट्र	82.01	130.84	94.17	32.91	303.40	421.98	22.81	1094.12
मणिपुर			0.90				0	0.90
मेघालय			2.79	1.42	10.81	13.07	8.34	38.43
मिजोरम		0.40	1.97		9.08	11.49	12.05	35.89
नागालैण्ड		1.38			5.05	9.82	0	16.25
उड़ीसा	50.71	68.82	98.37	37.48	157.23	80.12	83.58	576.07
पंजाब	20.00	39.16	52.48	79.40	85.07	120.01	158.87	532.97
राजस्थान	43.23	68.52	64.77	103.69	103.00	201.92	141.23	720.90
तमिलनाडु		11.60	84.03	111.30	184.83	281.27	180.03	813.12
त्रिपुरा					4.31	7.90	3.32	15.53
उत्तर प्रदेश	30.86	238.89	97.87	221.05	319.80	352.46	109.27	1370.00
उत्तरांचल							0	0.00
पश्चिम बंगाल	14.52	72.09	36.88	89.93	134.01	208.04	174.95	770.42
सिक्किम					11.90	6.94	8.76	27.60
कुल	387.34	1087.06	1009.03	1313.12	2277.87	3176.85	1943.96	11195.27

नए बने राज्यों, अर्थात उत्तरांचल और झारखण्ड के संबंध में संवितरण इन राज्यों के बनने के बाद अभी शुरू किया जाना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किया जाना

388. श्री बसुदेव आचार्य : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन एवं साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन उपक्रमों के ज्यादातर कामगारों ने स्वैच्छिक पृथक्करण योजना का विकल्प चुना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं किया है तथापि उनके पुनरुद्धार किए जाने की संभावना थी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) लगातार निम्न निष्पादन, वृहद संचित हानि, वेतन/मजदूरी की देयता को पूरा करने के लिए सरकार पर लगातार निर्भरता तथा बार–बार प्रयासों के बावजूद कोई जैव्य पुनरुद्धार योजना सामने न आना, उपक्रम को बंद करने की कार्रवाई के मुख्य कारण थे।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) अपनाने वाले कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी :

(क) माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एमएएमसी) – 3967

(ख) रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी) – 1087

(ग) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) 1492

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

*(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

.....(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री ई. अहमद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 4 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 मार्च, 2002/13 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।